

परिपत्र

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण

तथा

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

म0प्र0 भोपाल

विधि प्रकोष्ठ

अध्याय – 1

म0 प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973

की अधिनियम अंतर्गत

संचालनालय की शक्तियों का प्रत्यायोजन

सम्बन्धी परिपत्र / निर्देश

म.प्र.शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा संचालनालय नगर तथा ग्राम

निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र

स.क्र.	अध्याय क्र.	अध्याय अंतर्गत विषयवस्तु	पृष्ठ क्र.
1	1	अधिनियम के अंतर्गत संचालक की शक्तियों का प्रत्यायोजन	1 से 7
2	2	धारा 13 अंतर्गत निवेश क्षेत्र गठित किए जाने बाबत् निर्देश	8 से 26
3	3	धारा 15 अंतर्गत निवेश क्षेत्र में वर्तमान भूमि उपयोग अंगीकृत किए जाने बाबत् निर्देश	27 से 28
4	4	धारा 16 संबंधी परिपत्र / निर्देश	29 से 121
5	5	धारा 17 अंतर्गत विकास योजना तैयार करने संबंधी निर्देश	122 से 127
6	6	धारा 17-क अंतर्गत विकास योजना प्रारूप पर सुनवाई संबंधी निर्देश	128 से 130
7	7	धारा 18 संबंधी परिपत्र/निर्देश	131 से 132
8	8	धारा 27 एवं 28 अंतर्गत शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं के प्रकरणों के विकास अनुज्ञा	133 से 204

**DIRECTORATE OF TOWN & COUNTRY PLANNING
PARAYAWARAN PARISAR , E-5 ARERA COLONY, BHOPAL(M.P)**

4821/ T&CP/M/Legal/8711

Bhopal dt. 23.9.2004

ORDER

In exercise of the powers conferred by section 75(2) of the Madhya Pradesh Bhopal Nagar Tatha Gram Nivesh, Adhiniyam 1973 and in the supersession of the all previous orders regarding delegation of powers, the following powers of the Director , Town & Country Planning , Madhya Pradesh Bhopal Under the Act are delegated to the various subordinate Officers as per the Schedule No 1 and authorized under rule 2(5) of M.P. Bhoomi Vikas Niyam 1984 with immediate effect, The respective jurisdiction of the various officers are detailed in schedule No.2.

**(S.N. Mishra)
Director
Town & Country Planning
Madhya Pradesh Bhopal Bhopal**

Endt. No- 4821/ T&CP/M/Legal/8711
23.9.2004

Bhopal dt.

Copy to :

1. The Principal Secretary , Govt of M.P. , Housing & Environment Department for information
2. All Addl. Directors , Town & Country Planning Bhopal .
3. All District Officers/Joint Director/ Dy. Director/Asst. Director, Town& Country Planning District Office For information and necessary action.

**(S.N. Mishra)
Director
Town & Country Planning
Madhya Pradesh Bhopal Bhopal**

SCHEDULE-1
SCHEDULE OF POWERS DELEGATED BY THE DIRECTOR
TOWN & COUNTRY PLANNING , MADHYA PRADESH BHOPAL UNDER
MADHYA PRADESH BHOPAL NAGAR TATHA GRAM NIVESH ADHINIYAM,
1973
(ACT, 23 OF 1973 Schedule)

Sl.No	Section Of Act	Nature of Power delegated	Officer to whom power is delegated	Jurisdiction
1	5(i)(ii)	To prepare an existing land use map	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt.Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
2	6 (1) a (b)	To Carry out survey	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt.Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
3	8(2)	Power to hear and consider objection and suggestion received in respect of draft regional plan	Addl. Director (R)	Whole of Madhya Pradesh Bhopal
4	14(a)	To prepare an existing land use map	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt.Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
	(b)	To prepare a development plan for planning area		
	(d)	To carry such service and inspection and obtain such pertinent reports from		

Sl.No	Section Of Act	Nature of Power delegated	Officer to whom power is delegated	Jurisdiction
		Govt. Deptt. Local Authorities and Public institution as may be necessary for the preparation of the plans.		
5	15	To carry out surveys, to publish and adopt an existing land use maps.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s) 	Their respective jurisdiction
6-	16(1) , A B	(A) Power to accord permission for institution or changing the use of any land or carrying out any development of land for any purpose other than that indicated in existing land use map	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s) 	Their respective jurisdiction
		(B) Power to permit Local Authority or other Authority to grant permission for change in use of land other than as indicated in land use map		

Sl.No	Section Of Act	Nature of Power delegated	Officer to whom power is delegated	Jurisdiction
7	27	Power to raise objections to the development by union or State Govt.	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt.Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
8	28	Power to raise objections to the development by a Local Authority or by any Authority Constituted under this act	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt.Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
9	29	Power to accord permission for development by others	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt.Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
10	30	power to grant or refuse permission	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt.Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
11	33	power to extend validity of permission	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3.Asstt.Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
12	37	Power to require removal of unauthorized development and prosecute the owner for not complying with the notice	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt.Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction

Sl.No	Section Of Act	Nature of Power delegated	Officer to whom power is delegated	Jurisdiction
13	77	Right of entry	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
14	79	Cognizance of offence and authorization for filling compliant	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction

(S.N. Mishra)
Director
Town & Country Planning
Madhya Prades Bhopal

SCHEDULE-2**SCHEDULE SHOWING JURISDICTION OF THE VARIOUS OFFICERS OF
TOWN & COUNTRY PLANNING , MADHYA PRADESH BHOPAL**

SI.No	Designation of the Officer	Jurisdiction
1	Addl. Director , Town & Country Planning	Whole Of Madhya Pradesh Bhopal
2	Jt. Director , T & CP, Bhopal	Bhopal & Sehore District
3	Jt. Director , T & C P, Indore	Indore & Dhar District
4	Jt. Director , T & C P, Gwalior	Gwalior & Datia Districts
5	Jt. Director , T & C P, Jabalpur	Jabalpur & Narshingpur Disricts
6	Jt. Director , T & C P, Rewa	Rewa & Sidhi Districts
7	Jt. Director , T & C P, Sagar	Sagar , Damoh , & Tikamgarh Disrticts
8	Dy. Director , T & C P, Ujjain	Ujjain District
9	Dy. Director , T & C P, Khandwa	Khandwa, Khargone, Burhanpur & Barwani District
10	DY. Director , T & C P, Neemuch	Neemuch & Mandsaur Districts
11	DY. Director , T & C P, Satna	Satna Districts
12	DY. Director , T & C P, Dewas	Dewas & Shajapur Districts
13	DY. Director , T & C P, Shahdol	Shahdol, Annupur & Umariya Districts
14	DY. Director , T & C P, Guna	Guna, Ashok Nagar & Shivpuri Districts
15	Asstt. Director , T & C P, Hoshangabad	Hoshangabad & Harda Districts
16	Asstt. Director , T & C P, Chhindwara	Chhindwara, Seoni , & Balaghat Districts
17	Asstt. Director , T & C P, Ratlam	Ratlam Districts
18	Asstt. Director , T & C P, Vidisha	Vidisha & Raisen Districts
19	Asstt. Director , T & C P, Rajgarh	Rajgarh Districts
20	Asstt. Director , T & C P, Betul	Betul Districts

Sl.No	Designation of the Officer	Jurisdiction
21	Asstt. Director , T & C P, Chhatarpur	Chhatarpur & Panna Districts
22	Asstt. Director , T & C P, Bhind	Bhind , Morena & Sheopurkalan Districts
23	Asstt. Director , T & C P, Mandla	Mandla & Dindori Districts
24	Asstt. Director , T & C P, Jhabua	Jhabua Districts
25	Asstt. Director , T & C P, Katni	Katni Districts

(S.N.Mishra)

Director
T & C.Planning
M.P. Bhopal

अध्याय – 2

म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की
धारा 13 के अंतर्गत निवेश
क्षेत्र गठित किये जाने संबंधी संबंधी
परिपत्र / निर्देश

Index

अध्याय 2— म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13 के अंतर्गत निवेश क्षेत्र गठित किये जाने संबंधी संबंधी परिपत्र/निर्देश

अनुक्रमांक	परिपत्र क्रमांक/दिनांक	परिपत्र का विषय/विषयवस्तु	पृष्ठ क्रमांक
1	2	3	4
1	7762/विधि/ 1.11.2001	म.प्र.भूमि विकास नियम 1984 के अंतर्गत निवेश क्षेत्र के बाहर विकास अनुज्ञा जारी करने बाबत।	1
2	3149/2795/2004/32 30 जून 2004(आ.पर्या)	विभिन्न नगरों में विकसित किये जाने वाले चौराहा के संबंध में	2
3	3500/विधि 8.7.2007	प्लाई ऐश के पुर्न उपयोग बाबत माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में विचाराधीन याचिका क्रमांक 2145/1999 बाबत प्रतिवेदन।	3-4
4	4470/टी.सी 31.7.2004	नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं जांच लें निचम 2000 के संबंध में	5
5	4821/टी.एण्ड.सी.पी 23.9.04	रीजनल प्लान तैयार करने के संबंध में अधिकारों का प्रत्यायोजन एव आदेश	6-12
6	2330/विधि 20.5.2005	निवेश क्षेत्र स्थित ग्राम पंचाचत्तों/विकास कार्यों की स्वीकृति के संबंध में।	13-14
7	एफ-3-71/2005/32 दि. 30.08.2005	मांगलिक भवन/मैरिज हेतु मापदण्ड	15-16
8	एफ-3-75/2005/32 12 सितम्बर 2005	रिटेल (आउटलेट) पेट्रोल पंप स्थापित करने के संबंध में।	17
9	एफ-5-23/2009/32 दि. 4.6.2009	आवासीय कालोनियों/परिसरों को विकसित करने में मूलभूत सुविधाओं एवं आवश्यकताओं का प्रावधान।	18-19

संचालनालय,नगर तथा ग्राम निवेश,
पर्यावरण परिसर,ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल

क्रमांक 7762/विधि/2001

भोपाल, दिनांक 1.11.2001

प्रति,

संयुक्त संचालक /उप संचालक/सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम,निवेश
जिला कार्यालय,
----- (म.प्र.)

विषय:-म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों की प्रभावशीलता।

-0-

विकास योजना प्रावधानों में विकास नियमन अध्याय के अंतर्गत विकास अनुज्ञा देने की प्रक्रिया में एकरूपता लाने की दृष्टि से निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं।

म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत बनाये गये म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश नियम 1975 संपूर्ण राज्य पर (मध्यप्रदेश) प्रभावशील है जबकि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 उन नगरों पर प्रभावशील माने जाते हैं जहां राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी की गई हो। अतः जिन नगरों में म.प्र.भूमि विकास नियम 1984 प्रभावशील हो। वहां उक्त नियमों के तहत एवं शेष नगरों में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 1975 के प्रावधानों के अंतर्गत विकास अनुज्ञा प्रदान की जाये। विकास योजना प्रतिवेदन में भी तदनुसार उल्लेख किया जावे।

(डी.पी.तिवारी)

आयुक्त सह संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
म0प्र0,भोपाल

क्रमांक 7762/विधि/2001

भोपाल, दिनांक 1.11.2001

प्रतिलिपि:-

1. अपर संचालक (1) एवं (2) नगर तथा ग्राम निवेश,म.प्र.भोपाल।

(डी.पी.तिवारी)

आयुक्त सह संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
म0प्र0, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक— 3149 / 2795 / 2004 / 32

भोपाल दिनांक 30 जून 2004

प्रति,

1. आयुक्त नगर निगम ,
नगर निगम नगर पालिक मध्यप्रदेश
- 2 मुख्य कार्यापालन अधिकारी ,
समस्त विकास प्राधिकरण / विशेष
क्षेत्र विकास प्राधिकरण म.प्र.

विषय:—विभिन्न नगरों में विकसित किये जाने वाले चौराहों के संबंध में ।

—0—

उपरोक्त विषय के संबंध में विभिन्न नगरों के चौराहों का विकास तथा सौन्दर्यीकरण के अंतर्गत यातायात से संबंधित तकनीकी कार्यों का नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से अनुमोदन के उपरांत ही क्रियान्वयन किया जावे ।

हस्ता /—

(बी.एन.त्रिपाठी)

उप सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

क्रमांक— 3159 / 2975 / 2004 / 32

भोपाल दिनांक 30 जून 2004

प्रतिलिपि—

आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के पत्र क्रमांक 2633 / टी.सी.
/समीक्षा / बैठक / 04, दिनांक 01.6.2004 के संदर्भ में अग्रेषित ।

हस्ता /—

(बी.एन.त्रिपाठी)

उप सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
ई-5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर,म.प्र.भोपाल

क्रमांक 3500 / विधि / एम-588 / नग्रानि / 04 /

भोपाल दिनांक 8.जुलाई.2004

प्रति,

1. संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय भोपाल ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
विकास प्राधिकरण-----
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण-----

विषय:-फ्लाई ऐश के पुर्न उपयोग बाबत् माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में विचाराधीन याचिका क्रमांक 2145 / 1999 बाबत् पालन प्रतिवेदन ।

-0-

उपरोक्त विषय में सूचित किया जाता है कि, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 26.4.2004 में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

“प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण द्वारा अवगत कराया गया कि नोटिफिकेशन की मंशा अनुसार ताप विद्युत गृह के 100. कि.मी के क्षेत्र में फ्लाई ऐश से निर्मित इंटों का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने वाले विभाग नगर पालिक, विकास प्राधिकरण, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा अन्य स्थानीय संस्थायें निर्माण की अनुमति देते समय उक्त शर्त का उल्लेख करें एवं पालन सुनिश्चित कराये। कृपया निर्णय को लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

हस्ता / -

(एस.एन.मिश्रा)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक /विधि/एम-588/नग्रानि/04/

भोपाल दिनांक 8.जुलाई.2004

प्रतिलिपि-

अध्यक्ष , प्रदूषण निवारण मण्डल एवं सदस्य संयोजक , म.प्र प्रदूषण नियंत्रण मण्डल पर्यावरण परिसर , भोपाल की ओर उनके पत्र क्र 11260/तक/प्रनियों/2004 दिनांक 5.7.2004 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

हस्ता/-

(एस.एन.मिश्रा)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी,म.प्र.भोपाल

क्रमांक 4470 / टी.सी / सागर / 157 / 04 /

भोपाल दिनांक 31.8.2004

प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय समस्त ।

विषय:- नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं जांच ले)नियम 2000 के संबंध में ।

-0-

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के जिला कार्यालय प्रमुख की समीक्षा बैठक दिनांक 15.3.2004 का कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 6 के तारतम्य में लेख है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं कृपया जांच ले) नियम 1999, (25 सितम्बर 2000 भारत का राजपत्र) की छायाप्रति संलग्न कर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न-यथोपरि ।

हस्ता / -

(बी.एन.त्रिपाठी)

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र.भोपाल
दूरभाष - 2429731

**DIRECTORATE OF TOWN & COUNTRY PLANNING
PARAYAWARAN PARISAR , E-5 ARERA COLONY, BHOPAL(M.P)**

4821/ T&CP/M/Legal/8711

Bhopal dt. 23.9.2004

ORDER

In exercise of the powers conferred by section 75(2) of the Madhya Pradesh Bhopal Nagar Tatha Gram Nivesh, Adhiniyam 1973 and in the supersession of the all previous orders regarding delegation of powers, the following powers of the Director , Town & Country Planning , Madhya Pradesh Bhopal Under the Act are delegated to the various subordinate Officers as per the Schedule No 1 and authorized under rule 2(5) of M.P. Bhoomi Vikas Niyam 1984 with immediate effect, The respective jurisdiction of the various officers are detailed in schedule No.2.

(S.N. Mishra)
Director
Town & Country Planning
Madhya Pradesh Bhopal Bhopal

Endt. No- 4821/ T&CP/M/Legal8711

Bhopal dt. 23.9.2004

Copy to :

1. The Principal Secretary , Govt of M.P. , Housing & Environment Department for information
2. All Addl. Directors , Town & Country Planning Bhopal .
3. All District Officers/Joint Director/ Dy. Director/Asst. Director, Town& Country Planning District Office For information and necessary action.

(S.N. Mishra)
Director
Town & Country Planning
Madhya Pradesh Bhopal Bhopal

SCHEDULE-1
SCHEDULE OF POWERS DELEGATED BY THE DIRECTOR
TOWN & COUNTRY PLANNING , MADHYA PRADESH BHOPAL UNDER
MADHYA PRADESH BHOPAL NAGAR TATHA GRAM NIVESH ADHINIYAM,
1973
(ACT, 23 OF 1973 Schedule)

Sl.No	Section Of Act	Nature of Power delegated	Officer to whom power is delegated	Jurisdiction
1	5(i)(ii)	To prepare an existing land use map	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
2	6 (1) a (b)	To Carry out survey	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
3	8(2)	Power to hear and consider objection and suggestion received in respect of draft regional plan	Addl. Director (R)	Whole of Madhya Pradesh Bhopal
4	14(a)	To prepare an existing land use map	1. 1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
	(b)	To prepare a development plan for planning area		
	(d)	To carry such service and inspection and obtain such pertinent reports from		

Sl.No	Section Of Act	Nature of Power delegated	Officer to whom power is delegated	Jurisdiction
		Govt. Deptt. Local Authorities and Public institution as may be necessary for the preparation of the plans.		
5	15	To carry out surveys, to publish and adopt an existing land use maps.	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
6-	16(1) , A B	(A) Power to accord permission for institution or changing the use of any land or carrying out any development of land for any purpose other than that indicated in existing land use map	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
		(B) Power to permit Local Authority or other Authority to grant permission for change in use of land other than as indicated in land use map		

Sl.No	Section Of Act	Nature of Power delegated	Officer to whom power is delegated	Jurisdiction
7	27	Power to raise objections to the development by union or State Govt.	1. 1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
8	28	Power to raise objections to the development by a Local Authority or by any Authority Constituted under this act	1. 1 Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
9	29	Power to accord permission for development by others	1. 1 Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
10	30	power to grant or refuse permission	1. 1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
11	33	power to extend validity of permission	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
12	37	Power to require removal of unauthorized development and prosecute the owner for not complying with the notice	1. 1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction

Sl.No	Section Of Act	Nature of Power delegated	Officer to whom power is delegated	Jurisdiction
13	77	Right of entry	1.1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
14	79	Cognizance of offence and authorization for filling compliant	1.1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction

(S.N. Mishra)
Director
Town & Country Planning
Madhya Prades Bhopal

SCHEDULE-2**SCHEDULE SHOWING JURISDICTION OF THE VARIOUS OFFICERS OF
TOWN & COUNTRY PLANNING , MADHYA PRADESH BHOPAL**

SI.No	Designation of the Officer	Jurisdiction
1	Addl. Director , Town & Country Planning	Whole Of Madhya Pradesh Bhopal
2	Jt. Director , T & CP, Bhopal	Bhopal & Sehore District
3	Jt. Director , T & C P, Indore	Indore & Dhar District
4	Jt. Director , T & C P, Gwalior	Gwalior & Datia Districts
5	Jt. Director , T & C P, Jabalpur	Jabalpur & Narshingpur Disricts
6	Jt. Director , T & C P, Rewa	Rewa & Sidhi Districts
7	Jt. Director , T & C P, Sagar	Sagar , Damoh , & Tikamgarh Disrticts
8	Dy. Director , T & C P, Ujjain	Ujjain District
9	Dy. Director , T & C P, Khandwa	Khandwa, Khargone, Burhanpur & Barwani District
10	DY. Director , T & C P, Neemuch	Neemuch & Mandsaur Districts
11	DY. Director , T & C P, Satna	Satna Districts
12	DY. Director , T & C P, Dewas	Dewas & Shajapur Districts
13	DY. Director , T & C P, Shahdol	Shahdol, Annupur & Umariya Districts
14	DY. Director , T & C P, Guna	Guna, Ashok Nagar & Shivpuri Districts
15	Asstt. Director , T & C P, Hoshangabad	Hoshangabad & Harda Districts
16	Asstt. Director , T & C P, Chhindwara	Chhindwara, Seoni , & Balaghat Districts
17	Asstt. Director , T & C P, Ratlam	Ratlam Districts
18	Asstt. Director , T & C P, Vidisha	Vidisha & Raisen Districts
19	Asstt. Director , T & C P, Rajgarh	Rajgarh Districts
20	Asstt. Director , T & C P, Betul	Betul Districts

Sl.No	Designation of the Officer	Jurisdiction
21	Asstt. Director , T & C P, Chhatarpur	Chhatarpur & Panna Districts
22	Asstt. Director , T & C P, Bhind	Bhind , Morena & Sheopurkalan Districts
23	Asstt. Director , T & C P, Mandla	Mandla & Dindori Districts
24	Asstt. Director , T & C P, Jhabua	Jhabua Districts
25	Asstt. Director , T & C P, Katni	Katni Districts

(S.N.Mishra)
Director
T & C.Planning
M.P. Bhopal

**संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर,ई-5 अरेरा कालोनी म. प्र. भोपाल**

क्रमांक 2330 / विधि / एम 460
प्रति,

भोपाल दिनांक 20.05.2005

समस्त कलेक्टर
जिलाम.प्र.।

विषय:—निवेश क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायतों में निर्माण / विकास कार्यों की स्वीकृति के संबंध में ।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत ध्यान में यह लाया गया है कि अनेको ग्राम पंचायतों द्वारा निवेश क्षेत्र में बिना संचालनालय से विकास / निर्माण की अनुमति / अनापत्ति प्राप्त किये अनियोजित तरीके से विकास निर्माण , बहुमजिले भवनों आदि की अनुमति प्रदान की जा रही है जो कि वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है ।

म.प्र पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 49, 55, 97 के अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भवन निर्माण की अनुज्ञा देने हेतु आदर्श उपविधियों तैयार की गई है । उपविधियों के नियम 5 में स्पष्ट उल्लेख है कि भवन अनुज्ञा आवेदन पर विचार करने में ग्राम पंचायतों को सहायता करने हेतु नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय के अधिकारी से परामर्श प्राप्त किया जायेगा ।

इसी प्रकार बहुमंजिला भवन के प्रकरण में म.प्र भूमि विकास नियम 1984 के नियम 14 के अधीन गठित समिति के द्वारा स्पष्टता समाशोधन पाने के बाद ही अनुज्ञा दी जाना है ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि म.प्र के अधिकांश बड़े एवं मझोले नगरों के निवेश क्षेत्र निर्धारित हो चुके हैं और उन पर म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 लागू है ।

भवन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु सभी जिला प्रमुखों की उनके क्षेत्राधिकार के निवेश क्षेत्रों में कार्य करने हेतु प्राधिकृत भी किया जा चुका है ।

अतएव उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप अपने अधीनस्थ आने वाले ग्राम पंचायतों को इस स्थिति से अवगत कराते हुए

निवेश क्षेत्र मे विकास/निर्माण की अनुज्ञा जारी करने के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारी से आवश्यक अनमुति /अनापत्ति प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि नगर के चारो, ओर हो रहे बेतरतीब , अनियोजित एवं अप्राधिकृत विकास पर प्रभावी रोक लगाई जा सके ।

(एस.एन.मिश्रा)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल

भोपाल दिनांक 20.05.2005

क्रमांक 2331/विधि/एम 460

प्रतिलिपि

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत ----- ।
2. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे संरपंचों द्वारा की जा रही अप्राधिकृत कार्यवाही से कलेक्टर को अवगत कराकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आग्रह करें ।

(एस.एन.मिश्रा)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय

क्रमांक —एफ—3—71 / 2005 / बत्तीस

भोपाल दिनांक 30.08.2005

प्रति,

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल म.प्र

विषय:—मांगलिक भवन/मैरिज गार्डन हेतु मापदण्ड ।

—0—

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, की धारा 73(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश की समस्त विकास योजनाओं में मांगलिक भवन/मैरिज गार्डन के निर्माण व संचालक हेतु निम्न मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं:—

1.भूमि उपयोग जिस पर मांगलिक भवन /मैरिज गार्डन स्वीकार्य नहीं होंगे:—

आमोद—प्रमोद, यातायात एवं सार्वजनिक सोव, व सुविधा हेतु निर्दिष्ट भूमि उपयोग पर मांगलिक भवन/मैरिज गार्डन स्वीकार्य नहीं होंगे , शेष समस्त भूमि उपयोगों में मांगलिक भवन/मैरिज गार्डन स्वीकार्य उपयोगों की श्रेणी में मान्य किये जाते हैं।

2. भू-खण्ड का न्यूनतम क्षेत्र — 4000 वर्ग मीटर

3. भू-खण्ड का अग्रभाग — न्यूनतम 40 मीटर

4. भू-खण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई — 18 मीटर

5. एफ.ए.आर— 1:0.15

6. भूतल कवरेज — 10 प्रतिशत अधिकतम

7. एम.ओ.एस —अग्रभाग—भू-खण्ड के कुल क्षेत्रफल का 35 प्रतिशत पार्किंग हेतु छोड़ने के पश्चात् 4.50 मीटर न्यूनतम ।

अन्य तीनों ओर —6.0 मीटर न्यूनतम

8. पार्किंग— मांगलिक भवन /मैरिज गार्डन से जनित होने वाली समस्त पार्किंग परिसर के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा । सामने छोड़े जाने वाले 35 प्रतिशत पार्किंग क क्षेत्रफल पर पार्किंग प्लाट विकसित किया जाना आवश्यक होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ते
(सी.बी.पड़वार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर,ई-5 अरेरा कालोनी म. प्र. भोपाल

क्रमांक 4232— / टी.सी / इन्दौर—465 / 05

भोपाल दिनांक 12.09.2005

प्रतिलिपि

संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय समस्त 24 जिला कार्यालय एवं वि.यो. केन्द्र को आवश्यक कार्यवाही एवं
पालनार्थ प्रेषित ।

(शुभाशीष बैनर्जी)

उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक एफ-5-23/2000/32

भोपाल दिनांक 04.06.2009

प्रति,

1. आयुक्त ,
म.प्र गृह निर्माण मण्डल
भोपाल
2. संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल
3. अधीक्षण यंत्री
राजधानी परियोजना प्रशासन
भोपाल
4. समस्त विकास प्राधिकरण /विशेष क्षेत्र
विकास प्राधिकरण म.प्र.
5. समस्त नगर निगम
मध्यप्रदेश
6. मुख्य नगर पालिक अधिकारी
समस्त नगर पालिका
मध्यप्रदेश

विषय:- आवासीय कालोनियों /परिसरों को विकसित करने में मूलभूत सुविधाओं एवं आवश्यकताओं का प्रावधान ।

-0-

राज्य शासन के ध्यान में यह बात आई है कि प्रायः आवासीय कालोनी/परिसरों को विकसित करते समय उनमें विभिन्न प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं का प्रावधान नहीं किया जाता है जबकि स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण की दृष्टि से इनका प्रावधान किया जाना आवश्यक है। राज्य शासन के जन संकल्प 2008 के अंतर्गत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मुख्य बिन्दु क्रमांक-9 में यह व्यवस्था की गई है। कि " समस्त आवासीय कालोनियों में सार्वजनिक उद्यान का निर्माण और रखरखाव सुनिश्चित किया जायेगा ।

2. अतः निर्माणाधीन एवं निर्मित कालोनियों/आवासीय परिसरों में निम्नानुसार व्यवस्थायें की जाना वांछनीय होगा । अतः उन्हें सुनिश्चित किया जाये :

1. कालोनियों में अनुमोदित अभिन्यास के अनुरूप छोड़े गये खुले स्थानों के विकास में पार्क , बगीचे एवं वृक्षों का समूह , छोटे बच्चों के खेल के स्थान , उचित प्रकाशा , पेयजल व्यवस्था , जल-मल निकासी की व्यवस्था सड़क एवं भवन निर्माण के साथ ही पूर्ण की जाये इसके बिना विकास पूर्ण नहीं माना जाये ।

2. यथासंभव प्रत्येक कालोनी का लैण्डस्केप प्लान बनाया जावे जिसमें पेड़ों की स्थिति उनकी बॉटनिकल क्षमताओं के अनुरूप स्थानीय जलवायु एवं मिट्टी के अनुरूप तैयार की जावे ।
3. लेण्डस्केपिंग प्लान इस तरह तैयार किया जावे कि उसमें जल की आवश्यकत न्यूनतम रहे। पार्क , बगीचों के पौधों / पेड़ों की प्रजाति इस प्रकार रखी जावे कि उनका रखरखाव कम से कम जल की मात्रा में हो सके।
4. बिजली प्रदाय के तारों / सर्ვის लाईन के कारण वृक्षों को यथासंभव काटा न जाये।

हस्ता /—
(आर.के.त्यागी)

उप सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल दिनांक 04.06.2009

क्रमांक 1356 / 1809 / 32-1

प्रतिलिपि—

1. भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन लिंक रोड न0 3 ई-5 रविशंकर , नगर भोपाल की ओर उनके पत्र क्र-10-5/98(ईएनव्ही)/1867 दिनांक 14.9.05 के संदर्भ में सूचनार्थ एवचं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रषित ।
2. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर उनके प.क्र 17046/परि/प्रनिबो/05 दि 12.9.02005 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रषित ।

हस्ता /—

(आर.के.त्यागी)

उप सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

अध्याय – 3

म0 प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम

1973 की धारा 15 अन्तर्गत

निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का

वर्तमान भूमि उपयोग अंगीकृत किये

जाने सम्बन्धी परिपत्र / निर्देश

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

मध्यप्रदेश,भोपाल

क्रमांक 4590 / न.ग्रानि.:वि.यो. / 96

भोपाल,दिनांक 9.12.96

प्रति,

समस्त अपर संचालक
समस्त संयुक्त संचालक,
समस्त उप संचालक,
समस्त सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश----- ।

विषय:—वर्तमान भूमि उपयोग रिकार्ड (मानचित्र एवं रजिस्टर) को सुरक्षित रखे जाने
संबंधी:— दिशा निर्देश ।

—0—

शहडोल नगर के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उपलब्ध जीर्ण—शीर्ण रिकार्ड के परिपेक्ष्य में यह बात मेरे ध्यान में लाई गई है कि कुछ क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी रिकार्ड (मूल शीट एवं रजिस्टर) को भली भांति सुरक्षित नहीं रखा जाता है। संभवतः मूल शीट्स का उपयोग दैनिकी उपयोग में लाया जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप मूल रिकार्ड शीघ्र ही जीर्ण—शीर्ण होकर नष्ट होने की दशा में पहुँच जाता है।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र विधिक रिकार्ड होता है तथा आवश्यकता पड़ने पर इसकी मांग न्यायालय द्वारा की जाती है। अतः न केवल मूल शीट्स का सैट बल्कि एक आर,टी,एफ,फिल्म पर अतिरिक्त सैट भी क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालय में रखा जाना चाहिये।

अतः निर्देशित है कि स्थरीकृत वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी समस्त मूल सुरक्षित रखा जाना सुनिश्चित किया जावे तथा कार्यालय का दैनिकी कार्य अधिनियम 1973 के अंतर्गत अनुज्ञा जारी करना तथा विकास योजना बनाये अथवा पुनरीक्षित योजना बनाने हेतु भूमि उपयोग अधतन करने संबंधी कार्य मूल शीट पर न किया जाकर उसके प्रिंट्स पर फोल्डर धारण करते हुए किया जावे।

प्रभारी अधिकारी अपना कार्यभार सौंपते समय अपने कार्यभार के साथ मूल रिकार्ड को लिखितरूप में आगामी प्रभारी अधिकारी को पूर्ण विवरण सहित सौंपें, तथा उच्च अधिकारियों द्वारा कार्यालय निरीक्षण के समय इस रिकार्ड का विशेष रूप से अवलोकन करायेगे। उक्त मूल रिकार्ड के नष्ट होने अथवा उपलब्ध नहीं होने का दायित्व संबंधित प्रभारी अधिकारी का होगा।

(स्वदीप सिंह)

संचालक, न.ग्रा.नि, म.प्र. भोपाल

अध्याय – 4

म० प्र० नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम

1973 की धारा 16 सम्बन्धी

परिपत्र / निर्देश

Index

अध्याय 4— म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 से संबंधी परिपत्र/निर्देश

अनुक्रमांक	परिपत्र क्रमांक/दिनांक	परिपत्र का विषय/विषयवस्तु	पृष्ठ क्रमांक
1	2	3	4
1	2502/32/1/85 3.7.85(आ.पर्या)	नगर तथा ग्राम नियोजन के समक्ष अधिकारी की अनुमति लिये बिना किसी निवेश क्षेत्र में निर्माण की अनुमति जारी न करने बाबत।	1
2	एफ 3-39/32/85 26 अगस्त 87(आ.पर्या)	1 एकड़ या 1 एकड़ से ज्यादा के ऐसे कालोनियों में 15 प्रतिशत इनफारमल सेक्टर के लिये रखने बाबत।	2
3	विधि/88/1374 दि. 5.4. 1988	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 तथा 29 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदल पत्र के निरागर के संबंध में पंजी का संधारण	3-4
4	14449/प्रनियों/ तकनीकी 19 सितम्बर 1994 (प्रदू.मंडल)	शहरी क्षेत्रों में विकसित होने वाली कालोनियों के सीवेज तथा उसके समुचित व्ययन की व्यवस्था।	5
5	एफ-3/39/32/85 2 जुलाई 1997(आ.पर्या)	बाह्य विकास शुल्क के संबंध में।	6
6	6219/न.ग्रा.नि/वि. यो/97 दिनांक 09.09. 1997	विकास/भवन अनुज्ञा आवेदन पत्रों को निर्धारित प्रपत्रों में ही ग्राह्य करने बाबत।	7-8

7	8183/न.ग्रानि/वि.यो. /97 7 नवंबर 97	निवेश क्षे. एवं नगर निगम/नगर पालिका सीमा के मध्य स्थित क्षेत्र पर भवन अनुज्ञा दिये जाने बाबत।	9
8	एफ-3/90/32/98 16 जुलाई 1998	15 प्रतिशत भूमि इनफारमल सेक्टर हेतु रखे जाने बाबत।	10-11
9	6257/न.ग्रानि/वि. यो/98 5 नवंबर 98	निर्मित एवं निर्माणधीन भवनों से पावर कनेक्शन हेतु आनापत्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया।	12-13
10	7762/विधि 1.11.2001	म.प्र.भूमि विकास नियम 1984 जहा प्रभावशील है वहां नियम 1984 के अनुसार तथा शेष नगरों में न.ग्रानि नियम 1975 के प्रावधान्तर्गत विकास अनुज्ञा जारी करने बाबत।	14
11	क्रमांक/32/2000 20 20 दिसंबर 2001	दंत चिकित्सा महाविद्यालयों एवं एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने बाबत।	15
12	3348/टी.सी/इन्दौर/ 117/0219.6.03	पेट्रोल पंप की स्थापना हेतु स्थल अनुमोदन बाबत।	16
13	एफ-3/170/2002/32 12.11.2003	मध्यप्रदेश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में निर्देश।	17-18
14	144/टी.सी. /कटनी/230/03 6/1/04	आवासीय कालोनी में वर्तमान अनुमोदित/निर्मित मार्गों को बंद करने की अनुमति न दिए जाने बाबत।	19

15	अ.शा.पत्र क्रमांक /1076/वि.यो./न.ग्रानि. /2004 4/3/04	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 में दिये प्रावधानुसार कार्यवाही करने बाबत जिला अधिकारियों को निर्देश।	20-21
16	एफ-3/170/2002/32 12 मई 2004	पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु समिति का गठन	22-23
17	3149/2795/2004/32 30 जून 2004	विभिन्न नगरों में विकसित किये जाने वाले चौराहों के संबंध में।	24
18	3500/विधि/ 8 जुलाई 2004	प्लार्ड ऐश के पुर्न उपयोग बाबत माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में विचाराधीन याचिका क्रमांक 2145/1999 बाबत पालन प्रतिवेदन।	25-26
19	क्रमांक-एफ-12/130/ 32/90 भोपाल दिनांक 9 जूलाई 2004	कमजोर वर्गों के लिए 15 प्रतिशत भूमी सुरक्षित रखने बाबत।	27-28
20	4470/टी.सी. /सागर/751/04/भोप ल दिनांक 31.8.2004	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के संबंध में ।	29
21	एफ-12/130/32/98 /32 भोपाल दि. 15.10.2004	एल.पी.ए. क्र. 329/99, म.प्र. शासन विरुद्ध, गौतम नगर हाउसिंग सोसाईटी।	30-31
22	क्रमांक 7629 /2004 /32 भोपाल दिनांक 23 दिसम्बर 2004	शासन के पत्र व्यवहार किये जाने बाबत।	32-33
23	क्रमांक/650/टी. सी/सरकुलर भोपाल दिनांक 14.02.05	शासन से पत्र व्यवहार किये जाने बाबत।	34

24	क्रमांक / 1166 नग्रानि / विधि / एम-567 / 05 भोपाल दि.6.03.05	शक्तियों का प्रत्यायोजन	35-36
25	क्रमांक 2330 / विधि / एम 460 भोपाल दि 20.05.2005	निवेश क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायतों में निर्माण / विकास कार्यों की स्वीकृति के संबंध में ।	37-38
26	क्रं. एफ-3-71 / 2005 / 32 दिनांक 30.08.2005	मांगलिक भवन / मेरिज गार्डन हेतु मापदण्ड ।	39-40
27	एफ-3 / 75 / 2005 / 32 12 सितम्बर 2005	रिटेल(आउटलेट) पेट्रोल पम्प स्थापित करने के संबंध में ।	41
28	एफ-5-23 / 2003 / 32 भोपाल दि. 12 अक्टूबर 2005	रिटेल(आउटलेट) पेट्रोल पम्प स्थापित करने के संबंध में ।	42
29	क्रमांक-एफ-5-23 / 2003 / 32 भोपाल दिनांक 12 अक्टूबर 2005	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली इकाईयों की जानकारी बावत ।	43-44
30	क्रमांक -एफ 3-92 / 2006 / 32 / भोपाल, दिनांक 05 सितंबर 2006	नगरीय क्षेत्रों में जल निकासी समस्या के निराकरण बावत ।	45-46
31	क्रमांक एफ-3 / 93 / 2005 / बत्तीस भोपाल, दिनांक 8.6.2007	भूखण्डों के संयुक्तिकरण बाबत ।	47
32	क्र.एफ-3 / 93 / 2005 / बत्तीस भोपाल, दि.8.7.2007	भूखण्डों के संयुक्तिकरण बाबत ।	48
33	क्र. / 4578 / विधि / एम 612 / नग्रानि / 2007 भोपाल, दि. 17 / 09 / 07	म.प्र. भूमी विकास नियम 1984 के नियम 14 के उप नियम (1) के अंतर्गत समस्त जिलों में ऊंचे भवनों की अनुज्ञा हेतु समिति का गठन ।	49-50

34	क्र. 3653 / स्था. / नग्रानि / 2008 भोपाल दि. 01.07.2008	म.प्र. नग्रानि अधिनियम 1973 की धारा 16 की शक्तियां संयुक्त संचालकों से निरस्त कर संचालकों को वेष्टित करने बावत्।	51
35	क्र.1356 / 1809 / 32-1 भोपाल दि. 04.06.2009	आवासीय कालोनियों / परिसरों का विकसित करने में मूलभूत सुविधाओं एवं आवश्यकताओं का प्रावधान।	52-53
36	क्र. / 4355 दि. 09.09.10	किसी भवन के विकास निर्माण पुनर्निर्माण अथवा उसके किसी भाग में परिवर्तन करने के लिए प्रथम आवेदन पत्र का प्रारूप।	54-55
37	क्रमांक / 4576 / विधि / नग्रानि / एम-87 भोपाल दि. 22.9.10	म.प्र.न.ग्रा.नि. अधिनियम 1973 धारा 16 की शक्तियां संयुक्त संचालको निरस्त कर संचालको वेष्टित करने बावत्।	56
38	क्रमांक / 4923 / पीए / 2010 दि. 11.10.2010	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश 1973 की धारा 16 के अंतर्गत कार्यवाही करने के संबंध में।	57-58
39	क्रमांक / 4946 / विधि / न ग्रानि / भोपाल, दिनांक 12.10.2010	धारा 16 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले प्रकरणों के संबंध में रजिस्टर संधारण किये जाने बावत्।	59-62
40	क्रमांक / 4971 / नग्रानि / विधि भोपाल, दि. 13.10.10	किसी भवन के विकास, निर्माण पुनर्निर्माण अथवा उसके किसी भाग में परिवर्तन करने के लिये प्रथम आवेदन पत्र का प्रारूप।	63

41	क्रमांक / 248 / विधि / नग्रानि / 2011 भोपाल दिनांक 18.03.11	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत	64-65
42	क्रमांक 1829 / विधि / 11 भोपाल, दिनांक 07.04.11	म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 एवं 29/30 में विकास अनुज्ञा संबंधित समस्त प्रकरणों पर पत्र व्यवहार अन्डर पोस्टर सर्टिफिकेट सेवा (यू.पी.सी.) के माध्यम से करने बाबत्।	66
43	क्रमांक / 5086 / विधि / न ग्रानि / एम-87 भोपाल दिनांक 12.08.2011	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रकरण अग्रेषित करने के पूर्व माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप परीक्षण करने आदेश।	67-89
44	क्रमांक / 1797 / नग्रानि / 2012 भोपाल दिनांक 09.04.12	अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत प्रकरणों के निराकरण बाबत्।	90
45	क्र.1798 / विधि / नग्रानि / भोपाल / 12 दिनांक 09. 04.2012	जिला कार्यालयों द्वारा दी जाने वाली अनापत्ति / अभिमत के संबंध में।	91-92
46	क्रमांक / 3353 / भोपाल दिनांक 04.07.12	म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत प्राप्त परीक्षण / निराकरण म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 14 (4) एवं 14 (5) अनुसार करने बाबत्।	93

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
आदेश

क्रमांक 2502/32-1/85

भोपाल, दिनांक 3.07.85

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम नियोजन अधिनियम की धारा 14 तथा 15 के परिपालन में नगरों में निवेश क्षेत्र घोषित किया जाता है। इसमें क्षेत्र की भूमि के उपयोग संबंधित सभी विवरण उपलब्ध होता है तथा उसका नक्शा तैयार करके उसे अपनाया जाता है। अस्तु ऐसे क्षेत्रों में जहां उपरोक्तानुसार कार्यवाही होती है वहां निर्धारित भू-उपयोग से भिन्न उपयोग के लिये संचालक नगर एवं ग्राम निवेश के अधिकार से वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति लेना वैधानिक रूप से आवश्यक है।

शासन के ध्यान में धामदा रोड़ जिला दुर्ग का एक प्रकरण लाया गया है। इसमें आदर्श चावल मिल की स्थापना के लिए बिना नगर एवं ग्राम नियोजन के सक्षम अधिकारी की अनुमति लिए वहां के डिवर्शन अधिकारी तथा स्थानीय विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण से निर्माण की अनुमति जारी की जो सर्वथा अवैधानिक और असंगत है।

शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नगर एवं ग्राम नियोजन के समक्ष अधिकारी की अनुमति लिये बिना किसी निवेश क्षेत्र में निर्माण की अनुमति जारी न की जाया करें, ताकि नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम की धाराओं के उल्लेख की स्थिति निर्मित नहीं हो।

कृपया इस आदेश से सभी संबंधित अधीनस्थों को अवगत करावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/-

(देवी सरन)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
आदेश

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 87

क्रमांक एफ 3-39/32/85 राज्य शासन द्वारा घोषित आवास नीति जोकि संकल्प क्रमांक 3380/1652/32-1/81 दिनांक 30 अक्टूबर 1981 के द्वारा घोषित की गई थी, के अनुसार विभिन्न कालोनियों में घरेलू नौकरों/इनफारमल सेक्टर वर्ग के लोगों के लिये भूखण्ड सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान था। मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 73 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आवास वर्ष में राज्य शासन के द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि 1.00 एकड़ अथवा 1.00 एकड़ से अधिक के ऐसे भूखंडों जिनमें कालोनिया आवास समूह विकसित करना प्रस्तावित हो, ऐसे वर्गों के लिये कम से कम 15 प्रतिशत अविकसित भूमि सुरक्षित रखी जावेगी।

2. यह सुरक्षित भूमि गंदी बस्ती निर्मूलन मंडल या शासन द्वारा निर्देशित संस्था को दी जावेगी जो इस भूमि के क्रय की वास्तविक लागत के बराबर राशि भूमि के मालिक संस्था को देगा।
3. राज्य में सभी अभिन्यास उक्त प्रावधान करने के बाद ही स्वीकृत किया जायेगा।

(आर.सी.जैन)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग,

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक /विधि/ 88 / 1374

भोपाल दिनांक 5.4.1988

प्रति,

संयुक्त संचालक (राजधानी परियोजना),
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल।

विषय:—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 तथा 29 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र के निराकरण के संबंध में प्रक्रिया तथा पंजी का संधारण।

संदर्भ:—संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल का पत्र क्रमांक 10522/विधि दिनांक 08.10.84 तथा पत्र क्रमांक 9710/विधि दिनांक 23.08.84।

//

उपरोक्त संदर्भांकित पत्रों द्वारा धारा 16 तथा 29 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। धारा 30 की उपधारा (5) के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्र का निपटारा 60 दिन के अन्दर करना आवश्यक है इस आदेशात्मक प्रावधान का अनिवार्यतः पालन करना है।

किन्तु यह देखने में आया है कि गांधी स्मारक गृह निर्माण सहकारी समिति, भोपाल द्वारा प्रस्तुत भूमि विकास की अभिन्यास की अनुज्ञा के प्रकरण में उपरोक्त विधिक प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया है और परिणाम स्वरूप न्यायालय प्रकरण क्र० 8ए/88 में अभिन्यास स्वीकृति हेतु संचालनालय को निर्देशित किया। यह अच्छी स्थिति नहीं है।

उपरोक्त विधिक प्रावधानों को अनदेखा करने के कारण आवेदक को विवश होकर न्यायालय में शासन के विरुद्ध व्यवहार वाद दायर करना पड़ा। इस प्रकरण में शासन की ओर से पक्ष समर्थन करने में औचित्य दिये जाने का कोई स्पष्ट आधार नहीं होने से अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार धारा 29 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण एवं पंजी का संघारण आवश्यक रूप से करें तथा इस प्रकरण के तथ्यों के संबंध में अपना प्रतिवेदन दो सप्ताह में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

क्रमांक/विधि/न.गा.नि/88/1375

भोपाल दिनांक 05.04.1988

प्रतिलिपि :-

- 1 अपर संचालक (ब) (ना) को सूचनार्थ।
- 2 समस्त संयुक्त/उपसंचालक क्षेत्रीय कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। संचालनालय के पत्र क्रमांक 9710 दिनांक 23.8.84 तथा पत्र क्रमांक 10522 दिनांक 08.10.84 द्वारा दिए गए निर्देशों का अनिवार्यतः पालन किया जावे। विधि प्रावधानों को अनेदेखा करने से शासन के विरुद्ध लाये जाने वाले वाद के परिणाम की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0 भोपाल

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर,ई-5 सेक्टर,
अरेरा,कालोनी भोपाल

क्रमांक 14449/प्रनिबो/तकनीकी/94/वी.मी.

भोपाल,दिनांक 19 सितम्बर 1994

प्रति,

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश,

पर्यावरण परिसर,ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल

विषय:-शहरी क्षेत्रों में विकसित होने वाली कालोनियों के सीवेज तथा उसके समुचित
व्ययन की व्यवस्था बाबत।

-0-

प्रदेश के लगभग सभी बड़े नगरों में तीव्र गति से सहकारी गृह निर्माण समितियों द्वारा कालोनियों का निर्माण किया जा रहा है। आप अवगत ही हार्गे की घरेलू स्त्रोतों से उत्पन्न होने वाले दूषित जल शहरी प्रदूषण का एक बड़ा स्त्रोत है तथा यह शहरी प्राकृति जल स्त्रोतों को प्रदूषित करता है। इसका मुख्य कारण यह है कि अनेक शहरों में सीवरेज तथा घरेलू दूषित जल के उपचार की व्यवस्था नहीं है। नई विकसित होने वाली कालोनियों में भी उचित सिवरेज नहीं है। जिस कारण घरेलू दूषित जल नालियों के माध्यम से प्राकृतिक जल स्त्रोतों तक पहुंचता है, तथा अस्वास्थ्यप्रद वातावरण निर्मित करता है। अतः यह अपेक्षा है कि सभी निर्माणधीन कॉलोणियों में सीवरेज की व्यवस्था ठीक से हो, इस हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री सही मापदण्डों के अनुरूप हो, साथ ही यह भी आवश्यक है कि दूषित जल के उपचार की पर्याप्त एवं उचित व्यवस्था कालोनाइजर्स द्वारा की जावे। कालोनाइजर्स द्वारा जो सेप्टिक टैंक बनाये जाते हैं वह या तो कम क्षमता के होते हैं। या भली - भांति डिजाइन नहीं किये जाते हैं एवं उनसे ओवरफलो जल स्त्रोतों को प्रदूषित करता है सोकपिट्स नहीं बनाये जाते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस दिशा में आपका विभाग जिन नई कालोनियों को विकसित किये जाने की अनुमति देता है, उस पर विशेष ध्यान दें, ताकि इस प्रकार की जल-मल की समस्या से भली-भांति निपटा जा सके।

हस्ता/-

(पी.के. बनर्जी)

सदस्य सचिव,

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई, 1997

क्रमांक एफ-3 / 39 / 32 / 85, राज्य शासन द्वारा बाह्य विकास शुल्क के संबंध में प्रसारित इस विभाग के आदेश क्रमांक 2681 / 1677 / 32 दिनांक 6.7.78 एवं आदेश क्रमांक एफ-3 / 39 / 32 / 85 दिनांक 28.11.85 को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है। आगामी आदेश तक किसी भी आवासीय अभिन्यास में विकास अनुज्ञा संबंधी स्वीकृति के समय बाह्य विकास शुल्क की राशि जमा न करवाई जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(रेखा शर्मा)

उप सचिव

म.प्र.शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग,

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 1997

पृ0क0 एफ-3 / 39 / 32 / 85

प्रतिलिपि:-

1. संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
2. समस्त संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश-----
3. समस्त उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र.-----
4. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण, म.प्र.-----
5. समस्त आयुक्त नगर निगम म.प्र.-----
6. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, म.प्र.-----
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण म.प्र.-----की ओर सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(रेखा शर्मा)

उप सचिव

म.प्र.शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक 6219 / न.ग्रानि.:वि.यो. / 97

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 97

“परिपत्र”

प्रति,

समस्त संयुक्त संचालक,
समस्त उप संचालक,
समस्त सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश----- ।

विषय:—विकास / भवन अनुज्ञा आवेदन पत्रों को निर्धारित प्रपत्रों में ही ग्राह्य करने बाबत ।

—0—

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश के क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 एवं म.प्र.भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानान्तर्गत उनके क्षेत्राधीकार में आने वाले क्षेत्रों के लिए उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुरूप, विकास / भवन अनुज्ञा जारी की जाती है ।

यह देखने में आया है कि कतिपय क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उल्लेखित अधिनियम 1973 एवं नियम 1984 में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र ग्राह्य न करते हुए सादे कागज पर अथवा अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार किये जाकर प्रकरणों का निराकरण किया जाता है अथवा अभिमत दिया जाता है जिसके कारण कुछ प्रकरणों में वैधानिक विसंगति उत्पन्न होकर विषय स्थिति परिलक्षित हुई है ।

अतः भविष्य में अंतरविभागीय अभिमत के प्रकरणों के अलावा अन्य प्रकरणों में विकास / भवन अनुज्ञा संबंधी आवेदन पत्र को, अधिनियम 1973 अथवा नियम, 1984 (जैसी भी दशा हो) के निर्धारित प्रपत्र में समस्त आवश्यक सहपत्रों / मानचित्रों सहित ही ग्राह्य किये जावे तथा उक्त के सुनिश्चित होने के उपरांत ही नियमानुसार कार्यवाही प्रारंभ की जावे । यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन नगरों में म.प्र.भूमि विकास नियम 1984

लागू है उन नगरों के लिये प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ जमा कराए जाने वाले शुल्क की राशि म.प्र.भूमि विकास नियम, 1984 में निर्धारित अनुरूप ही रहेगी।

विकास अनुज्ञा (अभिन्यास)/भवन अनुज्ञा के प्रकरणों में अनुमोदित किये गये मानचित्र की ट्रेसिंग क्लॉथ की प्रति कार्यालय में सुरक्षित रखी जावे, ताकि शासन की नीति अनुसार सूचना के अधिकार की व्यवस्था भी संभव हो सके।

(के. के. सिंह)
संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल म.प्र.

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश,भोपाल

—:शुद्धि पत्र :-

क्रमांक 8183/न.ग्रानि.:वि.यो./97
प्रति,

भोपाल,दिनांक 7 नवंबर 97

समस्त अपर संचालक,
समस्त संयुक्त संचालक,
समस्त उप संचालक,
समस्त सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश----- ।

विषय:—निवेश क्षेत्र एवं नगर निगम/नगर पालिका सीमा के मध्य स्थित क्षेत्र पर भवन
अनुज्ञा दिये जाने के संबंध में दिशा—निर्देश ।

संदर्भ:—इस संचालनालय का परिपत्र क्रमांक 200/न.ग्रानि./वि.यो./97 भोपाल,
दिनांक 08.01.97

—0—

संदर्भित परिपत्र के संबंध में निम्नानुसार शुद्धिपत्र अनुरूप संशोधन किया
जाता है:—

- (1) परिपत्र की कंडिका (ब) विलोपित की जाती है।
- (2) परिपत्र की कंडिका (स) की प्रथम लाईन में उल्लेखित उपरोक्त कंडिका
“ब” में वर्णित क्षेत्र को छोड़कर विलोपित किया जाता है।

(के. के. सिंह)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल म.प्र.

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई, 1998

क्रमांक एफ-3/90/32/98, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3/39/32/85, दिनांक 26 अगस्त, 1987, एवं दिनांक 8 अप्रैल 1996 जो कि आवासीय कॉलोनियों में 15 प्रतिशत भूमि कमजोर आय वर्ग के लोगों हेतु आरक्षित भूमि के संबंध में है। आदेश दिनांक 26 अगस्त, 1987 की कण्डिका 2 के प्रयोजनों के लिये उल्लेखित संस्थाओं का नाम निर्देशित किया गया है। राज्य शासन के निर्णय अनुसार आदेश क्रमांक एफ-3/38/85/32 भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 1996 में उल्लेखित संस्थाओं के नाम के साथ मध्य प्रदेश आवास संघ का नाम भी जोड़ा जाता है।

अब प्रत्येक भूखण्ड के लिये उपयुक्त संस्था का चयन जो भी संभागीय मुख्यालयों पर संभागीय आयुक्त एवं अन्य नगरों में जिला कलेक्टर करते हैं वे मध्य प्रदेश आवास संघ के नाम पर भी विचार कर निर्णय लेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(जी० व्ही० उपाध्याय)

उप सचिव,

मध्य प्रदेश शासन,

आवास एवं पर्यावरण विभाग,

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई, 1998

पृ० क्रमांक एफ-3/90/32/98

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन स्थानीय शासन विभाग तथा नगरीय कल्याण विभाग भोपाल।
2. सचिव म.प्र.शासन राजस्व विभाग, भोपाल
3. समस्त कमिश्नर, संभाग-----।
4. समस्त कलेक्टर, जिला-----।
5. संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।

6. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक,क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय
नगर तथा ग्राम निवेश-----म.प्र.।
7. समस्त विकास प्राधिकरण-----म.प्र.।
8. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण-----म.प्र.।
9. आयुक्त म.प्र.गंदी बस्ती निर्मूलन मण्डल भोपाल।
10. अध्यक्ष,मध्यप्रदेश आवास संघ टी.टी.नगर भोपाल।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(जी० व्ही० उपाध्याय)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग,

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर,ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल

क्रमांक / 6257 नग्रानि:वि.यो:98

भोपाल 05 नवम्बर 98

प्रति,

समस्त संयुक्त संचालक,
समस्त उप संचालक,
समस्त सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालय

.....

विषय:-निर्मित एवं निर्माणाधीन भवनों में पावर कनेक्शन हेतु अनापत्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया।

यह ध्यान में आया है कि संचालनालय के परिपत्र क्रमांक - 180/ संचालक प्रकोष्ठ/नग्रानि/ 94 दिनांक 04.04.94 द्वारा जारी की गई प्रक्रिया का कुछ कार्यालयों द्वारा पालन न करते हुए अभी भी सत्तर के दशक से अपनाई गई पावर अनापत्ति जारी करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

निर्देशित है कि भविष्य में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानानुसार निम्नलिखित कार्यवाही पूर्ण करते हुए पावर कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जावे।

1 जिन नगरों में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 प्रभावशील है उनमें नियम 38 के प्रावधानानुसार आवासीय तथ व्यवसायिक क्षेत्र में अनुज्ञा किए गए उद्योगों हेतु नियम - 2 में निर्धारित शुल्क लेकर अनापत्ति पत्र जारी की जावे।

2 उपरोक्त के अतिरिक्त नए क्षेत्रों में विकास योजना प्रस्तावों को दृष्टिगत रखकर मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा - 29 में आवेदन एवं निर्धारित शुल्क लेकर निराकरण किया जावे।

3 अन्य नगर जहाँ मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 तथा धारा – 29 प्रभावी नहीं है, अधिनियम की धारा – 16 के तहत आवेदन लेकर प्रकरण का निराकरण उपरोक्त नियमों का मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में पालन कर किया जावे।

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल,
मध्यप्रदेश

संचालनालय,नगर तथा ग्राम निवेश,
पर्यावरण परिसर,ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल

क्रमांक 7762/विधि/2001

भोपाल, दिनांक 1.11.2001

प्रति,

संयुक्त संचालक /उप संचालक/सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम,निवेश
जिला कार्यालय,
----- (म.प्र.)

विषय:—म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों की प्रभावशीलता।

—0—

विकास योजना प्रावधानों में विकास नियमन अध्याय के अंतर्गत विकास अनुज्ञा देने की प्रक्रिया में एकरूपता लाने की दृष्टि से निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं।

म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत बनाये गये म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश नियम 1975 संपूर्ण राज्य पर (मध्यप्रदेश) प्रभावशील है जबकि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 उन नगरों पर प्रभावशील माने जाते हैं जहां राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी की गई हो। अतः जिन नगरों में म.प्र.भूमि विकास नियम 1984 प्रभावशील हो। वहां उक्त नियमों के तहत एवं शेष नगरों में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 1975 के प्रावधानों के अंतर्गत विकास अनुज्ञा प्रदान की जाये। विकास योजना प्रतिवेदन में भी तदनुसार उल्लेख किया जावे।

(डी.पी.तिवारी)

आयुक्त सह संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
म0प्र0,भोपाल

क्रमांक 7762/विधि/2001

भोपाल, दिनांक 1.11.2001

प्रतिलिपि:—

1. अपर संचालक (1) एवं (2) नगर तथा ग्राम निवेश,म.प्र.भोपाल।

(डी.पी.तिवारी)

आयुक्त सह संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
म0प्र0,भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
“परिपत्र”

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2001

क्रमांक /32/2000 :- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के आदेश क्र. एफ -16-156/97 /7/स-2 बी, भोपाल, दिनांक 17.08.96 द्वारा दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् के मापदण्डों के अधीन शासकीय समितियों एवं वित्तीय संस्थाओं को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है जिसके अनुसार शासकीय समितियों /निजी संस्थाओं को दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिये क्रमाशः 5.00 एकड़ तथा एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए 25.00 एकड़ भूमि निः शुल्क प्रदान किये जाने के प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न नगरों की प्रभावशील विकास योजनाओं में दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय हेतु पृथक से आवश्यक भूमि के मापदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया एवं राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार ही भूमि के क्षेत्रफल को माना जावे तथा इस संबंध में एफ. ए.आर. एवं आच्छादित क्षेत्र का निर्धारण महाविद्यालय के लिये प्रावधित नियोजन मानको के अनुरूप ही रख जावे।

(एस.एस. राठौर)

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ. क्र / 32 / 2000

भोपाल दिनांक 20 दिसम्बर 2001

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग / चिकित्सा शिक्षा / राजस्व विभाग, भोपाल।
- 2 आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
- 3 समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
- 4 समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला, म0प्र0।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक / 3348 / टी.सी / इन्दौर / 117 / 02 / भोपाल, दिनांक 19 / 06 / 2003

प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश समस्त
जिला कार्यालय (म0प्र0)

विषय:-पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु स्थल अनुमोदन बाबत् ।

विषयान्तर्गत लेख है कि पेट्रोल पंप की स्थापना की अनुमति दिये जाने अथवा स्थल अनुमोदन बाबत् । निर्देशित किया जाता है कि विषयाकित प्रकरण के प्रकरणों में म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 53 (3) (सीमा) में उल्लेखित प्रावधानों एवं संबंधित विकास योजना में निर्धारित मापदण्डों का पालन कर के ही नियोजन की अनुमति या अनापत्ति दी जावे ।

डी.पी.तिवारी
आयुक्त सह- संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 भोपाल

क्रमांक / 3349 / टी.सी. / इन्दौर / 117 / 02 / भोपाल, दिनांक 19 / 6 / 2003
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ, प्रेषित ।

डी.पी.तिवारी
आयुक्त सह- संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 ,भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
“ आदेश ”

भोपाल दिनांक 12.11.2003

क्र/एफ-3/170/2002/32:- आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञाप क्रमांक-एफ-3-170/2002/32 दिनांक 08.01.2003 द्वारा रिलायन्स इंडस्ट्रीज़ लि. एवं भारत सरकार से अनुमोदित सभी अधिकृत संस्थाओं को मध्यप्रदेश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिय जाने के संबंध में निर्देश जारी किय गये थे।

2. राज्य शासन एतद् द्वारा रिलान्यस इंडस्ट्रीज़ लि. एवं भारत सरकार से अनुमोदित सभी अधिकृत संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिय जाने के संबंध में निम्नानुसार समिति का गठन करता है :-

- | | | |
|----|--|---------|
| 1 | संबंधित जिले का कलेक्टर | अध्यक्ष |
| 2 | संबंधित जिले का पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| 3 | संबंधित क्षेत्र का संयुक्त संचालक/ उप संचालक
सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय- | सदस्य |
| 4. | संबंधित नगरीय क्षेत्र का आयुक्त नगर निगम
/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद् | सदस्य |
| 5 | संबंधित क्षेत्र का कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग | सदस्य |
| 6 | संबंधित क्षेत्र का कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री/उपयंत्री
कार्यालय विद्युत मण्डल | सदस्य |

उक्त समिति संबंधित संस्था से अनापत्ति दिये जाने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर रिटेल आउटलेट की स्थापना के बारे में अनुमति प्रदाय करने अथवा आवेदन पत्र अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लेगी। यदि समिति द्वारा 30 दिवस के अन्दर निर्णय नहीं लिया जाता है तो यह माना जावेगा कि अनुमति प्राप्त हो गई है। कलेक्टर संबंधित संस्था को आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् इस शर्त के साथ निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति दे सकेगा कि यदि आवेदन पत्र अस्वीकृत किया

जाता है तो जो निर्माण कार्य संबंधित संस्था द्वारा किया गया है वह निष्प्रभावी माना जावेगा और उसकी पूर्ण जावाबदारी संबंधित संस्था की होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
तथा आदेशानुसार

(शिवानन्द दुबे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 03

क्रमांक- एफ-3-170 / 2002 / 32

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रमुख सचिव / सचिव म0प्र0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग / गृह (पुलिस)
नगरीय प्रशासन एवं विकास / लोक निर्माण / ऊर्जा विभाग, म0प्र0
- 2 आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल
- 3 समस्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
- 4 समस्त पुलिस मध्यप्रदेश।
- 5 समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम
निवेश, जिला कार्यालय, म0प्र0।
- 6 समस्त आयुक्त नगर पालिका निगम, मध्यप्रदेश।
- 7 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, म0प्र0।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
तथा आदेशानुसार

(शिवानन्द दुबे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर-ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक / 144 / टी.सी / कटनी / 230 / 03 /
प्रति,

भोपाल दिनांक 06.01.2004

संयुक्त संचालक / उपसंचालक / सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय समस्त..... ।

विषय:-आवासीय कालोनी में वर्तमान अनुमोदित / निर्मित मार्गों को बंद करने की अनुमति
न दिए जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जबलपुर कार्यालय द्वारा आवासीय कालोनी के
अनुमोदित एवं निर्मित मार्गों को बंद करने की अनुमति दी गई थी।

अतः किसी भी दशा में अनुमोदित / निर्मित मार्गों को बंद करने की अनुमति
कदापि न दी जाये।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश- भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र भोपाल

सेवा राम

अ.शा.पत्र कं./1076/ नग्रानि/2004
भोपाल दिनांक 4.3.2004

आयुक्त सह संचालक

प्रिय श्री ,

इस संचालनालय द्वारा म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत नगरों की विकास योजनायें तैयार की जाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अधिनियम की धारा 15(1) के अंतर्गत निवेश क्षेत्र के भूमि उपयोग मानचित्रों का प्रकाशन कर धारा 15(4) के अंतर्गत भूमि उपयोग स्थिरीकरण की कार्यवाही की जाती है। स्थिरीकरण के उपरांत अधिनियम की धारा 16(1) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश या इसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की अनुज्ञा के बिना भूमि उपयोग परिवर्तन नहीं कर सकता है और न ही भूमि के किसी भी विकास को कार्यान्वित कर सकेगा । यह प्रावधान समस्त स्थानीय प्राधिकारी एवं स्थानीय निकायों पर भी लागू होता है।

मेरी जानकारी में यह आया है कि जिले के राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना अनुज्ञा के व्यपर्वतन किया जा रहा है। जबकि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 में भी इसका स्पष्ट प्रावधान है कि बिना इस विभाग की अनुज्ञा/अभिमत के व्यपर्वतन की कार्यवाही न की जावे । उपरोक्त कार्यवाही के कारण नगर में अवैध निर्माण एवं अनियोजित विकास को बढ़ावा मिल रहा है।

अतः अपने जिले के अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करें कि उपरोक्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित हो।

भवदीय
हस्ता/—

(सेवा राम)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

पृ.अ.शा.पत्र क्रमांक / 1076 / वि.यो / नग्रानि / 2004 भोपाल दिनांक 4.3.2004

प्रतिलिपि—

1. संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त होने वाले प्रकरणों में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत परीक्षण कर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करें ।
2. आयुक्त , नगरपालिका निगम -----की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद् ----- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

भवदीय
हस्ता / -

(सेवा राम)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)
आदेश

भोपाल दिनांक 12 मई 2004

क्रमांक-एफ-3/170/2002/32:- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12.11.2003 द्वारा पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स के लिए रिटेल आऊटलेट की स्थापना हेतु अनामत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में संबंधित जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। राज्य शासन उक्त आदेश के निम्नलिखित पैरा-3 को एतद् द्वारा विलोपित करता है:-

“ कलेक्टर संबंधित संस्था को आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् इस शर्त के साथ निर्माण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दे सकेगा कि यदि आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है तो जो निर्माण कार्य संबंधित संस्था द्वारा किया गया है वह निष्प्रभावी माना जावेगा और उसकी पूर्ण जवाबदारी संबंधित संस्था की होगी ”

2. शेष कण्डिकाए यथावत रहेगी ।
3. इसका अभिप्राय यह है कि अब पूर्व की कंडिका 3 अनुसार सर्शत स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी ।
4. इस संशोधन का बिना अपवाद पालन किया जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता / -
(बी.एन.त्रिपाठी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

क्रमांक-एफ-3/170/2002/32
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक 12 मई 2004

1. प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग/गृह(पुलिस), नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग /लोक निर्माण/ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश मंत्रालय भोपाल ।
2. आयुक्त सह संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश , भोपाल
3. समस्त कलेक्टर , मध्यप्रदेश ।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्य प्रदेश ।
5. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय, मध्य प्रदेश ।
6. समस्त आयुक्त , नगर पालिका निगम, मध्यप्रदेश ।
7. समस्त मुख्य कार्यापालन अधिकारी नगर पालिका परिषद्, मध्यप्रदेश ।

हस्ता/-
(बी.एन.त्रिपाठी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक— 3149 / 2795 / 2004 / 32

भोपाल दिनांक 30 जून 2004

प्रति,

1. आयुक्त नगर निगम ,
नगर निगम नगर पालिक, मध्यप्रदेश
- 2 मुख्य कार्यापालन अधिकारी ,
समस्त विकास प्राधिकरण / विशेष
क्षेत्र विकास प्राधिकरण म.प्र.

विषय:—विभिन्न नगरों में विकसित किये जाने वाले चौराहों के संबंध में ।

—0—

उपरोक्त विषय के संबंध में विभिन्न नगरों के चौराहों का विकास तथा सौन्दर्यीकरण के अंतर्गत यातायात से संबंधित तकनीकी कार्यों का नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से अनुमोदन के उपरांत ही क्रियान्वयन किया जावे ।

हस्ता /—

(बी.एन.त्रिपाठी)

उप सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

क्रमांक— 3159 / 2975 / 2004 / 32

भोपाल दिनांक 30 जून 2004

प्रतिलिपि—

आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के पत्र क्रमांक 2633 / टी.सी.
/समीक्षा / बैठक / 04, दिनांक 01.6.2004 के संदर्भ में अग्रेषित ।

हस्ता /—

(बी.एन.त्रिपाठी)

उप सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक-एफ-3/75/2005/32

भोपाल दिनांक 12 सितम्बर 2005

प्रति,

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल।

विषय:-रिटेल (आउटलेट) पेट्रोल पम्प स्थापित करने के संबंध में।

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक 3796/टी.सी/छिन्दवाड़ा/18, दिनांक 17.8.2005

-0-

संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। आपके प्रस्ताव अनुसार रतलाम, खजुराहो, चन्देरी, रीवा, चित्रकूट, सांची, नीमच, सतना, बीना, सागर आदि नगरों की विकास योजनाओं में आमोद-प्रमोद भूमि उपयोग में पेट्रोल पंप स्वीकार्य गतिविधि में सम्मिलित है। संवेदनशील क्षेत्र जैसे तालाब से लगा हुआ क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, जलग्रहण इत्यादि के आस-पास के क्षेत्रों को विकास योजना प्रस्तावों में आमोद-प्रमोद भूमि उपयोग दर्शाया जाता है। अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 73 (1) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश की समस्त विकास योजनाओं में आमोद-प्रमोद की भूमियों में अन्य नगरों की विकास योजनाओं की भांति पेट्रोल पंप स्वीकार्य गतिविधि मान्य करने हेतु संचालक नगर तथा ग्राम निवेश को अधिकृत किया जाता है।

2. इन सभी प्रकरणों में निर्णय संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा ही लिया जावेगा। निर्णय लेने की शक्तियों अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की प्रत्यवर्तित नहीं की जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
(सी.बी.पड़वार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
ई-5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर,म.प्र.भोपाल

क्रमांक 3500 / विधि / एम-588 / नग्रानि / 04 /

भोपाल दिनांक 8.जुलाई.2004

प्रति,

1. संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय भोपाल ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
विकास प्राधिकरण-----
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण-----

विषय:-फ्लाई ऐश के पुर्न उपयोग बाबत् माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में विचाराधीन
याचिका क्रमांक 2145 / 1999 बाबत् पालन प्रतिवेदन ।

-0-

उपरोक्त विषय में सूचित किया जाता है कि, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित
समिति की बैठक दिनांक 26.4.2004 में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

“प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण द्वारा अवगत कराया गया कि नोटिफिकेशन की
मंशा अनुसार ताप विद्युत गृह के 100. कि.मी के क्षेत्र में फ्लाई ऐश से निर्मित इंटों का
उपयोग सुनिश्चित करने हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने वाले विभाग नगर पालिक,
विकास प्राधिकरण, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा अन्य स्थानीय संस्थायें निर्माण की
अनुमति देते समय उक्त शर्त का उल्लेख करें एवं पालन सुनिश्चित कराये। कृपया निर्णय
को लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

हस्ता / -

(एस.एन.मिश्रा)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक /विधि/एम-588/नग्रानि/04/

भोपाल दिनांक 8.जुलाई.2004

प्रतिलिपि-

अध्यक्ष , प्रदूषण निवारण मण्डल एवं सदस्य संयोजक , म.प्र प्रदूषण नियंत्रण मण्डल पर्यावरण परिसर , भोपाल की ओर उनके पत्र क्र 11260/तक/प्रनियों/2004 दिनांक 5.7.2004 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

हस्ता/-

(एस.एन.मिश्रा)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक—एफ—12/130/32/90

भोपाल दिनांक 9 जुलाई 2004

प्रति,

1. आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल
2. समस्त कलेक्टर्स , म.प्र.
3. समस्त नगर निगम , नगर पालिका मध्यप्रदेश
4. समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक नगर तथा ग्राम
निवेश म.प्र.

विषय:— एल.पी.ए क्रमांक 329/99 म.प्र. शासन , विरुद्ध गौतम नगर हाउसिंग
को—आपरेटिव सोसायटी भोपाल ।

—0—

विभाग के आदेश दिनांक 26 अगस्त , 87 द्वारा निर्देशित किया गया था कि 1.00 एकड़ से अधिक से अधिक के ऐसे भू-खण्ड जिनमें कालोनियों , आवास समूह विकसित करना प्रस्तावित हो, ऐसे वर्गों के लिये कम से कम 15 प्रतिशत भूमि सुरक्षित रखी जावेगी ।

यह सुरक्षित भूमि गंदी बस्ती निर्मूलन मण्डल या शासन द्वारा निर्देशित संस्था को दी जावेगी जो इस भूमि के क्रय की वास्तविक लागत के बराबर राशि भूमि को मालिक संस्था को देगा ।

कालोनियों के विकासकर्ताओं द्वारा न्यायालय में इस बात की चुनौती दी गई थी कि राज्य शासन बिना मुआवजा दिये इस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकता है, और न ही भूमि को नि शुल्क लेकर दूसरों को बॉट सकता है। याचिका क्रमांक 329/99 म.प्र. शासन विरुद्ध गौतम नगर को—आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी भोपाल में पारित उच्च न्यायालय से निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 73 में जारी आदेश नियमानुकूल नहीं था, अतः राज्य शासन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26 अगस्त 87, को एतद् द्वारा निरस्त अब यह प्रावधान किया जाता है कि दिनांक 26 अगस्त, 87 से 36 तक दिन आवासीय कालोनियों

में कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों के अविकसित 15 प्रतिशत भूमि आरक्षित की गई थी, उस भूमि का विकास , (भू-स्वामी) द्वारा अर्थात् भू-स्वामी द्वारा केवल कमजोर आय वर्ग व्यक्तियों के लिये किया जा सकेगा तथा इस भूमि पर विकास /निर्माण कमजोर आय वर्ग के अतिरिक्त अन्य आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये नहीं जा सकेगा । इस भूमि पर विकासकर्ता स्वयं कमजोर आय वर्ग के व्यक्ति के लिये ही भू-खण्ड अथवा भवनों का विकास एवं निर्माण दर , कमजोर आय वर्ग के आवासहीन व्यक्तियों को ही विक्रय कर सकेगा , तथा कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों की सूची संबंधित जिलों के कलेक्टरों से अभिप्रमाणित कराई जाना अनिवार्य होगा ।

हस्ता /-
(संत्यानंद मिश्रा)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन ,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी,म.प्र.भोपाल
क्रमांक 4470/टी.सी/सागर/151/04/भोपाल भोपाल दिनांक 31.8.2004

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय समस्त ।

विषय:-नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के संबंध में ।

-0-

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के जिला कार्यालय प्रमुख की समीक्षा बैठक दिनांक 15.3.2004 का कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 6 के तारतम्य में लेख है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 1999, (25 सितम्बर 2000 भारत का राजपत्र) की छायाप्रति संलग्न कर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न-यथोपरि ।

हस्ता/-

(बी.एन.त्रिपाठी)

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र.भोपाल

दूरभाष - 2429731

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

आदेश

क्रमांक-एफ-12/130/32/98/बत्तीस

भोपाल दिनांक 15 अक्टूबर 2004

प्रति,

1. संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश
2. समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश
3. आयुक्त समस्त नगर निगम ,
नगर पालिका मध्यप्रदेश
4. संयुक्त संचालक /उप
संचालक/सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय
म.प्र.।
5. मुख्य कार्यापालन अधिकारी ,
समस्त विकास प्राधिकरण,
म.प्र.।

विषय:- एल.पी.ए क्रमांक 329/99 म.प्र. शासन , विरूद्ध गौतम नगर हाउसिंग
को-आपरेटिव सोसायटी भोपाल ।

-0-

मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा विषयांकित याचिका मे पारित आदेश दिनांक 4.12.2003 के परिपालन में विभागीय आदेश क्रमांक एफ-12-130/98/32 दिनांक 9.7.2004 द्वारा अंतिम कण्डिका में निम्नानुसार आदेश किये गये हैं:-'

राज्य शासन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26 अगस्त , 1987 को एतद् द्वारा निरस्त करते हुए अब यह प्रावधान किया जाता है कि दिनांक 26.8.87 से 30.4.98 तक जिन आवासीय कालोनियों में कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये अविकसित 15 प्रतिशत भूमि आरक्षित की गई थी, उस भूमि का विकास , विकासकर्ता (भू-स्वामी) द्वारा अर्थात भू-स्वामी द्वारा केवल कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये किया जा सकेगा तथा इस

भूमि पर विकास/निर्माण कमजोर आय वर्ग के अतिरिक्त अन्य आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये नहीं किया जा सकेगा । इस भूमि पर विकास कर्ता स्वयं कमजोर आय वर्गके व्यक्तियों के लिये ही भू-खण्ड अथवा भवनों का विकास एवं निर्माण कर , कमजोर आय वर्ग के आवासहीन व्यक्तियों को ही विक्रय कर सकेगा तथा कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों की सूची संबंधित जिलों में कलेक्टर से अभिप्रमाणित कराई जाना अनिवार्य होगा ।

विभाग के उक्त आदेश के विरुद्ध सर्वहारा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित ग्वालियर द्वारा मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में प्रस्तुत अवमानना याचिका क्रमांक 129/2004 में पारित आदेश दिनांक 1.10.2004 के पालन में राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त उपर वर्णित विभागीय आदेश दिनांक 9.7.2004 की कण्डिका में उल्लेखित निम्न शर्त विलोपित किया जाती है:-

जिन आवासीय कालोनियों में कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये अविकसित 15 प्रतिशत भूमि आरक्षित की गई थी , उस भूमि का विकास विकासकर्ता(भू-स्वामी) द्वारा अर्थात् भू-स्वामी द्वारा केवल कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये किया जा सकेगा तथा इस भूमि पर विकास/निर्माण कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये ही भू-खण्ड अथवा भवनों का विकास एवं निर्माण कर कमजोर आय वर्ग के आवासहीन व्यक्तियों को ही विक्रय कर सकेगा , तथा कमजोर आय वर्ग के अतिरिक्त अन्य आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये नहीं किया जा सकेगा इस भूमि पर विकासकर्ता स्वयं कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए भूखण्ड अथवा भवनों का विकास एवं निर्माण कर व्यक्तियों की सूची संबंधित जिलों के कलेक्टरों से अभिप्रमाणित कराई जाना अनिवार्य होगा ।

हस्ता/-
(सी.बी.पड़वार)
अवर सचिव
म.प्र.शासन ,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

**संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर,ई-5 अरेरा कालोनी म. प्र. भोपाल**

क्रमांक 2330 / विधि / एम 460
प्रति,

भोपाल दिनांक 20.05.2005

समस्त कलेक्टर

जिलाम.प्र.।

विषय:—निवेश क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायतों में निर्माण / विकास कार्यों की स्वीकृति के संबंध में ।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत ध्यान में यह लाया गया है कि अनेको ग्राम पंचायतों द्वारा निवेश क्षेत्र में बिना संचालनालय से विकास / निर्माण की अनुमति / अनापत्ति प्राप्त किये अनियोजित तरीके से विकास निर्माण , बहुमजिले भवनों आदि की अनुमति प्रदान की जा रही है जो कि वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है ।

म.प्र पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 49, 55, 97 के अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भवन निर्माण की अनुज्ञा देने हेतु आदर्श उपविधियों तैयार की गई है । उपविधियों के नियम 5 में स्पष्ट उल्लेख है कि भवन अनुज्ञा आवेदन पर विचार करने में ग्राम पंचायतों को सहायता करने हेतु नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय के अधिकारी से परामर्श प्राप्त किया जायेगा ।

इसी प्रकार बहुमंजिला भवन के प्रकरण में म.प्र भूमि विकास नियम 1984 के नियम 14 के अधीन गठित समिति के द्वारा स्पष्टता समाशोधन पाने के बाद ही अनुज्ञा दी जाना है ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि म.प्र के अधिकांश बड़े एवं मझोले नगरों के निवेश क्षेत्र निर्धारित हो चुके हैं और उन पर म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 लागू है ।

भवन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु सभी जिला प्रमुखों की उनके क्षेत्राधिकार के निवेश क्षेत्रों में कार्य करने हेतु प्राधिकृत भी किया जा चुका है ।

अतएव उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप अपने अधनीस्थ आने वाले ग्राम पंचायतों को इस स्थिति से अवगत कराते हुए निवेश क्षेत्र मे विकास/निर्माण की अनुज्ञा जारी करने के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारी से आवश्यक अनमुति /अनापत्ति प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि नगर के चारो, ओर हो रहे बेतरतीब , अनियोजित एवं अप्राधिकृत विकास पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

(एस.एन.मिश्रा)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल

भोपाल दिनांक 20.05.2005

क्रमांक 2331/विधि/एम 460

प्रतिलिपि

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत ----- ।
2. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे संरपंचों द्वारा की जा रही अप्राधिकृत कार्यवाही से कलेक्टर को अवगत कराकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आग्रह करें ।

(एस.एन.मिश्रा)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

आदेश

क्रमांक-एफ-12/130/32/98/बत्तीस

भोपाल दिनांक 15 अक्टूबर 2004

प्रति,

1. संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश
2. समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश
3. आयुक्त समस्त नगर निगम ,
नगर पालिका मध्यप्रदेश
4. संयुक्त संचालक /उप
संचालक/सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय
म.प्र.।
5. मुख्य कार्यापालन अधिकारी ,
समस्त विकास प्राधिकरण,
म.प्र.।

विषय:- एल.पी.ए क्रमांक 329/99 म.प्र. शासन , विरुद्ध गौतम नगर हाउसिंग
को-आपरेटिव सोसायटी भोपाल ।

-0-

मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा विषयांकित याचिका मे पारित आदेश दिनांक 4.12.2003 के परिपालन में विभागीय आदेश क्रमांक एफ-12-130/98/32 दिनांक 9.7.2004 द्वारा अंतिम कण्डिका में निम्नानुसार आदेश किये गये हैं:-'

राज्य शासन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26 अगस्त , 1987 को एतद् द्वारा निरस्त करते हुए अब यह प्रावधान किया जाता है कि दिनांक 26.8.87 से 30.4.98 तक जिन आवासीय कालोनियों में कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये अविकसित 15 प्रतिशत भूमि आरक्षित की गई थी, उस भूमि का विकास , विकासकर्ता (भू-स्वामी) द्वारा अर्थात भू-स्वामी द्वारा केवल कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये किया जा सकेगा तथा इस

भूमि पर विकास/निर्माण कमजोर आय वर्ग के अतिरिक्त अन्य आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये नहीं किया जा सकेगा । इस भूमि पर विकास कर्ता स्वयं कमजोर आय वर्गके व्यक्तियों के लिये ही भू-खण्ड अथवा भवनों का विकास एवं निर्माण कर , कमजोर आय वर्ग के आवासहीन व्यक्तियों को ही विक्रय कर सकेगा तथा कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों की सूची संबंधित जिलों में कलेक्टर से अभिप्रमाणित कराई जाना अनिवार्य होगा ।

विभाग के उक्त आदेश के विरुद्ध सर्वहारा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित ग्वालियर द्वारा मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में प्रस्तुत अवमानना याचिका क्रमांक 129/2004 में पारित आदेश दिनांक 1.10.2004 के पालन में राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त उपर वर्णित विभागीय आदेश दिनांक 9.7.2004 की कण्डिका में उल्लेखित निम्न शर्त विलोपित किया जाती है:-

जिन आवासीय कालोनियों में कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये अविकसित 15 प्रतिशत भूमि आरक्षित की गई थी , उस भूमि का विकास विकासकर्ता(भू-स्वामी) द्वारा अर्थात् भू-स्वामी द्वारा केवल कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये किया जा सकेगा तथा इस भूमि पर विकास/निर्माण कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये ही भू-खण्ड अथवा भवनों का विकास एवं निर्माण कर कमजोर आय वर्ग के आवासहीन व्यक्तियों को ही विक्रय कर सकेगा , तथा कमजोर आय वर्ग के अतिरिक्त अन्य आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये नहीं किया जा सकेगा इस भूमि पर विकासकर्ता स्वयं कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए भूखण्ड अथवा भवनों का विकास एवं निर्माण कर व्यक्तियों की सूची संबंधित जिलों के कलेक्टरों से अभिप्रमाणित कराई जाना अनिवार्य होगा ।

हस्ता/-
(सी.बी.पड़वार)
अवर सचिव
म.प्र.शासन ,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)
आदेश

क्रमांक 7629 /2004 /32

भोपाल दिनांक 23 दिसम्बर 2004

प्रति,

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल ।

विषय:—शासन के पत्र व्यवहार किये जाने बाबत

—0—

जिला कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा व्ही.आई.पी.रोड स्थित भूमियों बाबत एकल नस्ती विभाग को भेजी गई थी। प्रकरण में सह बिलकुल स्पष्ट नहीं था कि नस्ती विभाग को किस निर्णय हेतु भेजी गई थी, इस प्रक्रिया को उचित नहीं कहा जा सकता है। विभाग द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 तथा विकास योजनाओं के प्रावधानों के अनुरूप कार्य किया जाता है।

2. प्रकरणों के निराकरण हेतु विभिन्न स्तर के अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शक्तियाँ प्रत्ययोजित की गई हैं। परन्तु फिर भी जिला कार्यालय द्वारा बिना किसी समुचित कारण के प्रकरण विभाग में भेजे जा रहे हैं। इस प्रक्रिया से जहां एक और प्रकरणों के निराकरण में विलंब होता है, वहीं दूसरी ओर विभाग की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

3. जिला कार्यालय को भविष्य के लिये सचेत किया जाए कि वे विभाग से अनावश्यक पत्र व्यवहार न करें। विभाग के पत्र व्यवहार किये जाने की दशा में आपके माध्यम से निम्नलिखित बिन्दुओं पर जानकारी दर्शाते हुए प्रकरण भेजा।

1. प्रकरण की पृष्ठभूमि
2. प्रकरण से संबंधित धाराओं, नियमों एवं प्रावधानों का वर्णन।
3. प्रकरण के निराकरण में आ रही परेशानी।
4. शासन को प्रकरण प्रेषित करने की परिस्थितियों का विवरण।
5. जिला कार्यालय का स्पष्ट अभिमत।
6. शासन से क्या निर्णय है तथा यह निर्णय किन प्रावधानों अथवा

4. अतः विभाग से पत्र व्यवहार करते समय उपरोक्त बिन्दुओं का समावेश किया जाये।

हस्ता / -

(सी.बी.पड़वार)

अवर सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल दिनांक दिसंबर 2004

क्रमांक / 2004 / 32

प्रतिलिपि-

संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय भोपाल की ओर अग्रेषित कर लेख है कि 3 दिवस में विभाग को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें कि व्ही. पी.रोड के पास स्थित भूमियों बाबत नस्ती विभाग में बिना किसी प्रस्ताव के किस निर्णय हेतु प्रेषित की गई थी ।

हस्ता / -

(सी.बी.पड़वार)

अवर सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

**संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल**

क्रमांक / 650 / टी.सी / सरकुलर
प्रति,

भोपाल दिनांक 14.02.05

संयुक्त संचालक / उपसंचालक / सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय..... ।

विषय:-शासन से पत्र व्यवहार किये जाने बाबत ।

शासन के पत्र क्रमांक 7629/2004/32 भोपाल दिनांक 23.12.04 द्वारा निर्देश दिये गये है कि विभाग द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 एवं विकास योजनाओं के प्रावधानों के अनुरूप कार्य किया जाता है ।

2 प्रकरणों के निराकरण हेतु विभिन्न स्तर के अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है परन्तु फिर भी जिला कार्यालय द्वारा बिना किसी समुचित कारण के प्रकरण संचालनालय में भेजे जा रहे हैं । इसी प्रक्रिया से जहाँ एक ओर प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब होता है वहीं दूसरी ओर संचालनालय की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडता है ।

3 जिला कार्यालय को भविष्य के लिए सचेत किया जाता है कि वे संचालनालय से अनावश्यक पत्र व्यवहार न करें। संचालनालय से पत्र व्यवहार किये जाने की दशा में निम्नलिखित बिन्दुओं पर जानकारी दर्शाते हुए प्रकरण भेजे जाये ।

- 1 प्रकरण की पृष्ठभूमि
- 2 प्रकरण से संबंधित धाराओं नियमों एवं प्रावधानों का वर्णन
- 3 प्रकरण के निराकरण में आ रही परेशानी
- 4 संचालनालय में प्रकरण प्रेषित करने की परिस्थितियों का विवरण ।
- 5 जिला कार्यालय का स्पष्ट अभिमत ।
- 6 संचालनालय से क्या निर्णय अपेक्षित है यह निर्णय किन प्रावधानों /अथवा परिस्थितियों में मांगा जा रहा है ।

**(डी.के. शर्मा)
अपर संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 भोपाल
दूरभाष - 242791**

संचालनालय ग्राम तथा निवेश
पर्यावरण परिसर ई 7 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक / 1166 नग्रानि / विधि / एम-567 / 05

भोपाल दिनांक 16.03.05

// आदेश //

म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3 / 121 / 2003 / 32 के अनुक्षरण में म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 75 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 27, 29 एवं 30 की संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रयोगात्मक शाक्तियां आयुक्त विशेष आर्थिक परिक्षेत्र इन्दौर को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले औद्योगिक क्षेत्र के भूमि विकास के प्रस्ताव को अनुमोदित करने हेतु प्रत्यायोजित की जाती है।

अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 4 के प्रावधानानुसार भूमि विकास की अनुज्ञा म0प्र0 भूमि विकास अधिनियम 1984 के प्रावधान अनुसार ही दी जाना है। अतः जिन शर्तों पर यह नियम प्रभावशील हैं वहां पर म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के दो के उप नियम 5 खण्ड क के अन्तर्गत भूमि विकास के प्रस्ताव का अनुमोदित करने हेतु उपरोक्त पैरा एक में दर्शाये अधिकारी को प्रभावित किया जाता है।

3 (एस. एन. मिश्रा)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल

पृक्रमांक / 1166 नग्रानि / विधि / एम-567 / 05

भोपाल दिनांक 16.03.05

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन वाणिज्यिक उद्योग एवं रोज़गार विभाग भोपाल।
2. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग भोपाल
3. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन नगर प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल।
4. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल
5. आयुक्त उद्योग म0प्र0 भोपाल
6. आयुक्त पंचायत एवं सामाजिक न्याय भोपाल।
7. अपर संचालक तकनीकी प्रकोष्ठ नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की और आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 8 आयुक्त विशेष आर्थिक परिक्षेत्र इन्दौर की ओर भेजकर निवेदन है कि प्रत्येक स्वीकृति जो प्रदान की जाय उसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल को भेजी जाये।
- 9 संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(एस. एन. मिश्रा)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल

**संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर,ई-5 अरेरा कालोनी म. प्र. भोपाल**

क्रमांक 2330 / विधि / एम 460
प्रति,

भोपाल दिनांक 20.05.2005

समस्त कलेक्टर

जिलाम.प्र.।

विषय:—निवेश क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायतों में निर्माण / विकास कार्यों की स्वीकृति के संबंध में ।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत ध्यान में यह लाया गया है कि अनेको ग्राम पंचायतों द्वारा निवेश क्षेत्र में बिना संचालनालय से विकास / निर्माण की अनुमति / अनापत्ति प्राप्त किये अनियोजित तरीके से विकास निर्माण , बहुमजिले भवनों आदि की अनुमति प्रदान की जा रही है जो कि वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है ।

म.प्र पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 49, 55, 97 के अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भवन निर्माण की अनुज्ञा देने हेतु आदर्श उपविधियों तैयार की गई है । उपविधियों के नियम 5 में स्पष्ट उल्लेख है कि भवन अनुज्ञा आवेदन पर विचार करने में ग्राम पंचायतों को सहायता करने हेतु नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय के अधिकारी से परामर्श प्राप्त किया जायेगा ।

इसी प्रकार बहुमंजिला भवन के प्रकरण में म.प्र भूमि विकास नियम 1984 के नियम 14 के अधीन गठित समिति के द्वारा स्पष्टता समाशोधन पाने के बाद ही अनुज्ञा दी जाना है ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि म.प्र के अधिकांश बड़े एवं मझोले नगरों के निवेश क्षेत्र निर्धारित हो चुके हैं और उन पर म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 लागू है ।

भवन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु सभी जिला प्रमुखों की उनके क्षेत्राधिकार के निवेश क्षेत्रों में कार्य करने हेतु प्राधिकृत भी किया जा चुका है ।

अतएव उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप अपने अधनीस्थ आने वाले ग्राम पंचायतों को इस स्थिति से अवगत कराते हुए

निवेश क्षेत्र मे विकास/निर्माण की अनुज्ञा जारी करने के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारी से आवश्यक अनमुति /अनापत्ति प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि नगर के चारो, ओर हो रहे बेतरतीब , अनियोजित एवं अप्राधिकृत विकास पर प्रभावी रोक लगाई जा सके ।

(एस.एन.मिश्रा)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल

भोपाल दिनांक 20.05.2005

क्रमांक 2331/विधि/एम 460

प्रतिलिपि

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत ----- ।
2. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे संरपंचों द्वारा की जा रही अप्राधिकृत कार्यवाही से कलेक्टर को अवगत कराकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आग्रह करें ।

(एस.एन.मिश्रा)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
“मंत्रालय”

क्रमांक एफ-3-71/2005/32

भोपाल दिनांक 30 अगस्त 2005

प्रति

संचालक,

नगर तथा ग्राम निवेश

भोपाल, म0प्र0

विषय :- मांगलिक भवन/मैरिज गार्डन हेतु मापदण्ड।

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 73(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश की समस्त विकास योजनाओं में मांगलिक भवन/मैरिज गार्डन के निर्माण व संचालन हेतु निम्न मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं:-

- 1 भूमि उपयोग जिस पर मांगलिक भवन/मैरिज गार्डन स्वीकार्य नहीं होंगे -
आमोद-प्रमोद यातायात एवं सार्वजनिक सेवा व सुविधा हेतु निर्दिष्ट भूमि उपयोग पर मांगलिक भवन/मैरिज गार्डन स्वीकार्य नहीं होंगे, शेष समस्त भूमि उपयोगों में मांगलिक भवन/मैरिज गार्डन स्वीकार्य उपयोगों की श्रेणी में मान्य किये जाते हैं।
- 2 भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्र-4000 वर्गमीटर
- 3 भूखण्ड का अग्रभाग -न्यूनतम 40 मीटर
- 4 भूखण्ड का सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई-18 मीटर
- 5 एफ ए. आर- 1:0:15
- 6 भूतल कवरेज- 10 प्रतिशत अधिकतम
- 7 एम.ओ.एस- अग्रभाग - भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल का 35 प्रतिशत पार्किंग हेतु छोड़ने के पश्चात् 4.50 मीटर न्यूनतम।

- 8 पार्किंग – मांगलिक भवन/ मैरिज गार्डन से जनित होने वाली समस्त पार्किंग परिसर के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा। सामने छोड़े जाने वाले 35 प्रतिशत पार्किंग के क्षेत्रफल पर पार्किंग लाट विकसित किया जाना आवश्यक होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी.बी.पडवार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रतिलिपि—

1. संयुक्त संचालक/उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल।

(सी.बी.पडवार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक-एफ-3/75/2005/32

भोपाल दिनांक 12 सितम्बर 2005

प्रति,

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

विषय:-रिटेल (आउटलेट) पेट्रोल पम्प स्थापित करने के संबंध में ।

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक 3796/टी.सी/छिन्दवाड़ा/18, दिनांक 17.8.2005

-0-

संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। आपके प्रस्ताव अनुसार रतलाम , खजुराहो , चन्देरी , रीवा , चित्रकूट, सांची , नीमच , सतना , बीना , सागर आदि नगरों की विकास योजनाओं में आमोद-प्रमोद भूमि उपयोग में पेट्रोल पंप स्वीकार्य गतिविधि में सम्मिलित है। संवेदनशील क्षेत्र जैसे तालाब से लगा हुआ क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र , जलग्रहण इत्यादि के आस-पास के क्षेत्रों को विकास योजना प्रस्तावों में आमोद-प्रमोद भूमि उपयोग दर्शाया जाता है। अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 73 (1) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश की समस्त विकास योजनाओं में आमोद-प्रमोद की भूमियों में अन्य नगरों की विकास योजनाओं की भांति पेट्रोल पंप स्वीकार्य गतिविधि मान्य करने हेतु संचालक नगर तथा ग्राम निवेश को अधिकृत किया जाता है।

2. इन सभी प्रकरणों में निर्णय संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा ही लिया जावेगा । निर्णय लेने की शक्तियों अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की प्रत्यवर्तित नहीं की जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
(सी.बी.पड़वार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक-एफ-5-23 / 2003 / 32

भोपाल दिनांक 12 अक्टूबर 2005

प्रति,

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल।

विषय:-रिटेल (आउटलेट) पेट्रोल पम्प स्थापित करने के संबंध में ।

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक 3796 / टी.सी / छिन्दवाड़ा / 18, दिनांक 17.8.2005

-0-

संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। आपके प्रस्ताव अनुसार रतलाम , खजुराहो , चन्देरी , रीवा , चित्रकूट, सांची , नीमच , सतना , बीना , सागर आदि नगरों की विकास योजनाओं में आमोद-प्रमोद भूमि उपयोग में पेट्रोल पंप स्वीकार्य गतिविधि में सम्मिलित है। संवेदनशील क्षेत्र जैसे तालाब से लगा हुआ क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र , जलग्रहण इत्यादि के आस-पास के क्षेत्रों को विकास योजना प्रस्तावों में आमोद-प्रमोद भूमि उपयोग दर्शाया जाता है। अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 73 (1) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश की समस्त विकास योजनाओं में आमोद-प्रमोद की भूमियों में अन्य नगरों की विकास योजनाओं की भांति पेट्रोल पंप स्वीकार्य गतिविधि मान्य करने हेतु संचालक नगर तथा ग्राम निवेश को अधिकृत किया जाता है।

2. इन सभी प्रकरणों में निर्णय संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा ही लिया जावेगा । निर्णय लेने की शक्तियां अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की प्रत्यवर्तित नहीं की जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता / -
(सी.बी.पड़वार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक-एफ-5-23 / 2003 / 32

भोपाल दिनांक 14 अक्टूबर 2005

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागध्यक्ष
मध्य प्रदेश, भोपाल
2. समस्त संभागीय आयुक्त
मध्यप्रदेश
3. समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश
4. संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल
5. आयुक्त , म.प्र गृह निर्माण मण्डल
भोपाल ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / समस्त
विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास
प्राधिकरण म.प्र.

विषय:- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली इकाईयों की जानकारी बाबत ।

-0-

विषयांतर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , नई दिल्ली को अधिसूचना क्रमांक -एसओ 80 (ई) दिनांक 7 जुलाई, 2004 , जिसके द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 27.1.1994 में संशोधन कर अनुसूची -एक में नई निर्माण परियोजनाओं एवं नई औद्योगिक संपदाओं को जोड़ गया है कि छायाप्रति संलग्न है ।

2. उक्त संशोधन अधिसूचना के अनुसार 1000, व्यक्तियों या उससे अधिक की नई टाउनशिप , औद्योगिक टाउनशिप , रहवासीय कालोनी , व्यवसायिक परिसर होटल परिसर , अस्पताल परिसर , कार्यालय परिसर या प्रतिदिन 50 किलो मीटर या उससे अधिक जल-मल निकासी करने वाली अथवा 50 करोड़ या उससे अधिक निवेश की कोई निर्माण परियोजना एवं ऐसी औद्योगिक संपदाये , जिनका क्षेत्र कुछ भी हो एवं जिनसे प्रदूषण की संभावना अधिक हो , 50 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्र का उपयोग करने हेतु स्थान देने वाली औद्योगिक संपदाओं को भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है ।
3. उक्त के अध्यक्षीन निम्न परिस्थितियों में भी पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है:-

- (1) ऐसी निर्माण परियोजनाएँ , जिनका निर्माण नींव प्लॉथ है ।
- (2) ऐसे नये औद्योगिक क्षेत्र, जिसके निर्माण हेतु कुल राशि का 25 प्रतिशत से कम व्यय हुआ है ।

4. निर्देशानुसार निवेदन है कि आपके विभाग के अंतर्गत आने वाली ऐसी किसी भी परियोजना को स्वीकृति देने से पूर्व उनको भारत सरकार से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है तथा ऐसी किसी भी इंकाई द्वारा बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के स्थल पर कार्य प्रारंभ न किया जावे ।
5. कृपया उपरोक्त अधिसूचना के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी प्रोजेक्ट्स, जो आपके विभाग के द्वारा अनुमोदित किये गये हो अथवा अनुमोदन के लिये विचारोद्धिन हो, उनकी चिन्हित कर सूची भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजते हुए एक प्रति म.प्र. प्रदूषण निवारण मण्डल को भी भेजे ।

संलग्न—यथोपरि हस्ता /—

(आर.के.त्यागी)

उप सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल दिनांक 14 अक्टूबर 2005

क्रमांक—एफ—5—23 / 2003 / 32

प्रतिलिपि—

1. भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन लिंक रोड न0 3 ई—5 रविशंकर, नगर भोपाल की ओर उनके पत्र क्र—10—4 / 98(ईएनव्ही) / 1867 दिनांक 14.9.05 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रषित ।
2. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर उनके प.क्र 17046 / परि / प्रनिबो / 05 दि 12.9.02005 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रषित ।

हस्ता /—

(आर.के.त्यागी)

उप सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक —एफ 3—92 / 2006 / 32 /
प्रति,

भोपाल, दिनांक 05 सितंबर 2006

- | | |
|---|---|
| 1. आयुक्त सह संचालक,
म.प्र. गृह निर्माण मण्डल,
भोपाल। | 6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
समस्त विकास प्रधिकरण/
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
म.प्र.। |
| 2. संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल। | |
| 3. आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल। | 7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
समस्त नगर पालिक / नगर
पंचायत, म.प्र.। |
| 4. समस्त कलेक्टर,
जिला.....
म.प्र. | |
| 5. आयुक्त
नगर निगम.....
म.प्र.। | |

विषय:—नगरीय क्षेत्रों में जल निकासी की समस्या के निराकरण बावत।

—000—

पूरे प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण नगरीय क्षेत्रों के मकानों के अंदर 5 से 10 फीट तक का पानी चला गया। इस कारण से काफी जान-माल की हानि हुई है एवं प्रशासन को भी कई प्रकार की समस्याओं से जुझना पड़ रहा है। शहरों में निकासी नहीं होने की मुख्य समस्या यह है कि नगरों में जो नैसर्गिक नाले स्थित है या तो उन नालों पर अथवा नालों के दोनो ओर वैध अवैध रूप से निर्माण कार्य कर लिया गया है। इस कारण से बरसात का पानी सीधे नालों में नहीं पहुंच पाता है तथा नालों की चौड़ाई कम करने के कारण भी उनकी बहाव क्षमता कम हो गई है।

2/ प्रदेश की विकास योजनाओं में प्रावधान है कि नगर के नाले के दोनो ओर 3-3 मीटर खुला क्षेत्र रख ही अनुमति दी जायें एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 50 (ख) में प्रावधान है कि भूमि के उसी हिस्से को उपयोग में लिये नहीं किया जा सकेगा यदि स्थल उच्चतम जल चिन्हों से 9 मीटर के भीतर हो यदि आसपास में कोई बड़ा जल प्रवाह हो तथा उससे भूखण्ड की दूरी औसत उच्च बाढ़ चिन्ह से 9 मीटर या जल प्रवाह की निश्चित सीमा से 15 मीटर होगी, जो भी अधिक हो। नालों के संरक्षण बावत मध्यप्रदेश भूमि

विकास नियम 1984 एवं विकास योजना में प्रावधानानुसार नियमों का पालन स्थानीय संस्थाओं द्वारा नहीं करवाया जा रहा है।

3/ अतः मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 50 (ख) के प्रावधानों के तहत समस्त नगरों से गुजरने वाले नालो में उक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ताकि बरसात का जल आसानी से नगर के बाहर प्रवाहित हो सके ताकि शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति भविष्य में उत्पन्न न हो।

(सी.बी.पड़वार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक 1356 / 1809 / 32-1

भोपाल दिनांक 04.06.2009

प्रति,

1. आयुक्त ,
म.प्र गृह निर्माण मण्डल
भोपाल
2. संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल
3. अधीक्षण यंत्री
राजधानी परियोजना प्रशासन
भोपाल
4. समस्त विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र
विकास प्राधिकरण म.प्र.
5. समस्त नगर निगम
मध्यप्रदेश
6. मुख्य नगर पालिक अधिकारी
समस्त नगर पालिका
मध्यप्रदेश

विषय:—आवासीय कालोनियों / परिसरों को विकसित करने में मूलभूत सुविधाओं एवं आवश्यकताओं का प्रावधान ।

—0—

राज्य शासन के ध्यान में यह बात आई है कि प्रायः आवासीय कालोनी/परिसरों को विकसित करते समय उनमें विभिन्न प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं का प्रावधान नहीं किया जाता है जबकि स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण की दृष्टि से इनका प्रावधान किया जाना आवश्यक है। राज्य शासन के जन संकल्प 2008 के अंतर्गत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मुख्य बिन्दु क्रमांक-9 में यह व्यवस्था की गई है। कि " समस्त आवासीय कालोनियों में सार्वजनिक उद्यान का निर्माण और रखरखाव सुनिश्चित किया जायेगा।

2. अतः निर्माणाधीन एवं निर्मित कालोनियों/आवासीय परिसरों में निम्नानुसार व्यवस्थायें की जाना वांछनीय होगा । अतः उन्हे सुनिश्चित किया जाये :

1. कालोनियों में अनुमोदित अभिन्यास के अनुरूप छोड़े गये खुले स्थानों के विकास में पार्क , बगीचे एवं वृक्षों का समूह , छोटे बच्चों के खेल के स्थान , उचित प्रकाश, पेयजल व्यवस्था , जल-मल निकासी की व्यवस्था सड़क एवं भवन निर्माण के साथ ही पूर्ण की जाये इसके बिना विकास पूर्ण नहीं माना जाये।

2. यथासंभव प्रत्येक कालोनी का लैण्डस्केप प्लान बनाया जावे जिसमें पेड़ों की स्थिति उनकी बॉटनिकल क्षमताओं के अनुरूप स्थानीय जलवायु एवं मिट्टी के अनुरूप तैयार की जावे ।
3. लेण्डस्केपिंग प्लान इस तरह तैयार किया जावे कि उसमें जल की आवश्यकत न्यूनतम रहे। पार्क , बगीचों के पौधों / पेड़ों की प्रजाति इस प्रकार रखी जावे कि उनका रखरखाव कम से कम जल की मात्रा में हो सके।
4. बिजली प्रदाय के तारों / सर्विस लाईन के कारण वृक्षों को यथासंभव काटा न जाये।

हस्ता /—
(आर.के.त्यागी)

उप सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल दिनांक 04.06.2009

क्रमांक 1356 / 1809 / 32-1

प्रतिलिपि—

1. भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन लिंक रोड न0 3 ई-5 रविशंकर , नगर भोपाल की ओर उनके पत्र क्र-10-4/98(ईएनव्ही)/1867 दिनांक 14.9.05 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
2. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर उनके प.क्र 17046/परि/प्रनिबो/05 दि 12.9.2005 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रषित ।

हस्ता /—
(आर.के.त्यागी)

उप सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक —एफ 3—92 / 2006 / 32 /
प्रति,

भोपाल, दिनांक 05 सितंबर 2006

- | | |
|---|--|
| 1. आयुक्त सह संचालक,
म.प्र. गृह निर्माण मण्डल,
भोपाल। | 6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
समस्त विकास प्राधिकरण/
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
म.प्र.। |
| 2. संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल। | |
| 3. आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल। | 7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
समस्त नगर पालिक / नगर
पंचायत, म.प्र.। |
| 4. समस्त कलेक्टर,
जिला.....
म.प्र. | |
| 5. आयुक्त
नगर निगम.....
म.प्र.। | |

विषय:—नगरीय क्षेत्रों में जल निकासी की समस्या के निराकरण बावत।

—000—

पूरे प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण नगरीय क्षेत्रों के मकानों के अंदर 5 से 10 फीट तक का पानी चला गया। इस कारण से काफी जान-माल की हानि हुई है एवं प्रशासन को भी कई प्रकार की समस्याओं से जुझना पड़ रहा है। शहरों में निकासी नहीं होने की मुख्य समस्या यह है कि नगरों में जो नैसर्गिक नाले स्थित हैं या तो उन नालों पर अथवा नालों के दोनो ओर वैध अवैध रूप से निर्माण कार्य कर लिया गया है। इस कारण से बरसात का पानी सीधे नालों में नहीं पहुंच पाता है तथा नालों की चौड़ाई कम करने के कारण भी उनकी बहाव क्षमता कम हो गई है।

2/ प्रदेश की विकास योजनाओं में प्रावधान है कि नगर के नाले के दोनो ओर 3-3 मीटर खुला क्षेत्र रख की अनुमति दी जायें एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 50 (ख) में प्रावधान है कि भूमि के उसी हिस्से का उपयोग के लिये नहीं किया जा सकेगा यदि स्थल उच्चतम जल चिन्हों से 9 मीटर के भीतर हो यदि आसपास में कोई बड़ा जल प्रवाह हो तथा उससे भूखण्ड की दूरी औसत उच्च बाढ़ चिन्ह से 9 मीटर या जल प्रवाह की निश्चित सीमा से 15 मीटर होगी, जो भी अधिक हो। नालों के संरक्षण बावत् मध्यप्रदेश भूमि

विकास नियम 1984 एवं विकास योजना में प्रावधानानुसार नियमों का पालन स्थानीय संस्थाओं द्वारा नहीं करवाया जा रहा है।

3/ अतः मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 50 (ख) के प्रावधानों के तहत समस्त नगरों से गुजरने वाले नालो में उक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ताकि बरसात का जल आसानी से नगर के बाहर प्रवाहित हो सके ताकि शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति भविष्य में उत्पन्न न हो।

(सी.बी.पड़वार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

ई-5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, म.प्र.भोपाल

क्रमांक /5718/टी.सी./इन्दौर/394/04

भोपाल दिनांक 07.12.2005

प्रतिलिपि-

संयुक्त संचालक /उप संचालक/सहायक संचालक/नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय भोपाल को कृपया सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

हस्ता/-

(शुभाशीष बैनर्जी)

उप संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

भोपाल,

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय

क्रमांक एफ-3/93/2005/बत्तीस

भोपाल, दिनांक 8.6.2007

प्रति,

1. संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
भोपाल, म.प्र.।
2. आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
समस्त नगर पालिक निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
समस्त विकास प्राधिकरण,
----- म.प्र.
4. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला-कार्यालय ----म.प्र.

विषय:- भूखण्डों के संयुक्तिकरण बाबत।

संदर्भ:- विभागीय ज्ञाप क्रमांक एफ-3-93/2005/32 भोपाल दिनांक 26.नवंबर 2005,

-0-

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र तत्काल प्रभाव से विचारोपरान्त आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है।

(सी.बी.पड़वार)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

आवास एवं पर्यावरण विभाग,

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-3/93/2005/32

भोपाल, दिनांक 08/07/07

प्रति,

1. संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल।
2. आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
समस्त नगर पालिका निगम नगर पंचायत
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
समस्त विकास प्राधिकारण
.....म.प्र.।
4. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय.....म.प्र.।

विषय:-भूखण्डों के संयुक्तिकरण बावत्।

संदर्भ:- विभागीय ज्ञाप क्र. -एफ-3-93/2005/32 भोपाल दिनांक 26 नवम्बर 2005

-000-

उपरोक्त विषय में अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की टीप क्रमांक 44/1496/2007/1/8 दिनांक 04/07/07 मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र तत्काल प्रभाव से विचारोपरान्त आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है।

(सी.बी.पड़वार)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्र./4578/विधि/एम 612/नग्रानि/2007

भोपाल, दिनांक 17/09/07

// आदेश //

म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 14 के उप नियम (1) परंतु के प्रावधानांतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में ऊंचे भवनों की अनुज्ञा हेतु स्थल अनुमोदन समिति के लिए नगर तथा ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक/उप संचालकों को कॉलम 3 में दिए गए जिलों के लिए "सदस्य सचिव" नाम निर्दिष्ट किया जाता है।

क्र.	पद का नाम	कार्यक्षेत्र (जिला)
1	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल	भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, विदिशा रायसेन, राजगढ़, बैतूल
2	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, इंदौर	इंदौर, धार, झाबुआ
3	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर	ग्वालियर, दतिया, भिण्ड, मुरैना, श्योरपुर कलां
4	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जबलपुर	जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, कटनी
5	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रीवा	रीवा, सीधी
6	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, सागर	सागर, दमोह, टीकमगढ़ छतरपुर, पन्ना
7	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन	उज्जैन, रतलाम
8	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, खंडवा	खंडवा, खरगौन, बुरहानपुर, बड़वानी
9	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नीमच	नीमच, मंदसौर
10	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, सतना	सतना
11	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, देवास	देवास, शाजापुर
12	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, देवास	शहडोल, अनुपपुर, उमरिया
13	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, गुना	गुना, अशोकनगर, शिवपुरी

(दीप्ति गौड़ मुकर्जी)
संचालक
संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

पृ. क्र./4579/विधि/एम-612/नग्रानि/2007 भोपाल,दिनांक 17/09/07
प्रतिलिपि:-

- 1.सचिव, म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग भोपाल।
- 2.संभागीय आयुक्त राजस्व संभाग.....को सूचनार्थ।
- 3.जिला कलेक्टर जिला.....को सूचनार्थ।
- 4.संयुक्त संचालक/उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय.....।
- 5.सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय.....।
निर्देशित है कि आपके कार्यालय के क्षेत्राधिकार में ऊंचे भवनों के प्रकरणों को विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित संयुक्त संचालक/उप संचालक (सदस्य सचिव) का प्रस्तुत करेंगे।
- 6.पुलिस अधीक्षक.....।
- 7.आयुक्त, नगर पालिका निगत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका.....
.....।
- 8.अधीक्षण यंत्री (भवन/सड़क) लोक निर्माण विभाग (म.प्र.).....।
- 9.संभागीय यंत्री./संबंधित अधिकारिता, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड.....
.....।

(दीप्ति गौड़ मुकर्जी)
संचालक
संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक 3653 / स्था. / नग्रानि / 2008

भोपाल, दिनांक 01.07.2008

// कार्यालयीन आदेश //

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के आदेश क्र.-3546 / दिनांक 26.06.2008 द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 की संयुक्त संचालकों को प्रत्यायोजित शक्तियां आंशिक रूप से निरस्त कर संचालक में वैष्टित की गई है।

अतः धारा 16 से संबंधित समस्त प्रकरण संचालनालय में प्राप्त कर प्रोजेक्ट कक्ष द्वारा निष्पादित किये जावेंगे। उक्त प्रकरणों की नस्तियां परीक्षण उपरांत संबंधित सहायक संचालक, संयुक्त संचालक के माध्यम से अपर संचालक को प्रस्तुत करेगें। अपर संचालक द्वारा प्रकरण संचालक को परीक्षण उपरांत आदेश हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे।

(दीपाली रस्तोगी)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

भोपाल

पृ.क्रमांक 3654 / स्था. / नग्रानि / 2008

भोपाल, दिनांक 01.07.2008

1. अपर संचालक (1) एवं (2) नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
2. संयुक्त संचालक (प्रोजेक्ट), नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
3. समस्त संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय।
4. सहायक संचालक (प्रोजेक्ट), नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
5. कक्ष प्रभारी (प्रोजेक्ट), नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
6. गार्ड फाईल।

(दीपाली रस्तोगी)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक 1356 / 1809 / 32-1

भोपाल दिनांक 04.06.2009

प्रति,

1. आयुक्त ,
म.प्र गृह निर्माण मण्डल
भोपाल
2. संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल
3. अधीक्षण यंत्री
राजधानी परियोजना प्रशासन
भोपाल
4. समस्त विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र
विकास प्राधिकरण म.प्र.
5. समस्त नगर निगम
मध्यप्रदेश
6. मुख्य नगर पालिक अधिकारी
समस्त नगर पालिका
मध्यप्रदेश

विषय:- आवासीय कालोनियों / परिसरों को विकसित करने में मूलभूत सुविधाओं एवं आवश्यकताओं का प्रावधान ।

-0-

राज्य शासन के ध्यान में यह बात आई है कि प्रायः आवासीय कालोनी/परिसरों को विकसित करते समय उनमें विभिन्न प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं का प्रावधान नहीं किया जाता है जबकि स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण की दृष्टि से इनका प्रावधान किया जाना आवश्यक है। राज्य शासन के जन संकल्प 2008 के अंतर्गत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मुख्य बिन्दु क्रमांक-9 में यह व्यवस्था की गई है। कि " समस्त आवासीय कालोनियों में सार्वजनिक उद्यान का निर्माण और रखरखाव सुनिश्चित किया जायेगा ।

2. अतः निर्माणाधीन एवं निर्मित कालोनियों/आवासीय परिसरों में निम्नानुसार व्यवस्थायें की जाना वांछनीय होगा । अतः उन्हे सुनिश्चित किया जाये :

1. कालोनियों में अनुमोदित अभिन्यास के अनुरूप छोड़े गये खुले स्थानों के विकास में पार्क , बगीचे एवं वृक्षों का समूह , छोटे बच्चों के खेल के स्थान , उचित प्रकाश, पेयजल व्यवस्था , जल-मल निकासी की व्यवस्था सड़क एवं भवन निर्माण के साथ ही पूर्ण की जाये इसके बिना विकास पूर्ण नहीं माना जाये ।

2. यथासंभव प्रत्येक कालोनी का लैण्डस्केप प्लान बनाया जावे जिसमें पेड़ों की स्थिति उनकी बॉटनिकल क्षमताओं के अनुरूप स्थानीय जलवायु एवं मिट्टी के अनुरूप तैयार की जावे ।
3. लेण्डस्केपिंग प्लान इस तरह तैयार किया जावे कि उसमें जल की आवश्यकता न्यूनतम रहे। पार्क , बगीचों के पौधों / पेड़ों की प्रजाति इस प्रकार रखी जावे कि उनका रखरखाव कम से कम जल की मात्रा में हो सके।
4. बिजली प्रदाय के तारों / सर्विस लाईन के कारण वृक्षों को यथासंभव काटा न जाये।

हस्ता / -
(आर.के.त्यागी)

उप सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल दिनांक 04.06.2009

क्रमांक 1356 / 1809 / 32-1

प्रतिलिपि-

1. भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन लिंक रोड न0 3 ई-5 रविशंकर , नगर भोपाल की ओर उनके पत्र क्र-10-5/98(ईएनव्ही)/1867 दिनांक 14.9.05 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रषित ।
2. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर उनके प.क्र 17046/परि/प्रनिबो/05 दि 12.9.02005 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रषित ।

हस्ता / -

(आर.के.त्यागी)

उप सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक / 4355 /

भोपाल दिनांक 09.09.10

परिपत्र

विषय:—किसी भवन के विकास निर्माण पुननिर्माण अथवा उसके किसी भाग में परिवर्तन करने के लिए प्रथम आवेदन पत्र का प्रारूप।

विकास अनुज्ञा के प्रकरणों को जिला कार्यालय द्वारा अधिनियम की धारा 29 में जो निजी व्यक्तियों के प्रकरण प्राप्त किये जाते हैं वे म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के परिशिष्ट "क" (नियम) 17 (1) एवं धारा 29 के अधीन प्रारूप 7 नियम 12 में प्राप्त किये जाते हैं।

सभी जिला कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे सिंगल विंडो प्रणाली अपनाये जिस पर निर्धारित अवधि में तकनीकी कार्यवाही आवेदनों की जांच कर प्राप्ति रसीद दे सकें तथा नियम 17 (1) में सूचना के साथ भेजी जाने वाली जानकारी सूचना के साथ उपनियम 2 से 12 तक विहित किये गये प्रावधान अनुसार पूर्ण प्रकरण एक बार में ही प्राप्त करें। अपूर्ण प्रकरण किसी भी दशा में स्वीकार ना किये जाए।

पूर्ण प्रकरण प्राप्त कर आवेदक को 15 दिवस का समय दिया जाए कि वो परीक्षण किये गये अथवा सुधार किय गये मानचित्र जो कि दस्तावेजों एवं स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर होंगे, को प्राप्त करें एवं एक सप्ताह के अन्दर अंतिम रूप से सुधारे हुए मानचित्रों को पुनः कार्यालय में जमा करायें । दो बार जमा कराये गये मानचित्रों (प्रकरण) की रसीद आवेदक को दी जाए। द्वितीय बार प्राप्त मानचित्रों (प्रकरणों) का निराकरण अधिक से अधिक 15 दिवस में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अधिनियम में दिये गये अधिकतम सीमा 60 दिवस की प्रतीक्षा न की जाए। प्रकरण प्राप्त होने पर आवेदक को रसीद दी जाए तथा उस पर यह भी सूचित किया जाए कि प्रथम बार 15 दिवस होने पर उसे किस दिनांक को संशोधित मानचित्र प्राप्त करने हेतु उपस्थित होना है तथा 7 दिवस पश्चात् द्वितीय बार संशोधित मानचित्र प्राप्त कर पुनः उसे एक निश्चित तिथि लगभग 15 दिवस तक की दी जाए ताकि उस दिन आवेदक अनुमोदित मानचित्र प्राप्त कर सकें। आवेदक को रसीद दी जावे तथा उस पर यह भी सूचित किया जावे कि प्रथम बार 15 दिवस होने पर आवेदक को कार्यालय के किन्हीं दो

अधिकारियों/कर्मचारियों के ई-मेल एड्रेस तथा मोबाइल नम्बर दिये जाए। जिला कार्यालय द्वारा दी जाने वाली अनुमतियों को प्रत्येक दिन कार्यालयीन वेब साईट पर लोड किया जाए तथा इन अनुमतियों को उसी दिन कॉरडिनेशन मेप में भी अंकित किया जाए।

संलग्न:-

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0, भोपाल

क्रमांक / 4356 /

भोपाल दिनांक 09.09.10

प्रतिलिपि :-

- 1/ प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, को कृपया सूचनार्थ।
- 2/ संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय।

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0, भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
ई-5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, म0प्र0, भोपाल

क्रमांक / 4576 / विधि / नग्रानि. / एम-87

भोपाल, दिनांक 22.09.2010

आदेश

संचालनालय के आदेश क्रमांक एफ-4821 / टी.एड.सी.पी / लीगल / एम-87 भोपाल दिनांक 23.09.2004 के परिशिष्ट एक के अनुक्रमांक -6 में म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 (1) ए-बी की शक्तियों का प्रत्यायोजन संयुक्त संचालकों को किया गया था।

म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 16(1) ए -बी की संयुक्त संचालकों को प्रत्यायोजित शक्तियां वापस लेते हुए संचालक में उक्त शक्तियों वैष्टिता की जाती है।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0, भोपाल

क्रमांक 4577 / विधि / नग्रानि. / एम-87

भोपाल दिनांक 22.09.2010

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 2 अपर संचालक नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 भोपाल को सूचनार्थ।
- 3 संयुक्त संचालक तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0, भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
ई-5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, म0प्र0, भोपाल

क्रमांक /4923/पीए /2010

भोपाल, दिनांक 11.10.2010

प्रति,

समस्त संयुक्त संचालक,
समस्त उप संचालक,
समस्त सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय

विषय :- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के संबंध में

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 4576/विधि/नग्रानि/एम-87 दि. 22.09.2010 में दिय गये निर्देशों के अनुसार नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत अधिनस्थ कार्यालयों को प्रत्यायोजित अधिकार वापस लिया गया है। इस कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र में उपदर्शित हो जाने के पश्चात् वर्तमान प्रदर्शित उपयोग से भिन्न उपयोग के विकास की कार्यवाही को नियंत्रित करना है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि धारा 16 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों को आवेदक को मूलतः वापस न किया जाय अपितु उसका परीक्षण कर स्पष्ट अभिमत के साथ संचालनालय को भेजा जाय ताकि संचालनालय में प्रकरण का नियमानुसार परिक्षण कर आगामी कार्यवाही के निर्देश समय-सीमा में जिला कार्यालय को दिये जा सकें।

कतिपय जिला कार्यालयों द्वारा इस अधिनियम की धारा में प्राप्त होने वाले आवेदनों को वापस किया जा रहा है जो दिये गये निर्देशों के विपरीत है।

अतः सुनिश्चित करें कि धारा 16 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का समग्र रूप से परीक्षण कर उन्हें स्पष्ट अभिमत के साथ संचालनालय को भेजना सुनिश्चित करें ताकि संचालनालय द्वारा प्रकरण के समुचित परीक्षण उपरान्त समय सीमा में उस पर कार्यवाही के निर्देश दिये जा सकें।

कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में धारा 16 के अन्तर्गत दिये गये आवेदनों को न तो लेने से इन्कार किया जाय और न ही बिना किसी कारण के जिला कार्यालयों में लंबित रखा जाय।

इन निदेशों का क्रियान्वयन की स्थिति जानने के लिए समय-समय पर जिला कार्यालयों का निरीक्षण कर प्राप्त आवेदनों एवं उनके निराकरण का भौतिक सत्यापन भी किया जायेगा। अतः समय सीमा में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0, भोपाल
भोपाल दिनांक

क्रमांक /निस /निग्रानि/2010

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, को कृपया सूचनार्थ।
- 2 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी माननीय मंत्री जी मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग को सूचनार्थ।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0, भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
ई-5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, म0प्र0, भोपाल

क्रमांक /4946/विधि /नग्रानि/
प्रति,

भोपाल,दिनांक 12.10.2010

संयुक्त संचालक/ उप संचालक/सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय.....

विषय:-किसी भूमि / भवन विकास, निर्माण पुननिर्माण अथवा उसके किसी भाग में
परिवर्तन करने संबंधी निर्देशों के परिपालन बाबत्।
संदर्भ :-संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 4355 भोपाल दिनांक 09.09.10।

विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र के लागू करने के संबंध में निर्देशित किया जाता है
कि समस्त जिला कार्यालयों में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 17 (1) एवं
धारा 29 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले सभी प्रकरणों के लिये पृथक से पंजी संधारित किये
जावे जिसमें आवेदन में दिये गये सभी बिन्दुओं के पृथक- पृथक कॉलम होंगे। प्रत्येक
कॉलम में प्राप्त होने वाली जानकारी की प्रविष्टियां की जानी होंगी।

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश 1973 की धारा 16 तथा मध्यप्रदेश भू- राजस्व
सहित 1959 की धारा 172 के संदर्भ में प्राप्त होने वाले आवेदनों के रजिस्टर भी संधारित
किये जावे।

उक्त संधारित रजिस्ट्रों का संचालनालय द्वारा समय - समय पर निरीक्षण किया
जावेगा।

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0, भोपाल

प्रारूप (1)

आवेदक का नाम पता तथा आवेदन का क्रमांक व दिनांक	मुख्य रेखांक	स्थल रेखांक	उप विभाग अभिन्यास योजना	विशिष्ट या सामान्य तथा विस्तृत	स्वामित्व संबंध हक (रजिस्ट्री के साथ तथा शपथ पत्र)	भूमि का वर्णन (उन भागों के जिन पर फासलै पर एक संपत्ति की छारे हों नाम बदलते हुए तथा सीमाएँ बतलते हुए स्थिति) (हॉ/नहीं)	प्रश्नांगत भूमि का क्रमांक दर्शाते हुए खसरा योजना और भूमि की बाहरी सीमा में दो सौ मीटर के भीतर पडने वाली निकटवर्ती खसरा/आवेदित भूमि खसरा मानचित्रों में लाल रंग से दर्शाई गई है। (हॉ/नहीं)	प्रश्नांगत भूमि मुख्य पहुँच मार्ग महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों जैसे चिकित्सालय या पेट्रोल पम्प तथा भूमि के इर्द गिर्द वर्तमान उपयोगों को उपदर्शित करते हुए रेंखांक	भूमि के वर्तमान उपयोग	प्रश्नांगत भूमि की सीमाएं प्राकृतिक विशिष्टताएँ जैसे नाला जलाशय ढलान हाईटेशन लाईन रेल्वे लाईन टेलीफोन लाईन	प्रश्नांगत भूमि से संबंधित समस्त विकास प्रस्थापनाओं को दर्शाते हुए एक रिपोर्ट (हॉ/नहीं)	उपयोगी कार्यों तथा सेवाओं जैसे जल प्रदान जल विकास तथा विद्युत प्रदाय एवं मलाशय (सेप्टिक टैंक)के व्यारे दर्शाते हुए रेंखांक उपलब्ध किया गया है और उसके साथ उस मेमोरी के बीच जल के निवर्तन को भी दर्शाया गया है	वस्तुवित्त संबंधी अन्य व्यारे	प्रस्तावित विकास कार्य का प्रकार	भूमि विकास नियम 1984 के अनुसार फीस	रेखांक (रजिस्ट्रीव योजना अनुसार वास्तुविद/सर्वेक्षण के नाम) द्वारा तय किये गये हैं।
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

धारा 16 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 17 से प्राप्त आवेदेन

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

ई-5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, म0प्र0, भोपाल

क्रमांक / 4971 / नग्रानि / विधि /

भोपाल, दिनांक 13.10.2010

प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक,

नगर तथा ग्राम निवेश

जिला कार्यालय..... ।

विषय :- किसी भवन के विकास, निर्माण पुनर्निर्माण अथवा उसके किसी भाग में परिवर्तन करने के लिये प्रथम आवेदन पत्र का प्रारूप।

संदर्भ :- संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 4355 भोपाल दिनांक 09.09.10

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त पत्र की अंतिम कंडिका में यह निर्देश दिये गये थे कि जिला कार्यालय द्वारा दी जाने वाली अनुमतियों को प्रत्येक दिन कार्यालयीन वेबसाईट पर लोड किया जाये तथा इन अनुमतियों को उसी दिन कॉरडिनेशन मेप में अंकित किया जाये।

उक्त निर्देश के परिपेक्ष्य में आपके द्वारा की गई कार्यवाही से दिनांक 13.10.10 तक अवश्य रूप से अवगत करावें।

साथ ही यदि उक्त कार्यवाही पूर्ण न की गई हो तो पूर्ण कर दिनांक 20.10.10 तक आवश्यक रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। यदि इस संबंध में कोई कठिनाई हो तो उससे भी संचालनालय को अवगत करावे।

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म0प्र0, भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल

क्रमांक / 248 / विधि / नग्रानि / 2011

भोपाल दिनांक 18.03.11

प्रति,

समस्त संयुक्त संचालक,
उप संचालक
सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय

विषय:—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा के अन्तर्गत वर्जित निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत प्रकरणों का अग्रेषित।

प्रायः यह देखा गया है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रकरणों को अग्रेषित करते समय उनका पर्याप्त परीक्षण नहीं किया जाता है तथा बिना परीक्षण के समस्त आवेदन संचालक को अग्रेषित किये जाते हैं जिससे जहाँ एक ओर आवेदकों के प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब होता है वहीं संचालनालय पर भी बिना वजह अतिरिक्त कार्य का भार पडता है।

आपकी जानकारी के लिए माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका क्रमांक 13753/2006 में पारित आदेश क्रमांक 23.03.2007 के आदेश का संबंधित उदाहरण निम्नानुसार है :-

The Director and his subordinates who are entrusted with the work of town planning will be aware of the contents and details of the development plan under preparation and the proposed land use in the development plan under preparation. Accordingly whenever permission is sought from the Director or his subordinates for change or the use of land or for development of land for any purpose other than as indicated in the existing land use map the Director or his subordinates has to refuse such permission. On the other hand the Director or his subordinates may defer the grant or permissions where such change in the use of any land or development of land would be inconsistent with the proposed land use in the development plans under preparation on the other hand the Director or his subordinates may defer the grant or permission where the change in the

use of any land for any purpose other than as indicated in the existing land map is consistent with the proposed land use in the development plan under preparation until the development plan is finalized approved and published by the State Government under Section 19 of the Adhinyam. We are thus of the view that Section 16 (1) of the Adhinyam does not Vest absolute power in th Director or his subordinates to refuse or grant permission for change in the use of any land or in development of land for any Purpose other than that as indicated in the existing land use map and that such power is controlled and is to be exercised in accordance with the development plan under preparation and not otherwise.

उपरोक्त आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विविध याचिका क्रमांक 3870/06 में पारित आदेश दिनांक 23.03.07 को यथावत रखा गया था तथा उक्त आदेश के विरुद्ध दायर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील क्रमांक 2163/09 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को मान्य किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रकरण अग्रेषित करने के पूर्व माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप परीक्षण कर श्रेणी में न आने वाले प्रकरणों को अनावश्यक रूप से संचालक को न भेजें।

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0, भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

ई-5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, म0प्र0, भोपाल

क्रमांक / 1829 / विधि / 11

भोपाल, दिनांक 07.04.11

प्रति,

संयुक्त संचालक / उपसंचालक / सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय..... ।

विषय :- म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 एवं 29/30 में विकास अनुज्ञा संबंधित समस्त प्रकरणों पर पत्र व्यवहार अन्डर पोस्टर सर्टिफिकेट सेवा (यू.पी.सी.) के माध्यम से करने बाबत।

मध्यप्रदेश तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 एवं 29/30 के अन्तर्गत जिला कार्यालयों में प्रकरण प्राप्त होते हैं। इन प्रकरणों के निराकरण हेतु आवश्यक जानकारी की मांग आवेदकों से प्रायः सामान्य पोस्टल डाक से की जाती है। सामान्य पोस्टल डाक से भेजे गये पत्रों के संबंध में आवेदक सामान्य शिकायत करते हैं कि उन्हें कार्यालय द्वारा भेजे गये पत्र प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति के कारण प्रकरणों के निराकरण में व्यर्थ विलम्ब होता है जिससे कार्यालय की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जो कदापि उचित नहीं है।

अतः अधिनियम अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु यह निर्देशित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 16 एवं 29/30 के अंतर्गत प्रचलित समस्त प्रकरणों में समस्त पत्राचार अन्डर पोस्टल सर्टिफिकेट सेवा (यू.पी.सी.) के माध्यम से किया जाये तथा वांछित जानकारी समय सीमा में आवेदकों से प्राप्त न होने पर 15 दिनों के अन्दर स्मरण पत्र भी यू पी सी सेवा से भेजे जाना सुनिश्चित करें। यदि स्मरण पत्र के पश्चात् भी वांछित जानकारी दी गई समय सीमा में प्राप्त न हो तो प्रकरण का नियमानुसार निराकरण कर आवेदकों को रजिस्टर्ड ए.डी. व्यवस्था से सूचित किया जाए।

इन नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित सहायक को अनिवार्यतः निलम्बन की कार्यवाही कर अवगत कराये, यदि आकस्मिक निरीक्षण में उपरोक्त त्रुटियाँ पाई गईं तो कार्यालय प्रमुख को भी जिम्मेदार मानकर दीर्घशास्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

कृपया इन नियमों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें ताकि आवेदकों के प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहें।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0, भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल

क्रमांक / 5086 / विधि / नग्रानि / एम-87

भोपाल दिनांक 12.08.2011

आदेश

संचालनालय के आदेश क्रमांक 4821 / टी.एण्ड सी.पी / लीगल / एम-87, भोपाल दिनांक 23.09.04 के परिशिष्ट- एक के अनुक्रमांक -6 में म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 (1) (ए) (बी) की शक्तियों का प्रत्यायोजन अधीनस्थ अधिकारियों को किया गया था। इस आदेश को संशोधित करते हुए संचालनालय के ही आदेश क्रमांक 4576 / विधि / नग्रानि / एम-87 दिनांक 22.09.10 द्वारा संयुक्त संचालकों को प्रत्यायोजित शक्तियां वापस ले ली गई थी।

इस आदेश के सुचारु क्रियान्वयन के संबंध में सभी जिला कार्यालयों को संचालनालय के पत्र क्रमांक 4923 / पी.ए. / नग्रानि / 2010 दिनांक 11.10.2010 तथा पत्र क्रमांक 248 / विधि / नग्रानि / दिनांक 18.03.2011 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये थे। संचालनालय के उपरोक्त आदेश क्रमांक 4576 दिनांक 22.09.2010 तथा उससे संबंधित पत्र क्रमांक 4923 दिनांक 11.10.2010 तथा पत्र क्रमांक 248 को अतिक्रमित करते हुए म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 (1) (ए) एवं (बी) की शक्ति अब केवल संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर से वापस ली जाती है शेष जिला कार्यालय प्रमुखों को यह शक्तियां पूर्ववत् प्रत्यायोजित की जाती है।

उपरोक्त शक्तियों को वापस लेने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के बड़े शहरों में भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र में वर्तमान भूमि उपयोग उपदर्शित हो जाने के पश्चात् उपदर्शित वर्तमान भूमि उपयोग से भिन्न भूमि विकास की कार्यवाही को नियंत्रित करना है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चारों जिला कार्यालय (भोपाल / इन्दौर / जबलपुर एवं ग्वालियर) में अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत आवेदन ग्रहण किये जावेंगे उन्हें आवेदकों को वापस नहीं किया जावेगा। इन आवेदनों का समग्र रूप से परीक्षण जिला कार्यालयों द्वारा किया जाकर प्रकरण की स्वीकृति / अस्वीकृति के संबंध में प्रकरण अपने स्पष्ट अभिमत के साथ संचालनालय को भेजा जावेगा ताकि संचालनालय द्वारा भूमि उपयोग की उपयुक्तता का परीक्षण कर प्रकरण के निराकरण के संबंध में समुचित दिशा-निर्देश दिये जा सकें।

धारा 16 अन्तर्गत प्राप्त आवेदन के परीक्षण के संबंध में कृपया माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका क्रमांक 13753 / 2006 में पारित आदेश दिनांक 23.03.2007 के आदेश के संबंधित उदाहरण का अवलोकन हो :-

"The Director and his subordinates who are entrusted with the work of town planning will be aware of the contents and details of the development plan under preparation and the proposed land use in the development plan under preparation accordingly whenever permission is sought from the director or his subordinates for change or the use of any land or for development of land for any purpose other than as indicated in the existing land use map, the director or his subordinate has to refuse such permission where such change in the use of any land or development of land would be inconsistent with the proposed land use in the development plans under preparation. On the other hand the director or his subordinates may defer the grant or permission where the change in the use of any land or any purpose other than as indicated in the existing land map is consistent with the proposed land use in the development plan under permission until the development plan is finalized approved and published by the state government under Section 19 of the Adhinyam. We are thus, of the view that Section 16 (1) of the Adhinyam does not vest absolute power in the director or his subordinate to refuse or grant permission for change in the use of any land or in development of land any purpose other than that as indicated in the existing land use map and that such power is controlled and is to be exercised in accordance with the development plan under permission and not otherwise "

उपरोक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विविध याचिका क्रमांक 3870/06 में पारित आदेश दिनांक 23.03.07 को यथावत रखा गया तथा उक्त आदेश के विरुद्ध दायर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील क्रमांक 2163/09 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माननीय के आदेश को मान्य किया गया है।

अतः समस्त जिला कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रकरण अग्रेषित करने/निराकरण के पूर्व माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप परीक्षण कर तदानुसार कार्यवाही की जावे।

जिला कार्यालयों में अधिनियम की धारा 16 अन्तर्गत प्राप्त होने पर जिला कार्यालयों द्वारा प्रकरणों को आवश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाय। ऐसे समस्त प्रकरणों को भोपाल, इन्दौर जबलपुर तथा ग्वालियर के जिला कार्यालय माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के संदर्भ में समग्र रूप से परीक्षण कर स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में स्पष्ट अनुशांसा के साथ प्रकरण 30 दिनों में संचालनालय को प्रेषित करेंगे। शेष जिला कार्यालय ऐसे प्रकरणों को उपरोक्तानुसार ही समग्र रूप से परीक्षण कर प्रकरण का निराकरण 30 दिनों में अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे।

(के.सी गुप्ता)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0, भोपाल

प्रतिलिपि :-

- 1/ प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, को कृपया सूचनार्थ ।
- 2 अपर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म0प्र0 ,भोपाल ।
- 3/ संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

(के.सी गुप्ता)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0, भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल

क्रमांक / 1797 / नग्रानि / 2012

भोपाल दिनांक 09.04.12

प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय

विषय:—अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत प्रकरणों के निराकरण बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि संचालनालय द्वारा समय- समय पर अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत प्रकरणों के निराकरण बाबत निर्देश जारी किये गये हैं। इसी तारतम्य में म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में संशोधन के फलस्वरूप म0प्र0 भूमि विकास नियम में भी संशोधन किये जा रहे हैं जिसके अनुसार निम्न बिन्दुओं पर भी परीक्षण आवश्यक है, म0प्र विकास नियम में प्रस्तावित संशोधन निम्नानुसार :-

"Rule - Development permission under section 16 shall not be granted if the land is situated in such area where"-

- (a) sufficient means of access have not yet been developed proposed, or
- (b) The activity proposed in the application is not
 - (i) Proposed in the published draft development plan; or
 - (ii) Compatible with the structural plan or a broad outlines or the draft plan under consideration. or
 - (iii) Conductive to the environmental requirements of the area. or
 - (iv) Compatible with those prevalent around it; "

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण कर स्पष्ट अभिमत से संचालनालय को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि धारा 16 के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण हो सके।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि पूर्व में किसी प्रकरण में अनुशंसा की गई हो तो उसे उपरोक्त संशोधनों के आधार पर पुनः परीक्षण कर अभिमत आवश्यक है।

(के.सी गुप्ता)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0, भोपाल

**संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई- 5 अरेरा कालोनी भोपाल**

क्रमांक 1798 / विधि / नग्रानि / भोपाल / 12 भोपाल दिनांक 09.04.2012
प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,

विषय: जिला कार्यालयों द्वारा दी जाने वाली अनापत्ति / अभिमत के संबंध में।

1. म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 '4' में किसी नगर / स्थान की विकास योजना के उपबंधों के अनुरूप होने के प्रावधान है ।
2. इस संदर्भ में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 49 '3' में विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है ।
3. इस तारतम्य में विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग तथा अन्य प्रावधानों की जानकारी जन सामान्य से आवेदन प्राप्त होने पर उन्हें उपलब्ध कराई जाती है ।
4. इस संबंध में संचालनालय की जानकारी में यह तथ्य आया है कि नगर तथा ग्राम निवेश के कतिपय जिला कार्यालयों द्वारा विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग की जानकारी देते समय आवेदकों को यह जानकारी / निम्न टीप के साथ दी जाती है उपरोक्त जानकारी के आधार पर मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के अन्तर्गत व्यपवर्तन की कार्यवाही नहीं की जावे ।
5. उपरोक्त जानकारी के कारण अनुविभागीय अधिकारियों को भूमि व्यपवर्तनों संबंधी प्रकरणों के निराकरण में कठिनाई हो रही है
6. अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त टीप के स्थान पर निम्नानुसार टीप अंकित कर भूमि उपयोग की जानकारी दी जाए, इस भूमि उपयोग संबंधित जानकारी को म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के अन्तर्गत भूमि व्यपवर्तन संबंधि अनापत्ति / अनुमति न समझा जावे, इस संबंध में आवेदक को समक्ष प्राधिकारी 'एस डी ओ' 'राजस्व' पृथक से अनुमति लेनी होगी,
7. इसी प्रकार नगर तथा ग्राम निवेश के जिला कार्यालयों में ऐसे स्थानों की भूमि संबंधी व्यपवर्तन संबंध अभिमत बाबत् प्रकरण प्राप्त होते हैं, जहाँ विकास योजना

लागू नहीं है या जहाँ निवेश क्षेत्र गठित नहीं है ऐसे प्रकरणों में भी अनापत्ति देते समय उपरोक्त निम्न अनुसार ही टीप अंकित की जाए इस अनापत्ति/ अभिमत धारा -172 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता अंतर्गत भूमि व्यपवर्तन संबंधी अनापत्ति/अनुमति न समझा जावे। इस संबंध में आवेदक को समक्ष अधिकारी (एसडीओ) (राजस्व) पृथक से अनुमति लेनी होगी।

(के.सी. गुप्ता)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक /विधि/नग्रानि/भोपाल/12

भोपाल दिनांक 09.04.2012

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को सूचनार्थ।
- 2 प्रमुख राजस्व आयुक्त म0प्र0 भोपाल को पत्र क्रमांक 24/नि.स./प्र.रा.आ./2012 दिनांक 21.03.12 के सूचनार्थ।

(के.सी. गुप्ता)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश भोपाल

**संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल**

क्रमांक / 3353 /

भोपाल दिनांक 04.07.12

प्रति,

संयुक्त संचालक / उपसंचालक,
सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय (म0प्र0)

विषय:—म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत प्राप्त परीक्षण / निराकरण बाबत् ।

संदर्भ:—संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश का पत्र क्रमांक 797 / नग्रानि / 1012 / विधि—एम 655 दिनांक 19.04.2012

विषयान्तर्गत उपरोक्त संदर्भित पत्र म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 लागू होने के पूर्व जारी किया गया था जिसे एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।

अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रत्योजन आदेश क्रमांक 5087 / विधि / नग्रानि / एम—87 भोपाल, दिनांक 12.08.2011 के अनुसार यथावत रहेगा ।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि धारा 16 के अन्तर्गत प्रकरणों का परीक्षण / निराकरण म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 14 (4) एवं 14(5) के अनुसार किया जावे ।

(के.सी गुप्ता)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0, भोपाल

संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक /स्था./नग्रानि/2008 भोपाल, दिनांक 01.07.2008

//कार्यालयीन आदेश//

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के आदेश क्र.-3546/दिनांक 26.06.2008 द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 की संयुक्त संचालकों को प्रत्यायोजित शक्तियां आशिक रूप से निरस्त कर संचालक में वेष्टित की गई है।

अतः धारा 16 से संबंधित समस्त प्रकरण संचालनालय में प्राप्त कर प्रोजेक्ट कक्ष द्वारा निष्पादित किये जावेंगे। उक्त प्रकरणों की नस्तियां परीक्षण उपरांत संबंधित सहायक संचालक, संयुक्त संचालक के माध्यम से अपर संचालक को प्रस्तुत करेगें। अपर संचालक द्वारा प्रकरण संचालक को परीक्षण उपरांत आदेश हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे।

(दीपाली रस्तोगी)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

पृ.क्रमांक /स्था./नग्रानि/2008 भोपाल, दिनांक 01.07.2008

1. अपर संचालक (1) एवं (2) नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
2. संयुक्त संचालक (प्रोजेक्ट), नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
3. समस्त संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ।
4. सहायक संचालक (प्रोजेक्ट), नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
5. कक्ष प्रभारी (प्रोजेक्ट), नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
6. गार्ड फाईल।

(दीपाली रस्तोगी)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
ई-5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, म0प्र0, भोपाल

क्रमांक /4946/विधि /नग्रानि/
प्रति,

भोपाल,दिनांक 12.10.2010

संयुक्त संचालक/ उप संचालक/सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय.....

विषय:-किसी भूमि / भवन विकास, निर्माण पुननिर्माण अथवा उसके किसी भाग में
परिवर्तन करने संबंधी निर्देशों के परिपालन बाबत।
संदर्भ :-संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 4355 भोपाल दिनांक 09.09.10।

विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र के लागू करने के संबंध में निर्देशित किया जाता है
कि समस्त जिला कार्यालयों में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 17 (1) एवं
धारा 29 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले सभी प्रकरणों के लिए पृथक से पंजी संधारित किये
जावे जिसमें आवेदन में दिये गये सभी बिन्दुओं के पृथक- पृथक कॉलम होंगे। प्रत्येक
कॉलम में प्राप्त होने वाली जानकारी की प्रविष्टियां की जानी होंगी।

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश 1973 की धारा 16 तथा मध्यप्रदेश भू- राजस्व
सहित 1959 की धारा 172 के संदर्भ में प्राप्त होने वाले आवेदनों के रजिस्टर भी संधारित
किये जावे।

उक्त संधारित रजिस्ट्रों का संचालनालय द्वारा समय - समय पर निरीक्षण किया
जावेगा।

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0, भोपाल

प्रारूप (1)

आवेदक का नाम पता तथा आवेदन का क्रमांक व दिनांक	मुख्य रेखांक	स्थल रेखांक	उप विभाग अभिन्यास योजना	विशिष्ट या सामान्य तथा विस्तृत	स्वामित्व संबंध हक (रजिस्ट्री के साथ तथा शपथ पत्र)	भूमि का वर्णन (उन भागों के जिन पर फासलै पर एक संपत्ति की छारे हों नाम बदलते हुए तथा सीमाएँ बतलते हुए स्थिति) (हॉ/नहीं)	प्रश्नांगत भूमि का क्रमांक दर्शाते हुए खसरा योजना और भूमि की बाहरी सीमा में दो सौ मीटर के भीतर पडने वाली निकटवर्ती खसरा/आवेदित भूमि खसरा मानचित्रों में लाल रंग से दर्शाई गई है। (हॉ/नहीं)	प्रश्नांगत भूमि मुख्य पहुँच मार्ग महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों जैसे चिकित्सालय या पेट्रोल पम्प तथा भूमि के इर्द गिर्द वर्तमान उपयोगों को उपदर्शित करते हुए रेंखांक	भूमि के वर्तमान उपयोग	प्रश्नांगत भूमि की सीमाएं प्राकृतिक विशिष्टताएँ जैसे नाला जलाशय ढलान हाईटेशन लाईन रेल्वे लाईन टेलीफोन लाईन	प्रश्नांगत भूमि से संबंधित समस्त विकास प्रस्थापनाओं को दर्शाते हुए एक रिपोर्ट (हॉ/नहीं)	उपयोगी कार्यों तथा सेवाओं जैसे जल प्रदान जल विकास तथा विद्युत प्रदाय एवं मलाशय (सेप्टिक टैंक)के व्यारे दर्शाते हुए रेंखांक उपलब्ध किया गया है और उसके साथ उस मेमोरी के बीच जल के निवर्तन को भी दर्शाया गया है	वस्तुवित्त संबंधी अन्य व्यारे	प्रस्तावित विकास कार्य का प्रकार	भूमि विकास नियम 1984 के अनुसार फीस	रेखांक (रजिस्ट्रीव योजना अनुसार वास्तुविद/सर्वेक्षण के नाम) द्वारा तय किये गये हैं।
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

धारा 16 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 17 से प्राप्त आवेदेन

परिशिष्ट-1 (अ)

प्ररूप सात

(नियम 12 देखिये)

भूमि के विकास के लिए धारा 29 के अधीन अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र का प्ररूप

प्रेषक

.....

.....

.....

प्रति,

संयुक्त/उप/सहायक संचालक,

नगर तथा ग्राम निवेश

जिला कार्यालय

महोदय,

मैं/ हम नीचे वर्णित भूमि के विकास को हाथ में लेने /क्रियान्वित करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूँ/ करते हैं:-

- 1 (क) भूमि का वर्णन (उन मार्गों के जिन पर/ जिनमें कुछ फासले पर उस संपत्ति का छोर है, नाम बतलाते हुए स्थिति)
2. मैं/हम एतद् द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज़ तीन प्रतियों में संलग्न करता/करते हैं अर्थात्-
(एक) भूमि का वर्णन (उन भागों के जिन पर/ जिनमें कुछ फासले पर उस संपत्ति की छोर हो, नाम बतलाते हुए तथा सीमायें बतलाते हुए स्थिति)

(दो) प्रश्नगत भूमि का क्रमांक दर्शाते हुए खसरा योजना और भूमि की बाहरी सीमा में 200 मीटर के भीतर पड़ने वाले निकटवर्ती खसरा/आवेदित भूमि खसरा मानचित्रों में लाल रंग से दर्शायी गई हैं।

(तीन) प्रश्नगत भूमि मुख्य पहुंच माग, महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों जैसे चिकित्सालय, विद्यालय या सिनेमा पेट्रोल पंप तथा भूमि के इर्द-गिर्द वर्तमान उपयोग को उपदर्शित करते हुए रेखांक।

(चार) भूमि के वर्तमान उपयोग (आवासीय वाणिज्यिक, औद्योगिक लोक प्रयोजन/खुले स्थानांतरित भूमि के रूप में)

(पांच) 1:500, 1/1000, 41 1/2 फुट अथवा 82 1/2 फुट बराबर 1 इंच के मना से एक सर्वेक्षण रेखांक दिया जायेगा। रेखांक प्रश्नगत भूमि की सीमायें

प्राकृतिक विशिष्टतायें जैसे नाला जलाशय ढलाने समोच्च रेखांक 5 अथवा 10के अंतर से 200 मीटर तक की दूरी तक भूमि समीपस्थ भूमि से होकर जाने वाली उच्च वोल्टता लाईन (हाईटेंशन लाईन) मार्ग दर्शाने वाले विद्यमान मार्ग तथा रेल्वे

लाईनें उनके विशेष विवरण तथा सीमाओं सहित विद्युत तथा दूरभाष खंभो की स्थिति और अन्य ऐसी समस्त बातें जिनका कि समीपस्थ क्षेत्रों से समन्वय किय जाने की आवश्यकता हो दर्शायेगा।

(छः) प्रश्नगत भूमि के संबंध में समस्त विकास प्रस्थापनाओं को दर्शाते हुए एक रिपोर्ट

(सात) उपयोगी कार्यो तथा सेवाओं जैसे जलप्रदाय, जलनिकास और विद्युत प्रदाय तथा मलाशय (सेप्टिक टैंक) के ब्यौरे दर्शाते हुए उपबंध किया गया है और उसके साथ उसमें मोरी के बीच जल के निवर्तन को भी दर्शाया गया है।

(आठ) वास्तुविद संबंधी अन्य ब्यौरे।

(नौ) प्रस्थापित विकास कार्य का प्रकार अर्थात् आवास विषयक वाणिज्यिक या औद्योगिक उपदर्शित करने वाला एक टिप्पण।

3. रेखांक (रजिस्ट्रीकृत योजनानुसार/वास्तुविद/सर्वेक्षण के नाम) द्वारा तैयार किये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक

पता

.....

मैंने विहित किय मान के अनुसार रुपये फीस निक्षिप्त कर दी है।

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर एवं पता

प्ररूप आठ

(नियम 12 देखिये)

भूमि के विकास के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा आवेदन पत्र का
प्रारूप

प्रेषक :

.....

.....

.....

प्रति,

सयुक्त / उप / सहायक संचालक,

नगर तथा ग्राम निवेश

जिला कार्यालय

तारीख

महोदय,

मैं / हम उस भूमि के जिस पर मैं / हम आवश्यक स्वामित्व अधिकार रखता / रखते
हैं जो सड़क / मार्ग वार्ड क्रमांक खण्ड क्रमांक
.... भूखण्ड क्रमांक पर स्थित स्कीम का नाम (यदि कोई हो)
..... है वर्ग गज / मीटर के माप के भू-भाग पर
भवन बनाने / पुनः बनाने या / और परिवर्तन करने / उसकी मरस्मत कराने हेतु
अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूँ / करते हैं।

1 मैं/हम निम्नलिखित की प्रतियां प्रस्तुत करता/करते हैं—

(क) संलग्न अनुसूचि में कथित किए गए अनुसार रेखांकों उन्नतांशी तथा अनुभागों के बाबत् पत्रक

(ख) प्रस्तावित भवन का विहित प्रारूप में विशेष विवरण

2. रेखांक रजिस्ट्रीकरण वास्तुविद/सवेक्षण का नाम रजिस्ट्रीकरण क्रमांक पता द्वारा तैयार किये गये हैं।

3. मैंने अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन बनाये गये नियम में विहित किये गये मान के अनुसार रूपये फीस का निक्षेप कर दिया है।

भवदीय

आवेक के हस्ताक्षर

पता —

विशेष विवरण पत्रक

प्रस्तावित भवन का विशेष विवरण

- 1 भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल वर्गफुट / मीटर
- 2 कुल निर्मित क्षेत्र
- 3 विद्यमान भूतल वर्गफुट / मीटर / प्रस्तावित
वर्गफुट / मीटर / प्रस्तावित
विद्यमान द्वितीय मंजिल वर्गफुट / मीटर / प्रस्तावित
..... वर्गफुट / मीटर / प्रस्तावित
- 4 उद्देश्य कार्य जिसके लिए भवन का उपयोग प्रस्तावित है।
- 5 विशेष विवरण जो निम्नलिखित के निर्माण में उपयोग में लाया जायेगा—
(एक) नींव
(दो) दीवालें
(तीन) फर्श
(चार) छत
- 6 भवन में अन्तर्विष्ट होने वाली मंजिलों की संख्या
- 7 ऐसे व्यक्तियों की लगभग संख्या, जिन्हें कि वास स्थान दिया जाना प्रस्तावित है।
- 8 उन शौचालयों की संख्या जिनकी कि व्यवस्था की जायेगी।
- 9 क्या स्थल पर पूर्व में ही निर्माण हुआ है यदि ऐसा हुआ हो तो पूर्ववर्ती भवन रहने के लिए कब से उपयुक्त नहीं रहा
- 10 भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले जल का स्रोत।

आवेदक के हस्ताक्षर

(नियम 49(3)देखिये)

विकास योजना के प्रस्तावो को प्राप्त करने का प्रारूप

प्रति,

प्राधिकारी

.....

.....

मध्यप्रदेश

महोदय,

मैं एतद् द्वारा नगर मोहल्ला/बाजार
बस्ती/कालोनी/गली भूखण्ड क्रमांक की भूमि के
विकास/पुनर्विकास करने का इच्छुक हूँ। क्षेत्र से संबंधित विकास योजना/परिक्षेत्रिक
विकास योजना से संबंधित प्रस्ताव ऊपर उल्लेखित भूमि के लिए उपखण्ड आयोजन
तैयार करने के लिए उपलब्ध किय जा सकेंगे। विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना संबंधी
प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक भुगतान किया जा चुका है तथा रसीद की
अभिप्रमाणित प्रति संलग्न हैं ।

भू-स्वामी के हस्ताक्षर

भू-स्वामी का नाम

.....

(स्पष्ट अक्षरों में)

भू स्वामी का पता

स्थान

दिनांक

नाम—/नगर/नगर निगम/नगर पालिका/विकास प्राधिकरण/नगर निवेश अधिकारी

आवेदन से संबंधित आवेदक एवं उसके आर्किटेक्ट/इंजिनियर/प्लानर/सुपरवाइजर

द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत जानकारी पत्रक

(चेकलिस्ट/परीक्षण शीट) (हॉर्ड एवं साफ्ट कॉपी में)

विषय :- ग्राम तहसील..... जिला के खसरा क्रमांक कुल
रकबा हेक्टर/एकड़ भूमि पर प्रायोजन
आवासीय/वाणिज्यिक/पीएसपी आदि हेतु सामान्य ऊंचाई/ऊंचे भवन/कॉलोनी (किसी
एक को करें) के अभिन्यास अनुमोदन बाबत।

(1) आवेदक

पिता/पति का नाम

(2) पता

(3) मोबाईल/टेलीफोन नम्बर

(बी) अभिन्यास अनुमोदन का प्रयोजन

(सी) आवेदन अन्तर्गत भूमि का विवरण :-

(1) भूमि के ग्राम व तहसील का नाम

(2) भूमि का विवरण

अनुक्रमांक	आवेदित भूमि के भू-स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टर में
------------	------------------------------------	-----------------	--------------------

1	2	3	4
---	---	---	---

1

2

3

4

(डी) आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज :-

अनु.क्र.	जानकारी	संलग्न क्र.	पृष्ठ क्रमांक
1	आवेदन शुल्क (रूपये) रु. रसीद / चालान क्रमांक दिनांक		
2	स्वामित्व संबंधी दस्तावेज :-		
अनु. क्र.	जानकारी	संलग्न क्र.	पृष्ठ क्र
(ए)	खसरा P-IIखतौनी B-I की प्रमाणित प्रति	2-ए	
(बी)	यदि भूमि लीज की है तो लीज डीड की प्रमाणित प्रति	2-बी	
(सी)	पटवारी अक्स/ट्रेस की प्रमाणित प्रति	2-सी	
3	यदि आवेदक भूमि स्वामी से भिन्न है तो ऐसी स्थिति में भू-स्वामी का सहमति पत्र (भू-स्वामी का शपथ पत्र फोटो सहित)	3	
4	आवेदक कालोनाईजर होने की स्थिति में कालोनाईजर लायसेंस की प्रमाणित प्रति।	4	
5	प्रश्नाधीन भूमि आसपास 200 मीटर परिधि में विद्यमान विकास को दर्शाने वाला सर्वेक्षण मानचित्र	5	
6	यदि प्रश्नाधीन भूमि प्राधिकरण की योजना अन्तर्गत स्थित है तो विकास प्राधिकरण का अनापत्ति पत्र की प्रमाणित प्रति	6	
7	नजूल अनापत्ति की प्रति (नोटराईज़ होना अनिवार्य)	7	
8	विकास के प्रस्ताव संबंधी रिपोर्ट	8	
9	प्रश्नाधीन भूमि का लोकेशन Key plan / निगम 17 (2) अनुसार	9	

		plan/नियम17 (3) अनुसार		
10		प्रश्नाधीन भूमि का सर्वे/साइट प्लान नियम 17 (4) अनुसार	10	
11		प्रश्नाधीन भूमि का ले आउट प्लान नियम 17 (5) अनुसार	11	
12		प्रश्नाधीन भूमि पर प्रस्तावित विकास से संबंधित सर्विसेज प्लान नियम 17 (7) अनुसार		
	ए.	ए वाटर सप्लाय प्लान	12-ए	
	बी.	सीवेज/सीवरेज प्लान	12-बी	
नोट		(Plan at item No. 1 to 12 to be submitted in 4 copies in Amonia print out of which one is cloth mounted)		
13		मानचित्रों की साफ्ट कॉपी (सी.डी. कार्यालय द्वारा चाहे जाने वाले साफ्टवेयर में)	13	
14		प्रश्नाधीन भूमि एवं उसको एप्रोच रोड की स्थिति दर्शाते फोटोग्राफ (यथा संभव सेटेलाईट इमेज पर)	14	
15		भू-स्वामी द्वारा यदि स्थल दिखाने अथवा प्रकरण के संबंध में निर्णय लेने हेतु किसी अन्य को प्राधिकृत व्यक्ति का फोटोयुक्त पहचान पत्र मय प्राधिकृत किय जाने संबंधी पत्र के साथ जो कि भू-स्वामी के द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा उसमें प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर किया गया हो।	15	
16		पार्किंग व्यवस्था दर्शाने वाला अभिन्यास जिसमें प्रस्तावित पार्किंग स्थान में खड़े हो सकने वाली कारों एवं दो पहिया वाहनों/स्कूटरों को मय संख्या के स्पष्ट दर्शाया गया हो।	16	
17		आवेदित भूमि का विकास योजना में भूमि उपयोग		

		उपयोग		
18		स्थल भूमि का विकास योजना में भूमि उपयोग		
18		स्थल निरीक्षण रिपोर्ट (स्व. हस्ताक्षरित)		
19		मानचित्र पर भूमि स्वामी के हस्ताक्षर		
20		प्रस्तावित आवासीय इकाईयों की संख्या / व्यक्तिभार (नियम 83 (3) (दो) के संदर्भ में) में अनुसार नियम 49 (1) तथा नियम 86 से 89 के अनुरूप सामाजिक / भौतिक अधोसंरचना		

(ई) स्थल निरीक्षण रिपोर्ट

स्थल को मीटर चौड़े कच्चा / मुरमीकृत / डामरीकृत / सीसी / अन्य मार्ग से पहुँच प्राप्त है / अथवा नहीं है।

स्थल पर वृक्ष / लाईन / पाईप लाईन तथा स्थल के आसपास में विकास की स्थिति इस प्रकार है जिसे स्थल निरीक्षण मानचित्र पर भी दर्शाया गया है :-

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

स्थल निरीक्षण स्केच

(एफ) उपरोक्त स्थल निरीक्षण टीप के बिन्दू— यह टीप निम्न बिन्दुओं पर आधारित होगी:—

- 1 भूमि की सीमाएं एवं एप्रोच रोड की स्थिति
- 2 भूमि की सीमाएं की माप/डायमेंशन (मय डायग्नल मापों के)
- 3 भूमि के आसपास मार्गों की स्थिति एवं उनकी चौड़ाई/उनका नाम
- 4 आप पास स्थित भवनों की स्थिति एवं उनका उपयोग ऊँचाई, स्वामित्व, नाम उत्तर एवं अन्य दिशाएं
- 5 भूमि एवं भूमि के आप पास हाई टेंशन लाईन (..... के.वी.) अन्य विद्युत लाईन/खम्बो/ ट्रांसफार्मर की स्थिति
- 6 टेलीफोन लाइन्स/खम्बों/टेलीफोन एक्सचेंज की स्थिति
- 7 अन्डर ग्राउण्ड वाटर/सीवर/टेलीफोन/गैस केबल/विद्युत/ लाइन्स की स्थिति
- 8 रेल्वे लाईन, रेल्वे सीमा तथा उससे 30.00 मीटर की दूरी
- 9 नदी/नाला/तालाब/नहर/बांध/जलाशय तथा उनके उच्चतम जलस्तर की स्थिति /कुंआ की स्थिति
- 10 भूमि का ढाल/ढलान
- 11 राष्ट्रीय/राजकीय/क्षेत्रीय ग्रामीण/कॉलोनी/विकास योजना के मार्गों की स्थिति
- 12 एयरपोर्ट एवं उससे दूरी
- 13 ट्रेचिंग ग्राउण्ड एवं उससे दूरी
- 14 पुरातत्व महत्व के स्थल की दूरी
- 15 पहाड एवं पहाड से स्थल की दूरी

- 16 वृक्ष की स्थिति/ऊँचाई/डायमीटर एवं उसकी प्रजाति
- 17 शासकीय भवनों की स्थिति एवं उससे स्थल की दूरी
- 18 सर्किट हाउस/रेस्ट हाउस/कमिश्नर/कलेक्टर कार्यालय/पुलिस कंट्रोल रूम
आदि के संदर्भ में स्थल की स्थिति
- 19 स्थल के आसपास धार्मिक स्थलों की स्थिति
- 20 स्थल के आसपास स्थित फारेस्ट/माइनिंग एरिया की स्थिति
- 21 एक्सप्लूजिव नेचर की एक्टिविटी के संदर्भ में स्थल की स्थिति
- 21
- 22
- 23
- 24 स्व – हस्ताक्षरित स्थल निरीक्षण मानचित्र संलग्न।

नोट – केवल सामान्य ले आउट प्रकरण होने की दशा में (अर्थात् हाई राईज़ प्रकरण न होने की दशा) में भरा जावे।

जी. प्रयोजन के सामान्य ऊँचाई के भवनों हेतु अनुज्ञा बाबत
तकनीकी परीक्षण
आवेदित भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर (+)
मार्ग विस्तार अंतर्गत भूमि वर्ग मीटर (.टम)
हरित क्षेत्र/
आमोद प्रमोद भू-उपयोग भूमि वर्ग मीटर (.टम)
कंट्रोल एरिया अन्तर्गत भूमि:—
.....
नेट आवेदित भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर

परीक्षण तालिका

अनु. क्र.	विवरण	क्षेत्रफल वर्गमीटर	प्रतिशत
1	नेट आवेदित भूमि		
2	आवासीय भूखण्ड क्षेत्रफल		
3	वाणिज्यिक/स्थानीय दुकान/सुविधा भूखण्ड क्षेत्रफल		
4	सार्वजनिक सुविधाएं स्कूल (नर्सरी/प्राथमरी/सेकण्डरी) कम्युनिटी हॉल स्वास्थ्य : डिस्पेन्सरी/नर्सिंग होम/क्लब		
5	मार्ग/रोड		
6	पार्क/ओपन		
7	सार्वजनिक सेवाएं उपयोगिता सब स्टेशन/ट्रान्सफार्मर फायर स्टेशन टेलीफोन चौकी/पॉलिस स्टेशन ऑवर डेड टैंक/पम्प टैंक/पम्प हाउस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट /सेप्टिक टैंक		
8	कमजोर आय वर्ग हेतु आरक्षित भूमि /भूखण्ड क्षेत्रफल		
9			
10			
	योग :-		

चूंकि प्रश्नाधीन भूमि आवेदित प्रयोजित (आवासीय / वाणिज्यिक /) के नियोजन मापदण्डों की पूर्ति करती है इस कारण प्रश्नाधीन स्थल अनुमोदित योग्य है।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम / पता

(आवेदक के

आर्किटेक्ट / इंजिनियर / प्लानर / सुपरवाइज़र
के हस्ताक्षर)

लायसेंसधारी का नाम

लायसेंस क्रमांक

स्थान :-

दिनांक :-

नोट :-

- 1 परीक्षण शीट का प्रत्येक पृष्ठ आवेदक / आवेदक के आर्किटेक्ट / इंजिनियर / प्लानर / सुपरवाइज़र द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है।
- 2 यह परीक्षण शीट हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अथवा

सामान्य ऊंचाई (ग्रुप हाऊसिंग/गैर प्लाटिंग प्रकरण)

नोट :- केवल सामान्य श्रेणी हाउसिंग अथवा गैर प्लाटिंग के प्रकरणों (अर्थात् हाई राईज़ प्रकरण ने होने की दशा) में भरा जावे।

(क) " प्रयोजन के सामान्य ऊँचाई/गैर उचें भवनों बाबत् तकनीकी परीक्षण

आवेदित भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर (+)

मार्ग विस्तार अंतर्गत भूमिवर्ग मीटर (-Ve)
हरित क्षेत्र/

आमोद प्रमोद भू-उपयोग भूमिवर्ग मीटर (-Ve)

कंट्रोल एरिया अन्तर्गत भूमि

.....

.....

.....

नेट आवेदित भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर

परीक्षण तालिका

अनु. क्र.	मापदण्ड	विकास योजना	भूमि विकास नियम	आवेदन का प्रस्ताव	मान्य संबंधी टीप
1	न्यूनतम भूमि/भूखण्ड का क्षेत्रफल				
2	भूखण्ड के समक्ष उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई				
3	भूखण्ड का फ्रन्टेज				
4	अधिकतम ग्राउण्ड कवरेज				

अनु. क्र.	मापदण्ड	विकास योजना	भूमि विकास नियम	आवेदन का प्रस्ताव	मान्य संबंधी टीप
	कवरेज				
5	अधिकतम एफ.ए.आर.				
6	अधिकतम भवन की ऊँचाई				
7	एम.ओ.एस.				
	सामने				
	पीछे				
	दाये साईड				
	बाये साईड				
8	न्यूनतम पार्किंग				
9	आवासीय धनत्व				
10	आवासीय इकाईयाँ				

चूंकि प्रश्नाधीन भूमि, आवेदित प्रयोजन (आवासीय/वाणिज्यिक/.....) के नियोजन मापदण्डों की पूर्ति करती है इस कारण प्रश्नाधीन स्थल अनुमोदित योग्य है।

(आवेदक के
आर्किटेक्ट/ इंजिनियर/ प्लानर/ सूपरवाइज़र
के हस्ताक्षर)

(आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम /पता

लायसेंसधारी का नाम

लायसेंस क्रमांक

स्थान :-

दिनांक :-

नोट :-

- 1 परीक्षण शीट का प्रत्येक पृष्ठ आवेदक/आवेदक के आर्किटेक्ट/इंजिनियर/प्लानर/सुपरवाइज़र द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है।
- 2 यह परीक्षण शीट हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अथवा

नोट : - केवल हाई राईज़ प्रकरण होने की स्थिति में भरा जावे।

(क) प्रयोजन के ऊँचे/हाई राईज़ भवन हेतु अनुज्ञा परीक्षण शीट :-

चुंकि अनुज्ञा हाई राईज़ भवन हेतु चाही जा रही है इसलिए प्रकरण का परीक्षण हाईराईज़ भवन के मापदण्डों अनुसार किया गया जो इस प्रकार है।

1 नियोजन मापदण्डों सम्बंधी परीक्षण :-

ऊँचे भवन के निर्माण हेतु जो प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किये है उसका विकास योजना एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के परिपेक्ष में स्थित इस प्रकार है -

अनु. क्र.	नियोजन मापदण्ड	आवेदक के प्रस्ताव	ऊँचे भवन के मापदण्ड भूमि विकास नियम/ विकास योजना 2021	म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984	रिमार्क
1	भूमि/भूखण्ड खसरा /क्र.				
2	प्रयोजन				
3	विकास योजना में भूमि उपयोग				
4	भूखण्ड के समक्ष स्थित मार्ग की चौड़ाई				

अनु. क्र.	नियोजन मापदण्ड	आवेदक के प्रस्ताव	ऊँचे भवन के मापदण्ड भूमि विकास नियम/ विकास योजना 2021	म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984	रिमार्क
	मार्ग की चौड़ाई				
5	भूखण्ड का क्षेत्रफल				
6	भवन की उँचाई				
7	भूखण्ड का अग्रभाग				
8	भू-आच्छादित क्षेत्र (ग्राउण्ड कवरेज)				
9	एफ. ए.आर.				
10	कुल निर्मित क्षेत्र				
11	पार्किंग				
12	फायर ब्रिगेड हेतु भवन के चारों ओर बिना रूकावट का				

	खुले क्षेत्र				
13	एम.ओ.एस.				
	सामने				
	पीछे				
	बाये साईड				
	दाये साईड				

ए. प्रकरण को हाई राईज़ कमेटी की बैठक (नगर निगम सीमा के अन्दर/नगर निगम सीमा के बाहर) दिनांक में प्रश्नाधीन स्थल के स्थल अनुमोदन बाबत् प्रस्तुत किया गया था। बैठक में प्रश्नाधीन स्थल का निम्न शर्तों पर स्थल अनुमोदन किया गया था :-

- 1- -----

2- -----

3- -----

बी. चूँकि प्रशनाधीन स्थल मीटर ऊँचे प्रयोजन

(आवासीय/वाणिज्यिक/.....) के भवनों के नियोजन मापदण्डों की

पूर्ति करता है इस कारण प्रशनाधीन भवन का स्थल किया जाना है

उचित होगा।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम /पता

(आवेदक के आर्किटेक्ट/ इंजिनियर/

प्लानर/सूपरवाइज़र के हस्ताक्षर)

लायसेंसधारी का नाम

स्थान :-

दिनांक :-

नोट :- 1. परीक्षण शीट का प्रत्येक पृष्ठ आवेदक/आवेदक के आर्किटेक्ट

2. यह परीक्षण शीट हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अध्याय – 5

म० प्र० नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973
की धारा 17 अन्तर्गत विकास
योजनाएँ तैयार करने सम्बन्धी परिपत्र/निर्देश

Index

अध्याय 5— म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 17 के अतर्गत विकास योजना तैयार करने संबंधी परिपत्र/निर्देश

अनुक्रमांक	परिपत्र क्रमांक/दिनांक	परिपत्र का विषय/विषयवस्तु	पृष्ठ क्रमांक
1	2	3	4
1	क्र. 6931/वि.यो./106/2000 भोपाल दिनांक 16.08.2000	नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली नगर विकास योजनाओं में वाणिज्यिक विकास हेतु मापदण्ड।	1
2	क्र. एफ-3/137/32/2000 भोपाल दिनांक 19.09.2000	बनायी जाने वाली विकास योजनाओं में परिक्षेत्रिक नियमन म.प्र. भूमी विकास नियम 1984 के अनुसार करने बाबत्।	2-3
3	क्रमांक 8127/9279/2001/32 भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2001	विकास योजना तैयार करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश।	4-5
4	क्रमांक/3399/वि. यो/106/नग्रानि/2005 भोपाल, दिनांक 27.07.05	निवेश क्षेत्र में निहित नदी क्षेत्र के संरक्षण बाबत्।	6

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश

5 बी मंजिल, गंगोत्री भवन, न्यू मार्केट, भोपाल

क्रमांक 6931 / वि.यो. / 106 / 2000

भोपाल दिनांक 16.08 / 2000

प्रति,

समस्त संयुक्त संचालक,
समस्त उप संचालक
समस्त सहायक संचालक
जिला कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश।

विषय:—नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली नगर विकास योजनाओं में वाणिज्यिक विकास हेतु मापदण्ड।

प्रदेश की विभिन्न विकास योजना के पुनर्विलोकन का कार्य संचालनालय द्वारा किया गया तथा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि शहर के मध्य क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक क्षेत्र तथा नगर के विभिन्न स्थलों के वाणिज्यिक केन्द्रों में निर्माण की अधिकता के कारण गतिविधियाँ बहुत बढ़ जाती हैं तथा पार्किंग एव मार्गों की संकीर्णता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। विकास योजना में दर्शाये गये वाणिज्यिक क्षेत्रों का विकास अधोसंरचना का विकास उस स्तर का नहीं हो पता है जिस स्तर के मानक विकास योजना में निर्धारित किये जाते हैं परन्तु इस स्तर के मानक विकास योजना में निर्धारित किये जाते हैं। जो भवन अनुमतियाँ हैं वे विकास योजना में निर्धारित मानकों के अनुसार हो जाती हैं परन्तु इस स्तर का अधोसंरचना विकास नहीं होने के कारण यातायात एवं अन्य समस्याएँ गंभीर रूप ले लेती हैं।

विभिन्न नगरों में विकास योजनाओं में विभिन्न स्तरों के वाणिज्यिक मापदण्ड यू.डी.पी.एफ.आई. की नवीन मार्गदर्शिका में मापदण्ड निर्धारित किये हैं जिनकी प्रति संलग्न है सभी संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में तैयार की जाने वाली नगरों की विकास योजनाओं में वाणिज्यिक विकास हेतु नियमन के अध्ययन में संलग्न मापदण्डों को सम्मिलित किया जाये।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(के.के.सिंह)

संचालक

नगर तथा गाम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल।

मध्य प्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग,

मंत्रालय

// परिपत्र //

भोपाल,दिनांक 19 सितम्बर, 2000

क्रमांक एफ-3/137/32/2000 प्रदेश के विभिन्न नगरों की विकास योजनाओं में विकास कार्यो हेतु परिक्षेत्रिक नियमनों का उल्लेख होता है। यह तथ्य भी सामने आया है कि परिक्षेत्रिक नियमनों में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

अतः एतद द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 73 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया जाता है कि धारा 19 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा जो विकास योजना अनुमोदित की गई है उनमें यदि कोई परिक्षेत्रिक नियमन म.प्र.भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है ऐसी स्थिति में म.प्र.भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधान ही मान्य एवं बन्धनकारी होंगे।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन नगरों की विकास योजनाए बनाई जा रही है तथा जो भविष्य में बनाई जायेगी उसमें परिक्षेत्रिक नियमन म.प्र.भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधान अनुरूप ही हों।

(सत्यानंद मिश्र)

सचिव,

मध्य प्रदेश शासन,

आवास एवं पर्यावरण विभाग,

भोपाल,दिनांक 19 सितम्बर,2000

पू0क्रमांक एफ-3/137/32/2000

प्रतिलिपि :-

1. संचालक म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश,मध्य प्रदेश।
2. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक/नगर तथा ग्राम निवेश,जिला कार्यालय,मध्यप्रदेश।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,वि.क्षे.प्राधिकरण,मध्य प्रदेश।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,विकास प्राधिकरण मध्यप्रदेश।

5. समस्त आयुक्त,नगर पालिक निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी,नगर पालिका परिषद मध्य प्रदेश।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(सत्यानंद मिश्र)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग,

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

क्रमांक 8127 / 9279 / 2001 / 32

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2001

प्रति,

आयुक्त सह- संचालक,

नगर तथा ग्राम निवेश

भोपाल

विषय :- विकास योजना तैयार करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश।

..... 0.....

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अध्याय-4 में निहित प्रावधान अनुसार विकास योजना तैयार की जाती है। यह अधिनियम नगरीय विकास को पर्यावरणीय सिद्धान्तों के अनुरूप नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1973 में लागू किया गया था। तत्पश्चात् भारत सरकार द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित नियम बनाये गये :-

- 1 Chemical Emergency Preparedness & response Rules 1986.
- 2 Guidelines for location of industries, Mining operations etc. for various areas.
- 3 Environmental Impact Assessment of Development Projects Notification 1994
- 4 Hazardous Wasted (Management & Handling) Rules 1989.
- 5 Manufacture, use Import, Export and strage of hazardous Micro-organism.
- 6 Bio- medical waste (Management & Handling) Rules 1989.
- 7 Environment (Sitting for Industrial Project) Rules, 1999 Notification.
- 8 Noise Pollution (Regulation & Control) Rules 2000.
- 9 Municipal solid waste (Management & Handling) Rules 2000.

यह देखने में आया है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1976 के अंतर्गत बनाये गये उक्त नियमों का समावेश नहीं हो पाया है। सैद्धांतिक प्रावधान अनुसार भारत सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियम/नियम समस्त अधिनियमों पर बंधनकारी होते हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत तैयार की जाने वाली विकास योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं उनके अंतर्गत बनाये गये समस्त उपरोक्त नियमों का यथोचित प्रावधान किया जावे।

(एस.एस. राठोर)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल दिनांक 21 दिसम्बर 2001

पृ0क्र. 8128/9270/2001/32

प्रतिलिपि :-

- 1 सचिव मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग मंत्रालय, भोपाल।
- 2 समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, मध्यप्रदेश ।
- 3 सचिव मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
- 4 समस्त ऑचलिक अधिकारी /क्षेत्रीय अधिकारी/सहायक क्षेत्रीय अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,मध्यप्रदेश।

(एस.एस. राठोर)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश
पर्यावरण परिसर ई – 5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक / 3399 / वि.यो / 106 / नग्रानि / 2005
प्रति

भोपाल, दिनांक 27.07.05

संयुक्त संचालक / उप संचालक,
सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय म0प्र0

विषय :- निवेश क्षेत्र में निहित नदी क्षेत्र के संरक्षण बाबत।

प्रदेश के विभिन्न नगरों के निवेश क्षेत्र, नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों में से होकर नदियां प्रवाहित होती हैं। जैसे-जैसे इन नगरों का भौतिक विकास होकर उसके बसाहट क्षेत्र में वृद्धि होती है वैसे ही नदी का केचमेंट एरिया प्रभावित होने के साथ-साथ इसका उपयोग गंदे पानी के ड्रेनेज तथा अन्य अनुषंगिक गतिविधियों के फलस्वरूप न केवल जल ग्रहण क्षेत्र प्रभावित होता है, बल्कि सतत प्रदूषण के साथ ही कुछ वर्षों में नदी का स्वरूप नाले के रूप में परिवर्तित हो जाता है जिसका उदाहरण इन्दौर की खान नदी एवं ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी है।

संचालनालय द्वारा प्रवेश के विभिन्न नगरों की विकास योजनायें तैयार की जाती हैं। इन योजनाओं में स्थूल रूप से उपरोक्त बिन्दु पर रिपोर्ट में दिशा-निर्देश का उल्लेख किया जाता है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जिन नगरों के निवेश क्षेत्र में अभी बसाहट क्षेत्र कम है और नदियों का जल -ग्रहण एवं नदियों का स्वरूप कृषि क्षेत्र एवं नगर आबादी के लिए जीवनदायनी का निर्वहन करती है उसका मूल स्वरूप में बनाये रखना एक समीचीन आवश्यकता है।

अतः उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर नगर के वर्तमान भूमि उपयोग में नदी के कैचमेंट एरिया बाढ़ के समय अधिकतम जल स्तर क्षेत्र दर्शाते हुए फिजीकल फीचर्स की जानकारी विकास योजना अध्याय में दर्शाये जाना सुनिश्चित किया जावे, विकास योजना में तदानुसार संरक्षित क्षेत्र प्रस्तावित किया जावे।

(एस.एन. मिश्रा)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल

अध्याय – 6

म० प्र० नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973

की धारा 17-क अन्तर्गत विकास

योजना प्रारूप पर सुनवाई सम्बन्धी

परिपत्र / निर्देश

Index

अध्याय 6— म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 17—क के अंतर्गत विकास योजना प्रारूप पर सुनवाई संबंधी परिपत्र/निर्देश

अनुक्रमांक	परिपत्र क्रमांक/दिनांक	परिपत्र का विषय/विषयवस्तु	पृष्ठ क्रमांक	
1	2	3	4	
1	क्रमांक/2230 नग्रानि:वि.यो:98 भोपाल 07 अप्रैल 98	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश संशोधन अधिनियम 1996 की धारा -17 (क) (1) के अन्तर्गत समिति का गठन :	1	
2	क्रमांक एफ 3-25/ /99/32 भोपाल दिनांक 30 मार्च 1999	धारा 13 एवं 17-क की शक्तियों योजना समिति को प्रत्यायोजित करने बावत्।	2-3	

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर,ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल

क्रमांक/2230 नग्रानि:वि.यो:98

भोपाल 07 अप्रैल 98

प्रति,

संयुक्त संचालक/ उपसंचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
रायपुर/जबलपुर/इन्दौर/बिलासपुर/रीवा/उज्जैन/ग्वालियर
/सतना/भोपाल संभाग /खण्डवा/सागर

विषय:—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश संशोधन अधिनियम 1996 की धारा -17 (क) (1)
के अन्तर्गत समिति का गठन :

शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम 1996 की धारा -17 (1) के अन्तर्गत समिति की बैठकों में संस्थागत प्रतिनिधियों के भाग लेने पर उन्हें यात्रा किराया, ठहरने एवं वाहन व्यवस्था हेतु क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर सुविधा प्रदान की जावे। इस हेतु आवश्यक राशि का भुगतान निम्न योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित राशि से किया जावे :-

- 1 पुनर्विलोकन -
2621 - विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन सेल की स्थापना
(आयोजना)
- 2 विकास योजना -
2020 नगर तथा ग्राम निवेश (अयोजनेत्तर)

संचालक

नगर तथा निवेश भोपाल, मध्यप्रदेश

पृ. क्र : नग्रानि :वि.यो.:98

भोपाल, दिनांक 07.04./98

प्रतिलिपि :-

सचिव मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल को
सूचनार्थ अग्रेषित।

संचालक

नगर तथा निवेश भोपाल, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 3-25//99/32

भोपाल दिनांक 30 मार्च 1999

अधिसूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 75 की उपधारा (1) सहपठिन मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) की धारा 7 क द्वारा प्रवृत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र 23 सन् 1973) की निम्न धाराओं की शक्तियों कि योजना समिति को प्रत्यायोजित करता है :-

- 1 धारा 13 निवेश क्षेत्रों का गठन करना तथा उनकी सीमायें परिनिश्चित करना।
- 2 धारा 17 (क) विकास योजना हेतु समिति का गठन करना।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल 1999 से प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(एस.के. दुबे)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय भोपाल ।
- 2 प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन, नगरीय प्रशासन विभाग , मंत्रालय भोपाल ।
- 3 प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन, पंचायत विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
- 4 सचिव म0प्र0 शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग , मंत्रालय भोपाल ।
- 5 समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
- 6 संचालक नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल
- 7 समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
- 8 निदेशक शासीकय केन्द्रीय मुदणालय, भोपाल की ओर आगामी राजपत्रमें प्रकाशनार्थ । कृपया प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करावें ।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

अध्याय – 7

म0 प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम

1973 की धारा 18

सम्बन्धी परिपत्र / निर्देश

Index

अध्याय 7— म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 18 के अतर्गत विकास योजना प्रारूप पर सुनवाई संबंधी परिपत्र/निर्देश

अनुक्रमांक	परिपत्र क्रमांक/दिनांक	परिपत्र का विषय/विषयवस्तु	पृष्ठ क्रमांक	
1	2	3	4	
1	क्रमांक/7761/विधि/न.ग्रा.नि/ भोपाल दिनांक 23.12.11	वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र तथा प्रारूप विकास योजना प्रादेशिक योजना के प्रकाशन के दौरान संबंधित क्षेत्र की सभी स्थानीय संस्थाओं को जानकारी भेजने बाबत।	1-2	

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

ई-5 अरेरा कॉलोनी, पर्यावरण परिसर, म0प्र0, भोपाल

क्रमांक / 7761 / विधि / न.ग्रा.नि /

भोपाल दिनांक 23.12.11

प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक,

नगर तथा ग्राम निवेश

जिला कार्यालय (म.प्र.)

विषय:—वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र तथा प्रारूप विकास योजना प्रादेशिक योजना के प्रकाशन के दौरान संबंधित क्षेत्र की सभी स्थानीय संस्थाओं को जानकारी भेजने बाबत ।

संचालनालय के ध्यान में यह बात आई है कि म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत नगरों को वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र का प्रकाशन एवं प्रारूप विकास योजना प्रादेशिक योजना के प्रकाशन की सूचना सिर्फ संभागीय आयुक्त जिला कलेक्टर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा संबंधित स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालयों में उपलब्ध कराई जाती है ।

अतः इस संबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली संबंधित सभी स्थानीय संस्थाओं एवं विकास योजना तथा प्रादेशिक योजना हेतु गठित समिति के पदाधिकारियों को प्रारूप योजना की सूचना दी जाकर प्रावति प्राप्त की जावे ताकि सभी संस्थाओं एवं सदस्यों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके ।

(के.सी गुप्ता)

आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म0प्र0, भोपाल

क्रमांक / 7761 / विधि / न.ग्रा.नि /

भोपाल दिनांक 23.12.11

प्रतिलिपि :-

1 / संयुक्त संचालक (विकास योजना) नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल को सूचनार्थ ।

(के.सी गुप्ता)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0, भोपाल

अध्याय – 8

म0 प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973
की धारा 27 एवं 28 अन्तर्गत शासकीय एवं
अर्ध शासकीय संस्थाओं / प्रधिकरणों /
स्थानीयनिकायों को भूमि के विकास
की अनुज्ञा दिये जाने सम्बन्धी
परिपत्र / निर्देश

Index

अध्याय 8— म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 27 एवं 28 के अन्तर्गत शासकीय एवं अर्ध शासकीय संस्थाओं/प्रधिकरणों /स्थानीय निकायों को भूमि के विकास की अनुज्ञा दिये जाने सम्बन्धी परिपत्र/निर्देश

अनु क्रमांक	परिपत्र क्रमांक/दिनांक	परिपत्र का विषय/विषयवस्तु	पृष्ठ क्रमांक
1	2	3	4
1	क्र./287/मुस/76, दिनांक , भोपाल 16 अप्रैल 1976	आवास एवं पर्यावरण विभाग से परामर्श दिए बिना भवन निर्माण भूमि विकास इत्यादि कार्यों पर रोक।	1-3
2	क्रमांक-12361/विधि/न0ग्रा0नि0/277 भोपाल,दिनांक 07.10.77	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा तथा भूमि विकास की अनुज्ञा प्रदान करने बाबत्।	4-6
3	क्रमांक पर्यावरण/1/8 भोपाल दिनांक 27 मई 1982	शासन तथा विभिन्न अर्द्धशासकीय संस्थाओं द्वारा स्वायत्त शासन संस्थाओं से भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त करना।	7-8
4	क्रमांक/2088/32-1/86 भोपाल, दिनांक 8 मई 1986	अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को विकास अनुज्ञा देने बाबत्।	9
5	क्रमांक 3934/विधि/नग्रानि0/86 भोपाल, दिनांक 05.08.86	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम: 1973 की धारा 27 28 एवं 29 के अन्तर्गत पंजी का संधारण। के अन्तर्गत पंजी का संधारण।	10
6	क्रमांक 99/6472/32-1/86 भोपाल, दिनांक 8.1.87	धारा 19 के अतर्गत स्वीकार्य उपयोग की अनुमति देने बाबत्।	11-12

7	क्रमांक एफ 3-39/32/85 भोपाल,दिनांक 26 अगस्त 87	कमजोर वर्गों के लिये 15 प्रतिशत भूमि सुरक्षित रखने बावत् आदेश।	13	
8	क्रमांक 14449/ प्रनिबो/ तकनीकी /94/वी.मी. भोपाल,दिनांक 19 सितम्बर 1994	शहरी क्षेत्रों में विकसित होने वाली कालोनियों के सीवेज तथा उसके समुचित व्ययन की व्यवस्था बाबत।	14	
9	क्रमांक एफ-3/39/32/85 दि. 2 जुलाई 1997	बाह्य विकास शुल्क नहीं जमा कराये जाने बावत् निर्देश।	15	
10	क्रमांक 6219/न.ग्रानि.:वि.यो. /97 भोपाल,दिनांक 9 सितम्बर 97	विकास/भवन अनुज्ञा आवेदन पत्रों को निर्धारित प्रपत्रों में ही ग्राह्य करने बाबत्।	16-17	
11	क्रमांक 8183/न.ग्रानि.:वि.यो. /97 भोपाल,दिनांक 7 नवंबर 97	निवेश क्षेत्र एवं नगर निगम/नगर पालिका सीमा के मध्य स्थित क्षेत्र पर भवन अनुज्ञा दिये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश।	18	
12	क्रमांक एफ-3/102/32/97 भोपाल,दिनांक 20 जनवरी 1998	संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय एक बार स्वीकृत किये जाने के उपरांत उसमें अतिरिक्त भूखण्डों की स्वीकृति राज्य शासन की अनुमति के बिना नहीं देने 13बावत् आदेश।	19	
13	क्रमांक एफ 3-90/32/98 भोपाल,दिनांक 16 जुलाई 1998	कमजोर वर्गों के लिये 15 प्रतिशत भूमि सुरक्षित रखने बावत् आदेश।	20-21	
14	क्र.एफ-3/137/32/2000 भोपाल दिनांक 19.09.2000	बनायी जाने वाली विकास योजनाओं में परिक्षेत्रिक नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के अनुसार करने बावत्।	22-23	
15	क्रमांक /32/2000 भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2001	शासकीय समितियों /निजी संस्थाओं को दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिये भूमि का आरक्षण।	24	

16	क्रमांक ए-3-112/2001/32, भोपाल दिनांक 29 जनवरी 2002	ईधन भराव केन्द्र ,मिट्टी का तेल व अन्य ज्वलनशील पदार्थों का भण्डार एवं गोदाम इत्यादि गतिविधियों को भी स्वीकार्य गतिविधि के अन्तर्गत मान्य किये जाने बाबत्।	25	
17	क्रमांक/3348/टी. सी/इन्दौर/117/02 भोपाल, दिनांक 19/06/2003	पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु स्थल अनुमोदन बाबत्।	26	
18	क्रमांक/144 /टी. सी/कटनी/230/03/ भोपाल दिनांक 06.01.2004	आवासीय कालोनी में वर्तमान अनुमोदित/निर्मित मांगों को बंद करने को अनुमति न दिए जाने बाबत्।	27	
19	क्रमांक-एफ-3/170/2002/3 2 भोपाल दिनांक 12 मई 2004	पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए रिटेल आऊटलेट की स्थापना हेतु अनामत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में	28-29	
20	क्रमांक-एफ-3-51/2004/ बत्तीस भोपाल दिनांक 31 मई 2004	विकास योजनाओं को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 के अंतर्गत अनुमोदित है, विशेषकर , भोपाल , इन्दौर , जबलपुर एवं ग्वालियर।	30-31	
21	क्रमांक-आर-4410/32/ बत्तीस भोपाल दिनांक 1 जून 2004	आवासीय भू-खण्डों पर वाणिज्यिक उपयोग करने बाबत्।	32	
22	क्रमांक- 3149/2795/2004/32 भोपाल दिनांक 30 जून 2004	विभिन्न नगरों में विकसित किये जाने वाले चौराहों के संबंध में ।	33	
23	क्रमांक 3500/विधि/एम-588/ नग्रानि/04/ भोपाल दिनांक 8.जुलाई.2004	फलाई ऐश के पुर्न उपयोग बाबत् माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में विचाराधीन याचिका क्रमांक 2145/1999 बाबत् पालन प्रतिवेदन ।	34-35	

24	क्रमांक-एफ-12/130/32 /90 भोपाल दिनांक 9 जुलाई 2004	कमजोर वर्गों के लिए 15 प्रतिशत भूमि सुरक्षित रखने बावत् एल.पी.ए. क्र. 329/99 में निर्णय के संबंध में।	36-37	
25	क्रमांक-एफ-12/130/32 /98 भोपाल दिनांक 9 जुलाई 2004	कमजोर वर्गों के लिए 15 प्रतिशत भूमि सुरक्षित रखने बावत् एल.पी.ए. क्र. 329/99 में निर्णय के संबंध में। -शुद्धिपत्र-	38	
26	क्रमांक 4470/टी. सी/सागर/157/04/ भोपाल दिनांक 31.8.2004	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के संबंध में ।	39	
27	4821/टी.सी.पी. /एम/लीगल/8711 23.9.2004	शक्तियों का प्रत्यायोजन बाबत।	40-46	
28	क्रमांक-एफ-12/130/32 /98 भोपाल दिनांक 15 अक्टूबर 2004	कमजोर वर्गों के लिए 15 प्रतिशत भूमि सुरक्षित रखने बावत् एल.पी.ए. क्र. 329/99 में निर्णय के संबंध में।	47-48	
29	क्रमांक 7629 /2004 /32 भोपाल दिनांक 23 दिसम्बर 2004	शासन के पत्र व्यवहार किये जाने बाबत्।	49-50	
30	क्रमांक/650/टी.सी/सरकुलर भोपाल दिनांक 14.02.05	शासन से पत्र व्यवहार किये जाने बाबत्।	51	
31	क्रमांक/1166 नग्रानि/विधि/एम-567/05 भोपाल दिनांक 16.03.05	औद्योगिक क्षेत्र के भूमि विकास के प्रस्ताव को अनुमोदित करने हेतु शक्तियां प्रत्यायोजित करने बाबत्।	52-53	
32	क्रमांक 2330/विधि/एम 460 भोपाल दिनांक 20.05.2005	निवेश क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायतों में निर्माण/विकास कार्यों की स्वीकृति के संबंध में ।	54-55	
33	क्रमांक एफ-3-71/2005/32 भोपाल दिनांक 30 अगस्त 2005	मांगलिक भवन/मेरिज गार्डन हेतु मापदण्ड।	56-57	

34	क्रमांक-एफ-3/75/2005/32 भोपाल दिनांक 12 सितम्बर 2005	रिटेल (आउटलेट) पेट्रोल पम्प स्थापित करने के संबंध में ।	58	
35	क्रमांक-एफ-5-23/2003/32 भोपाल दिनांक 12 अक्टूबर 2005	रिटेल (आउटलेट) पेट्रोल पम्प स्थापित करने के संबंध में ।	59	
36	क्रमांक-एफ-5-23/2003/32 भोपाल दिनांक 14 अक्टूबर 2005	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली इकाईयों की जानकारी बाबत्	60-61	
37	क्रमांक-एफ-3/93/2005/32 26.11.2005	भूखण्डों के संयुक्तीकरण की अनुमति बाबत् ।	62-63	
38	क्रमांक-एफ-3/92/2006/32 5.9.2006	नगरीय क्षेत्रों में जल निकासी की समस्या के निराकरण बाबत् ।	64-65	
39	क्रमांक-एफ-3/93/2005/32 8.7.2007	भूखण्डों के संयुक्तिकरण स्थगित बाबत्	66	
40	4578/विधि/नग्रानि/2007 17.9.2007	म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 14 के उपनियम 1 के प्रावधानांतर्गत जिले में उच्चे भवन की अनुज्ञा देने हेतु स्थल अनुमोदन हेतु शक्ति बाबत्	67-68	
41	क्रमांक 1356/1809/32- भोपाल दिनांक 04.06.2009	आवासीय कालोनियों/परिसरों को विकसित करने मे मूलभूत सुविधाओं एवं आवश्यकताओं का प्रावधान ।	69-70	
42	1798/विधि/नग्रानि/2012 9.4.2012	जिला कार्यालय द्वारा दी जाने वाली अनापत्ति/अभिमत के संबंध में प्रावधान	71-72	

मध्यप्रदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्र./287/मुस/76, दिनांक ,

भोपाल 16 अप्रैल 1976

27 चैत्र 1896

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त सेक्टर
मध्यप्रदेश

विषय :- आवास एवं पर्यावरण विभाग से परामर्श दिए बिना भवन निर्माण भूमि विकास इत्यादि कार्यों पर रोक।

1. यह देखने में आया है कि शासकीय विभाग, शासन द्वारा स्थापित किये गये निगम एवं स्वायत्त शामिल तथा अर्ध-शासकीय संस्थायें आवास एवं पर्यावरण विभाग के परामर्श के बिना भवन निर्माण, भूमि विकास इत्यादि कार्य आरम्भ कर देते हैं। ऐसे मापन शासन के समक्ष आया है जिसमें ऐसी भूमि के घोष-विक्रय के आदेश प्रसारित किये गये हैं, जिसे वास्तव में खुला रखकर नगर का मनोरंजन केन्द्र बनाया जाना चाहिए था।
2. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 27 एवं 28 के अधीन अनिवार्य है कि किसी भी भूमि के विकास के पूर्व आवास एवं पर्यावरण विभाग की अनुमति प्राप्त की जाने के अतिरिक्त हमें यह भी देखना है कि किसी भी नगर में कोई ऐसा निर्माण न हो जिससे आगे चलकर नगर के विकास में बाधा उत्पन्न हो।
3. शासन का यह निर्देश है कि भविष्य में किसी भी विभाग, निगम स्वायत्त शासित अथवा अर्धशासकीय संस्थाओं द्वारा भूमि के विकास, भूमि उपविभाजन, भूमि के वर्तमान उपयोग में तबदीली, भवन निर्माण इत्यादि के पूर्व आवास एवं पर्यावरण की पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारियों की सूची विभाग द्वारा अलग से प्रसारित की जायेगी।

- 4 भविष्य में यदि किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा इन आदेशों का उल्लंघन किया गया तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

हस्ता/—

सुशीलचंद्र वर्मा

मुख्य सचिव

क्रमांक 288/मुस/76

तारीख, भोपाल, 16 अप्रैल 1976

27 चैत्र 1896

प्रलिलिपि :-

- 1/ निर्वधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
सचिव लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर
सचिव राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल
- 2/ राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव
सचिव विभाग सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल
- 3/ अवर सचिव (अधीक्षण)/अवर सचिव (स्थापना/लेखा अधिकारी)
मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल।
- 4/ मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/समस्त राज्य मंत्रीगण/समस्त उपमंत्रीगण के निजी सचिव/निजी सहायक।

हस्ता/

सुशीलचंद्र वर्मा,

मुख्य सचिव

कार्यालय अपर संचालक
नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग, भोपाल

क्रमांक 5 / 76 / न.मा.नि.

भोपाल, दिनांक 76

1. संयुक्त संचालक, संचालक सहायक नगर एवं ग्रा. क्षेत्र नियोजन,
भोपाल / इन्दौर / रायपुर / ग्वालियर / जबलपुर / रीवा / बिलासपुर / दुर्ग / रतलाम /
सागर / कोरवा / जगदलपुर
2. नगर सुधार न्यास / भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर / जबलपुर / उज्जैन / रतलाम /
नीमच
3. आयुक्त नगर निगम, भोपाल / उज्जैन / इन्दौर / ग्वालियर / जबलपुर / रायपुर।

हस्ता / -

अपर संचालक

नगर एवं ग्राम नियोजन

भोपाल म0प्र0

**कार्यालय अपर संचालक
नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र नियोजन, भोपाल**

क्रमांक-12361 / विधि / न0ग्रा0नि0 / 277 भोपाल,

दिनांक 07.10.77

प्रति,

1. अध्यक्ष,
नगर विकास प्राधिकारी / सुधार न्यास,
इन्दौर भोपाल / उज्जैन / रायपुर / जबलपुर / ग्वालियर / रतलाम / नीमच
2. आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
इन्दौर / उज्जैन / भोपाल / रायपुर / जबलपुर / ग्वालियर
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद्

विषय :- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा तथा भूमि विकास की अनुज्ञा प्रदान करने बाबत्।

सन्दर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 6080 / विधि / टी.सी.पी. / दिनांक 02.07.75
(प्रति संलग्न है)

उपरोक्त पत्र के तारतम्य में यह सूचित किया जाता है कि, संलग्न अनुसूची 'अ' में दर्शाए अनुसार प्रकरण नगर एवं ग्रामीण नियोजन कार्यालय नहीं भेजे जावें तथा अनुसूची 'ब' में दर्शाए अनुसार प्रकरणों को संबंधित नगर एवं ग्रामीण नियोजन कार्यालय को कृपया अवश्य भेजे जाने चाहिए।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

**अपर संचालक
नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र नियोजन
म0प्र0 भोपाल**

अनुसूची 'अ'

निम्नलिखित प्रकरण जो नगर एवं ग्रामीण नियोजन कार्यालय को नहीं भेजे जाने चाहिए :-

- 1 शीर्ष "योजना का कार्यान्वयन एवं प्रभावीकरण" अध्याय के परिक्षेत्रिक नियमन के अन्तर्गत स्वीकार्य एवं स्वीकृत उपयोग की सारणी के कालम 2 से संबंधित प्रकरण।
- 2 वर्तमान निर्मित क्षेत्र में पुराने निर्माण को तोड़कर पुर्ननिर्माण के प्रकरण – बशर्ते कि वर्तमान भूमि उपयोग में परिवर्तन नहीं हो रहा है।
- 3 विकास योजना के अनुसार दर्शाई गई वाणिज्यिक एवं बाजार मार्ग पर बनाई जाने वाली वाणिज्यिक एवं आवासिय भवन।
4. निर्मित क्षेत्र में आवासीय उद्देश्य हेतु 0.25 हेक्टर्स तक के खुली भूमि का उपविभाजन के प्रकरण बशर्ते कि वह भूखण्ड मार्ग या निर्माण से घिरा हो।

अनुसूची 'ब'

निम्नलिखित प्रकरण नगर एवं ग्रामीण नियोजन कार्यालय को भेजे जाने चाहिए:-

- 1 समूह भवन निर्माण तथा सभी तरह के भूमि उपयोगों के अभिन्यास के प्रकरण तथा समूह भवनों के निर्माण की अनुमति प्रदान करने के प्रकरण ।
- 2 भू-उपयोगों में परिवर्तन के प्रकरण ।
- 3 दुकानों, औद्योगिक सिनेमा, पेट्रोल पम्प होटल्स, उद्योग तथा वेयर हाउसेस एवं सार्वजनिक तथा अर्ध सार्वजनिक निर्माण के प्रकरण ।
- 4 चार मंजिलो से अधिक के भवन निर्माण (भूतल + 3)
- 5 विकास योजना में प्रस्तावित मार्गों का क्रासिंग एवं उन मार्गों के क्रासिंग जो स्थानिय विकास से सलाह लेकर, संयुक्त संचालक/उप संचालक द्वारा उल्लेखित किये गये हो ।

**मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग**

क्रमांक पर्यावरण/1/8

भोपाल दिनांक 27 मई 1982

पर्यावरण स्थाई परिपत्र

विषय : शासन तथा विभिन्न अर्द्धशासकीय संस्थाओं द्वारा स्वायत्त शासन संस्थाओं से भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त करना।

यह देखने में आया है कि केन्द्रीय तथा राज्य शासन के विभिन्न विभाग तथा अर्द्धशासकीय संस्थाएँ जैसे गृह निर्माण मण्डल विकास प्राधिकरण, विद्युत मण्डल इत्यादि अपने भवन निर्माण करने के पूर्व स्वायत्त शासन संस्थाओं से अनुमति प्राप्त नहीं करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कई बार अनियोजित ढंग से निर्माण कार्य हो जाते हैं, यहां तक कि मार्ग सीमा के अन्दर या बिना पर्याप्त बैक दिये निर्माण हो जाते हैं। निर्माण होने के पश्चात् शासन के समक्ष एक कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है।

मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 293 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिक अधिनियम 1961 की धारा 187 के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा राज्य शासन के विभिन्न विभागों तथा समस्त शासकीय तथा अर्द्धशासकीय संस्थाओं द्वारा भवन निर्माण करने के पूर्व स्वायत्त शासन संस्थाओं से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। भवन निर्माण के नियम नगर तथा ग्राम विभाग के परामर्श से बनाए गए हैं तथा नगर नियोजन के मूल ग्रामीण नियोजन विभाग के प्रतिनिधि पर लिये गये अधिकारी ही भवन निर्माण के प्रकरण का परीक्षण कर अनुमति देते हैं। निर्माण स्वीकृति न प्राप्त होने के कारण स्वायत्त शासन संस्थाओं की निर्माण शुल्क की हानि भी हो रही है।

उपरोक्त स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बिना अनुमति प्राप्त किये अगर भवन निर्माण किया जाते हैं तो स्थानीय संस्था द्वारा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा अनियमित निर्माण कार्य तुड़वाने की कार्यवाही की जावेगी। यह वैधानिक स्थिति समस्त शासकीय विभागों एवं संस्थाओं को ध्यान में लाई जाती है तथा उनसे निवेदन

है कि अपने अधिकारियों से आग्रह कर दें कि अगर बिना अनुमति के निर्माण किया जाता है तो वह उस अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

नगर निगमों तथा नगर पालिकाओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे स्वयं कोई भी योजना लेने के पूर्व नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग के स्थानीय अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करें। महत्वपूर्ण प्रकरणों में सहमति देने के पूर्व अपर संचालक नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग से भी अनुमति प्राप्त की जावे।

हस्ता./—

(संतोष कुमार वर्मा)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

क्रमांक / 2088 / 32-1 / 86
प्रति,

भोपाल, दिनांक 8 मई 1986

संचालक,
नगर एवं ग्रामीण नियोजन
भोपाल।

विषय:-अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को विकास अनुज्ञा देने बाबत।

संदर्भ :- आपका अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 266 / सी0टी0सी0 / स्टेनो / भोपाल दिनांक 1 मई 1986

आदेशानुसार सूचित किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन विशेष रूप से गठित किये गये कोई प्राधिकारी किसी भूमि का उस प्राधिकारी के प्रयोजन के लिए विकास करने का आशय रखता हो वहां धारा 27 के अधीन लागू होने वाली प्रक्रिया यथा आवश्यक परिवर्तन सहित ऐसे प्राधिकारी के बारे में लागू होगी तथा उसको मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा के अन्तर्गत संचालक से विकास अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक है।

(जी.व्ही. उपाध्याय)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल, दिनांक 8 मई 1986

पृ0क्रमांक / 2089 / 32-2 / 86

प्रतिलिपि :-

- 1 समस्त संयुक्त संचालक /
- 2 समस्त उप संचालक /
- 3 समस्त सहायक संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग, म0प्र0।
- 4 समस्त विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण , म0प्र0।

(जी.व्ही. उपाध्याय)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय नगर एवं ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर,ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल

क्रमांक 3934 / विधि / नग्रानि0 / 86

भोपाल, दिनांक 05.08.86

प्रति,

समस्त अपर संचालक,
समस्त संयुक्त संचालक,
समस्त उप संचालक,
क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालय,

विषय :- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम: 1973 की धारा 27 28 एवं 29
के अन्तर्गत पंजी का संधारण।

संदर्भ :- इस संचालनालय का परिपत्र क्रमां 9710 / नग्रानि / दिनांक 23.08.86

//

उपरोक्त परिपत्र द्वारा एक पंजी निर्धारित की गई है तथा इस संचालनालय के परिपत्र 10522 / नग्रानि / विधि / दिनांक 23.08.84 द्वारा अभिन्यास स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के निपटारे की प्रक्रिया के बारे में निर्देश दिये गये हैं ताकि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (5) में निर्धारित समय अवधि के अन्दर आवेदनों का निपटारा किया जा सके।

कृपया यह प्रमाणित करें कि परिपत्रों में दिए गये निर्देशों का पालन किया जा रहा है। इस संबंध में आप अपना प्रतिवेदन इस संचालनालय को दिनांक 20.08.86 तक आवश्यक रूप से भेजने की व्यवस्था करें। अपने प्रतिवेदन के साथ निम्नलिखित जानकारी भी आवश्यक रूप से भेजें :-

- 1 31.07.86 को कितने प्रकरण लंबित थे जो 60 दिनों से अधिक अवधि के थे।
- 2 पंजी की प्रति।
- 3 अंत में यह प्रमाण पत्र दें कि और कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0 भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

क्रमांक 99/6472/32-1/86

भोपाल, दिनांक 8.1.87

अधिसूचना

राज्य शासन ने जिन विकास योजनाओं को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 के अन्तर्गत अंतिम रूप से अनुमोदित कर दिया है उन विकास योजनाओं के अंतिम अध्याय में स्वीकार्य उपयोग की अनुमति देने के लिए संयुक्त नगर एवं ग्रामीण नियोजन एवं उप संचालक नगर एवं ग्रामीण नियोजन को उनके क्षेत्राधिकार के लिए अधिकृत किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता./

(आर.सी.जैन)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर,ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल

क्रमांक /विधि/87/471

भोपाल, दिनांक 24/1/1987

प्रतिलिपि :-

- 1 अपर संचालक (न) एवं (ब), नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
- 2 संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश..... को सूचनार्थ।

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0 भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
आदेश

भोपाल,दिनांक 26 अगस्त 87

क्रमांक एफ 3-39/32/85 राज्य शासन द्वारा घोषित आवास नीति जोकि संकल्प क्रमांक 3380/1652/32-1/81 दिनांक 30 अक्टूबर 1981 के द्वारा घोषित की गई थी, के अनुसार विभिन्न कालोनियों में घरेलू नौकरों/इनफारमल सेक्टर वर्ग के लोगों के लिये भूखण्ड सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान था। मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 73 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आवास वर्ष में राज्य शासन के द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि 1.00 एकड़ अथवा 1.00 एकड़ से अधिक के ऐसे भूखंडों जिनमें कालोनिया आवास समूह विकसित करना प्रस्तावित हो,ऐसे वर्गों के लिये कम से कम 15 प्रतिशत अविकसित भूमि सुरक्षित रखी जावेगी।

2. यह सुरक्षित भूमि गंदी बस्ती निर्मूलन मंडल या शासन द्वारा निर्देशित संस्था को दी जावेगी जो इस भूमि के क्रय की वास्तविक लागत के बराबर राशि भूमि के मालिक संस्था को देगा।
3. राज्य में सभी अभिन्यास उक्त प्रावधान करने के बाद ही स्वीकृत किया जायेगा।

(आर.सी.जैन)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग,

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग,

भोपाल,दिनांक 2 जुलाई,1997

// आदेश //

क्रमांक एफ-3 /39/32/85,राज्य शासन द्वारा बाह्य विकास शुल्क के संबंध में प्रसारित इस विभाग के आदेश क्रमांक 2681/1677/32 दिनांक 6.7.78 एवं आदेश क्रमांक एफ-3/39/32/95 दिनांक 28.11.85 को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है। आगामी आदेश तक किसी भी आवासीय अभिन्यास में विकास अनुज्ञा संबंधी स्वीकृति के समय विकास शुल्क की राशि जमा न करवाई जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(रेखा शर्मा)

उप सचिव

म.प्र.शासन,आवास एवं पर्यावरण विभाग,

पृ0क0 एफ-3/39/32/85

भोपाल,दिनांक 2 जुलाई 1997

प्रतिलिपि:-

1. संचालक नगर तथा ग्राम निवेश,भोपाल।
2. समस्त संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश,मध्यप्रदेश-----
3. समस्त उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र.-----
4. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी,विकास प्राधिकरण,म.प्र.-----
5. समस्त आयुक्त नगर निगम म.प्र.-----
6. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,म.प्र.-----
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण म.प्र.-----की
ओर सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(रेखा शर्मा)

उप सचिव

म.प्र.शासन,आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर,ई-5 सेक्टर,
अरेरा,कालोनी भोपाल

क्रमांक 14449/प्रनिबो/तकनीकी/94/वी.मी.

भोपाल,दिनांक 19 सितम्बर 1994

प्रति,

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश,

पर्यावरण परिसर,ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल

विषय:—शहरी क्षेत्रों में विकसित होने वाली कालोनियों के सीवेज तथा उसके समुचित
व्ययन की व्यवस्था बाबत।

—0—

प्रदेश के लगभग सभी बड़े नगरों में तीव्र गति से सहकारी गृह निर्माण समितियों द्वारा कालोनियों का निर्माण किया जा रहा है। आप अवगत ही हार्गे की घरेलू स्त्रोतों से उत्पन्न होने वाले दूषित जल शहरी प्रदूषण का एक बड़ा स्त्रोत है तथा यह शहरी प्राकृति जल स्त्रोतों को प्रदूषित करता है। इसका मुख्य कारण यह है कि अनेक शहरों में सीवरेज तथा घरेलू दूषित जल के उपचार की व्यवस्था नहीं है। नई विकसित होने वाली कालोनियों में भी उचित सिवरेज नहीं है। जिस कारण घरेलू दूषित जल नालियों के माध्यम से प्राकृतिक जल स्त्रोतों तक पहुचता है,तथा अस्वास्थ्यप्रद वातावरण निर्मित करता है। अतः यह अपेक्षा है कि सभी निर्माणधीन कालोनियों में सीवरेज की व्यवस्था ठीक से हो,इस हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री सही मापदण्डों के अनुरूप हो,साथ ही यह भी आवश्यक है कि दूषित जल के उपचार की पर्याप्त एवं उचित व्यवस्था कालोनाइजर्स द्वारा की जावे। कालोनाइजर्स द्वारा जो सेप्टिक टैंक बनाये जाते है वह या तो कम क्षमता के होते है। या भली भांति डिजाइन नहीं किये जाते है एवं उनसे ओवरफलो जल स्त्रोतों को प्रदूषित करता है सोकपिट्स नहीं बनाये जाते है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस दिशा में आपका विभाग जिन नई कालोनियों को विकसित किये जाने की अनुमति देता है, उस पर विशेष ध्यान दें,ताकि इस प्रकार की जल-मल की समस्या से भली-भांति निपटा जा सके।

हस्ता/—

(पी.के. बनर्जी)

सदस्य सचिव,

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश,भोपाल

क्रमांक 6219/न.ग्रानि.:वि.यो./97
प्रति,

भोपाल,दिनांक 9 सितम्बर 97

समस्त संयुक्त संचालक,
समस्त उप संचालक,
समस्त सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश----- ।

विषय:-विकास/भवन अनुज्ञा आवेदन पत्रों को निर्धारित प्रपत्रों में ही ग्राह्य करने
बाबत् ।

-0-

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश नगरो तथा ग्राम निवेश अधिनियम,1973 एवं म.प्र.भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानान्तर्गत उनके क्षेत्राधीकार में आने वाले क्षेत्रों के लिए उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुरूप, विकास/भवन अनुज्ञा जारी की जाती है ।

यह देखने में आया है कि कतिपय क्षेत्रीय /उप क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उल्लेखित अधिनियम 1973 एवं नियम 1984 में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र ग्राह्य न करते हुए सादे कागज पर अथवा अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार किये जाकर प्रकरणों का निराकरण किया जाता है अथवा अभिमत दिया जाता है जिसके कारण कुछ प्रकरणों में वैधानिक विसंगति उत्पन्न होकर विषय स्थिति परिलक्षित हुई है ।

अतःभविष्य में अंतरविभागीय अभिमत के प्रकरणों के अलावा अन्य प्रकरणों में विकास/भवन अनुज्ञा संबंधी आवेदन पत्र को,अधिनियम 1973 अथवा नियम, 1984 (जैसी भी दशा हो) के निर्धारित प्रपत्र में समस्त आवश्यक सहपत्रों/मानचित्रों सहित ही ग्राह्य किये जावे तथा उक्त के सुनिश्चित होने के उपरांत ही नियमानुसार कार्यवाही प्रारंभ की जावे । यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन नगरों में म.प्र.भूमि विकास नियम 1984 लागू है उन नगरों के लिये प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ जमा कराए जाने वाले शुल्क की राशि म.प्र.भूमि विकास नियम, 1984 में निर्धारित अनुरूप ही रहेगी ।

विकास अनुज्ञा (अभिन्यास)/भवन अनुज्ञा के प्रकरणों में अनुमोदित किये गये मानचित्र की ट्रेसिंग क्लॉथ की प्रति कार्यालय में सुरक्षित रखी जावे, ताकि शासन की नीति अनुसार सूचना के अधिकार की व्यवस्था भी संभव हो सके।

(के. के. सिंह)
संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल म.प्र.

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश,भोपाल

—:शुद्धि पत्र :-

क्रमांक 8183 / न.ग्रानि.:वि.यो. / 97
प्रति,

भोपाल,दिनांक 7 नवंबर 97

समस्त अपर संचालक,
समस्त संयुक्त संचालक,
समस्त उप संचालक,
समस्त सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश----- ।

विषय:—निवेश क्षेत्र एवं नगर निगम / नगर पालिका सीमा के मध्य स्थित क्षेत्र पर भवन
अनुज्ञा दिये जाने के संबंध में दिशा—निर्देश ।

संदर्भ:—इस संचालनालय का परिपत्र क्रमांक 200 / न.ग्रानि. / वि.यो. / 97 भोपाल,
दिनांक 08.01.97

—0—

संदर्भित परिपत्र के संबंध में निम्नानुसार शुद्धिपत्र अनुरूप संशोधन किया जाता है:—

- (1) परिपत्र की कंडिका (ब) विलोपित की जाती है।
- (2) परिपत्र की कंडिका (स) की प्रथम लाईन में उल्लेखित उपरोक्त कंडिका
“ब” में वर्णित क्षेत्र को छोड़कर विलोपित किया जाता है।

(के. के. सिंह)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल म.प्र.

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 1998

// आदेश //

क्रमांक एफ-3/102/32/97 विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ-3/29/85/32 दिनांक 2.6.92 द्वारा अतिरिक्त भूखण्डों की स्वीकृति के संबंध में यह निर्देश जारी किये गये हैं कि विभाग के अंतर्गत आने वाली विभिन्न संस्थाओं की योजना का अभिन्यास संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय एक बार स्वीकृत किये जाने के उपरांत उसमें अतिरिक्त भूखण्डों की स्वीकृति राज्य शासन की अनुमति के बिना नहीं दी जावेगी।

राज्य शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3-39/85/32 दिनांक 2.6.92 अनुसार विभाग के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं की योजनाओं के अलावा अन्य किसी योजना का भी अभिन्यास संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित करने के उपरांत उसमें शासन की अनुमति के बिना अतिरिक्त भूखण्डों की स्वीकृति नहीं दी जावेगी। परन्तु संचालक ऐसे प्रकरण अपनी अनुशंसा के साथ शासन को भेजेगा।

(सत्यानंद मिश्र)

सचिव,

मध्य प्रदेश शासन,

आवास एवं पर्यावरण विभाग,

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

पृ.क्रमांक 864 :न.ग्रा.नि:टीसी: :97

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 1998

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर संचालक/संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश
- 2- समस्त संयुक्त संचालक, उप संचालक सहायक संचालक, क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप संचालक "तकनीकी"

नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल, म.प्र.

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई, 1998

क्रमांक एफ-3/90/32/98, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3/39/32/85, दिनांक 26 अगस्त, 1987, एवं दिनांक 8 अप्रैल 1996 जो कि आवासीय कालोनियों में 15 प्रतिशत भूमि कमजोर आय वर्ग के लोगों हेतु आरक्षित भूमि के संबंध में है। आदेश दिनांक 26 अगस्त, 1987 की कण्डिका 2 के प्रयोजनों के लिये उल्लेखित संस्थाओं का नाम निर्देशित किया गया है। राज्य शासन के निर्णय अनुसार आदेश क्रमांक एफ-3/38/85/32 भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 1996 में उल्लेखित संस्थाओं के नाम के साथ मध्य प्रदेश आवास संघ का नाम भी जोड़ा जाता है।

अब प्रत्येक भूखण्ड के लिये उपयुक्त संस्था का चयन जो भी संभागीय मुख्यालयों पर संभागीय आयुक्त एवं अन्य नगरों में जिला कलेक्टर करते हैं वे मध्य प्रदेश आवास संघ के नाम पर भी विचार कर निर्णय लेंगे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(जी० व्ही० उपाध्याय)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
भोपाल, दिनांक 16 जुलाई, 1998

पृ० क्रमांक एफ-3/90/32/98

प्रतिलिपि:—

1. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन स्थानीय शासन विभाग तथा नगरीय कल्याण विभाग भोपाल।
2. सचिव म.प्र.शासन राजस्व विभाग, भोपाल
3. समस्त कमिश्नर, संभाग-----।
4. समस्त कलेक्टर, जिला-----।
5. संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल
6. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश-----म.प्र.
7. समस्त विकास प्राधिकरण-----म.प्र.

8. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण-----म.प्र.
9. आयुक्त म.प्र.गंदी बस्ती निर्मूलन मण्डल भोपाल
10. अध्यक्ष,मध्यप्रदेश आवास संघ टी.टी.नगर भोपाल ।

(जी० व्ही० उपाध्याय)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग,

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय
// परिपत्र //

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर, 2000

क्रमांक एफ-3/137/32/2000 प्रदेश के विभिन्न नगरों की विकास योजनाओं में विकास कार्यो हेतु परिक्षेत्रिक नियमनों का उल्लेख होता है। यह तथ्य भी सामने आया है कि परिक्षेत्रिक नियमनों में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

अतः एतद द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 73 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया जाता है कि धारा 19 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा जो विकास योजना अनुमोदित की गई है उनमें यदि कोई परिक्षेत्रिक नियमन म.प्र.भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है ऐसी स्थिति में म.प्र.भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधान ही मान्य एवं बन्धनकारी होंगे।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन नगरों की विकास योजनाए बनाई जा रही है तथा जो भविष्य में बनाई जायेगी उसमें परिक्षेत्रिक नियमन म.प्र.भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधान अनुरूप ही हों।

(सत्यानंद मिश्र)

सचिव,

मध्य प्रदेश शासन,

आवास एवं पर्यावरण विभाग,

पू0क्रमांक एफ-3/137/32/2000

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर, 2000

प्रतिलिपि :-

1. संचालक म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश।
2. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक/नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, मध्यप्रदेश।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वि.क्षे.प्राधिकरण, मध्य प्रदेश।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण मध्यप्रदेश।

5. समस्त आयुक्त,नगर पालिक निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी,नगर पालिका परिषद मध्य प्रदेश।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(सत्यानंद मिश्र)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग,

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
“परिपत्र”

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2001

क्रमांक /32/2000:—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के आदेश क्र. एफ-16-156/97 /7/स-2 बी, भोपाल, दिनांक 17.08.96 द्वारा दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् के मापदण्डों के अधीन शासकीय समितियों एवं वित्तीय संस्थाओं को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है जिसके अनुसार शासकीय समितियों /निजी संस्थाओं को दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिये क्रमशः 5.00 एकड़ तथा एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए 25.00 एकड़ भूमि निः शुल्क प्रदान किये जाने के प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न नगरों की प्रभावशील विकास योजनाओं में दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय हेतु पृथक से आवश्यक भूमि के मापदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया एवं राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार ही भूमि के क्षेत्रफल को माना जावे तथा इस संबंध में एफ. ए.आर. एवं आच्छादित क्षेत्र का निर्धारण महाविद्यालय के लिये प्रावधित नियोजन मानको के अनुरूप ही रखा जावे।

(एस.एस. राठौर)

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ. क्र /32/2000

भोपाल दिनांक 20 दिसम्बर 2001

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग / चिकित्सा शिक्षा / राजस्व विभाग, भोपाल।
- 2 आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
- 3 समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
- 4 समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला, म0प्र0।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक ए-3-112/2001/32,
प्रति,

भोपाल दिनांक 29 जनवरी 2002

आयुक्त सह संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल।

विषय:-कृषि भूमि उपयोग के अन्तर्गत स्वीकार्य उपयोग के संबंध में।

मध्यप्रदेश के विभिन्न नगरों में प्रभावित विकास योजनाओं में कृषि भूमि उपयोग के अन्तर्गत स्वीकार्य उपयोगों में एकरूपता रखने तथा ज्वलनशील पदार्थों के भण्डारण को नगर की धनी आबादी से दूर रखे जाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 73 (1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेशित है कि प्रदेश की समस्त विकास योजनाओं में वर्तमान प्रावधानों के अतिरिक्त कृषि भूमि के अन्तर्गत शीतगृह, गैर गोडाउन एल.पी.जी. (ईंधन भराव केन्द्र, मिट्टी का तेल व अन्य ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण एवं गोदाम इत्यादि गतिविधियों को भी स्वीकार्य गतिविधि के अन्तर्गत मान्य किया जावे। किन्तु उक्त वर्णित गतिविधियों को कृषि उपयोग अंतर्गत मान्य करने के पूर्व समक्ष प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि मान्य की जाने वाली गतिविधि से किसी प्रकार का पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न न हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(एस.एस.राठौर)
उप सचिव

म0प्र0शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ0क्रमांक-एफ-3-112/2001/32,
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी, 2002

समस्त सयुक्त संचालक/उप संचालक/ सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम
निवेश जिला कार्यालय, मध्यप्रदेश

उपसचिव

म0प्र0शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक / 3348 / टी.सी / इन्दौर / 117 / 02 / भोपाल, दिनांक 19 / 06 / 2003

प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश समस्त
जिला कार्यालय (म0प्र0)

विषय:-पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु स्थल अनुमोदन बाबत् ।

विषयान्तर्गत लेख है कि पेट्रोल पंप की स्थापना की अनुमति दिये जाने अथवा स्थल अनुमोदन बाबत् । निर्देशित किया जाता है कि विषयांकित प्रकरण के प्रकरणों में म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 53 (3) (सीमा) में उल्लेखित प्रावधानों एवं संबंधित विकास योजना में निर्धारित मापदण्डों का पालन कर के ही नियोजन की अनुमति या अनापत्ति दी जावे ।

डी.पी.तिवारी

आयुक्त सह- संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 भोपाल

क्रमांक / 3349 / टी.सी. / इन्दौर / 117 / 02 / भोपाल, दिनांक 19 / 6 / 2003

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ, प्रेषित ।

डी.पी.तिवारी

आयुक्त सह- संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 ,भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर-ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक / 144 / टी.सी / कटनी / 230 / 03 /
प्रति,

भोपाल दिनांक 06.01.2004

संयुक्त संचालक / उपसंचालक / सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय समस्त..... ।

विषय:-आवासीय कालोनी में वर्तमान अनुमोदित / निर्मित मार्गों को बंद करने को अनुमति
न दिए जाने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जबलपुर कार्यालय द्वारा आवासीय कालोनी के
अनुमोदित एवं निर्मित मार्गों को बंद करने की अनुमति दी गई थी ।

अतः किसी भी दशा में अनुमोदित / निर्मित मार्गों को बंद करने की अनुमति
कदापि न दी जाये ।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश- भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)
आदेश

भोपाल दिनांक 12 मई 2004

क्रमांक-एफ-3/170/2002/32 :- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12.11.2003 द्वारा पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स के लिए रिटेल आऊटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में संबंधित जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। राज्य शासन उक्त आदेश के निम्नलिखित पैरा-3 को एतद् द्वारा विलोपित करता है:-

“ कलेक्टर संबंधित संस्था को आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् इस शर्त के साथ निर्माण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दे सकेगा कि यदि आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है तो जो निर्माण कार्य संबंधित संस्था द्वारा किया गया है वह निष्प्रभावी माना जावेगा और उसकी पूर्ण जवाबदारी संबंधित संस्था की होगी ”

2. शेष कण्डिकाए यथावत रहेगी ।
3. इसका अभिप्राय यह है कि अब पूर्व की कंडिका 3 अनुसार सर्शत स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी ।
4. इस संशोधन का बिना अपवाद पालन किया जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता-
(बी.एन.त्रिपाठी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

क्रमांक-एफ-3/170/2002/32
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक 12 मई 2004

1. प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग/गृह(पुलिस),
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग /लोक निर्माण/ऊर्जा विभाग मध्यप्रदेश
मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त सह संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश , भोपाल
3. समस्त कलेक्टर , मध्यप्रदेश ।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्य प्रदेश।
5. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश ,
जिला कार्यालय, मध्य प्रदेश।
6. समस्त आयुक्त , नगर पालिका निगम, मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य कार्यापलन अधिकारी नगर पालिका परिषद्, मध्यप्रदेश।

हस्ता/-
(बी.एन.त्रिपाठी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

भोपाल दिनांक 31 मई 2004

// आदेश //

क्रमांक-एफ-3-51/2004/बत्तीस :- इस विभाग के आदेश क्रमांक 7117/7288/2002, 32 दिनांक 31.12.2002 द्वारा यह निर्देश जारी किये गये थे कि नगरों की विकास योजनाओं को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 के अंतर्गत अनुमोदित है, विशेषकर , भोपाल , इन्दौर , जबलपुर एवं ग्वालियर महत्वपूर्ण शहर होने से प्रभावशील विकास योजना के अंतर्गत स्वीकार्य उपयोग पर युक्तियुक्त प्रतिबंध आवश्यक है अतएव उक्त शहरों की स्वीकृत विकास योजना में स्वीकार्य उपयोग की पूर्व सहमति लिया जाना अनिवार्य होगा । शेष शहरों के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-3-136/99/32, दिनांक 15.3.2000 पूर्ववत लागू रहेगी ।

2. राज्य शासन द्वारा आदेश क्रमांक-7117/7288/02/32, दिनांक 31.12.2002 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है, तथा आदेश क्रमांक-एफ-3-136/99/बत्तीस, दिनांक 15.3.2000 पूर्ववत लागू रहेगा ।

(बी.एन.त्रिपाठी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल दिनांक 31 मई 2004

पृ.क्रमांक-एफ /2004/बत्तीस
प्रतिलिपि-

1. आयुक्त सह संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल ।
2. समस्त संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्या.----- ।
3. उप संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्या.----- ।

4. सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्या.----- ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अगंषित ।

(बी.एन.त्रिपाठी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक-आर-4410/32/बत्तीस
प्रति,

भोपाल दिनांक 1 जून 2004

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकरण
इन्दौर मध्यप्रदेश।

विषय:-आवासीय भू-खण्डों पर वाणिज्यिक उपयोग करने बाबत।

संदर्भ:-आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 5068/4410/2000/32
भोपाल दिनांक 19 जूलाई 2000

-0-

राज्य शासन द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से यह आदेश दिये गये थे कि विकास प्राधिकरण की योजनाओं में आवासीय प्रयोजन हेतु जिन भू-खण्डों का आवंटन किया गया था उनका उपयोग यदि पूर्ण या आंशिक रूप से वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है तो ऐसे भू-खण्डों के आवंटियों से वाणिज्यिक प्रयोजन में उपयोग किये जा रहे क्षेत्रफल का अतिरिक्त प्रब्याजी एवं भू भाटक वाणिज्यिक दर पर वसूल किया जायें इस परिपत्र का आशय यह नहीं था कि अतिरिक्त प्रब्याजी एवं भू भाटक देकर अभिन्यास से स्वीकृत आवासीय क्षेत्रों को वाणिज्यिक प्रयोजन में परिवर्तित किया जा सकता है।

शासन के समक्ष यह जानकार लाई गई है कि इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा कई प्रकरणों में उपरोक्त शासकीय परिपत्र का हवाला देते हुए आवासीय भू-खण्डों पर वाणिज्यिक गतिविधि की अनुमति दी जा रही है। यह सर्वथा उपरोक्त परिपत्र में निहित आदेश के विपरीत है तथा नियम विरुद्ध, भी। अधिनियम के प्रावधानों एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एक बार अनुमोदित एवं विकसित कॉलोनी के अभिन्यास में कालांतर में किसी भी तरह का परिवर्तन स्वीकार नहीं है।

अतः किसी भी स्थिति में स्वीकृत अभिन्यासों में अतिरिक्त प्रब्याजी एवं भूभाटक लेकर भू-खण्डों का उपयोग परिवर्तन न करें।

(सत्यानंद मिश्रा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक— 3149 / 2795 / 2004 / 32

भोपाल दिनांक 30 जून 2004

प्रति,

1. आयुक्त नगर निगम ,
नगर निगम नगर पालिक, मध्यप्रदेश
2. मुख्य कार्यापालन अधिकारी ,
समस्त विकास प्राधिकरण / विशेष
क्षेत्र विकास प्राधिकरण म.प्र.

विषय:—विभिन्न नगरों में विकसित किये जाने वाले चौराहों के संबंध में ।

—0—

उपरोक्त विषय के संबंध में विभिन्न नगरों के चौराहों का विकास तथा सौन्दर्यीकरण के अंतर्गत यातायात से संबंधित तकनीकी कार्यों का नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से अनुमोदन के उपरांत ही क्रियान्वयन किया जावे ।

हस्ता /—

(बी.एन.त्रिपाठी)

उप सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

क्रमांक— 3159 / 2975 / 2004 / 32

भोपाल दिनांक 30 जून 2004

प्रतिलिपि—

आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के पत्र क्रमांक 2633 / टी.सी.
/ समीक्षा / बैठक / 04, दिनांक 01.6.2004 के संदर्भ में अग्रेषित ।

हस्ता /—

(बी.एन.त्रिपाठी)

उप सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
ई-5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर,म.प्र.भोपाल

क्रमांक 3500 / विधि / एम-588 / नग्रानि / 04 /

भोपाल दिनांक 8.जुलाई.2004

प्रति,

1. संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय भोपाल ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
विकास प्राधिकरण-----
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण-----

विषय:-फ्लाई ऐश के पुर्न उपयोग बाबत् माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में विचाराधीन
याचिका क्रमांक 2145 / 1999 बाबत् पालन प्रतिवेदन ।

-0-

उपरोक्त विषय में सूचित किया जाता है कि, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित
समिति की बैठक दिनांक 26.4.2004 में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

“प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण द्वारा अवगत कराया गया कि नोटिफिकेशन की
मंशा अनुसार ताप विद्युत गृह के 100. कि.मी के क्षेत्र में फ्लाई ऐश से निर्मित इंटों का
उपयोग सुनिश्चित करने हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने वाले विभाग नगर पालिक,
विकास प्राधिकरण, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा अन्य स्थानीय संस्थायें निर्माण की
अनुमति देते समय उक्त शर्त का उल्लेख करें एवं पालन सुनिश्चित कराये। कृपया निर्णय
को लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

हस्ता / -

(एस.एन.मिश्रा)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक /विधि/एम-588/नग्रानि/04/

भोपाल दिनांक 8.जुलाई.2004

प्रतिलिपि-

अध्यक्ष , प्रदूषण निवारण मण्डल एवं सदस्य संयोजक , म.प्र प्रदूषण नियंत्रण मण्डल पर्यावरण परिसर , भोपाल की ओर उनके पत्र क्र 11260/तक/प्रनियों/2004 दिनांक 5.7.2004 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

हस्ता/-

(एस.एन.मिश्रा)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक—एफ—12/130/32/90

भोपाल दिनांक 9 जुलाई 2004

प्रति,

1. आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल
2. समस्त कलेक्टर्स , म.प्र.
3. समस्त नगर निगम , नगर पालिका मध्यप्रदेश
4. समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक नगर तथा ग्राम
निवेश म.प्र.

विषय:— एल.पी.ए क्रमांक 329/99 म.प्र. शासन , विरुद्ध गौतम नगर हाउसिंग
को—आपरेटिव सोसायटी भोपाल ।

—0—

विभाग के आदेश दिनांक 26 अगस्त , 87 द्वारा निर्देशित किया गया था कि 1.00 एकड़ से अधिक से अधिक के ऐसे भू-खण्ड जिनमें कालोनियों , आवास समूह विकसित करना प्रस्तावित हो, ऐसे वर्गों के लिये कम से कम 15 प्रतिशत भूमि सुरक्षित रखी जावेगी ।

यह सुरक्षित भूमि गंदी बस्ती निर्मूलन मण्डल या शासन द्वारा निर्देशित संस्था को दी जावेगी जो इस भूमि के क्रय की वास्तविक लागत के बराबर राशि भूमि को मालिक संस्था को देगा ।

कालोनियों के विकासकर्ताओं द्वारा न्यायालय में इस बात की चुनौती दी गई थी कि राज्य शासन बिना मुआवजा दिये इस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकता है, और न ही भूमि को नि शुल्क लेकर दूसरों को बॉट सकता है। याचिका क्रमांक 329/99 म.प्र. शासन विरुद्ध गौतम नगर को—आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी भोपाल में पारित उच्च न्यायालय से निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 73 में जारी आदेश नियमानुकूल नहीं था, अतः राज्य शासन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26 अगस्त 87, को एतद् द्वारा निरस्त अब यह प्रावधान किया जाता है कि दिनांक 26 अगस्त, 87 से 36 तक दिन आवासीय कालोनियों

में कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों के अविकसित 15 प्रतिशत भूमि आरक्षित की गई थी, उस भूमि का विकास , (भू-स्वामी) द्वारा अर्थात् भू-स्वामी द्वारा केवल कमजोर आय वर्ग व्यक्तियों के लिये किया जा सकेगा तथा इस भूमि पर विकास /निर्माण कमजोर आय वर्ग के अतिरिक्त अन्य आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये नहीं जा सकेगा । इस भूमि पर विकासकर्ता स्वयं कमजोर आय वर्ग के व्यक्ति के लिये ही भू-खण्ड अथवा भवनों का विकास एवं निर्माण कर , कमजोर आय वर्ग के आवासहीन व्यक्तियों को ही विक्रय कर सकेगा , तथा कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों की सूची संबंधित जिलों के कलेक्टरों से अभिप्रमाणित कराई जाना अनिवार्य होगा ।

हस्ता /-
(संत्यानंद मिश्रा)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन ,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

आदेश

क्रमांक-एफ-12/130/32/98/बत्तीस

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2004

प्रति,

1. संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश
2. समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश
3. आयुक्त नगर निगम , नगर
पालिका निगम मध्यप्रदेश
4. संयुक्त संचालक /उप
संचालक/सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालयम.प्र.।
5. मुख्य कार्यापालन अधिकारी ,
समस्त विकास प्राधिकरण,
म.प्र.।

विषय:-एल.पी.ए क्रमांक 329/99 म.प्र. शासन , विरुद्ध गौतम नगर हाउसिंग
को-आपरेटिव सोसायटी भोपाल ।

संदर्भ:-इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 15 अक्टूबर 2004 ।

-0-

मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा विषयांकित याचिका मे पारित आदेश
दिनांक 4.12.2003 के परिपालन में विभागीय आदेश क्रमांक एफ-12-130/98/32
दिनांक 15.10.2004 की कण्डिका-2 में उल्लेखित पांचवी लाईन के बाद निम्नानुसार पढ़ा
जावे :-

“ अब यह प्रावधान किया जाता है कि दिनांक 26.8.1987 से 30.4.1998 तक ”
शेष पंक्तियां यथावत रहेगी ।

हस्ता/-
(सी.बी.पड़वार)
अवर सचिव
म.प्र.शासन ,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी,म.प्र.भोपाल
क्रमांक 4470/टी.सी/सागर/157/04/ भोपाल दिनांक 31.8.2004

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय समस्त ।

विषय:- नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के संबंध में ।

-0-

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के जिला कार्यालय प्रमुख की समीक्षा बैठक दिनांक 15.3.2004 का कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 6 के तारतम्य में लेख है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 1999, (25 सितम्बर 2000 भारत का राजपत्र) की छायाप्रति संलग्न कर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न-यथोपरि ।

हस्ता/-

(बी.एन.त्रिपाठी)
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र.भोपाल
दूरभाष - 2429731

**DIRECTORATE OF TOWN & COUNTRY PLANNING
PARAYAWARAN PARISAR , E-5 ARERA COLONY, BHOPAL(M.P)**

4821/ T&CP/M/Legal/8711

Bhopal dt. 23.9.2004

ORDER

In exercise of the powers conferred by section 75(2) of the Madhya Pradesh Bhopal Nagar Tatha Gram Nivesh, Adhinyam 1973 and in the super session of the all previous orders regarding delegation of powers, the following powers of the Director , Town & Country Planning , Madhya Pradesh Bhopal Under the Act are delegated to the various subordinate Officers as per the Schedule No 1 and authorized under rule 2(5) of M.P. Bhoomi Vikas Niyam 1984 with immediate effect, The respective jurisdiction of the various officers are detailed in schedule No.2.

**(S.N. Mishra)
Director
Town & Country Planning
Madhya Pradesh Bhopal Bhopal**

Endt. No- 4821/ T&CP/M/Legal/8711

Bhopal dt. 23.9.2004

Copy to :

1. The Principal Secretary , Govt of M.P. , Housing & Environment
Department for information
2. All Addl. Directors , Town & Country Planning Bhopal .
3. All District Officers/Joint Director/ Dy. Director/Asst. Director, Town &
Country Planning District Office For information and necessary action.

**(S.N. Mishra)
Director
Town & Country Planning
Madhya Pradesh Bhopal Bhopal**

SCHEDULE-1
SCHEDULE OF POWERS DELEGATED BY THE DIRECTOR
TOWN & COUNTRY PLANNING , MADHYA PRADESH BHOPAL UNDER
MADHYA PRADESH BHOPAL NAGAR TATHA GRAM NIVESH ADHINIYAM,
1973
(ACT, 23 OF 1973 Schedule)

Sl.No	Section Of Act	Nature of Power delegated	Officer to whom power is delegated	Jurisdiction
1	5(i)(ii)	To prepare an existing land use map	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
2	6 (1) a (b)	To Carry out survey	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
3	8(2)	Power to hear and consider objection and suggestion received in respect of draft regional plan	Addl. Director (R)	Whole of Madhya Pradesh Bhopal
4	14(a)	To prepare an existing land use map	1. 1 Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
	(b)	To prepare a development plan for planning area		
	(d)	To carry such service and inspection and obtain such pertinent reports from		

Sl.No	Section Of Act	Nature of Power delegated	Officer to whom power is delegated	Jurisdiction
		Govt. Deptt. Local Authorities and Public institution as may be necessary for the preparation of the plans.		
5	15	To carry out surveys, to publish and adopt an existing land use maps.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s) 	Their respective jurisdiction
6-	16(1) , A B	(A) Power to accord permission for institution or changing the use of any land or carrying out any development of land for any purpose other than that indicated in existing land use map	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s) 	Their respective jurisdiction
		(B) Power to permit Local Authority or other Authority to grant permission for change in use of land other than as indicated in land use map		

Sl.No	Section Of Act	Nature of Power delegated	Officer to whom power is delegated	Jurisdiction
7	27	Power to raise objections to the development by union or State Govt.	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
8	28	Power to raise objections to the development by a Local Authority or by any Authority Constituted under this act	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
9	29	Power to accord permission for development by others	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
10	30	power to grant or refuse permission	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
11	33	power to extend validity of permission	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
12	37	Power to require removal of unauthorized development and prosecute the owner for not complying with the notice	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction

Sl.No	Section Of Act	Nature of Power delegated	Officer to whom power is delegated	Jurisdiction
13	77	Right of entry	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
14	79	Cognizance of offence and authorization for filling compliant	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction

(S.N. Mishra)
Director
Town & Country Planning
Madhya Prades Bhopal

SCHEDULE-2**SCHEDULE SHOWING JURISDICTION OF THE VARIOUS OFFICERS OF
TOWN & COUNTRY PLANNING , MADHYA PRADESH BHOPAL**

SI.No	Designation of the Officer	Jurisdiction
1	Addl. Director , Town & Country Planning	Whole Of Madhya Pradesh Bhopal
2	Jt. Director , T & CP, Bhopal	Bhopal & Sehore District
3	Jt. Director , T & C P, Indore	Indore & Dhar District
4	Jt. Director , T & C P, Gwalior	Gwalior & Datia Districts
5	Jt. Director , T & C P, Jabalpur	Jabalpur & Narshingpur Disricts
6	Jt. Director , T & C P, Rewa	Rewa & Sidhi Districts
7	Jt. Director , T & C P, Sagar	Sagar , Damoh , & Tikamgarh Disrticts
8	Dy. Director , T & C P, Ujjain	Ujjain District
9	Dy. Director , T & C P, Khandwa	Khandwa, Khargone, Burhanpur & Barwani District
10	DY. Director , T & C P, Neemuch	Neemuch & Mandsaur Districts
11	DY. Director , T & C P, Satna	Satna Districts
12	DY. Director , T & C P, Dewas	Dewas & Shajapur Districts
13	DY. Director , T & C P, Shahdol	Shahdol, Annupur & Umariya Districts
14	DY. Director , T & C P, Guna	Guna, Ashok Nagar & Shivpuri Districts
15	Asstt. Director , T & C P, Hoshangabad	Hoshangabad & Harda Districts
16	Asstt. Director , T & C P, Chhindwara	Chhindwara, Seoni , & Balaghat Districts
17	Asstt. Director , T & C P, Ratlam	Ratlam Districts
18	Asstt. Director , T & C P, Vidisha	Vidisha & Raisen Districts
19	Asstt. Director , T & C P, Rajgarh	Rajgarh Districts
20	Asstt. Director , T & C P, Betul	Betul Districts

Sl.No	Designation of the Officer	Jurisdiction
21	Asstt. Director , T & C P, Chhatarpur	Chhatarpur & Panna Districts
22	Asstt. Director , T & C P, Bhind	Bhind , Morena & Sheopurkalan Districts
23	Asstt. Director , T & C P, Mandla	Mandla & Dindori Districts
24	Asstt. Director , T & C P, Jhabua	Jhabua Districts
25	Asstt. Director , T & C P, Katni	Katni Districts

(S.N.Mishra)

Director

T & C.Planning

M.P. Bhopal

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)
आदेश

क्रमांक—एफ—12 / 130 / 32 / 98 / बत्तीस

भोपाल दिनांक 15 अक्टूबर 2004

प्रति,

1. संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश
2. समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश
3. आयुक्त समस्त नगर निगम ,
नगर पालिका मध्यप्रदेश
4. संयुक्त संचालक / उप
संचालक / सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय
म.प्र.।
5. मुख्य कार्यापालन अधिकारी ,
समस्त विकास प्राधिकरण,
म.प्र.।

विषय:— एल.पी.ए क्रमांक 329 / 99 म.प्र. शासन , विरूद्ध गौतम नगर हाउसिंग
को—आपरेटिव सोसायटी भोपाल ।

—0—

मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा विषयांकित याचिका मे पारित आदेश दिनांक 4.12.2003 के परिपालन में विभागीय आदेश क्रमांक एफ—12—130 / 98 / 32 दिनांक 9.7.2004 द्वारा अंतिम कण्डिका में निम्नानुसार आदेश किये गये है:—

राज्य शासन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26 अगस्त , 1987 को एतद् द्वारा निरस्त करते हुए अब यह प्रावधान किया जाता है कि दिनांक 26.8.87 से 30.4.98 तक जिन आवासीय कालोनियों में कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये अविकसित 15 प्रतिशत भूमि आरक्षित की गई थी, उस भूमि का विकास , विकासकर्ता (भू—स्वामी) द्वारा अर्थात भू—स्वामी द्वारा केवल कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये किया जा सकेगा तथा इस भूमि पर विकास / निर्माण कमजोर आय वर्ग के अतिरिक्त अन्य आय वर्ग के व्यक्तियों के

लिये नही किया जा सकेगा । इस भूमि पर विकास कर्ता स्वयं कमजोर आय वर्गके व्यक्तियों के लिये ही भू-खण्ड अथवा भवनों का विकास एवं निर्माण कर , कमजोर आय वर्ग के आवासहीन व्यक्तियों को ही विक्रय कर सकेगा तथा कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों की सूची संबंधित जिलों में कलेक्टर से अभिप्रमाणित कराई जाना अनिवार्य होगा ।

विभाग के उक्त आदेश के विरुद्ध सर्वहारा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित ग्वालियर द्वारा मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में प्रस्तुत अवमानना याचिका क्रमांक 129/2004 में पारित आदेश दिनांक 1.10.2004 के पालन में राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत उपर वर्णित विभागीय आदेश दिनांक 9.7.2004 की कडिण्का में उल्लेखित निम्न शर्त विलोपित किया जाती है:-

जिन आवासीय कालोनियों में कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये अविकसित 15 प्रतिशत भूमि आरक्षित की गई थी , उस भूमि का विकास विकासकर्ता(भू-स्वामी) द्वारा अर्थात् भू-स्वामी द्वारा केवल कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये किया जा सकेगा तथा इस भूमि पर विकास/निर्माण कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये ही भू-खण्ड अथवा भवनों का विकास एवं निर्माण कर कमजोर आय वर्ग के आवासहीन व्यक्तियों को ही विक्रय कर सकेगा , तथा कमजोर आय वर्ग के अतिरिक्त अन्य आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये नही किया जा सकेगा इस भूमि पर विकासकर्ता स्वयं कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए भूखण्ड अथवा भवनों का विकास एवं निर्माण कर व्यक्तियों की सूची संबंधित जिलों के कलेक्टरों से अभिप्रमाणित कराई जाना अनिवार्य होगा ।

हस्ता /-
(सी.बी.पड़वार)
अवर सचिव
म.प्र.शासन ,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)
आदेश

क्रमांक 7629 / 2004 / 32

भोपाल दिनांक 23 दिसम्बर 2004

प्रति,

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल ।

विषय:—शासन के पत्र व्यवहार किये जाने बाबत

—0—

जिला कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा व्ही.आई.पी.रोड स्थित भूमियों बाबत एकल नस्ती विभाग को भेजी गई थी। प्रकरण में सह बिलकुल स्पष्ट नहीं था कि नस्ती विभाग को किस निर्णय हेतु भेजी गई थी, इस प्रक्रिया को उचित नहीं कहा जा सकता है। विभाग द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 तथा विकास योजनाओं के प्रावधानों के अनुरूप कार्य किया जाता है।

2. प्रकरणों के निराकरण हेतु विभिन्न स्तर के अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शक्तियाँ प्रत्ययोजित की गई है। परन्तु फिर भी जिला कार्यालय द्वारा बिना किसी समुचित कारण के प्रकरण विभाग में भेजे जा रहें हैं। इस प्रक्रिया को जहां एक ओर प्रकरणों के निराकरण में विलंब होता है, वहीं दूसरी ओर विभाग की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

3. जिला कार्यालय को भविष्य के लिये सचेत किया जाए कि वे विभाग से अनावश्यक पत्र व्यवहार न करें। विभाग के पत्र व्यवहार किये जाने की दशा में आपके माध्यम से निम्नलिखित बिन्दुओं पर जानकारी दर्शाते हुए प्रकरण भेजा।

1. प्रकरण की पृष्ठभूमि
2. प्रकरण से संबंधित धाराओं, नियमों एवं प्रावधानों का वर्णन।
3. प्रकरण के निराकरण में आ रही परेशानी।
4. शासन को प्रकरण प्रेषित करने की परिस्थितियों का विवरण।

5. जिला कार्यालय का स्पष्ट अभिमत ।
6. शासन से क्या निर्णय अपेक्षित है तथा यह निर्णय किन प्रावधानों अथवा
4. अतः विभाग से पत्र व्यवहार करते समय उपरोक्त बिन्दुओं का समावेश किया जाये ।

हस्ता / -

(सी.बी.पड़वार)

अवर सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

क्रमांक

/2004 /32

भोपाल दिनांक दिसंबर 2004

प्रतिलिपि-

संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय भोपाल की ओर अग्रेषित कर लेख है कि 3 दिवस में विभाग को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें कि व्ही.पी.रोड के पास स्थित भूमियों बाबत् नस्ती विभाग में बिना किसी प्रस्ताव के किस निर्णय हेतु प्रेषित की गई थी ।

हस्ता / -

(सी.बी.पड़वार)

अवर सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

**संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल**

क्रमांक / 650 / टी.सी / सरकुलर
प्रति,

भोपाल दिनांक 14.02.05

संयुक्त संचालक / उपसंचालक / सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय..... ।

विषय:-शासन से पत्र व्यवहार किये जाने बाबत ।

शासन के पत्र क्रमांक 7629 / 2004 / 32 भोपाल दिनांक 23.12.04 द्वारा निर्देश दिये गये है कि विभाग द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 एवं विकास योजनाओं के प्रावधानों के अनुरूप कार्य किया जाता है ।

2 प्रकरणों के निराकरण हेतु विभिन्न स्तर के अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत शक्तियों प्रत्यायोजित की गई है परन्तु फिर भी जिला कार्यालय द्वारा बिना किसी समुचित कारण के प्रकरण संचालनालय में भेजे जा रहे हैं । इसी प्रक्रिया से जहाँ एक ओर प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब होता है वहीं दूसरी ओर संचालनालय की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडता है ।

3 जिला कार्यालय को भविष्य के लिए सचेत किया जाता है कि वे संचालनालय से अनावश्यक पत्र व्यवहार न करें। संचालनालय से पत्र व्यवहार किये जाने की दशा में निम्नलिखित बिन्दुओं पर जानकारी दर्शाते हुए प्रकरण भेजे जाये ।

- 1 प्रकरण की पृष्ठभूमि
- 2 प्रकरण से संबंधित धाराओं नियमों एवं प्रावधानों का वर्णन
- 3 प्रकरण के निराकरण में आ रही परेशानी
- 4 संचालनालय में प्रकरण प्रेषित करने की परिस्थितियों का विवरण ।
- 5 जिला कार्यालय का स्पष्ट अभिमत ।
- 6 संचालनालय से क्या निर्णय अपेक्षित है यह निर्णय किन प्रावधानों / अथवा परिस्थितियों में मांगा जा रहा है ।

**(डी.के. शर्मा)
अपर संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 भोपाल
दूरभाष - 242791**

संचालनालय ग्राम तथा निवेश

पर्यावरण परिसर ई 7 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक/ 1166 नग्रानि/विधि/एम-567/05

भोपाल दिनांक 16.03.05

//आदेश//

म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3/121/2003 /32 के अनुक्षण में म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 75 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 27, 29 एवं 30 की संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रयोगात्मक शाक्तियां आयुक्त विशेष आर्थिक परिक्षेत्र इन्दौर को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले औद्योगिक क्षेत्र के भूमि विकास के प्रस्ताव को अनुमोदित करने हेतु प्रत्यायोजित की जाती है।

अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 4 के प्रावधानानुसार भूमि विकास की अनुज्ञा म0प्र0 भूमि विकास अधिनियम 1984 के प्रावधान अनुसार ही दी जाना है। अतः जिन शर्तों पर यह नियम प्रभावशील हैं वहां पर म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के दो के उप नियम 5 खण्ड क के अन्तर्गत भूमि विकास के प्रस्ताव का अनुमोदित करने हेतु उपरोक्त पैरा एक में दर्शाये अधिकारी को प्रभावित किया जाता है।

(एस. एन. मिश्रा)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल

पृक्रमांक/ 1166 नग्रानि/विधि/एम-567/05

भोपाल दिनांक 16.03.05

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन वाणिज्यिक उद्योग एवं रोजगार विभाग भोपाल।
2. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग भोपाल
3. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन नगर प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल।
4. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल
5. आयुक्त उद्योग म0प्र0 भोपाल
6. आयुक्त पंचायत एवं सामाजिक न्याय भोपाल।
7. अपर संचालक तकनीकी प्रकोष्ठ नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की और आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 8 आयुक्त विशेष आर्थिक परिक्षेत्र इन्दौर की ओर भेजकर निवेदन है कि प्रत्येक स्वीकृति जो प्रदान की जाय उसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल को भेजी जाये।
- 9 संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(एस. एन. मिश्रा)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल

**संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर,ई-5 अरेरा कालोनी म. प्र. भोपाल**

क्रमांक 2330 / विधि / एम 460
प्रति,

भोपाल दिनांक 20.05.2005

समस्त कलेक्टर

जिलाम.प्र.।

विषय:—निवेश क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायतों में निर्माण / विकास कार्यों की स्वीकृति के संबंध में ।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत ध्यान में यह लाया गया है कि अनेको ग्राम पंचायतों द्वारा निवेश क्षेत्र में बिना संचालनालय से विकास / निर्माण की अनुमति / अनापत्ति प्राप्त किये अनियोजित तरीके से विकास निर्माण , बहुमजिले भवनों आदि की अनुमति प्रदान की जा रही है जो कि वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है ।

म.प्र पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 49, 55, 97 के अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भवन निर्माण की अनुज्ञा देने हेतु आदर्श उपविधियों तैयार की गई है । उपविधियों के नियम 5 में स्पष्ट उल्लेख है कि भवन अनुज्ञा आवेदन पर विचार करने में ग्राम पंचायतों को सहायता करने हेतु नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय के अधिकारी से परामर्श प्राप्त किया जायेगा ।

इसी प्रकार बहुमंजिला भवन के प्रकरण में म.प्र भूमि विकास नियम 1984 के नियम 14 के अधीन गठित समिति के द्वारा स्पष्टता समाशोधन पाने के बाद ही अनुज्ञा दी जाना है ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि म.प्र के अधिकांश बड़े एवं मझोले नगरों के निवेश क्षेत्र निर्धारित हो चुके हैं और उन पर म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 लागू है ।

भवन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु सभी जिला प्रमुखों की उनके क्षेत्राधिकार के निवेश क्षेत्रों में कार्य करने हेतु प्राधिकृत भी किया जा चुका है ।

अतएव उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप अपने अधीनस्थ आने वाले ग्राम पंचायतों को इस स्थिति से अवगत कराते हुए

निवेश क्षेत्र मे विकास/निर्माण की अनुज्ञा जारी करने के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारी से आवश्यक अनमुति /अनापत्ति प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि नगर के चारो, ओर हो रहे बेतरतीब , अनियोजित एवं अप्राधिकृत विकास पर प्रभावी रोक लगाई जा सके ।

(एस.एन.मिश्रा)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल

भोपाल दिनांक 20.05.2005

क्रमांक 2331/विधि/एम 460

प्रतिलिपि

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत ----- ।
2. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे संरपंचों द्वारा की जा रही अप्राधिकृत कार्यवाही से कलेक्टर को अवगत कराकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आग्रह करें ।

(एस.एन.मिश्रा)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
“मंत्रालय”

क्रमांक एफ-3-71/2005/32

भोपाल दिनांक 30 अगस्त 2005

प्रति

संचालक,

नगर तथा ग्राम निवेश

भोपाल, म0प्र0

विषय :- मांगलिक भवन/मैरिज गार्डन हेतु मापदण्ड।

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 73(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश की समस्त विकास योजनाओं में मांगलिक भवन/मैरिज गार्डन के निर्माण व संचालन हेतु निम्न मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं:-

- 1 भूमि उपयोग जिस पर मांगलिक भवन/मैरिज गार्डन स्वीकार्य नहीं होंगे -
आमोद-प्रमोद यातायात एवं सार्वजनिक सेवा व सुविधा हेतु निर्दिष्ट भूमि उपयोग पर मांगलिक भवन/मैरिज गार्डन स्वीकार्य नहीं होंगे, शेष समस्त भूमि उपयोगों में मांगलिक भवन/मैरिज गार्डन स्वीकार्य उपयोगों की श्रेणी में मान्य किये जाते हैं।
- 2 भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्र-4000 वर्गमीटर
- 3 भूखण्ड का अग्रभाग -न्यूनतम 40 वर्गमीटर
- 4 भूखण्ड का सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई-18 वर्गमीटर
- 5 एफ ए. आर- 1:0:15
- 6 भूतल कवरेज- 10 प्रतिशत अधिकतम
- 7 एम.ओ.एस- अग्रभाग - भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल का 35 प्रतिशत पार्किंग हेतु छोड़ने के पश्चात् 4.50 मीटर न्यूनतम अन्य तीनों ओर - 6.0 मीटर न्यूनतम

- 8 पार्किंग – मांगलिक भवन/ मैरिज गार्डन से जनित होने वाली समस्त पार्किंग परिसर के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा। सामने छोड़े जाने वाले 35 प्रतिशत पार्किंग के क्षेत्रफल पर पार्किंग लाट विकसित किया जाना आवश्यक होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी.बी.पडवार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रतिलिपि—

1. संयुक्त संचालक/उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल।

(सी.बी.पडवार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक-एफ-3 / 75 / 2005 / 32

भोपाल दिनांक 12 सितम्बर 2005

प्रति,

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

विषय:- रिटेल (आउटलेट) पेट्रोल पम्प स्थापित करने के संबंध में ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 3796 / टी.सी / छिन्दवाड़ा / 18, दिनांक 17.8.2005

-0-

संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। आपके प्रस्ताव अनुसार रतलाम , खजुराहो , चन्देरी , रीवा , चित्रकूट, सांची , नीमच , सतना , बीना , सागर आदि नगरों की विकास योजनाओं में आमोद-प्रमोद भूमि उपयोग में पेट्रोल पंप स्वीकार्य गतिविधि में सम्मिलित है। संवेदनशील क्षेत्र जैसे तालाब से लगा हुआ क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र , जलग्रहण इत्यादि के आस-पास के क्षेत्रों को विकास योजना प्रस्तावों में आमोद-प्रमोद भूमि उपयोग दर्शाया जाता है। अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 73 (1) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश की समस्त विकास योजनाओं में आमोद-प्रमोद की भूमियों में अन्य नगरों की विकास योजनाओं की भांति पेट्रोल पंप स्वीकार्य गतिविधि मान्य करने हेतु संचालक नगर तथा ग्राम निवेश को अधिकृत किया जाता है।

2. इन सभी प्रकरणों में निर्णय संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा ही लिया जावेगा । निर्णय लेने की शक्तियों अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की प्रत्यवर्तित नहीं की जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता / -
(सी.बी.पड़वार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक-एफ-3/23/2005/32

भोपाल दिनांक 12 अक्टूबर 2005

प्रति,

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

विषय:- रिटेल (आउटलेट) पेट्रोल पम्प स्थापित करने के संबंध में ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 3796/टी.सी/छिन्दवाड़ा/18, दिनांक 17.8.2005

-0-

संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। आपके प्रस्ताव अनुसार रतलाम , खजुराहो , चन्देरी , रीवा , चित्रकूट, सांची , नीमच , सतना , बीना , सागर आदि नगरों की विकास योजनाओं में आमोद-प्रमोद भूमि उपयोग में पेट्रोल पंप स्वीकार्य गतिविधि में सम्मिलित है। संवेदनशील क्षेत्र जैसे तालाब से लगा हुआ क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र , जलग्रहण इत्यादि के आस-पास के क्षेत्रों को विकास योजना प्रस्तावों में आमोद-प्रमोद भूमि उपयोग दर्शाया जाता है। अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 73 (1) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश की समस्त विकास योजनाओं में आमोद-प्रमोद की भूमियों में अन्य नगरों की विकास योजनाओं की भांति पेट्रोल पंप स्वीकार्य गतिविधि मान्य करने हेतु संचालक नगर तथा ग्राम निवेश को अधिकृत किया जाता है।

2. इन सभी प्रकरणों में निर्णय संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा ही लिया जावेगा । निर्णय लेने की शक्तियां अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की प्रत्यवर्तित नहीं की जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
(सी.बी.पड़वार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक-एफ-5-23 / 2003 / 32

भोपाल दिनांक 14 अक्टूबर 2005

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागध्यक्ष
2. समस्त संभागीय आयुक्त
मध्यप्रदेश
3. समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश
4. संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल
5. आयुक्त , म.प्र गृह निर्माण मण्डल
भोपाल ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / समस्त
विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास
प्राधिकरण म.प्र.

विषय:- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली इकाईयों की जानकारी बाबत ।

-0-

विषयांतर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , नई दिल्ली को अधिसूचना क्रमांक -एसओ 80 (ई) दिनांक 7 जुलाई, 2004 , जिसके द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 27.1.1994 में संशोधन कर अनुसूची -एक में नई निर्माण परियोजनाओं एवं नई औद्योगिक संपदाओं को जोड़ गया है कि छायाप्रति संलग्न है ।

2. उक्त संशोधन अधिसूचना के अनुसार 1000, व्यक्तियों या उससे अधिक की नई टाउनशिप , औद्योगिक टाउनशिप , रहवासीय कालोनी , व्यवसायिक परिसर होटल परिसर , अस्पताल परिसर , कार्यालय परिसर या प्रतिदिन 50 किलो मीटर या उससे अधिक जल-मल निकासी करने वाली अथवा 50 करोड़ या उससे अधिक निवेश की कोई निर्माण परियोजना एवं ऐसी औद्योगिक संपदाये , जिनका क्षेत्र कुछ भी हो एवं जिनसे प्रदूषण की संभावना अधिक हो , 50 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्र का उपयोग करने हेतु स्थान देने वाली औद्योगिक संपदाओं को भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है ।

3. उक्त के अध्यक्षीन निम्न परिस्थितियों में भी पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है:-

- (1) ऐसी निर्माण परियोजनाएँ , जिनका निर्माण नींव प्लीथ है ।
- (2) ऐस नई औद्योगिक क्षेत्र, जिसके निर्माण हेतु कुल राशि का 25 प्रतिशत से कम व्यय हुआ है ।

4. निर्देशानुसार निवेदन है कि आपके विभाग के अंतर्गत आने वाली ऐसी किसी भी परियोजना को स्वीकृति देने से पूर्व उनको भारत सरकार से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है तथा ऐसी किसी भी इंकाई द्वारा बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के स्थल पर कार्य प्रारंभ न किया जावे ।
5. कृपया उपरोक्त अधिसूचना के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी प्रोजेक्ट्स, जो आपके विभाग के द्वारा अनुमोदित किये गये हो अथवा अनुमोदन के लिये विचारोद्धिन हो, उनकी चिन्हित कर सूची भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजते हुए एक प्रति म.प्र. प्रदूषण निवारण मण्डल को भी भेजे ।

संलग्न—यथोपरि हस्ता /—

(आर.के.त्यागी)

उप सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल दिनांक 14 अक्टूबर 2005

क्रमांक—एफ—5—23 / 2003 / 32

प्रतिलिपि—

1. भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन लिंक रोड न0 3 ई—5 रविशंकर, नगर भोपाल की ओर उनके पत्र क्र—10—5/98(ईएनव्ही)/1867 दिनांक 14.9.05 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रषित ।
2. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर उनके प.क्र 17046/परि/प्रनिबो/05 दि 12.9.02005 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रषित ।

हस्ता /—

(आर.के.त्यागी)

उप सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक एफ-3-93/2005/बत्तीस
प्रति,

भोपाल, दि० 26 नवंबर 2005

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल ।

विषय:- भू-खण्डों के संयुक्तीकरण की अनुमति बाबत ।

सन्दर्भ:- आपकी टीप. यु.ओ. क्र-63/स्टेनो/टीएण्डसी.पी/05 दिनांक 20.6.2005

संदर्भित प्रस्ताव का अवलोकन करें। आपके प्रस्तावानुसार भ2-खण्डों के संयुक्तीकरण किये जाने हेतु म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 73 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार शर्तों पर संयुक्तीकरण बाबत अदेश प्रदान करता है:-

1. कालोनियों में भू-खण्डों का संयुक्तीकरण सिर्फ उस अवस्था में किया जाये जबकि कोई व्यक्ति, संयुक्तिकृत भू-खण्ड पर सिर्फ स्वयं के आवास के लिए भवन निर्मित करना चाहता हो इस संबंध में भू-स्वामी से स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लिया जाये। कालोनियों में बहुमंजिले भवन के निर्माण हेतु संयुक्तिकरण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
2. आवासीय कालोनियों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर संयुक्तिकरण के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किये जाते हैं:-
 - (अ) भू-खण्डों के सामने विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 12.00 मीटर से कम न हो तथा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि संयुक्तिकरण के फलस्वरूप मार्ग पर यातायात का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
 - (ब) संयुक्तिकरण भू-खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर विकास एवं भूमि विकास नियम में स्वीकार्य भू-तल कवरेज 5 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक भू-खण्डों के लिए 10 प्रतिशत कम मान्य किया जायेगा जिससे पार्किंग हेतु अधिक स्थान उपलब्ध हो सके।
3. संयुक्तिकरण के फलस्वरूप प्राप्त भू-खण्ड पर भूतल कवरेज को छोड़कर एम.ओ.एस, एफ.ए.आर एवं अन्य नियमन भूमि विकास नियम 1984 अथवा नगर की विकास योजनाओं में दिये नियमन अंतिम रूप से प्राप्त भू-खण्ड के क्षेत्रफल के अनुसार लागू होंगे।
4. संयुक्तिकरण के प्रकरणों में यदि उपरोक्त मापदण्ड पूर्ण होते हैं तो संचालक की अनुमति के उपरांत ऐसे प्रकरणों पर अनुमति दी जायेगी।

5. ऐसी कार्यवाही विभाग के परिपत्र क्र-एफ-7-15/32/97 भोपाल दिनांक 5.10.2000 में दिये निर्देशों के प्रतिकूल नहीं होगी क्योंकि भू-खण्ड संयुक्तकरण के अनुमोदित मानचित्रों के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के
नाम

से तथा आदेशानुसार

हस्ते

(सी.बी.पड़वार)

अवर सचिव

म.प्र. शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

पर्यावरण परिसर -ई- 5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक / 5718 / टी.सी. / इन्दौर / 394 / 04

भोपाल, दि० 07.12.2005

प्रतिलिपि-

संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक / नगर तथा ग्राम निवेश ,
जिला कार्यालय भोपाल को कृपया सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित ।

हस्ते / -

(शुभाशीष बैनर्जी)

उप संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक —एफ 3—92 / 2006 / 32 /
प्रति,

भोपाल, दिनांक 05 सितंबर 2006

- | | |
|---|---|
| 1. आयुक्त सह संचालक,
म.प्र. गृह निर्माण मण्डल,
भोपाल। | 6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
समस्त विकास प्रधिकरण/
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
म.प्र.। |
| 2. संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल। | |
| 3. आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल। | 7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
समस्त नगर पालिक / नगर
पंचायत, म.प्र.। |
| 4. समस्त कलेक्टर,
जिला.....
म.प्र. | |
| 5. आयुक्त
नगर निगम.....
म.प्र.। | |

विषय:—नगरीय क्षेत्रों में जल निकासी की समस्या के निराकरण बावत।

—000—

पूरे प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण नगरीय क्षेत्रों के मकानों के अंदर 5 से 10 फीट तक का पानी चला गया। इस कारण से काफी जान-माल की हानि हुई है एवं प्रशासन को भी कई प्रकार की समस्याओं से जुझना पड़ रहा है। शहरों में निकासी नहीं होने की मुख्य समस्या यह है कि नगरों में जो नैसर्गिक नाले स्थित हैं या तो उन नालों पर अथवा नालों के दोनो ओर वैध अवैध रूप से निर्माण कार्य कर लिया गया है। इस कारण से बरसात का पानी सीधे नालों में नहीं पहुंच पाता है तथा नालों की चौड़ाई कम करने के कारण भी उनकी बहाव क्षमता कम हो गई है।

2/ प्रदेश की विकास योजनाओं में प्रावधान है कि नगर के नाले के दोनो ओर 3—3 मीटर खुला क्षेत्र रखने की अनुमति दी जायें एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 50 (ख) में प्रावधान है कि भूमि के उसी हिस्से का उपयोग के लिये नहीं किया जा सकेगा यदि स्थल उच्चतम जल चिन्हों से 9 मीटर के भीतर हो यदि आसपास में कोई बड़ा जल प्रवाह हो तथा उससे भूखण्ड की दूरी औसत उच्च बाढ़ चिन्ह से 9 मीटर या जल

प्रवाह की निश्चित सीमा से 15 मीटर होगी, जो भी अधिक हो। नालों के संरक्षण बावत् मध्यप्रदेश भूमि

विकास नियम 1984 एवं विकास योजना में प्रावधानानुसार नियमों का पालन स्थानीय संस्थाओं द्वारा नहीं करवाया जा रहा है।

3/ अतः मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 50 (ख) के प्रावधानों के तहत समस्त नगरों से गुजरने वाले नालो में उक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ताकि बरसात का जल आसानी से नगर के बाहर प्रवाहित हो सके ताकि शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति भविष्य में उत्पन्न न हो।

(सी.बी.पड़वार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

ई-5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, म.प्र.भोपाल

क्रमांक /5718/टी.सी./इन्दौर/394/04

भोपाल दिनांक 07.12.2005

प्रतिलिपि-

संयुक्त संचालक /उप संचालक/सहायक संचालक/नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय भोपाल को कृपया सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

हस्ता/-
(शुभाशीष बैनर्जी)
उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल,

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-3/93/2005/32

भोपाल, दिनांक 08/07/07

प्रति,

1. संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल।
2. आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
समस्त नगर पालिका निगम नगर पंचायत
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
समस्त विकास प्राधिकारण
.....म.प्र.।
4. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय.....म.प्र.।

विषय:-भूखण्डों के संयुक्तिकरण बावत्।

संदर्भ:- विभागीय ज्ञाप क्र. -एफ-3-93/2005/32 भोपाल दिनांक 26 नवम्बर 2005

-000-

उपरोक्त विषय में अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की टीप क्रमांक 44/1496/2007/1/8 दिनांक 04/07/07 मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र तत्काल प्रभाव से विचारोपरान्त आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है।

(सी.बी.पड़वार)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्र./4578/विधि/एम 612/नग्रानि/2007

भोपाल, दिनांक 17/09/07

// आदेश //

म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 14 के उप नियम (1) परंतु के प्रावधानांतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में ऊंचे भवनों की अनुज्ञा हेतु स्थल अनुमोदन समिति के लिए नगर तथा ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक/उप संचालकों को कॉलम 3 में दिए गए जिलों के लिए "सदस्य सचिव" नाम निर्दिष्ट किया जाता है।

क्र.	पद का नाम	कार्यक्षेत्र (जिला)
1	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल	भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, विदिशा रायसेन, राजगढ़, बैतूल
2	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, इंदौर	इंदौर, धार, झाबुआ
3	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर	ग्वालियर, दतिया, भिण्ड, मुरैना, श्योरपुरक
4	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जबलपुर	जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, कटनी
5	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रीवा	रीवा, सीधी
6	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, सागर	सागर, दमोह, टीकमगढ़ छतरपुर, पन्ना
7	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन	उज्जैन, रतलाम
8	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, खंडवा	खंडवा, खरगौन, बुरहानपुर, बड़वानी
9	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नीमच	नीमच, मंदसौर
10	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, सतना	सतना
11	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, देवास	देवास, शाजापुर
12	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, देवास	शहडोल, अनुपपुर, उमरिया
13	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, गुना	गुना, अशोकनगर, शिवपुरी

(दीप्ति गौड़ मुकर्जी)
संचालक
संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

पृ. क्र./4579/विधि/एम-612/नग्रानि/2007 भोपाल,दिनांक 17/09/07
प्रतिलिपि:-

- 1.सचिव, म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग भोपाल ।
- 2.संभागीय आयुक्त राजस्व संभाग.....को सूचनार्थ ।
- 3.जिला कलेक्टर जिला.....को सूचनार्थ ।
- 4.संयुक्त संचालक/उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय..... ।
- 5.सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय..... ।
निर्देशित है कि आपके कार्यालय के क्षेत्राधिकार में ऊंचे भवनों के प्रकरणों को विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित संयुक्त संचालक/उप संचालक (सदस्य सचिव) का प्रस्तुत करेंगे ।
- 6.पुलिस अधीक्षक,..... ।
- 7.आयुक्त, नगर पालिका निगत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका..... ।
- 8.अधीक्षण यंत्री (भवन/सड़क) लोक निर्माण विभाग (म.प्र.)..... ।
- 9.संभागीय यंत्री./संबंधित अधिकारिता, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड..... ।

(दीप्ति गौड़ मुकर्जी)
संचालक
संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक 1356 / 1809 / 32-1

भोपाल दिनांक 04.06.2009

प्रति,

1. आयुक्त ,
म.प्र गृह निर्माण मण्डल
भोपाल
2. संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल
3. अधीक्षण यंत्री
राजधानी परियोजना प्रशासन
भोपाल
4. समस्त विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र
विकास प्राधिकरण म.प्र.
5. समस्त नगर निगम
मध्यप्रदेश
6. मुख्य नगर पालिक अधिकारी
समस्त नगर पालिका
मध्यप्रदेश

विषय:- आवासीय कालोनियों / परिसरों को विकसित करने में मूलभूत सुविधाओं एवं आवश्यकताओं का प्रावधान ।

-0-

राज्य शासन के ध्यान में यह बात आई है कि प्रायः आवासीय कालोनी/परिसरों को विकसित करते समय उनमें विभिन्न प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं का प्रावधान नहीं किया जाता है जबकि स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण की दृष्टि से इनका प्रावधान किया जाना आवश्यक है। राज्य शासन के जन संकल्प 2008 के अंतर्गत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मुख्य बिन्दु क्रमांक-9 में यह व्यवस्था की गई है। कि " समस्त आवासीय कालोनियों में सार्वजनिक उद्यान का निर्माण और रखरखाव सुनिश्चित किया जायेगा ।

2. अतः निर्माणाधीन एवं निर्मित कालोनियों/आवासीय परिसरों में निम्नानुसार व्यवस्थायें की जाना वांछनीय होगा । अतः उन्हें सुनिश्चित किया जाये :

1. कालोनियों में अनुमोदित अभिन्यास के अनुरूप छोड़े गये खुले स्थानों के विकास में पार्क , बगीचे एवं वृक्षों का समूह , छोटे बच्चों के खेल के स्थान , उचित प्रकाशा , पेयजल व्यवस्था , जल-मल निकासी की व्यवस्था सड़क एवं भवन निर्माण के साथ ही पूर्ण की जाये इसके बिना विकास पूर्ण नहीं माना जाये ।

2. यथासंभव प्रत्येक कालोनी का लैण्डस्केप प्लान बनाया जावे जिसमें पेड़ों की स्थिति उनकी बॉटनिकल क्षमताओं के अनुरूप स्थानीय जलवायु एवं मिट्टी के अनुरूप तैयार की जावे ।
3. लेण्डस्केपिंग प्लान इस तरह तैयार किया जावे कि उसमें जल की आवश्यकत न्यूनतम रहे। पार्क , बगीचों के पौधों / पेड़ों की प्रजाति इस प्रकार रखी जावे कि उनका रखरखाव कम से कम जल की मात्रा में हो सके।
4. बिजली प्रदाय के तारों / सर्विस लाईन के कारण वृक्षों को यथासंभव काटा न जाये।

हस्ता /—
(आर.के.त्यागी)

उप सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल दिनांक 04.06.2009

क्रमांक 1356 / 1809 / 32-1

प्रतिलिपि—

1. भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन लिंक रोड न0 3 ई-5 रविशंकर , नगर भोपाल की ओर उनके पत्र क्र-10-5/98(ईएनव्ही)/1867 दिनांक 14.9.05 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रषित ।
2. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर उनके प.क्र 17046/परि/प्रनिबो/05 दि 12.9.02005 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रषित ।

हस्ता /—
(आर.के.त्यागी)

उप सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

**संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई- 5 अरेरा कालोनी भोपाल**

क्रमांक 1798 / विधि / नग्रानि / भोपाल / 12 भोपाल दिनांक 09.04.2012
प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,

विषय: जिला कार्यालयों द्वारा दी जाने वाली अनापत्ति / अभिमत के संबंध में।

1. म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 '4' में किसी नगर / स्थान की विकास योजना के उपबंधों के अनुरूप होने के प्रावधान है ।
2. इस संदर्भ में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 49 '3' में विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है ।
3. इस तारतम्य में विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग तथा अन्य प्रावधानों की जानकारी जन सामान्य से आवेदन प्राप्त होने पर उन्हें उपलब्ध कराई जाती है ।
4. इस संबंध में संचालनालय की जानकारी में यह तथ्य आया है कि नगर तथा ग्राम निवेश के कतिपय जिला कार्यालयों द्वारा विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग की जानकारी देते समय आवेदकों को यह जानकारी / निम्न टीप के साथ दी जाती है उपरोक्त जानकारी के आधार पर मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के अन्तर्गत व्यपवर्तन की कार्यवाही नहीं की जावे ।
5. उपरोक्त जानकारी के कारण अनुविभागीय अधिकारियों को भूमि व्यपवर्तनों संबंधी प्रकरणों के निराकरण में कठिनाई हो रही है
6. अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त टीप के स्थान पर निम्नानुसार टीप अंकित कर भूमि उपयोग की जानकारी दी जाए, इस भूमि उपयोग संबंधित जानकारी को म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के अन्तर्गत भूमि व्यपवर्तन संबंधि अनापत्ति / अनुमति न समझा जावे, इस संबंध में आवेदक को समक्ष प्राधिकारी 'एस डी ओ' 'राजस्व' पृथक से अनुमति लेनी होगी,
7. इसी प्रकार नगर तथा ग्राम निवेश के जिला कार्यालयों में ऐसे स्थानों की भूमि संबंधी व्यपवर्तन संबंध अभिमत बाबत प्रकरण प्राप्त होते हैं, जहाँ विकास योजना

लागू नहीं है या जहाँ निवेश क्षेत्र गठित नहीं है ऐसे प्रकरणों में भी अनापत्ति देते समय उपरोक्त निम्न अनुसार ही टीप अंकित की जाए इस अनापत्ति/ अभिमत धारा -172 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता अंतर्गत भूमि व्यपवर्तन संबंधी अनापत्ति/अनुमति न समझा जावे। इस संबंध में आवेदक को समक्ष अधिकारी (एसडीओ) (राजस्व) पृथक से अनुमति लेनी होगी।

(के.सी. गुप्ता)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक /विधि/नग्रानि/भोपाल/12

भोपाल दिनांक 09.04.2012

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को सूचनार्थ।
- 2 प्रमुख राजस्व आयुक्त म0प्र0 भोपाल को पत्र क्रमांक 24/नि.स./प्र.रा.आ./2012 दिनांक 21.03.12 के सूचनार्थ।

(के.सी. गुप्ता)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश भोपाल

परिपत्र

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण

तथा

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

म०प्र० भोपाल

विधि प्रकोष्ठ

अध्याय – 9

म0 प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम
1973 की धारा 29 एवं 30 अन्तर्गत
निजी व्यक्तियों / संस्थाओं को भूमि
के विकास की अनुज्ञा दिये जाने
सम्बन्धी परिपत्र / निर्देश

म.प्र.शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा संचालनालय नगर तथा ग्राम

निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र

स.क्र.	अध्याय क्र.	अध्याय अंतर्गत विषयवस्तु	पृष्ठ क्र.
9	9	धारा 29 एवं 30 अंतर्गत निजी भूमियों पर विकास अनुज्ञा दिए जाने संबंधी निर्देश	205 से 298
10	10.	धारा 31 अंतर्गत अपील संबंधी परिपत्र	299 से 304
11	11.	धारा 33 अंतर्गत विकास अनुज्ञा में वृद्धि किए जाने संबंधी परिपत्र	305 से 315
12	12	धारा 36–37 अंतर्गत अनाधिकृत निर्माण पर कार्यवाही संबंधी निर्देश	316 से 324
13	13	धारा 50 अंतर्गत नगर विकास योजनाएं तैयार करने संबंधी निर्देश	325 से 339
14	14	धारा 51 अंतर्गत विकास योजनाओं से संबंधित रीविजन	340 से 342
15	15	धारा 52 अंतर्गत विकास योजनाओं से संबंधित राज्य शासन की पुनरीक्षण शक्तियां	343
16	16	धारा 75 (1) अंतर्गत शासन द्वारा अधिकारों का प्रत्यायोजन	344 से 345
17	17	धारा 75 (2) अंतर्गत संचालनालय द्वारा अधिकारों का प्रत्यायोजन	346 से 358
18	18	धारा 76 (1) अंतर्गत प्राधिकरणों के विघटन संबंधी निर्देश	359 से 361

Index

अध्याय 9— म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 29 एवं 30 के अंतर्गत निजी व्यक्तियों/संस्थाओं को भूमि के विकास की अनुज्ञा दिये जाने संबंधी परिपत्र/निर्देश

अनु क.	परिपत्र क्रमांक/दिनांक	परिपत्र का विषय/विषयवस्तु	पृष्ठ क्रं.
1	2	3	4
1	11574/विधि 24.11.1984	धारा 29 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के निपटारे के संबंध में ।	1-2
2	007-0185/2366 27.5.85	स्वीकृति संबंधी प्रकरणों में परीक्षण/प्रतिवेदन तैयार करने संबंधी मार्गदर्शिका ।	3-4
3	2502/32-1/85 3.7.85	म.प्र.नगर तथा ग्राम नियोजन अधिनियम की धारा 14 तथा 15 के परिपालन में नगरों में निवेश क्षेत्र घोषित किये जाने बाबत ।	5
4	6535/विधि/नग्रानि /85 10.9.85	विकास प्राधिकरण की स्वीकृति योजना क्षेत्र में निजी विकास की अनुमति देने बाबत ।	6-7
5	3934 विधि/नग्रानि/86 5.8.86	म.प्र.नगर तथा ग्राम नियोजन अधिनियम की धारा 27, 28 एवं 29 के अंतर्गत पंजी का संधारण	8
6	99/6472/32-1/86 8.1.87	विकास योजनाओं के अंतिम अध्याय में स्वीकार्य उपयोग की अनुमति संबंधी अधिकार बाबत ।	9
7	एफ-3-39/32/85 26.8.87	कमजोर वर्गों के लिये 15 प्रतिशत अविकसित भूमि सुरक्षित रखने बाबत ।	10

8	88 / विधि / नग्रानि / 1374 5.4.88	म.प्र.नगर तथा ग्राम नियोजन अधिनियम की धारा 16 एवं 29 के अंतर्गत पंजी का संधारण।	11-12
9	3-39 / 85 / 32 2.6.92	विकसित कालोनियों में बिखरे भूखंडो एवं भवनों तथा अन्य सम्पत्तियों के बाबत निर्देश।	13,14,15
10	14449 19 सितम्बर 1994	शहरी क्षेत्र में विकसित होने वाली कालोनियो के सीवेज तथा उसके अनुचित वेन की व्यवस्था बाबत।	16
11	3 / 39 / 32 / 85 2.7.97	आवासीय अभिन्यास में विकास अनुज्ञा संबंधी स्वीकृति के लिये विकास शुल्क की राशि जमा नहीं कराये जाने बाबत आदेश।	17
12	6219 / नग्रानि / वि.यो. / 97 9.9.97	विकास / भवन अनुज्ञा आवेदन पत्रो को निर्धारित प्रपत्रों में ही ग्राह्य करने बाबत।	18-19
13	8183 / नग्रानि / वि.यो. / 97 7.11.97	निवेश क्षे एवं नगर निगम / नगर पालिका सीमा के मध्य स्थित क्षेत्र पर भवन अनुज्ञा दिये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश	20
14	6257 / नग्रानि / वि.यो. / 98 5.11.98	निर्मित एवं निर्माणाधीन भवनों में पावर कनेक्शन हेतु अनापत्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया	21
15	एफ-3 / 137 / 32 / 20 00 19.9.2000	विकास योजनाओं में परिक्षेत्रिक नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधान अनुसार	22-23
16	एफ-3 / 15 / 32 / 97 5.10.2000	अनुमोदित अभिन्यास मं संशोधन करने बाबत्	24-25
17	7762 / विधि / 2001 1.11.2001	म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों की प्रभावशीता।	26

18	एफ/32/2000 20.12.2001	शासकीय/ निजी संस्थाओं को दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापन हेतु भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने के संबंध में।	27-28
19	349/टी.सी./ 20.1.2002	स्वीकृत विकास योजना में स्वीकार्य उपयोग की अनुमति बाबत	29
20	एफ-3-112/2001/ 32 29.1.2002	कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत स्वीकार्य उपयोग के संबंध में।	30
21	3348/टी.सी. /इंदौर/117/2002 19.6.2003	पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु स्थल अनुमोदन बाबत।	31
22	एफ-3-170/2002/ 32 12.11.2003	म.प्र. में पेट्रोलियम प्रोडक्स के लिये रिटेल आउटलेट स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत।	32-33
23	144/टी.सी./ कटनी/230/03 6.1.2004	आवासीय कालोनी में वर्तमान अनुमोदित/निर्मित मार्गों को बंद करने की अनुमति न दिये जाने बाबत।	34
24	76/नि.स./ नग्रानि /2004 15.4.2004	अनुमोदित अभिन्यास में संशोधन करने बाबत।	35-36
25	एफ-3-170/2002/ 32 12.5.2004	रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में।	37-38
26	एफ-3-51/2004/ 32 दि. 31.5.2004	म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की 19 के अंतर्गत स्वीकार्य उपयोग अनुमति बाबत।	39-40
27	3149/2795/2004/ 32 दि. 30.6.2004	विभिन्न नगरों में विकसित किये जाने वाले चौराहे के संबंध में।	41

28	3500 / विधि / एम-558 / नग्रानि / 2004 दि. 8.7.2004	फ्लार्ड ऐश के पुर्नः उपयोग बाबत माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में विचाराधीन याचिका क्रं.2145 / 1999 बाबत पालन प्रतिवेदन।	42-43
29	एफ-12 / 130 / 32 / 90 दि. 9.7.2004	एल.पी.ए. क्रं.329 / 99 म.प्र.शासन, विरुद्ध गौतमनगर हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी भोपाल।	44-45
30	एफ-12 / 130 / 32 / 98 दि. 9.7.2004	एल.पी.ए. क्रं.329 / 99 म.प्र.शासन, विरुद्ध गौतमनगर हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी भोपाल।	46
31	4470 / टी.सी. / सागर / 751 / 04 31.8.2004	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन)नियम 200 के संबंध में।	47
32	4821 / नग्रानि / एम. 8711 23.9.2004	शक्तियों का प्रत्यायोजन बाबत।	48-54
33	एफ-12 / 130 / 32 / 9 8 दि. 15.10.2004	एल.पी.ए. क्रं.329 / 99 म.प्र.शासन, विरुद्ध गौतमनगर हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी भोपाल।	55-56
34	7629 / 2004 / 32 23.12.2004	शासन के पत्र व्यवहार किये जाने बाबत।	57-58
35	68 / 4983 / 2004 / 32 5.1.2005	विकास प्राधिकरणों की भूमि का डायवर्सन।	59-60
36	एफ-3-14 / 2005 / 3 2 2.2.2005	वर्तमान में जहांगीराबाद स्थित लिली एवं गुंज बहादूर सिनेमा के भूमि उपयोग के दुरुस्तीकरण।	61
37	650 / टी.सी. / सरकुलर 14.2.2005	शासन से पत्र व्यवहार किये जाने बाबत	62
38	1166 / विधि / एम-567 / 05	अधिनियम की धारा 27,29 एवं 30 के अंतर्गत आर्थिक परिक्षेत्र इन्दौर को उनके क्षेत्राधिकार में	63-64

	/05 16.3.2005	आने वाले औद्योगिक क्षेत्र के भूमि विकास के प्रस्ताव को अनुमोदित करने हेतु प्रत्यायोजित करने बाबत्	
39	2330 / विधि / 460 20.5.2005	निवेश क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायतों में निर्माण / विकास कार्यो की स्वीकृति के संबंध में।	65-66
40	भोपाल / कार्य / भूमि / 3924 / ए / 56 24.5.2005	रेल्वे भूमि का सीमांकन बाबत्।	67
41	एफ-3 / 71 / 2005 / 3 2 30.8.2005	मांगलिक भवन / मेरिज गार्डन हेतु मापदण्ड	68-69
42	एफ-3 / 75 / 2005 / 3 2 12.09.2005	रिटेल (अउटलेट) पेट्रोल पम्प स्थापित करने के संबंध में	70
43	एफ-5-23 / 2003 / 3 2 14.10.2005	पर्यावरण(संरक्षण) अनिधिनियम, 1986 के प्रावधानों का उल्लंखन करने वाले इकाईयों की जानकारी बाबत्	71-72
44	एफ-3 / 92 / 2006 / 3 2 5.09.2006	नगरीय क्षेत्र में जल निकासी की समस्या के निराकरण बाबत।	73-74
45	1022 / 8099 / 2006 / 32 दि. 16 मार्च 2007	ग्राम लाउखेडी स्थित भूमि खसरा क्र. 70 / 1-177 रकबा 2.45 एकड़ भूमि से स्वीकृत अभिन्यास में संशोधन।	75
46	एफ-3-27 / 07 / 32 14.5.2007	ग्राम लाउखेडी स्थित भूमि खसरा क्र. -70 / 177 रकबा 9.45 एकड़ भूमि से स्वीकृत अभिन्यास में संशोधन	76-78
47	एफ-3 / 93 / 2005 /	भूखण्डों के संयुक्तिकरण बाबत्	79

	बत्तीस 8.6.2007		
48	एफ-3 / 93 / 2005 / बत्तीस 8.7.2007	भूखंडो के संयुक्तीकरण बाबत ।	80
49	4578 / विधि / एम. 612 / नग्रानि / 2007 17.9.2007	म.प्र.भूमि विकास नियम 1984 के नियम 14 के उप नियम (1) के प्रावधानांतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में ऊचे भवनों की अनुज्ञा हेतु ।	81-82
50	1356 / 1809 / 32-1 4.6.2009	आवासीय कालोनियों / परिसरों को विकसित करने में मूलभूत सुविधाओं एवं आवश्यकताओं का प्रावधान	83-84
51	कं. 4355, 9.9.2010	किसी भवन के विकास निर्माण पुर्न: निर्माण अथवा उसके किसी भाग में परिवर्तन करने के लिये प्रथम आवेदन पत्र का प्रारूप ।	85-86
52	4946 / विधि / नग्रानि, 12.10.2010	किसी भूमि / भवन विकास निर्माण पुर्न: निर्माण अथवा उसके किसी भाग में परिवर्तन करने संबंधी निदेशों के परिपालन बाबत ।	87-90
53	4971 / विधि / नग्रानि, 13.10.2010	किसी भवन के विकास, पुर्ननिर्माण अथवा उसके किसी भाग में परिवर्तन करने के लिये प्रथम आवेदन पत्र का प्रारूप ।	91
54	1829 / विधि / 2011, 7. 4.2011	म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 एवं 29 / 30 में विकास अनुज्ञा संबंधित समस्त प्रकरणों पर पत्र व्यवहार अन्डर पोस्टल सार्टिफिकेट सेवा (यू.पी.सी.) के माध्यम से करने बाबत ।	92
55	1798 / विधि / नग्रानि / भोपाल / 129.4.2012	जिला कार्यालयों द्वारा अनापत्ति / अभिमत के संबंध में ।	93-94

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश
शेड नं.-1 नार्थ टी.टी.नगर, भोपाल,म0प्र0

क्रमांक/ 11574/ विधि/नग्रानि/84/
प्रति,

भोपाल दिनांक 24.11.1984

समस्त अपर संचालक,
समस्त संयुक्त संचालक/उपसंचालक,
समस्त सहायक संचालक,
नगर एवं ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

विषय:-धारा 29 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के निपटारों के संबंध में।

.....

यह प्रश्न उठाया गया है कि अभिन्यास स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र पर निर्णय आवेदक को सूचित करते समय धारा 172 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, नगर भूमि (भूमि सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976, मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 तथा मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1982 के अन्तर्गत जो अनुमति/लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक समझा गया है उसका समन्वय कैसे किया जावे जिसमें कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुपालन के साथ ही साथ उपरोक्त अधिनियमों का भी पालन सुनिश्चित किया जा सके।

यह भी शिकायत कुछ क्षेत्रों से की गई है कि आवेदनकर्ता को उपरोक्त अधिनियमों का अनुपालन कराने वाले विभिन्न शासकीय संस्थाओं के व्यर्थ में चक्कर लगाना पड़ते हैं। आवेदन संस्थाएँ अन्य संस्थाओं से प्रथम वांछित अनुमति/लाइसेंस प्राप्त करने के निर्देश देते हैं जिससे कि आवेदक को यही समझ में नहीं आता कि वह प्रथम किस संस्था से अनुमति प्राप्त करे। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि एक ओर जहां। विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों का उचित रूप से अनुपालन हो वहीं आवेदकों को व्यर्थ में भटकना न पड़े।

सभी दृष्टियों से विचार कर इस संबंध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं :-

इस संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 10522 दिनांक 08.10.84 द्वारा अभिन्यास स्वीकृति संबंधी प्राप्त आवेदन पत्रों के निपटारे की जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसका अनुसरण करते हुए जब अंतिम आदेश पारित किया जावे तो आदेश में ही यह स्पष्टिकरण अंकित किया जावे कि :-

इस आदेश में उल्लेखित शर्तों के साथ साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश से :-

- 1 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता
- 2 नगर भूमि भूमि सीमा विनियम अधिनियम 1976
- 3 मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956, मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम।
- 4 मध्यप्रदेश विनिदिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1982

अथवा किसी अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत यदि कोई अनुमति/लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य हो तो ऐसी अनिवार्यता किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी अर्थात् ऐसी अनुमति /लाइसेंस प्राप्त करना पूर्ववत् अनिवार्य रहेगा”

अभिन्यास स्वीकृति आदेश के साथ जो अभिन्यास का नक्शा संलग्न होता है उस पर भी उपरोक्त स्पष्टिकरण अंकित किया जावे।

उपरोक्त आदेश की एक प्रति संबंधित जिलाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा/प्रशासन/आयुक्त नगर निगम तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी जैसी भी स्थिति हो को पृष्ठांकित की जावे जिससे ये अधिकारी भी उन शर्तों से अवगत रहे जिनके अध्ययन आवेदन स्वीकार किया गया हैं।

संचालक
नगर तथा गाम निवेश
म0प्र0 भोपाल

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश
शेड नं. 1 नार्थ टी.टी.नगर भोपाल।

क्र. 007-01.85 टी.सी/85/2366

भोपाल दिनांक 27.05.85

प्रति,

1 संयुक्त संचालक,
क्षेत्रीय कार्यालय

.....

2 उप संचालक,
उप क्षेत्रीय कार्यालय

.....

3. सहायक संचालक,
उपक्षेत्रीय कार्यालय

.....

समस्त संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक मुख्यालय भोपाल।

विषय :-स्वीकृति संबंधी प्रकरणों में परीक्षण/प्रतिवेदन तैयार करने संबंधी मार्ग दर्शिका।

मुख्यालय एवं समस्त क्षेत्रीय /उपक्षेत्रीय कार्यालय में अभिन्यास स्वीकृत संबंधी प्रकरण के अनुमोदन हेतु प्राप्त अभिन्यासों की जांच हेतु मार्ग दर्शिका निदिष्ट की जा रही। इस व्यवस्था के अपनाने से अभिन्यासों को तैयार करने एवं प्राप्त अभिन्यासों कार्य के लिए सभी कार्यालयों द्वारा एक से माप दण्ड अपनाये जा सकेंगे। अतः अभिन्यासों को तैयार करने एवं प्राप्त अभिन्यासों की जांच करने हेतु प्रत्येक क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों में मार्ग दर्शिका के अनुसार परीक्षण कर निर्णय लिया जावे। प्रत्येक अभिन्यासों की जांच करने के लिए स्कुटनी शीट, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन जानकारी प्रपत्र आदि भी निदिष्ट है।

अतएव यह निर्देश किय जाते है कि अभिन्यास स्वीकृत संबंधी प्रपत्र से संलग्न मार्ग दर्शिका को आधार बनाकर निर्णय लिया जावे। मुख्यालय स्तर के प्रकरण में मार्ग दर्शिका के अनुसार ही जानकारी प्रपत्र परिक्षण प्रपत्र, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं प्रकरण क्षेत्रीय कार्यालय के अभीमत के साथ प्रकरण भेजा जावेगा।

उपरोक्त मार्ग दर्शिका तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है।

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर,ई-5 अरेरा
कालोनी,भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
आवास मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
आदेश

क्रमांक 2502/32-1/85

भोपाल, दिनांक 3.07.85

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम नियोजन अधिनियम की धारा 14 तथा 15 के परिपालन में नगरों में निवेश क्षेत्र घोषित किया जाता है। इसमें क्षेत्र की भूमि के उपयोग संबंधित सभी विवरण उपलब्ध होता है तथा उसका नक्शा तैयार करके उसे अपनाया जाता है। अस्तु ऐसे क्षेत्रों में जहां उपरोक्तानुसार कार्यवाही होती है वहां निर्धारित भू-उपयोग से भिन्न उपयोग के लिये संचालक नगर एवं ग्राम निवेश के अधिकार से वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति लेना वैधानिक रूप से आवश्यक है।

शासन के ध्यान में धामदा रोड़ जिला दुर्ग का एक प्रकरण लाया गया है। इसमें आदर्श चावल मिल की स्थापना के लिए बिना नगर एवं ग्राम नियोजन के सक्षम अधिकारी की अनुमति लिए वहां के डायवर्शन अधिकारी तथा स्थानीय विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण से निर्माण की अनुमति जारी की जो सर्वथा अवैधानिक और असंगत है।

शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नगर एवं ग्राम नियोजन के समक्ष अधिकारी की अनुमति लिये बिना किसी निवेश क्षेत्र में निर्माण की अनुमति जारी न की जाया करें, ताकि नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम की धाराओं के उल्लेख की स्थिति निर्मित नहीं हो।

कृपया इस आदेश से सभी संबंधित अधीनस्थों को अवगत करावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/—

(देवी सरन)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

**संचालनालय नगर एवं ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर,ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल**

क्रमांक /6535/विधि/नग्रानि /85
प्रति,

भोपाल दिनांक 10/09/1985

अपर संचालक (बा/ना),
संयुक्त /उप/सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश विभाग
..... म.प्र.

विषय :विकास प्राधिकरण की स्वीकृति योजना क्षेत्र में निजी विकास की अनुमति देने
बाबत।

.....

धारा 53 म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के परिपेक्ष्य में यह मुद्दा उठाया गया है कि विकास प्राधिकरण की स्वीकृति योजना क्षेत्र में ऐसे भूखण्डों के बारे में जिनका उक्त योजना में कोई विकास प्रस्ताव न हो तो क्या ऐसा भूखण्डों के विकास अभिन्यास की धारा 29, म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के अन्तर्गत निजी व्यक्तियों की स्वीकृति दी जा सकती है।

इस संबंध में स्थिति यह है कि धारा 50 (7) म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के अन्तर्गत योजना को जब अंतिम स्वरूप मिल जाता है तो उस योजना के अनुसार क्षेत्र में विकास करने का अधिकार संबंधित विकास प्राधिकरण को ही रहता है। अन्य कोई व्यक्ति अथवा संस्था अपनी तरफ से विकास नहीं कर सकता/सकती, लेकिन ऐसा योजना क्षेत्र में जिन भूखण्डों के बारे में विकास प्राधिकरण की योजना विवरण में कोई विकास करने का आशय न हो तो ऐसे भूखण्डों के स्वामियों द्वारा यदि उन पर स्थित भवनों अथवा रिक्त भूखण्डों पर नये भवन इत्यादि बनाने के उद्देश्य से आवेदन पत्र हमारे क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय अधिकारी के सामने प्रस्तुत होता है तो वह उसे नगर विकास योजना के प्रावधानों के मुख्य एवं विकास के सर्वमान्य योजना के सिद्धान्तों के अनुसार विकास अभिन्यास स्वीकृति में अवैधानिकता नहीं है।

यहा पर यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित भूखण्ड/भवन के विकास प्रस्तावों में सम्मिलित नहीं है यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी धारा 29, म0प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अन्तर्गत स्वीकृति देने वाले हमारे क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय अधिकारी को ही रहेगी।

अतः यह उचित होगा कि ऐसे प्रकरणों में विकास प्राधिकरण स्पष्ट रूप से यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे कि प्रार्थी भूखण्ड के बारे में उनका कोई उक्त प्रस्ताव नहीं है एवं रोड को-ऑर्डिनेशन एवं अन्य सुविधाओं पर प्रश्नाधीन क्षेत्र विकास क्रियान्वयन करने से योजना पर कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा।

**संचालक
नगर एवं ग्राम निवेश
म0प्र0 भोपाल**

संचालनालय नगर एवं ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर,ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल

क्रमांक 3934 / विधि / नग्रानि0 / 86

भोपाल, दिनांक 05.08.86

प्रति,

समस्त अपर संचालक,
समस्त संयुक्त संचालक,
समस्त उप संचालक,
क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालय,

विषय :- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम: 1973 की धारा 27 28 एवं 29
के अन्तर्गत पंजी का संधारण।

संदर्भ :- इस संचालनालय का परिपत्र क्रमां 9710 / नग्रानि / दिनांक 23.08.86

//

उपरोक्त परिपत्र द्वारा एक पंजी निर्धारित की गई है तथा इस संचालनालय के परिपत्र 10522 / नग्रानि / विधि / दिनांक 23.08.84 द्वारा अभिन्यास स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के निपटारे की प्रक्रिया के बारे में निर्देश दिये गये हैं ताकि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (5) में निर्धारित समय अवधि के अन्दर आवेदनों का निपटारा किया जा सके।

कृपया यह प्रमाणित करें कि परिपत्रों में दिए गये निर्देशों का पालन किया जा रहा है। इस संबंध में आप अपना प्रतिवेदन इस संचालनालय को दिनांक 20.08.86 तक आवश्यक रूप से भेजने की व्यवस्था करें। अपने प्रतिवेदन के साथ निम्नलिखित जानकारी भी आवश्यक रूप से भेजें :-

- 1 31.07.86 को कितने प्रकरण लंबित थे जो 60 दिनों से अधिक अवधि के थे।
- 2 पंजी की प्रति।
- 3 अंत में यह प्रमाण पत्र दें कि और कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0 भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

क्रमांक 99/6472/32-1/86

भोपाल, दिनांक 8.1.87

अधिसूचना

राज्य शासन ने जिन विकास योजनाओं को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 के अन्तर्गत अंतिम रूप से अनुमोदित कर दिया है उन विकास योजनाओं के अंतिम अध्याय में स्वीकार्य उपयोग की अनुमति देने के लिए संयुक्त नगर एवं ग्रामीण नियोजन एवं उप संचालक नगर एवं ग्रामीण नियोजन को उनके क्षेत्राधिकार के लिए अधिकृत किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता./

(आर.सी.जैन)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर,ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल

क्रमांक /विधि/87/471

भोपाल, दिनांक 24/1/1987

प्रतिलिपि :-

- 1 अपर संचालक (न) एवं (ब), नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
- 2 संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश..... को सूचनार्थ।

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0 भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
आदेश

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 87

क्रमांक एफ 3-39/32/85 राज्य शासन द्वारा घोषित आवास नीति जोकि संकल्प क्रमांक 3380/1652/32-1/81 दिनांक 30 अक्टूबर 1981 के द्वारा घोषित की गई थी, के अनुसार विभिन्न कालोनियों में घरेलू नौकरों/इनफारमल सेक्टर वर्ग के लोगों के लिये भूखण्ड सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान था। मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 73 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आवास वर्ष में राज्य शासन के द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि 1.00 एकड़ अथवा 1.00 एकड़ से अधिक के ऐसे भूखंडों जिनमें कालोनिया आवास समूह विकसित करना प्रस्तावित हो, ऐसे वर्गों के लिये कम से कम 15 प्रतिशत अविकसित भूमि सुरक्षित रखी जावेगी।

2. यह सुरक्षित भूमि गंदी बस्ती निर्मूलन मंडल या शासन द्वारा निर्देशित संस्था को दी जावेगी जो इस भूमि के क्रय की वास्तविक लागत के बराबर राशि भूमि के मालिक संस्था को देगा।
3. राज्य में सभी अभिन्यास उक्त प्रावधान करने के बाद ही स्वीकृत किया जायेगा।

(आर.सी.जैन)

प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

आवास एवं पर्यावरण विभाग,

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक / विधि / 88 / 1374

भोपाल दिनांक 5.4.1988

प्रति,

संयुक्त संचालक (राजधानी परियोजना),

नगर तथा ग्राम निवेश

भोपाल।

विषय :- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 तथा 29 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र के निराकरण के संबंध में प्रक्रिया तथा पंजी का संधारण।

संदर्भ :- संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल का पत्र क्रमांक 10522/विधि दिनांक 08.10.84 तथा पत्र क्रमांक 9710/विधि दिनांक 23.08.84।

//

उपरोक्त संदर्भांकित पत्रों द्वारा धारा 16 तथा 29 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। धारा 30 की उपधारा (5) के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्र का निपटारा 60 दिन के अन्दर करना आवश्यक है इस आदेशात्मक प्रावधान का अनिवार्यतः पालन करना है।

किन्तु यह देखने में आया है कि गांधी स्मारक गृह निर्माण सहकारी समिति , भोपाल द्वारा प्रस्तुत भूमि विकास की अभिन्यास की अनुज्ञा के प्रकरण में उपरोक्त विधिक प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया है और परिणाम स्वरूप न्यायालय प्रकरण क्र0 8ए/88 में अभिन्यास स्वीकृति हेतु संचालनालय को निर्देशित किया । यह अच्छी स्थिति नहीं है।

उपरोक्त विधिक प्रावधानों को अनदेखा करने के कारण आवेदक को विवश होकर न्यायालय में शासन के विरुद्ध व्यवहार वाद दायर करना पड़ा। इस प्रकरण में शासन की ओर से पक्ष समर्थन करने में औचित्य दिये जाने का कोई स्पष्ट आधार नहीं होने से अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार धारा 29 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण एवं पंजी का संघारण आवश्यक रूप से करें तथा इस प्रकरण के तथ्यों के संबंध में अपना प्रतिवेदन दो सप्ताह में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

क्रमांक/विधि/न.गा.नि/88/1375

भोपाल दिनांक 05.04.1988

प्रतिलिपि :-

- 1 अपर संचालक (ब) (ना) को सूचनार्थ ।
- 2 समस्त संयुक्त/उपसंचालक क्षेत्रीय कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। संचालनालय के पत्र क्रमांक 9710 दिनांक 23.8.84 तथा पत्र क्रमांक 10522 दिनांक 08.10.84 द्वारा दिए गए निर्देशों का अनिवार्यतः पालन किया जावे। विधि प्रावधानों को अनेदेखा करने से शासन के विरुद्ध लाये जाने वाले वाद के परिणाम की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0 भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

क्रएफ 3-39/85/32

भोपाल, दिनांक 2.6.92

परिपत्र

विषय:-विकसित कालोनियों में बिखरे भूखण्डों एवं भवनों तथा अन्य सम्पत्तियों के बावत् हेतु निर्देश ।

राज्य शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि विभाग के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं द्वारा बिखरे हुए भूखण्ड/खुली भूमि/दुकान/ आवासगृह आदि के आवंटन की प्रक्रिया में एकरूपता नहीं है। पूर्ण विचारोपरान्त राज्य शासन ऐसी सम्पत्तियों के आवंटन/विक्रय हेतु तत्काल प्रभाव से निम्न निर्देश प्रसारित करता है। इन निर्देशों से समसंख्यक आदेश दिनांक 27.02.92 एवं 27.3.92 निर्देश की सीमा तक संशोधित होंगे।

1 **बिखरी सम्पत्ति की परिभाषा :-**

किसी योजना की तीन प्रतिशत या कम बची हुई अनावंटित सम्पत्तियों को बिखरी हुई सम्पत्तियां माना जायेगा।

2. **अतिरिक्त भूखण्डों की स्वीकृति:-**

नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा किसी योजना का अभिन्यास एक बार स्वीकृत होने के उपरान्त राज्य शासन की अनुमति के बिना उसमें अतिरिक्त भूखण्डों की स्वीकृति नहीं दी जावेगी।

3. **प्लाटेबल भूमि :-**

रिक्त भूमियों सभी आवंटित की जावेगी जब वे प्लाटेबल हो । सभी रिक्त भूमियों को प्लाटेबल न होने पर भी आवंटित करना अनुचित होगा।

अनप्लाटेबल भूमि उस स्थानीय संस्था को जो संबंधित कालोनी का रख रखाव करेगी इस शर्त के अन्तर्गत दी जावेगी कि अनप्लाटेबल भूमि खाली रखी जावेगी।

4 **अभिन्यास बनाने की प्रक्रिया :-**

किसी योजना का अभिन्यास बनाते समय ही विभिन्न आकार के भूखण्ड इस प्रकार निश्चित कर लिये जाये ताकि बाद में यथा संभव अतिरिक्त भूमि आवंटित करने की गुंजाइश न हो।

5. **प्रतिबंधित क्षेत्र :-**

- 5.1 म0प्र0 विद्युत मण्डल की उच्चदाब लाईन के नीचे कोई भूखण्ड नहीं निकाले जावे।
- 5.2 जिस खुले स्थान पर वृक्ष लगे हो, नाली हो सीवर लाईन हो या पेयजल की पाईप लाईन हो, वहां खुले प्लॉट किसी भी स्थिति में आवंटित नहीं किये जायेंगे।
- 5.3 नालों के ऊपर कोई निर्माण नहीं किया जावे तथा नाले निकास सहित खुले रखे जावें।

- 5.4 सडकों की चौड़ाई सर्विस लेन की चौड़ाई या किसी भवन के बैकयार्ड में भूखण्ड न तो विकसित किये जायेंगे और न ही आवंटित नहीं किये जायेंगे।
- 5.5 घरों के समक्ष तथा पिछवाड़े रसोई उद्यान आदि के नाम पर खुली भूमि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
6. **आवंटन की प्रक्रिया :-**
विषयांकित सम्पत्तियों के आवंटन के लिए, प्रमुख दैनिक अखबारों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर पात्र व्यक्तियों से ही मोहरबंद प्रस्ताव (सील्ड ऑफर) निर्धारित धरोहर राशि के साथ आमंत्रित किये जावेंगे। संस्था के हित में अधिकतम नीलाम द्वारा भी आवंटन किया जा सकता है।
- 6.2 धरोहर राशि संबंधित सम्पत्ति की "अपसेट प्राईज़" की 5 प्रतिशत होगी।
- 6.3 मोहरबंद प्रस्ताव के साथ आवेदक से एक खूला आवेदन-पत्र भी प्राप्त किया जावेगा। जिसमें आवेदक की सम्पत्ति प्राप्त करने की पात्रता का परिक्षण किया जा सकेगा।
- 6.4 केवल सम्पत्ति आवंटन के पात्र आवेदकों के मोहरबंद प्रस्ताव सार्वजनिक रूप से खोले जावेंगे तथा उच्चतम आफर वाले आवेदक का ऑफर नियमानुसार स्वीकार कर संबंधित सम्पत्ति का आवंटन किया जायेगा।
7. किसी संस्था द्वारा न्यायालयीन प्रक्रिया के अन्तर्गत यदि कोई सम्पत्ति रिक्त कराई जाती है तो उसके आवंटन के लिए भी कंडिका-6 की प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

(नरेश नारद)

सचिव

आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल दिनांक 02.06.92

क्र0एफ-3-39/85/32

प्रति

1. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री जी, आवास एवं पर्यावरण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त म0प्र0 गृह निर्माण मंडल भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल।
4. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण/नगर सुधार न्यास/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 5 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण/नगर सुधार न्यास/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डी.एस. राय)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल

मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4025 / के.प्र. / 92

भोपाल दिनांक 29.06.92

प्रतिलिपि:—अपर संचालक एक/दो संयुक्त क्षेत्रीय कार्यालयको सूचनार्थ
एवं पालनार्थ।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर,ई-5 सेक्टर,
अरेरा,कालोनी भोपाल

क्रमांक 14449/प्रनिबो/तकनीकी/94/वी.मी.

भोपाल,दिनांक 19 सितम्बर 1994

प्रति,

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश,

पर्यावरण परिसर,ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल

विषय:-शहरी क्षेत्रों में विकसित होने वाली कालोनियों के सीवेज तथा उसके समुचित
व्ययन की व्यवस्था बाबत।

-0-

प्रदेश के लगभग सभी बड़े नगरों में तीव्र गति से सहकारी गृह निर्माण समितियों द्वारा कालोनियों का निर्माण किया जा रहा है। आप अवगत ही हागें की घरेलू स्त्रोतों से उत्पन्न होने वाले दूषित जल शहरी प्रदूषण का एक बड़ा स्त्रोत है तथा यह शहरी प्राकृति जल स्त्रोतों को प्रदूषित करता है। इसका मुख्य कारण यह है कि अनेक शहरों में सीवरेज तथा घरेलू दूषित जल के उपचार की व्यवस्था नहीं है। नई विकसित होने वाली कालोनियों में भी उचित सिवरेज नहीं है। जिस कारण घरेलू दूषित जल नालियों के माध्यम से प्राकृतिक जल स्त्रोतों तक पहुचता है,तथा अस्वास्थ्यप्रद वातावरण निर्मित करता है। अतः यह अपेक्षा है कि सभी निर्माणधीन कालोनियों में सीवरेज की व्यवस्था ठीक से हो,इस हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री सही मापदण्डों के अनुरूप हो,साथ ही यह भी आवश्यक है कि दूषित जल क उपचार की पर्याप्त एवं उचित व्यवस्था कालोनाइजर्स द्वारा की जावे। कालोनाइजर्स द्वारा जो सेप्टिक टैंक बनाये जाते है वह या तो कम क्षमता के होते है। या भली भांति डिजाइन नहीं किये जाते है एवं उनसे ओवरफलो जल स्त्रोतों को प्रदूषित करता है सोकपिट्स नहीं बनाये जाते है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस दिशा में आपका विभाग जिन नई कालोनियों को विकसित किये जाने की अनुमति देता है, उस पर विशेष ध्यान दें,ताकि इस प्रकार की जल-मल की समस्या से भली-भांति निपटा जा सके।

हस्ता/-

(पी.के. बनर्जी)

सदस्य सचिव,

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग,

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई, 1997

// आदेश //

क्रमांक एफ-3 / 39 / 32 / 85, राज्य शासन द्वारा बाह्य विकास शुल्क के संबंध में प्रसारित इस विभाग के आदेश क्रमांक 2681 / 1677 / 32 दिनांक 6.7.78 एवं आदेश क्रमांक एफ-3 / 39 / 32 / 95 दिनांक 28.11.85 को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है। आगामी आदेश तक किसी भी आवासीय अभिन्यास में विकास अनुज्ञा संबंधी स्वीकृति के समय विकास शुल्क की राशि जमा न करवाई जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(रेखा शर्मा)

उप सचिव

म.प्र.शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग,
भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 1997

पृ0क0 एफ-3 / 39 / 32 / 85
प्रतिलिपि:-

1. संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
2. समस्त संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश-----
3. समस्त उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र.-----
4. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण, म.प्र.-----
5. समस्त आयुक्त नगर निगम म.प्र.-----
6. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, म.प्र.-----
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण म.प्र.-----की ओर सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(रेखा शर्मा)

उप सचिव

म.प्र.शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश,भोपाल

क्रमांक 6219/न.ग्रानि.:वि.यो./97
प्रति,

भोपाल,दिनांक 9 सितम्बर 97

समस्त संयुक्त संचालक,
समस्त उप संचालक,
समस्त सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश----- ।

विषय:-विकास/भवन अनुज्ञा आवेदन पत्रों को निर्धारित प्रपत्रों में ही ग्राह्य करने
बाबत् ।

-0-

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश नगरो तथा ग्राम निवेश अधिनियम,1973 एवं म.प्र.भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानान्तर्गत उनके क्षेत्राधीकार में आने वाले क्षेत्रों के लिए उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुरूप, विकास/भवन अनुज्ञा जारी की जाती है ।

यह देखने में आया है कि कतिपय क्षेत्रीय /उप क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उल्लेखित अधिनियम 1973 एवं नियम 1984 में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र ग्राह्य न करते हुए सादे कागज पर अथवा अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार किये जाकर प्रकरणों का निराकरण किया जाता है अथवा अभिमत दिया जाता है जिसके कारण कुछ प्रकरणों में वैधानिक विसंगति उत्पन्न होकर विषय स्थिति परिलक्षित हुई है ।

अतःभविष्य में अंतरविभागीय अभिमत के प्रकरणों के अलावा अन्य प्रकरणों में विकास/भवन अनुज्ञा संबंधी आवेदन पत्र को,अधिनियम 1973 अथवा नियम, 1984 (जैसी भी दशा हो) के निर्धारित प्रपत्र में समस्त आवश्यक सहपत्रों/मानचित्रों सहित ही ग्राह्य किये जावे तथा उक्त के सुनिश्चित होने के उपरांत ही नियमानुसार कार्यवाही प्रारंभ की जावे । यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन नगरों में म.प्र.भूमि विकास नियम 1984 लागू है उन नगरों के लिये प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ जमा कराए जाने वाले शुल्क की राशि म.प्र.भूमि विकास नियम, 1984 में निर्धारित अनुरूप ही रहेगी ।

विकास अनुज्ञा (अभिन्यास)/भवन अनुज्ञा के प्रकरणों में अनुमोदित किये गये मानचित्र की ट्रेसिंग क्लॉथ की प्रति कार्यालय में सुरक्षित रखी जावे, ताकि शासन की नीति अनुसार सूचना के अधिकार की व्यवस्था भी संभव हो सके।

(के. के. सिंह)
संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल म.प्र.

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश,भोपाल

—:शुद्धि पत्र :-

क्रमांक 8183 / न.ग्रानि.:वि.यो. / 97
प्रति,

भोपाल,दिनांक 7 नवंबर 97

समस्त अपर संचालक,
समस्त संयुक्त संचालक,
समस्त उप संचालक,
समस्त सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश----- ।

विषय:—निवेश क्षेत्र एवं नगर निगम / नगर पालिका सीमा के मध्य स्थित क्षेत्र पर भवन
अनुज्ञा दिये जाने के संबंध में दिशा—निर्देश ।

संदर्भ:—इस संचालनालय का परिपत्र क्रमांक 200 / न.ग्रानि. / वि.यो. / 97 भोपाल,
दिनांक 08.01.97

—0—

संदर्भित परिपत्र के संबंध में निम्नानुसार शुद्धिपत्र अनुरूप संशोधन किया जाता है:—

- (1) परिपत्र की कंडिका (ब) विलोपित की जाती है।
- (2) परिपत्र की कंडिका (स) की प्रथम लाईन में उल्लेखित उपरोक्त कंडिका
“ब” में वर्णित क्षेत्र को छोड़कर विलोपित किया जाता है।

(के. के. सिंह)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल म.प्र.

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर,ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल

क्रमांक/6257 नग्रानि:वि.यो:98

भोपाल 05 नवम्बर 98

प्रति,

समस्त संयुक्त संचालक,
समस्त उप संचालक,
समस्त सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालय

.....

विषय:-निर्मित एवं निर्माणाधीन भवनों में पावर कनेक्शन हेतु अनापत्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया।

यह ध्यान में आया है कि संचालनालय के परिपत्र क्रमांक - 180/ संचालक प्रकोष्ठ/नग्रानि/ 94 दिनांक 04.04.94 द्वारा जारी की गई प्रक्रिया का कुछ कार्यालयों द्वारा पालन न करते हुए अभी भी सत्तर के दशक से अपनाई गई पावर अनापत्ति जारी करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

निर्देशित है कि भविष्य में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानानुसार निम्नलिखित कार्यवाही पूर्ण करते हुए पावर कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जावे।

1. जिन नगरों में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 प्रभावशील है उनमें नियम 38 के प्रावधानानुसार आवासीय तथ व्यावसायिक क्षेत्र में अनुज्ञा किए गये उद्योगों हेतु नियम - 2 में निर्धारित शुल्क लेकर अनापत्ति पत्र जारी की जावे।
2. उपरोक्त के अतिरिक्त नए क्षेत्रों में विकास योजना प्रस्तावों के दृष्टिगत रखकर मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-29 में आवेदन एवं निर्धारित शुल्क लेकर निराकरण किया जावे।
3. अन्य नगर जहाँ मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 तथा धारा - 29 प्रभावी नहीं है, अधिनियम की धारा - 16 के तहत आवेदन लेकर प्रकरण का निराकरण उपरोक्त नियमों का मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में पालन कर किया जावे।

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल, मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय
// परिपत्र //

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर, 2000

क्रमांक एफ-3/137/32/2000 प्रदेश के विभिन्न नगरों की विकास योजनाओं में विकास कार्य हेतु परिक्षेत्रिक नियमनों का उल्लेख होता है। यह तथ्य भी सामने आया है कि परिक्षेत्रिक नियमनों में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

अतः एतद द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 73 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया जाता है कि धारा 19 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा जो विकास योजना अनुमोदित की गई है उनमें यदि कोई परिक्षेत्रिक नियमन म.प्र.भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है ऐसी स्थिति में म.प्र.भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधान ही मान्य एवं बन्धनकारी होंगे।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन नगरों की विकास योजनाएँ बनाई जा रही हैं तथा जो भविष्य में बनाई जायेगी उसमें परिक्षेत्रिक नियमन म.प्र.भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधान अनुरूप ही हों।

(सत्यानंद मिश्र)

सचिव,

मध्य प्रदेश शासन,

आवास एवं पर्यावरण विभाग,

पू0क्रमांक एफ-3/137/32/2000

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर, 2000

प्रतिलिपि :-

1. संचालक म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश।
2. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक/नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, मध्यप्रदेश।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वि.क्षे.प्राधिकरण, मध्य प्रदेश।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण मध्यप्रदेश।

5. समस्त आयुक्त,नगर पालिक निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी,नगर पालिका परिषद मध्य प्रदेश।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(सत्यानंद मिश्र)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग,

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक-एफ/3/15/32/97
प्रति,

भोपाल, दिनांक 05 अक्टूबर 2000

संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल म0प्र0

विषय :- अनुमोदित अभिन्यास में संशोधन करने बाबत।

संदर्भ :- 1 शासन का परिपत्र क्र. एफ-3/39/85/32 दिनांक 02.06.92

2 आदेश क्रमांक एफ-3/102/32/97 दिनांक 20.01.98

3 शासन का पत्र क्रमांक एफ -3/15/32/97 दिनांक 13.10.98

शासन के संदर्भित पत्रों द्वारा अनुमोदित अभिन्यास में संशोधन के बारे में दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। विधि याचिका क्रमांक 1480/96 में माननीय उच्च न्यायालय बैंच इंदौर द्वारा दिनांक 06.02.98 को पारित आदेश तथा एस. एल.पी. क्रमांक 15193/96 के संदर्भ में शासन के संदर्भित पत्रों पर विधि विभाग का अभिमत प्राप्त हुआ है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अभिन्यास स्वीकृत होने के बाद अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत अभिन्यास में संशोधन केवल धारा 31 एवं 32 में दिये गये वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत ही किया जा सकता है।

अतः उक्त संदर्भ में विधि विभाग द्वारा व्यक्त अभिमत को दृष्टिगत रखते हुये आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अभिन्यास स्वीकृत संशोधन संबंधी जारी परिपत्र (1) एफ-3/39/85/32/ दिनांक 02.06.98 (2) आदेश क्रमांक एफ-3/102/32/97 दिनांक 20.01.98 (3) आदेश क्रमांक एफ-3/15/32/97 दिनांक 13.10.98 को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि संचालक नगर तथा ग्राम निवेश तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अभिन्यास करने के पश्चात् उसमें किसी भी प्रकार का

संशोधन/ परिवर्तन संबंधी आवेदन पर कार्यवाही नहीं की जायेगी। मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा – 31 तथा 32 के अन्तर्गत दिय गये वैधानिक प्रावधानों के अनुसार एवं समय सीमा के अन्दर अभिन्यास में संशोधन संबंधी आवेदन केवल अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत किय जाएंगे।

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार**

(एस.के.दुबे)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ.क्र. एफ-3/15/32/97

भोपाल, दिनांक 05 अक्टूबर 2000

प्रतिलिपि :-

- 1 आयुक्त मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल को सूचनार्थ।
- 2 समस्त अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं निर्देश सहित अग्रेषित कि अनुमोदित अभिन्यासों में किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन न करें। उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन किया जावे।
- 3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश।
- 4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार**

(एस.के.दुबे)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय,नगर तथा ग्राम निवेश,
पर्यावरण परिसर,ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल

क्रमांक 7762/विधि/2001

भोपाल, दिनांक 1.11.2001

प्रति,

संयुक्त संचालक /उप संचालक/सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम,निवेश
जिला कार्यालय,
----- (म.प्र.)

विषय:—म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों की प्रभावशीलता। —0—

विकास योजना प्रावधानों में विकास नियमन अध्याय के अंतर्गत विकास अनुज्ञा देने की प्रक्रिया में एकरूपता लाने की दृष्टि से निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं।

म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत बनाये गये म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश नियम 1975 संपूर्ण राज्य पर (मध्यप्रदेश) प्रभावशील है जबकि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 उन नगरों पर प्रभावशील माने जाते हैं जंहा राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी की गई हो। अतः जिन नगरों में म.प्र.भूमि विकास नियम 1984 प्रभावशील हो । वहां उक्त नियमों के तहत एवं शेष नगरों में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 1975 के प्रावधानों के अंतर्गत विकास अनुज्ञा प्रदान की जाये। विकास योजना प्रतिवेदन में भी तदनुसार उल्लेख किया जावे।

(डी.पी.तिवारी)

आयुक्त सह संचालक,

नगर तथा ग्राम निवेश,

म0प्र0

भोपाल

प्रतिलिपि:—

अपर संचालक (1) एवं (2) नगर तथा ग्राम निवेश,म.प्र.भोपाल।

(डी.पी.तिवारी)

आयुक्त सह संचालक,

नगर तथा ग्राम निवेश,

म0प्र0 भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय

“परिपत्र”

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2001

क्रमांक /32/2000 :- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के आदेश क्र. एफ -16-156/97 /7/स-2 बी, भोपाल, दिनांक 17.08.96 द्वारा दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् के मापदण्डों के अधीन शासकीय समितियों एवं वित्तीय संस्थाओं को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है जिसके अनुसार शासकीय समितियों /निजी संस्थाओं को दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिय क्रमाशः 5.00 एकड़ तथा एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए 25.00 एकड़ भूमि निः शुल्क प्रदान किये जाने के प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न नगरों की प्रभावशील विकास योजनाओं में दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय हेतु पृथक से आवश्यक भूमि के मापदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया एवं राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार ही भूमि के क्षेत्रफल को माना जावे तथा इस संबंध में एफ. ए.आर. एवं आच्छादित क्षेत्र का निर्धारण महाविद्यालय के लिये प्रावधित नियोजन मानको के अनुरूप ही रख जावे।

(एस.एस. राठौर)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ. क्र /32/2000

भोपाल दिनांक 20 दिसम्बर 2001

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग /
चिकित्सा शिक्षा / राजस्व विभाग, भोपाल ।
- 2 आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल ।
- 3 समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
- 4 समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम
निवेश जिला, म0प्र0 ।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश
पर्यावरण परिसर-ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक / 349 / टी.सी. / सरकूलर / 02 / 220

भोपाल, दिनांक 20.01.02

प्रति,

संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय,
भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर

विषय:—स्वीकृत विकास योजना में स्वीकार्य उपयोग की अनुमति बाबत।

संदर्भ:—म0प्र0शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग का पत्र क्रमांक -7117 / 7288 /
2002 / 32- दिसम्बर 2002 एवं संचालनालय का परिपत्र क्रमांक 214
दिनांक 13.01.03

उक्त संदर्भ अनुसार शासन द्वारा जारी आदेश क्रमांक- 7117 / 7288 / 2002 / 32
/ दिनांक 31.12.2002 में यह निर्देश है कि प्रभावशील विकास योजनान्तर्गत स्वीकार्य
उपयोग की अनुमति जिला कार्यालय द्वारा जारी करने के पूर्व संचालनालय नगर तथा
ग्राम निवेश की पूर्व सहमति अनिवार्य है। अतः शासन आदेश के परिप्रेक्ष्य में निर्देशित
किया जाता है कि प्रकरणों से संबंधित पूर्ण दस्तावेज / स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं स्पष्ट
अभिमत सहित एकल नस्ती के माध्यम से आयुक्त सह संचालक को सहमति हेतु प्रकरण
प्रस्तुत करें। साथ यह भी निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01.01.02 के पश्चात्
स्वीकार्य उपयोग के अन्तर्गत जारी अनुमतियों की सूची, विवरण सहित विकास योजना
समीक्षा बैठक दिनांक 24.01.03 को अनिवार्य रूप से अपने साथ जावें।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक ए-3-112/2001/32,
प्रति,

भोपाल दिनांक 29 जनवरी 2002

आयुक्त सह संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल।

विषय:-कृषि भूमि उपयोग के अन्तर्गत स्वीकार्य उपयोग के संबंध में।

मध्यप्रदेश के विभिन्न नगरों में प्रभावित विकास योजनाओं में कृषि भूमि उपयोग के अन्तर्गत स्वीकार्य उपयोगों में एकरूपता रखने तथा ज्वलनशील पदार्थों के भण्डारण को नगर की धनी आबादी से दूर रखे जाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 73 (1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेशित है कि प्रदेश की समस्त विकास योजनाओं में वर्तमान प्रावधानों के अतिरिक्त कृषि भूमि के अन्तर्गत शीतगृह, गैर गोडाउन एल.पी.जी. (ईंधन भराव केन्द्र, मिट्टी का तेल व अन्य ज्वलनशील पदार्थों का भण्डार एवं गोदाम इत्यादि गतिविधियों को भी स्वीकार्य गतिविधि के अन्तर्गत मान्य किया जावे। किन्तु उक्त वर्णित गतिविधियों को कृषि उपयोग अंतर्गत मान्य करने के पूर्व समक्ष प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि मान्य की जाने वाली गतिविधि से किसी प्रकार का पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न न हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(एस.एस.राठौर)
उप सचिव

म0प्र0शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ0क्रमांक-एफ-3-112/2001/32,
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी, 2002

समस्त सयुक्त संचालक/उप संचालक/ सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम
निवेश जिला कार्यालय, मध्यप्रदेश

उपसचिव

म0प्र0शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक / 3348 / टी.सी / इन्दौर / 117 / 02 / भोपाल, दिनांक 19 / 06 / 2003

प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश समस्त
जिला कार्यालय (म0प्र0)

विषय:—पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु स्थल अनुमोदन बाबत् ।

विषयान्तर्गत लेख है कि पेट्रोल पंप की स्थापना की अनुमति दिये जाने अथवा स्थल अनुमोदन बाबत् । निर्देशित किया जाता है कि विषयाकित प्रकरण के प्रकरणों में म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 53 (3) (सीमा) में उल्लेखित प्रावधानों एवं संबंधित विकास योजना में निर्धारित मापदण्डों का पालन कर के ही नियोजन की अनुमति या अनापत्ति दी जावे ।

डी.पी.तिवारी

आयुक्त सह— संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 भोपाल

क्रमांक / 3349 / टी.सी. / इन्दौर / 117 / 02 / भोपाल, दिनांक 19 / 6 / 2003

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ, प्रेषित ।

डी.पी.तिवारी

आयुक्त सह— संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 ,भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
“ आदेश ”

भोपाल दिनांक 12.11.2003

क्र./एफ-3/170/2002/32:- आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञाप क्रमांक- एफ-3-170/2002/32 दिनांक 08.01.2003 द्वारा रिलायन्स इंडस्ट्रीज़ लि. एवं भारत सरकार से अनुमोदित सभी अधिकृत संस्थाओं को मध्यप्रदेश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे।

2. राज्य शासन एतद् द्वारा रिलान्स इंडस्ट्रीज़ लि. एवं भारत सरकार से अनुमोदित सभी अधिकृत संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में निम्नानुसार समिति का गठन करता है :-

- 1 संबंधित जिले का कलेक्टर अध्यक्ष
- 2 संबंधित जिले का पुलिस अधीक्षक सदस्य
- 3 संबंधित क्षेत्र का संयुक्त संचालक/उप संचालक सदस्य
सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला
कार्यालय-
- 4 संबंधित नगरीय क्षेत्र का आयुक्त नगर सदस्य
/निगम मुख्य/मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्
- 5 संबंधित क्षेत्र का कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सदस्य
- 6 संबंधित क्षेत्र का कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री/उपयंत्री सदस्य
कार्यालय विद्युत मण्डल

उक्त समिति संबंधित संस्था से अनापत्ति दिये जाने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर रिटेल आउटलेट की स्थापना के बारे में अनुमति प्रदाय करने अथवा आवेदन पत्र अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लेगी। यदि समिति द्वारा 30 दिवस के अन्दर निर्णय नहीं लिया जाता है तो यह माना जावेगा कि अनुमति प्राप्त हो गई है।

कलेक्टर संबंधित संस्था को आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् इस शर्त के साथ निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति दे सकेगा कि यदि आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है तो जो निर्माण कार्य संबंधित संस्था द्वारा किया गया है वह निष्प्रभावी माना जावेगा और उसकी पूर्ण जावाबदारी संबंधित संस्था की होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
तथा आदेशानुसार

(शिवानन्द दुबे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 03

क्रमांक— एफ—3—170 / 2002 / 32

प्रतिलिपि:—

- 1 प्रमुख सचिव/सचिव म0प्र0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग/गृह (पुलिस)
नगरीय प्रशासन एवं विकास/लोक निर्माण/ऊर्जा विभाग, म0प्र0
- 2 आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल
- 3 समस्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
- 4 समस्त पुलिस मध्यप्रदेश।
- 5 समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम
निवेश, जिला कार्यालय, म0प्र0।
- 6 समस्त आयुक्त नगर पालिका निगम, मध्यप्रदेश।
- 7 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, म0प्र0।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
तथा आदेशानुसार

(शिवानन्द दुबे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर-ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक / 144 / टी.सी / कटनी / 230 / 03 /

भोपाल दिनांक 06.01.2004

प्रति,

संयुक्त संचालक / उपसंचालक / सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय समस्त..... ।

विषय:-आवासीय कालोनी में वर्तमान अनुमोदित / निर्मित मार्गों को बंद करने को अनुमति न दिए जाने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जबलपुर कार्यालय द्वारा आवासीय कालोनी के अनुमोदित एवं निर्मित मार्गों को बंद करने की अनुमति दी गई थी ।

अतः किसी भी दशा में अनुमोदित / निर्मित मार्गों को बंद करने की अनुमति कदापि न दी जाये ।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश- भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्र/76/नि.स./नग्रानि/2004

भोपाल, दिनांक 15.04.2004

प्रति,

समस्त संयुक्त संचालक
समस्त उप संचालक,
समस्त सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय

विषय :- अनुमोदित अभिन्यास में संशोधन करने बाबत।

यह देखा गया है कि अनुमोदित अभिन्यास में संशोधन अथवा बदलाव करने हुए भवन निर्माण की अनुमति के प्रकरण समय-समय पर संचालनालय को प्रस्तुत किये जाते हैं। अभिन्यास अनुमोदन के संबंध में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत अभिन्यास स्वीकृत होने के बाद उसमें संशोधन केवल धारा 31 व 32 में दिये गये वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत ही किये जा सकते हैं और अधिनियम में इसके लिए समय सीमाएं निर्धारित हैं।

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा विविध याचिका क्रमांक 1480/96 में माननीय उच्च न्यायालय बेंच इन्दौर द्वारा दिनांक 06.02.98 को पारित निर्णय तथा एस.एल.पी. क्रमांक 15193/96 के संदर्भ में विधि विभाग का अभिमत प्राप्त कर प्रपत्र क्रमांक एफ-3/15/32/97 दिनांक 5.10.2000 के विपरीत अनुमोदित अभिन्यास में संशोधन करते हुए भवन निर्माण की अनुमतियां दी गई हैं तो ऐसी अनियमितताएं करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी।

सेवा राम
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 भोपाल

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन वन एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल को शासन के उपरोक्त आदेश के तारतम्य में कृपया सूचनार्थ ।
 - 2 समस्त संभागायुक्त राजस्व संभाग ।
 - 3 समस्त कलेक्टर जिला ।
 - 4 आयुक्त मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल ।
 - 5 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(सेवा राम)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)
आदेश

भोपाल दिनांक 12 मई 2004

क्रमांक-एफ-3/170/2002/32:- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12.11.2003 द्वारा पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स के लिए रिटेल आऊटलेट की स्थापना हेतु अनामत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में संबंधित जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। राज्य शासन उक्त आदेश के निम्नलिखित पैरा-3 को एतद् द्वारा विलोपित करता है:-

“ कलेक्टर संबंधित संस्था को आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् इस शर्त के साथ निर्माण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दे सकेगा कि यदि आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है तो जो निर्माण कार्य संबंधित संस्था द्वारा किया गया है वह निष्प्रभावी माना जावेगा और उसकी पूर्ण जवाबदारी संबंधित संस्था की होगी ”

2. शेष कण्डिकाए यथावत रहेगी ।
3. इसका अभिप्राय यह है कि अब पूर्व की कंडिका 3 अनुसार सर्शत स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी ।
4. इस संशोधन का बिना अपवाद पालन किया जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता/-
(बी.एन.त्रिपाठी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

क्रमांक-एफ-3/170/2002/32
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक 12 मई 2004

1. प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग/गृह (पुलिस),
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग /लोक निर्माण/ऊर्जा विभाग मध्यप्रदेश
मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त सह संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश , भोपाल
3. समस्त कलेक्टर , मध्यप्रदेश ।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्य प्रदेश।
5. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश ,
जिला कार्यालय, मध्य प्रदेश ।
6. समस्त आयुक्त , नगर पालिका निगम, मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य कार्यापलन अधिकारी नगर पालिका परिषद्, मध्यप्रदेश।

हस्ता/-
(बी.एन.त्रिपाठी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

भोपाल दिनांक 31 मई 2004

// आदेश //

क्रमांक-एफ-3-51/2004/बत्तीस :-इस विभाग के आदेश क्रमांक 7117/7288/2002, 32 दिनांक 31.12.2002 द्वारा यह निर्देश जारी किये गये थे कि नगरों की विकास योजनाओं को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 के अंतर्गत अनुमोदित है, विशेषकर , भोपाल , इन्दौर , जबलपुर एवं ग्वालियर महत्वपूर्ण शहर होने से प्रभावशील विकास योजना के अंतर्गत स्वीकार्य उपयोग पर युक्तियुक्त प्रतिबंध आवश्यक है अतएव उक्त शहरों की स्वीकृत विकास योजना में स्वीकार्य उपयोग की पूर्व सहमति लिया जाना अनिवार्य होगा । शेष शहरों के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-3-136/99/32, दिनांक 15.3.2000 पूर्ववत लागू रहेगी ।

2. राज्य शासन द्वारा आदेश क्रमांक-7117/7288/02/32, दिनांक 31.12.2002 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है, तथा आदेश क्रमांक-एफ-3-136/99/बत्तीस, दिनांक 15.3.2000 पूर्ववत लागू रहेगा ।

(बी.एन.त्रिपाठी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल दिनांक 31 मई 2004

पृ.क्रमांक-एफ /2004/बत्तीस
प्रतिलिपि-

1. आयुक्त सह संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल ।
2. समस्त संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्या.----- ।
3. उप संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्या.----- ।

4. सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्या.----- ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अगंषित ।

(बी.एन.त्रिपाठी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक— 3149 / 2795 / 2004 / 32

भोपाल दिनांक 30 जून 2004

प्रति,

1. आयुक्त नगर निगम ,
नगर निगम नगर पालिक, मध्यप्रदेश
2. मुख्य कार्यापालन अधिकारी ,
समस्त विकास प्राधिकरण / विशेष
क्षेत्र विकास प्राधिकरण म.प्र.

विषय:—विभिन्न नगरों में विकसित किये जाने वाले चौराहों के संबंध में ।

—0—

उपरोक्त विषय के संबंध में विभिन्न नगरों के चौराहों का विकास तथा सौन्दर्यीकरण के अंतर्गत यातायात से संबंधित तकनीकी कार्यों का नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से अनुमोदन के उपरांत ही क्रियान्वयन किया जावे ।

हस्ता /—

(बी.एन.त्रिपाठी)

उप सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

क्रमांक— 3159 / 2975 / 2004 / 32

भोपाल दिनांक 30 जून 2004

प्रतिलिपि—

आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के पत्र क्रमांक 2633 / टी.सी.
/समीक्षा / बैठक / 04, दिनांक 01.6.2004 के संदर्भ में अग्रेषित ।

हस्ता /—

(बी.एन.त्रिपाठी)

उप सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
ई-5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, म.प्र.भोपाल

क्रमांक 3500 / विधि / एम-588 / नग्रानि / 04 /

भोपाल दिनांक 8.जुलाई.2004

प्रति,

1. संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय भोपाल ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
विकास प्राधिकरण-----
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण-----

विषय:-प्लाई ऐश के पुर्न उपयोग बाबत् माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में विचाराधीन
याचिका क्रमांक 2145 / 1999 बाबत् पालन प्रतिवेदन ।

-0-

उपरोक्त विषय में सूचित किया जाता है कि, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित
समिति की बैठक दिनांक 26.4.2004 में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

“प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण द्वारा अवगत कराया गया कि नोटिफिकेशन की
मंशा अनुसार ताप विद्युत गृह के 100. कि.मी के क्षेत्र में प्लाई ऐश से निर्मित इंटों का
उपयोग सुनिश्चित करने हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने वाले विभाग नगर पालिक,
विकास प्राधिकरण, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा अन्य स्थानीय संस्थायें निर्माण की
अनुमति देते समय उक्त शर्त का उल्लेख करें एवं पालन सुनिश्चित कराये। कृपया निर्णय
को लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

हस्ता / -

(एस.एन.मिश्रा)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक /विधि/एम-588/नग्रानि/04/

भोपाल दिनांक 8.जुलाई.2004

प्रतिलिपि-

अध्यक्ष , प्रदूषण निवारण मण्डल एवं सदस्य संयोजक , म.प्र प्रदूषण नियंत्रण मण्डल पर्यावरण परिसर , भोपाल की ओर उनके पत्र क्र 11260/तक/प्रनियों/2004 दिनांक 5.7.2004 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

हस्ता/-

(एस.एन.मिश्रा)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक—एफ—12/130/32/90

भोपाल दिनांक 9 जुलाई 2004

प्रति,

1. आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल
2. समस्त कलेक्टर्स , म.प्र.
3. समस्त नगर निगम , नगर पालिका मध्यप्रदेश
4. समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक नगर तथा ग्राम
निवेश म.प्र.

विषय:— एल.पी.ए क्रमांक 329/99 म.प्र. शासन , विरुद्ध गौतम नगर हाउसिंग
को—आपरेटिव सोसायटी भोपाल ।

—0—

विभाग के आदेश दिनांक 26 अगस्त , 87 द्वारा निर्देशित किया गया था कि 1.00 एकड़ से अधिक से अधिक के ऐसे भू-खण्ड जिनमें कालोनियों , आवास समूह विकसित करना प्रस्तावित हो, ऐसे वर्गों के लिये कम से कम 15 प्रतिशत भूमि सुरक्षित रखी जावेगी ।

यह सुरक्षित भूमि गंदी बस्ती निर्मूलन मण्डल या शासन द्वारा निर्देशित संस्था को दी जावेगी जो इस भूमि के क्रय की वास्तविक लागत के बराबर राशि भूमि को मालिक संस्था को देगा ।

कालोनियों के विकासकर्ताओं द्वारा न्यायालय में इस बात की चुनौती दी गई थी कि राज्य शासन बिना मुआवजा दिये इस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकता है, और न ही भूमि को नि शुल्क लेकर दूसरों को बॉट सकता है। याचिका क्रमांक 329/99 म.प्र. शासन विरुद्ध गौतम नगर को—आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी भोपाल में पारित उच्च न्यायालय से निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 73 में जारी आदेश नियमानुकूल नहीं था, अतः राज्य शासन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26 अगस्त 87, को एतद् द्वारा निरस्त अब यह प्रावधान किया जाता है कि दिनांक 26 अगस्त, 87 से 36 तक दिन आवासीय कालोनियों

में कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों के अविकसित 15 प्रतिशत भूमि आरक्षित की गई थी, उस भूमि का विकास , (भू-स्वामी) द्वारा अर्थात् भू-स्वामी द्वारा केवल कमजोर आय वर्ग व्यक्तियों के लिये किया जा सकेगा तथा इस भूमि पर विकास /निर्माण कमजोर आय वर्ग के अतिरिक्त अन्य आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये नहीं जा सकेगा । इस भूमि पर विकासकर्ता स्वयं कमजोर आय वर्ग के व्यक्ति के लिये ही भू-खण्ड अथवा भवनों का विकास एवं निर्माण दर , कमजोर आय वर्ग के आवासहीन व्यक्तियों को ही विक्रय कर सकेगा , तथा कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों की सूची संबंधित जिलों के कलेक्टरों से अभिप्रमाणित कराई जाना अनिवार्य होगा ।

हस्ता /-
(संत्यानंद मिश्रा)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन ,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

आदेश

क्रमांक-एफ-12/130/32/98/बत्तीस

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2004

प्रति,

1. संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश
2. समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश
3. आयुक्त नगर निगम , नगर
पालिका निगम मध्यप्रदेश
4. संयुक्त संचालक /उप
संचालक/सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालयम.प्र.।
5. मुख्य कार्यापालन अधिकारी ,
समस्त विकास प्राधिकरण,
म.प्र.।

विषय:-एल.पी.ए क्रमांक 329/99 म.प्र. शासन , विरुद्ध गौतम नगर हाउसिंग
को-आपरेटिव सोसायटी भोपाल ।

संदर्भ:-इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 15 अक्टूबर 2004 ।

-0-

मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा विषयांकित याचिका मे पारित आदेश
दिनांक 4.12.2003 के परिपालन में विभागीय आदेश क्रमांक एफ-12-130/98/32
दिनांक 15.10.2004 की कण्डिका-2 में उल्लेखित पांचवी लाईन के बाद निम्नानुसार पढ़ा
जावे :-

“ अब यह प्रावधान किया जाता है कि दिनांक 26.8.1987 से 30.4.1998 तक ”
शेष पंक्तियां यथावत रहेगी ।

हस्ता/-
(सी.बी.पड़वार)
अवर सचिव
म.प्र.शासन ,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी,म.प्र.भोपाल

क्रमांक / 4470 / टी.सी / सागर / 751 / 04 /
प्रति,

भोपाल दिनांक 31.8.2004

संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय समस्त ।

विषय:- नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के संबंध में ।

-0-

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के जिला कार्यालय प्रमुख की समीक्षा बैठक दिनांक 15.3.2004 का कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 6 के तारतम्य में लेख है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 1999, (25 सितम्बर 2000 भारत का राजपत्र) की छायाप्रति संलग्न कर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न-यथोपरि ।

हस्ता / -

(बी.एन.त्रिपाठी)

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र.शासन ,

**DIRECTORATE OF TOWN & COUNTRY PLANNING
PARAYAWARAN PARISAR , E-5 ARERA COLONY, BHOPAL(M.P)**

4821/ T&CP/M/Legal/8711

Bhopal dt. 23.9.2004

ORDER

In exercise of the powers conferred by section 75(2) of the Madhya Pradesh Bhopal Nagar Tatha Gram Nivesh, Adhinyam 1973 and in the super session of the all previous orders regarding delegation of powers, the following powers of the Director , Town & Country Planning , Madhya Pradesh Bhopal Under the Act are delegated to the various subordinate Officers as per the Schedule No 1 and authorized under rule 2(5) of M.P. Bhoomi Vikas Niyam 1984 with immediate effect, The respective jurisdiction of the various officers are detailed in schedule No.2.

**(S.N. Mishra)
Director
Town & Country Planning
Madhya Pradesh Bhopal Bhopal**

Endt. No- 4821/ T&CP/M/Legal8711

Bhopal dt. 23.9.2004

Copy to :

1. The Principal Secretary , Govt of M.P. , Housing & Environment
Department for information
2. All Addl. Directors , Town & Country Planning Bhopal .
3. All District Officers/Joint Director/ Dy. Director/Asst. Director, Town&
Country Planning District Office For information and necessary action.

**(S.N. Mishra)
Director
Town & Country Planning
Madhya Pradesh Bhopal Bhopal**

SCHEDULE-1
SCHEDULE OF POWERS DELEGATED BY THE DIRECTOR
TOWN & COUNTRY PLANNING , MADHYA PRADESH BHOPAL UNDER
MADHYA PRADESH BHOPAL NAGAR TATHA GRAM NIVESH ADHINIYAM,
1973
(ACT, 23 OF 1973 Schedule)

Sl.No	Section Of Act	Nature of Power delegated	Officer to whom power is delegated	Jurisdiction
1	5(i)(ii)	To prepare an existing land use map	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
2	6 (1) a (b)	To Carry out survey	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
3	8(2)	Power to hear and consider objection and suggestion received in respect of draft regional plan	Addl. Director (R)	Whole of Madhya Pradesh Bhopal
4	14(a)	To prepare an existing land use map	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
	(b)	To prepare a development plan for planning area		
	(d)	To carry such service and inspection and obtain such pertinent reports from		

Sl.No	Section Of Act	Nature of Power delegated	Officer to whom power is delegated	Jurisdiction
		Govt. Deptt. Local Authorities and Public institution as may be necessary for the preparation of the plans.		
5	15	To carry out surveys, to publish and adopt an existing land use maps.	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
6-	16(1) , A B	(A) Power to accord permission for institution or changing the use of any land or carrying out any development of land for any purpose other than that indicated in existing land use map	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
		(B) Power to permit Local Authority or other Authority to grant permission for change in use of land other than as indicated in land use map		

Sl.No	Section Of Act	Nature of Power delegated	Officer to whom power is delegated	Jurisdiction
7	27	Power to raise objections to the development by union or State Govt.	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
8	28	Power to raise objections to the development by a Local Authority or by any Authority Constituted under this act	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
9	29	Power to accord permission for development by others	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
10	30	power to grant or refuse permission	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
11	33	power to extend validity of permission	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
12	37	Power to require removal of unauthorized development and prosecute the owner for not complying with the notice	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction

Sl.No	Section Of Act	Nature of Power delegated	Officer to whom power is delegated	Jurisdiction
13	77	Right of entry	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
14	79	Cognizance of offence and authorization for filling compliant	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction

(S.N. Mishra)
Director
Town & Country Planning
Madhya Prades Bhopal

SCHEDULE-2**SCHEDULE SHOWING JURISDICTION OF THE VARIOUS OFFICERS OF
TOWN & COUNTRY PLANNING , MADHYA PRADESH BHOPAL**

SI.No	Designation of the Officer	Jurisdiction
1	Addl. Director , Town & Country Planning	Whole Of Madhya Pradesh Bhopal
2	Jt. Director , T & CP, Bhopal	Bhopal & Sehore District
3	Jt. Director , T & C P, Indore	Indore & Dhar District
4	Jt. Director , T & C P, Gwalior	Gwalior & Datia Districts
5	Jt. Director , T & C P, Jabalpur	Jabalpur & Narshingpur Disricts
6	Jt. Director , T & C P, Rewa	Rewa & Sidhi Districts
7	Jt. Director , T & C P, Sagar	Sagar , Damoh , & Tikamgarh Disrticts
8	Dy. Director , T & C P, Ujjain	Ujjain District
9	Dy. Director , T & C P, Khandwa	Khandwa, Khargone, Burhanpur & Barwani District
10	DY. Director , T & C P, Neemuch	Neemuch & Mandsaur Districts
11	DY. Director , T & C P, Satna	Satna Districts
12	DY. Director , T & C P, Dewas	Dewas & Shajapur Districts
13	DY. Director , T & C P, Shahdol	Shahdol, Annupur & Umariya Districts
14	DY. Director , T & C P, Guna	Guna, Ashok Nagar & Shivpuri Districts
15	Asstt. Director , T & C P, Hoshangabad	Hoshangabad & Harda Districts
16	Asstt. Director , T & C P, Chhindwara	Chhindwara, Seoni , & Balaghat Districts
17	Asstt. Director , T & C P, Ratlam	Ratlam Districts
18	Asstt. Director , T & C P, Vidisha	Vidisha & Raisen Districts
19	Asstt. Director , T & C P, Rajgarh	Rajgarh Districts
20	Asstt. Director , T & C P, Betul	Betul Districts

Sl.No	Designation of the Officer	Jurisdiction
21	Asstt. Director , T & C P, Chhatarpur	Chhatarpur & Panna Districts
22	Asstt. Director , T & C P, Bhind	Bhind , Morena & Sheopurkalan Districts
23	Asstt. Director , T & C P, Mandla	Mandla & Dindori Districts
24	Asstt. Director , T & C P, Jhabua	Jhabua Districts
25	Asstt. Director , T & C P, Katni	Katni Districts

(S.N.Mishra)
Director
T & C.Planning
M.P. Bhopal

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

आदेश

क्रमांक—एफ—12/130/32/98/बत्तीस

भोपाल दिनांक 15 अक्टूबर 2004

प्रति,

1. संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश
2. समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश
3. आयुक्त समस्त नगर निगम ,
नगर पालिका मध्यप्रदेश
4. संयुक्त संचालक /उप
संचालक/सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय
म.प्र.।
5. मुख्य कार्यापालन अधिकारी ,
समस्त विकास प्राधिकरण,
म.प्र.।

विषय:— एल.पी.ए क्रमांक 329/99 म.प्र. शासन , विरूद्ध गौतम नगर हाउसिंग
को—आपरेटिव सोसायटी भोपाल ।

—0—

मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा विषयांकित याचिका मे पारित आदेश दिनांक 4.12.2003 के परिपालन में विभागीय आदेश क्रमांक एफ—12—130/98/32 दिनांक 9.7.2004 द्वारा अंतिम कण्डिका में निम्नानुसार आदेश किये गये है:—

राज्य शासन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26 अगस्त , 1987 को एतद् द्वारा निरस्त करते हुए अब यह प्रावधान किया जाता है कि दिनांक 26.8.87 से 30.4.98 तक जिन आवासीय कालोनियों में कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये अविकसित 15 प्रतिशत भूमि आरक्षित की गई थी, उस भूमि का विकास , विकासकर्ता (भू—स्वामी) द्वारा अर्थात भू—स्वामी द्वारा केवल कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये किया जा सकेगा तथा इस

भूमि पर विकास/निर्माण कमजोर आय वर्ग के अतिरिक्त अन्य आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये नहीं किया जा सकेगा । इस भूमि पर विकास कर्ता स्वयं कमजोर आय वर्गके व्यक्तियों के लिये ही भू-खण्ड अथवा भवनों का विकास एवं निर्माण कर , कमजोर आय वर्ग के आवासहीन व्यक्तियों को ही विक्रय कर सकेगा तथा कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों की सूची संबंधित जिलों में कलेक्टर से अभिप्रमाणित कराई जाना अनिवार्य होगा ।

विभाग के उक्त आदेश के विरुद्ध सर्वहारा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित ग्वालियर द्वारा मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में प्रस्तुत अवमानना याचिका क्रमांक 129/2004 में पारित आदेश दिनांक 1.10.2004 के पालन में राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त उपर वर्णित विभागीय आदेश दिनांक 9.7.2004 की कण्डिका में उल्लेखित निम्न शर्त विलोपित किया जाती है:-

जिन आवासीय कालोनियों में कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये अविकसित 15 प्रतिशत भूमि आरक्षित की गई थी , उस भूमि का विकास विकासकर्ता(भू-स्वामी) द्वारा अर्थात् भू-स्वामी द्वारा केवल कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये किया जा सकेगा तथा इस भूमि पर विकास/निर्माण कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये ही भू-खण्ड अथवा भवनों का विकास एवं निर्माण कर कमजोर आय वर्ग के आवासहीन व्यक्तियों को ही विक्रय कर सकेगा , तथा कमजोर आय वर्ग के अतिरिक्त अन्य आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये नहीं किया जा सकेगा इस भूमि पर विकासकर्ता स्वयं कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए भूखण्ड अथवा भवनों का विकास एवं निर्माण कर व्यक्तियों की सूची संबंधित जिलों के कलेक्टरों से अभिप्रमाणित कराई जाना अनिवार्य होगा ।

हस्ता/-
(सी.बी.पड़वार)
अवर सचिव
म.प्र.शासन ,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)
आदेश

क्रमांक 7629 / 2004 / 32

भोपाल दिनांक 23 दिसम्बर 2004

प्रति,

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल ।

विषय:—शासन के पत्र व्यवहार किये जाने बाबत् ।

—0—

जिला कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा व्ही.आई.पी.रोड स्थित भूमियों बाबत् एकल नस्ती विभाग को भेजी गई थी। प्रकरण में सह बिलकुल स्पष्ट नहीं था कि नस्ती विभाग को किस निर्णय हेतु भेजी गई थी, इस प्रक्रिया को उचित नहीं कहा जा सकता है। विभाग द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 तथा विकास योजनाओं के प्रावधानों के अनुरूप कार्य किया जाता है।

2. प्रकरणों के निराकरण हेतु विभिन्न स्तर के अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शक्तियाँ प्रत्ययोजित की गई है। परन्तु फिर भी जिला कार्यालय द्वारा बिना किसी समुचित कारण के प्रकरण विभाग में भेजे जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को जहां एक और प्रकरणों के निराकरण में विलंब होता है, वहीं दूसरी ओर विभाग की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

3. जिला कार्यालय को भविष्य के लिये सचेत किया जाए कि वे विभाग से अनावश्यक पत्र व्यवहार न करें। विभाग के पत्र व्यवहार किये जाने की दशा में आपके माध्यम से निम्नलिखित बिन्दुओं पर जानकारी दर्शाते हुए प्रकरण भेजा।

1. प्रकरण की पृष्ठभूमि
2. प्रकरण से संबंधित धाराओं, नियमों एवं प्रावधानों का वर्णन।
3. प्रकरण के निराकरण में आ रही परेशानी।
4. शासन को प्रकरण प्रेषित करने की परिस्थितियों का विवरण।

5. जिला कार्यालय का स्पष्ट अभिमत ।
6. शासन से क्या निर्णय है तथा यह निर्णय किन प्रावधानों अथवा
4. अतः विभाग से पत्र व्यवहार करते समय उपरोक्त बिन्दुओं का समावेश किया जाये ।

हस्ता / -

(सी.बी.पड़वार)

अवर सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

क्रमांक

/2004 /32

भोपाल दिनांक दिसंबर 2004

प्रतिलिपि-

संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय भोपाल की ओर अग्रेषित कर लेख है कि 3 दिवस में विभाग को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें कि व्ही.पी.रोड के पास स्थित भूमियों बाबत नस्ती विभाग में बिना किसी प्रस्ताव के किस निर्णय हेतु प्रेषित की गई थी ।

हस्ता / -

(सी.बी.पड़वार)

अवर सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
“मंत्रालय”

क्रमांक 68/4983/2004/32
प्रति,

भोपाल दिनांक 05 जनवरी 2005

1. आयुक्त,
मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल
भोपाल।
2. संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
समस्त विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र
विकास प्राधिकरण मध्यप्रदेश

विषय :- विकास प्राधिकरणों की भूमि का डायवर्सन।

सभी विकास प्राधिकरणों की समीक्षा बैठक दिनांक 31.07.2004 में विकास प्राधिकरणों द्वारा यह तथ्य विभाग के सामने लाया गया था कि उनका मुख्य कार्य विकास योजना के क्रियान्वयन का है तथा निजी भूमियों पर योजना पर इस भूमि पर डायवर्सन भी करना होता है और एक लम्बी चेक लिस्ट होने के कारण काफी देर लगती है। अतः इसका सरलीकरण किया जाये।

2. राजस्व विभाग द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 में दिनांक 03.05.03 को संशोधन किया जाकर यह प्रावधान किया जा चुका है कि यदि कोई भूमि विकास योजना में कृषि भिन्न प्रयोजन के लिये अनुग्रहित है और ऐसी भूमि कृषि भिन्न प्रयोजन में व्यपवर्तित करने का प्रश्न है तो ऐसे व्यपवर्तन की अनुज्ञा की अनिवार्यता नहीं होगी। केवल उपखण्ड अधिकारी को लिखित जानकारी देना पर्याप्त होगी।

3. विकास प्राधिकरण अधिकांशतः प्रदेश के बड़े शहरों में है जहाँ विकास योजना (मास्टर प्लान) प्रभावी है। अतएव यदि कोई भूमि मास्टर प्लान में कृषि भिन्न प्रयोजन हेतु आरक्षित दर्शाई गई है तो ऐसे प्रयोजन में भूमि व्यपवर्तन की अनुज्ञा दिनांक 03.05.2003 के बाद आवश्यक नहीं रह गई है। यहाँ केवल सूचना देना ही पर्याप्त रहेगा

जिसके आधार पर प्रीमियम के अधिरोपण एवं पुर्ननिर्धारण की जाती है। अतः ऐसे प्रकरण से पृथक से कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

(बी.एन. त्रिपाठी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण
विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)
आदेश

क्रमांक-एफ-3-14 / 2005 / 32

भोपाल दिनांक 2 फरवरी 2005

प्रति,

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
भोपाल(म.प्र.)

विषय:-वर्तमान में जहाँगारीबाद स्थित लिली एवं गुँज बहादूर सिनेमा के भूमि उपयोग के दुरुस्तीकरण ।

संदर्भ:-आपकी टीप क्रमांक 12/स्टेनो/टी.एण्ड.सी.पी/05, दिनांक 24.1.2005

जहाँगीरबाद स्थित लिली एवं गुँजबहादूर सिनेमा (क.1035) के भू-खण्ड पर नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा दिनांक 9.6.1972 को अभिन्यास अनुमोदित किया गया था तत्पश्चात् दिनांक 23.8.78 अनुरूप वाणिज्यिक भू-उपयोग निर्दिष्ट दर्शाया गया है, परन्तु वर्तमान विकास योजना, 2005 में उक्त स्थल का भू-उपयोग मानचित्र में आवासीय दर्शाया गया है जो त्रुटि पूर्ण है क्योंकि वर्तमान में प्रश्नाधीन भू-खण्ड एवं उसके आसपास में क्षेत्र का उपयोग पूर्व से ही वाणिज्यिक हो रहा है।

1. अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 73 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भोपाल विकास योजना, 2005 के अध्याय 4 के बिन्दु 4.7 के प्रावधान अनुसार संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश को निर्देशित करती है के प्रश्नाधीन भू-खण्ड जो कि भोपाल विकास योजना 2005 के मानचित्र में त्रुटिपूर्ण रूप से दर्शित भू-उपयोग आवासीय को वाणिज्यिक मान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/-

(बी.एन.त्रिपाठी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

**संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल**

क्रमांक / 650 / टी.सी / सरकुलर
प्रति,

भोपाल दिनांक 14.02.05

संयुक्त संचालक / उपसंचालक / सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय..... ।

विषय:- शासन से पत्र व्यवहार किये जाने बाबत ।

शासन के पत्र क्रमांक 7629/2004/32 भोपाल दिनांक 23.12.04 द्वारा निर्देश दिये गये है कि विभाग द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 एवं विकास योजनाओं के प्रावधानों के अनुरूप कार्य किया जाता है ।

2 प्रकरणों के निराकरण हेतु विभिन्न स्तर के अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत शक्तियों प्रत्यायोजित की गई है परन्तु फिर भी जिला कार्यालय द्वारा बिना किसी समुचित कारण के प्रकरण संचालनालय में भेजे जा रहे हैं । इसी प्रक्रिया से जहाँ एक ओर प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब होता है वहीं दूसरी ओर संचालनालय की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडता है ।

3 जिला कार्यालय को भविष्य के लिए सचेत किया जाता है कि वे संचालनालय से अनावश्यक पत्र व्यवहार न करें। संचालनालय से पत्र व्यवहार किये जाने की दशा में निम्नलिखित बिन्दुओं पर जानकारी दर्शाते हुए प्रकरण भेजे जाये ।

- 1 प्रकरण की पृष्ठभूमि
- 2 प्रकरण से संबंधित धाराओं नियमों एवं प्रावधानों का वर्णन
- 3 प्रकरण के निराकरण में आ रही परेशानी
- 4 संचालनालय में प्रकरण प्रेषित करने की परिस्थितियों का विवरण ।
- 5 जिला कार्यालय का स्पष्ट अभिमत ।
- 6 संचालनालय से क्या निर्णय अपेक्षित है यह निर्णय किन प्रावधानों / अथवा परिस्थितियों में मांगा जा रहा है ।

**(डी.के. शर्मा)
अपर संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 भोपाल
दूरभाष - 242791**

संचालनालय ग्राम तथा निवेश
पर्यावरण परिसर ई 7 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक / 1166 नग्रानि / विधि / एम-567 / 05

भोपाल दिनांक 16.03.05

// आदेश //

म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3 / 121 / 2003 / 32 के अनुक्षरण में म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 75 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 27, 29 एवं 30 की संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रयोगात्मक शाक्तियां आयुक्त विशेष आर्थिक परिक्षेत्र इन्दौर को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले औद्योगिक क्षेत्र के भूमि विकास के प्रस्ताव को अनुमोदित करने हेतु प्रत्यायोजित की जाती है।

अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 4 के प्रावधानानुसार भूमि विकास की अनुज्ञा म0प्र0 भूमि विकास अधिनियम 1984 के प्रावधान अनुसार ही दी जाना है। अतः जिन शर्तों पर यह नियम प्रभावशील हैं वहां पर म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के दो के उप नियम 5 खण्ड क के अन्तर्गत भूमि विकास के प्रस्ताव का अनुमोदित करने हेतु उपरोक्त पैरा एक में दर्शाये अधिकारी को प्रभावित किया जाता है।

(एस. एन. मिश्रा)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल

पृक्रमांक / 1166 नग्रानि / विधि / एम-567 / 05

भोपाल दिनांक 16.03.05

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन वाणिज्यिक उद्योग एवं रोज़गार विभाग भोपाल।
2. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग भोपाल
3. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन नगर प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल।
4. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल
5. आयुक्त उद्योग म0प्र0 भोपाल
6. आयुक्त पंचायत एवं सामाजिक न्याय भोपाल।
7. अपर संचालक तकनीकी प्रकोष्ठ नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की और आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 8 आयुक्त विशेष आर्थिक परिक्षेत्र इन्दौर की ओर भेजकर निवेदन है कि प्रत्येक स्वीकृति जो प्रदान की जाय उसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल को भेजी जाये।
- 9 संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(एस. एन. मिश्रा)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल

**संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर,ई-5 अरेरा कालोनी म. प्र. भोपाल**

क्रमांक 2330 / विधि / एम 460
प्रति,

भोपाल दिनांक 20.05.2005

समस्त कलेक्टर

जिलाम.प्र.।

विषय:—निवेश क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायतों में निर्माण / विकास कार्यों की स्वीकृति के संबंध में ।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत ध्यान में यह लाया गया है कि अनेको ग्राम पंचायतों द्वारा निवेश क्षेत्र में बिना संचालनालय से विकास / निर्माण की अनुमति / अनापत्ति प्राप्त किये अनियोजित तरीके से विकास निर्माण , बहुमजिले भवनों आदि की अनुमति प्रदान की जा रही है जो कि वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है ।

म.प्र पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 49, 55, 97 के अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भवन निर्माण की अनुज्ञा देने हेतु आदर्श उपविधियों तैयार की गई है । उपविधियों के नियम 5 में स्पष्ट उल्लेख है कि भवन अनुज्ञा आवेदन पर विचार करने में ग्राम पंचायतों को सहायता करने हेतु नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय के अधिकारी से परामर्श प्राप्त किया जायेगा ।

इसी प्रकार बहुमंजिला भवन के प्रकरण में म.प्र भूमि विकास नियम 1984 के नियम 14 के अधीन गठित समिति के द्वारा स्पष्टता समाशोधन पाने के बाद ही अनुज्ञा दी जाना है ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि म.प्र के अधिकांश बड़े एवं मझोले नगरों के निवेश क्षेत्र निर्धारित हो चुके हैं और उन पर म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 लागू है ।

भवन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु सभी जिला प्रमुखों की उनके क्षेत्राधिकार के निवेश क्षेत्रों में कार्य करने हेतु प्राधिकृत भी किया जा चुका है ।

अतएव उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप अपने अधीनस्थ आने वाले ग्राम पंचायतों को इस स्थिति से अवगत कराते हुए

निवेश क्षेत्र मे विकास/निर्माण की अनुज्ञा जारी करने के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारी से आवश्यक अनमुति /अनापत्ति प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि नगर के चारो, ओर हो रहे बेतरतीब , अनियोजित एवं अप्राधिकृत विकास पर प्रभावी रोक लगाई जा सके ।

(एस.एन.मिश्रा)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल

भोपाल दिनांक 20.05.2005

क्रमांक 2331/विधि/एम 460

प्रतिलिपि

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत ----- ।
2. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे संरपंचों द्वारा की जा रही अप्राधिकृत कार्यवाही से कलेक्टर को अवगत कराकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आग्रह करें ।

(एस.एन.मिश्रा)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल

पश्चिम मध्य रेल कार्यालय
मण्डल रेल प्रबंधक (कार्य)

पत्रांक :-भोपाल/कार्य/भूमि/3924/ए/56
प्रति,

दिनांक:- 24.5.2005

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल (म.प्र.)

विषय:-रेल्वे भूमि का सीमांकन बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 068/न.या.नि./जि.का/2005 दिनांक 15.4.2005

उपरोक्त विषय अंतर्गत आपके संदर्भित पत्र का अवलोकन लेख है कि आपके द्वारा संयुक्त सीमांकन के पश्चात् रेलवे की अलंगा दीवार के अंदर 7.37 मीटर अर्थात् 25 फीट चौड़ाई में सड़क निर्माण कार्य प्रस्तावित किया जाना दर्शाया गया है , जो कि पूर्णतय अनुचित है एवं रेलवे की अलंगा दीवार के अंदर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड की वर्तमान प्रचलित नियम अनुसार एवं भारतीय रेल पथ नियमावली के पैरा 3728(ई) के अनुसार रेल भूमि सीमा में 30 मीटर तक सड़क अथवा भवन आदि निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

वर्तमान में हबीबगंज-भोपाल सेक्शन पर तीसरी लाईन का प्रस्ताव/कार्य प्रगती पर है। अतः आपके द्वारा दर्शाये गये प्रस्ताव पर रेल प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार के निर्माण रेल कार्य की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

उपरोक्तानुसार जानकारी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

परि.मण्डल अभियंता(सम)
भोपाल

प्रतिलिपि-

1. अपर आयुक्त नगर निगम सदर मंजिल भोपाल के उनके पत्र क्र.अ. आ/स्टेना/2005 दिनांक 12.5.2005 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
2. नजूल अधिकारी (शहर)भोपाल को उनके पत्र क्रमांक 365/नजूलशहर/05 दिनांक 11.4.2005 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
3. सहायक मण्डल अभियंता (अनु) भोपाल को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु ।
4. श्री सुनील गुप्ता जोन-1 एम.पी नगर भोपाल को सूचनार्थ ।

परि.मण्डल अभियंता(सम)
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
“मंत्रालय”

क्रमांक एफ-3-71/2005/32

भोपाल दिनांक 30 अगस्त 2005

प्रति

संचालक,

नगर तथा ग्राम निवेश

भोपाल, म0प्र0

विषय :- मांगलिक भवन/मैरिज गार्डन हेतु मापदण्ड।

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 73(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश की समस्त विकास योजनाओं में मांगलिक भवन/मैरिज गार्डन के निर्माण व संचालन हेतु निम्न मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं:-

- 1 भूमि उपयोग जिस पर मांगलिक भवन/मैरिज गार्डन स्वीकार्य नहीं होंगे –
आमोद-प्रमोद यातायात एवं सार्वजनिक सेवा व सुविधा हेतु निर्दिष्ट भूमि उपयोग पर मांगलिक भवन/मैरिज गार्डन स्वीकार्य नहीं होंगे, शेष समस्त भूमि उपयोगों में मांगलिक भवन/मैरिज गार्डन स्वीकार्य उपयोगों की श्रेणी में मान्य किये जाते हैं।
- 2 भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्र-4000 वर्गमीटर
- 3 भूखण्ड का अग्रभाग -न्यूनतम 40 वर्गमीटर
- 4 भूखण्ड का सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई-18 वर्गमीटर
- 5 एफ ए. आर- 1:0:15
- 6 भूतल कवरेज- 10 प्रतिशत अधिकतम
- 7 एम.ओ.एस- अग्रभाग - भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल का 35 प्रतिशत पार्किंग हेतु छोड़ने के पश्चात् 4.50 मीटर न्यूनतम अन्य तीनों ओर - 6.0 मीटर न्यूनतम

- 8 पार्किंग – मांगलिक भवन/ मैरिज गार्डन से जनित होने वाली समस्त पार्किंग परिसर के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा। सामने छोड़े जाने वाले 35 प्रतिशत पार्किंग के क्षेत्रफल पर पार्किंग लाट विकसित किया जाना आवश्यक होगा।

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार**

(सी.बी.पडवार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रतिलिपि—

1. संयुक्त संचालक/उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल।

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार**

(सी.बी.पडवार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक-एफ-3/75/2005/32

भोपाल दिनांक 12 सितम्बर 2005

प्रति,

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

विषय:- रिटेल (आउटलेट) पेट्रोल पम्प स्थापित करने के संबंध में ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 3796/टी.सी/छिन्दवाड़ा/18, दिनांक 17.8.2005

-0-

संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। आपके प्रस्ताव अनुसार रतलाम , खजुराहो , चन्देरी , रीवा , चित्रकूट, सांची , नीमच , सतना , बीना , सागर आदि नगरों की विकास योजनाओं में आमोद-प्रमोद भूमि उपयोग में पेट्रोल पंप स्वीकार्य गतिविधि में सम्मिलित है। संवेदनशील क्षेत्र जैसे तालाब से लगा हुआ क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र , जलग्रहण इत्यादि के आस-पास के क्षेत्रों को विकास योजना प्रस्तावों में आमोद-प्रमोद भूमि उपयोग दर्शाया जाता है। अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 73 (1) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश की समस्त विकास योजनाओं में आमोद-प्रमोद की भूमियों में अन्य नगरों की विकास योजनाओं की भांति पेट्रोल पंप स्वीकार्य गतिविधि मान्य करने हेतु संचालक नगर तथा ग्राम निवेश को अधिकृत किया जाता है।

2. इन सभी प्रकरणों में निर्णय संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा ही लिया जावेगा । निर्णय लेने की शक्तियों अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की प्रत्यवर्तित नहीं की जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
(सी.बी.पड़वार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक—एफ—5—23 / 2003 / 32

भोपाल दिनांक 14 अक्टूबर 2005

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागध्यक्ष
2. समस्त संभागीय आयुक्त
मध्यप्रदेश
3. समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश
4. संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल
5. आयुक्त , म.प्र गृह निर्माण मण्डल
भोपाल ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / समस्त
विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास
प्राधिकरण म.प्र.

विषय:— पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली इकाईयों की जानकारी बाबत ।

—0—

विषयांतर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , नई दिल्ली को अधिसूचना क्रमांक —एसओ 80 (ई) दिनांक 7 जुलाई, 2004 , जिसके द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 27.1.1994 में संशोधन कर अनुसूची —एक में नई निर्माण परियोजनाओं एवं नई औद्योगिक संपदाओं को जोड़ गया है कि छायाप्रति संलग्न है ।

2. उक्त संशोधन अधिसूचना के अनुसार 1000, व्यक्तियों या उससे अधिक की नई टाउनशिप , औद्योगिक टाउनशिप , रहवासीय कालोनी , व्यवसायिक परिसर होटल परिसर , अस्पताल परिसर , कार्यालय परिसर या प्रतिदिन 50 किलो मीटर या उससे अधिक जल—मल निकासी करने वाली अथवा 50 करोड़ या उससे अधिक निवेश की कोई निर्माण परियोजना एवं ऐसी औद्योगिक संपदाये , जिनका क्षेत्र कुछ भी हो एवं जिनसे प्रदूषण की संभावना अधिक हो , 50 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्र का उपयोग करने हेतु स्थान देने वाली औद्योगिक संपदाओं को भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है ।

3. उक्त के अध्याधीन निम्न परिस्थितियों में भी पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है:—

- (1) ऐसी निर्माण परियोजनाएँ , जिनका निर्माण नींव प्लीथ है ।
- (2) ऐस नई औद्योगिक क्षेत्र, जिसके निर्माण हेतु कुल राशि का 25 प्रतिशत से कम व्यय हुआ है ।

4. निर्देशानुसार निवेदन है कि आपके विभाग के अंतर्गत आने वाली ऐसी किसी भी परियोजना को स्वीकृति देने से पूर्व उनको भारत सरकार से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है तथा ऐसी किसी भी इंकाई द्वारा बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के स्थल पर कार्य प्रारंभ न किया जावे ।
5. कृपया उपरोक्त अधिसूचना के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी प्रोजेक्ट्स, जो आपके विभाग के द्वारा अनुमोदित किये गये हो अथवा अनुमोदन के लिये विचारोद्धिन हो, उनकी चिन्हित कर सूची भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजते हुए एक प्रति म.प्र. प्रदूषण निवारण मण्डल को भी भेजे ।

संलग्न—यथोपरि हस्ता /—

(आर.के.त्यागी)

उप सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल दिनांक 14 अक्टूबर 2005

क्रमांक—एफ—5—23 / 2003 / 32

प्रतिलिपि—

1. भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन लिंक रोड न0 3 ई—5 रविशंकर, नगर भोपाल की ओर उनके पत्र क्र—10—5 / 98(ईएनव्ही) / 1867 दिनांक 14.9.05 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रषित ।
2. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर उनके प.क्र 17046 / परि / प्रनिबो / 05 दि 12.9.02005 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रषित ।

हस्ता /—

(आर.के.त्यागी)

उप सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक —एफ 3—92 / 2006 / 32 /
प्रति,

भोपाल, दिनांक 05 सितंबर 2006

- | | |
|---|---|
| 1. आयुक्त सह संचालक,
म.प्र. गृह निर्माण मण्डल,
भोपाल। | 6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
समस्त विकास प्रधिकरण/
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
म.प्र.। |
| 2. संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल। | |
| 3. आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल। | 7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
समस्त नगर पालिक / नगर
पंचायत, म.प्र.। |
| 4. समस्त कलेक्टर,
जिला.....
म.प्र. | |
| 5. आयुक्त
नगर निगम.....
म.प्र.। | |

विषय:—नगरीय क्षेत्रों में जल निकासी की समस्या के निराकरण बावत।

—000—

पूरे प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण नगरीय क्षेत्रों के मकानों के अंदर 5 से 10 फीट तक का पानी चला गया। इस कारण से काफी जान-माल की हानि हुई है एवं प्रशासन को भी कई प्रकार की समस्याओं से जुझना पड़ रहा है। शहरों में निकासी नहीं होने की मुख्य समस्या यह है कि नगरों में जो नैसर्गिक नाले स्थित है या तो उन नालों पर अथवा नालों के दोनो ओर वैध अवैध रूप से निर्माण कार्य कर लिया गया है। इस कारण से बरसात का पानी सीधे नालों में नहीं पहुंच पाता है तथा नालों की चौड़ाई कम करने के कारण भी उनकी बहाव क्षमता कम हो गई है।

2/ प्रदेश की विकास योजनाओं में प्रावधान है कि नगर के नाले के दोनो ओर 3-3 मीटर खुला क्षेत्र रख की अनुमति दी जायें एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 50 (ख) में प्रावधान है कि भूमि के उसी हिस्से का उपयोग के लिये नहीं किया जा सकेगा यदि स्थल उच्चतम जल चिन्हों से 9 मीटर के भीतर हो यदि आसपास में कोई बड़ा जल प्रवाह हो तथा उससे भूखण्ड की दूरी औसत उच्च बाढ़ चिन्ह से 9 मीटर या जल प्रवाह की निश्चित सीमा से 15 मीटर होगी, जो भी अधिक हो। नालों के संरक्षण बावत् मध्यप्रदेश भूमि

विकास नियम 1984 एवं विकास योजना में प्रावधानानुसार नियमों का पालन स्थानीय संस्थाओं द्वारा नहीं करवाया जा रहा है।

3/ अतः मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 50 (ख) के प्रावधानों के तहत समस्त नगरों से गुजरने वाले नालो में उक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ताकि बरसात का जल आसानी से नगर के बाहर प्रवाहित हो सके ताकि शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति भविष्य में उत्पन्न न हो।

(सी.बी.पड़वार)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

ई-5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, म.प्र.भोपाल

क्रमांक / 5718 / टी.सी. / इन्दौर / 394 / 04

भोपाल दिनांक 07.12.2005

प्रतिलिपि—

संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक / नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल को कृपया सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

हस्ता /—

(शुभाशीष बैनर्जी)

उप संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

भोपाल,

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1022 / 8099 / 2006 / 32

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2007

प्रति,

संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल।

विषय:—ग्राम लाऊखेड़ी स्थित भूमि खसरा क्र. 70 / 1,1,177 रकबा 9.45 एकड़ भूमि से स्वीकृत अभिन्यास में संशोधन।

संदर्भ:—आपकी टीप यू.ओ. क्रमांक 223 / स्टेनों / डीटीसीपी / दिनांक 19.01.07.

—000—

संदर्भित टीप का कृपया अवलोकन करें। प्रकरण में विधि विभाग समस्त प्राप्त किया गया। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। यद्यपि विधि विभाग ने अंश भाग के अभिन्यास को संशोधन करने का अभिमत दिया है तथापि अभिन्यास के अंश भाग को संशोधन किया जाना नियोजन की दृष्टि से उचित नहीं है।

अतः किसी ऐसे पूर्ण भूमि के अभिन्यास को संशोधित किया जा सकता है जिसका विकास प्रारंभ ही न हुआ हो। साथ ही संचालक चाहे तो ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकता है जैसी कि नियोजन की दृष्टि से उचित समझी जाए।

संलग्न:— संचालनालय की मूल नस्ती।

(सी.बी.पड़वार)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-3-27 / 07 / 32 /
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14.05.2007

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल।

विषय:-ग्राम लाऊखेड़ी स्थित भूमि खसरा क्र.त्रमांक 70/1, 177 रकवा 9.45 एकड़ भूमि से
स्वीकृत अभिन्यास में संशोधन।

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक 755/एल पी-161/29/नग्रानि/जिका/06-07
दि.26.11.2001.

-000-

संदर्भित पत्र के द्वारा स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था अतः विस्तृत रूप
से प्रकरण के तथ्य पुनः विधि विभाग की अभिमत हेतु भेजे गये थे जिस पर विधि विभाग का
अभिमत दिनांक 05.05.2005 की प्राप्त हुआ है जिसकी छायाप्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न
प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तपानुसार।

(वर्षा नावलेकर)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

विषय:—ग्राम लारुखेड़ी स्थित भूमि खसरा क्र.त्रमांक 70/1, 177 रकवा 9.45 एकड़ भूमि से स्वीकृत अभिन्यास में संशोधन।

R.No. 220/07-----

पू०वृ०से०

म०प्र० नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973, जिसे आगे के नाम से संबोधित किया जावेगा, के अंतर्गत किसी योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ हो जाने के उपरांत किसी भी प्राधिकारी को स्वीकृत अभिन्यास में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अभिन्यास एक बार स्वीकृत हो चुका है तथा उसके मुताबिक अधिकांश भाग पर उसका क्रियान्वयन भी हो चुका है। अधिनियम की धारा 31 में अभिन्यास स्वीकृत होने के बाद अपील का प्रावधान है, जिसके अनुसार अधिनियम की धारा 30 के अधीन पारित से व्यथित व्यक्ति आदेश की सूचना मिलने में 30 दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकेगा। अधिनियम द्वारा पारित आदेश अधिनियम की धारा 32 के अधीन रहते हुए यह आदेश अंतिम होगा।

अधिनियम की धारा 32 के अनुसार राज्य सरकार 12 माह की अवधि के भीतर प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर उचित आदेश पारित कर सकता है। इस धारा के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति भी 30 दिन के भीतर निगरानी आवेदन पेश कर सकता है, जिस पर राज्य सरकार सुनवाई के उपरांत उचित आदेश पारित कर सकता है एवं धारा 32 के अंतर्गत पारित आदेश अंतिम हो जावेगा। इस प्रकार अधिनियम की धारा 31 एवं 32 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् पूर्व स्वीकृत अभिन्यास में किसी तरह के परिवर्तन की अनुमति दिये जानें का प्रावधान नहीं है।

अधिनियम की धारा 33 में स्पष्ट प्रावधान है कि धारा 30 के अंतर्गत स्वीकृत अनुमति 3 वर्ष की कालावधि तक प्रभावशील रहेगी एवं तत्पश्चात् वह समाप्त हो जावेगी। तथापि आवेदन करने पर संचालक अवधि को बढ़ा सकेगा जो कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। धारा 33 समग्र अभिन्यास के बारे में है अर्थात् एक बार अभिन्यास का क्रियान्वयन प्रारंभ होने के बाद धारा 33 के प्रावधान भी ऐसे लागू नहीं होंगे।

उपर्युक्त विधिक स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि निर्धारित समयावधि में अधिनियम की धारा 31 एवं 32 के उपचारों का प्रयोग करने के अतिरिक्त अधिनियम में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है, जिनके अंतर्गत विकासकर्ता कालोनी या एजेंसी द्वारा

अभिन्यास में परिवर्तन/उपांतरण हेतु आवेदन स्वीकार करके अभिन्यास में परिवर्तन
या उपांतरण स्वीकृत किया जा सके।
(सचिव विधि द्वारा अनुमोदित)

(रघुवीर सिंह चुण्डावत)
अपर सचिव, एवं
अपर विधि परामर्शी
म0प्र0 शासन,
विधि विभाग,
5.5.05
फोन-2441196

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय

क्रमां एफ-3/93/2005/बत्तीस
प्रति,

भोपाल, दिनांक 8.6.2007

1. संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
भोपाल, म.प्र.।
2. आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
समस्त नगर पालिक निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
समस्त विकास प्राधिकरण,
----- म.प्र.
4. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला-कार्यालय ---म.प्र.।

विषय:- भूखण्डों के संयुक्तिकरण बाबत।

संदर्भ:- विभागीय ज्ञाप क्रमांक एफ-3-93/2005/32 भोपाल दिनांक 26.नवंबर
2005, -0-

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र तत्काल प्रभाव से विचारोपरान्त आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है।

(सी.बी.पड़वार)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-3/93/2005/32

भोपाल, दिनांक 08/07/07

प्रति,

1. संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल।
2. आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
समस्त नगर पालिका निगम नगर पंचायत
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
समस्त विकास प्राधिकारण
.....म.प्र.।
4. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय.....म.प्र.।

विषय:—भूखण्डों के संयुक्तिकरण बावत्।

संदर्भ:— विभागीय ज्ञाप क्र. —एफ-3-93/2005/32 भोपाल दिनांक 26 नवम्बर 2005

—000—

उपरोक्त विषय में अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की टीप क्रमांक 44/1496/2007/1/8 दिनांक 04/07/07 मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र तत्काल प्रभाव से विचारोपरान्त आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है।

(सी.बी.पड़वार)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्र./4578/विधि/एम 612/नग्रानि/2007

भोपाल, दिनांक 17/09/07

// आदेश //

म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 14 के उप नियम (1) परंतु के प्रावधानांतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में ऊंचे भवनों की अनुज्ञा हेतु स्थल अनुमोदन समिति के लिए नगर तथा ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक/उप संचालकों को कॉलम 3 में दिए गए जिलों के लिए "सदस्य सचिव" नाम निर्दिष्ट किया जाता है।

क्र.	पद का नाम	कार्यक्षेत्र (जिला)
1	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल	भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, विदिशा रायसेन, राजगढ़, बैतूल
2	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, इंदौर	इंदौर, धार, झाबुआ
3	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर	ग्वालियर, दतिया, भिण्ड, मुरैना, श्योरपुर कलां
4	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जबलपुर	जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, कटनी
5	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रीवा	रीवा, सीधी
6	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, सागर	सागर, दमोह, टीकमगढ़ छतरपुर, पन्ना
7	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन	उज्जैन, रतलाम
8	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, खंडवा	खंडवा, खरगौन, बुरहानपुर, बड़वानी
9	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नीमच	नीमच, मंदसौर
10	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, सतना	सतना
11	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, देवास	देवास, शाजापुर
12	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, शहडोल	शहडोल, अनुपपुर, उमरिया,
13	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, गुना	गुना, अशोकनगर, शिवपुरी

(दीप्ति गौड़ मुकर्जी)
संचालक
संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

पृ. क्र./4579/विधि/एम-612/नग्रानि/2007 भोपाल,दिनांक 17/09/07
प्रतिलिपि:-

- 1.सचिव, म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग भोपाल ।
- 2.संभागीय आयुक्त राजस्व संभाग.....को सूचनार्थ ।
- 3.जिला कलेक्टर जिला.....को सूचनार्थ ।
- 4.संयुक्त संचालक/उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय..... ।
- 5.सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय..... ।
निर्देशित है कि आपके कार्यालय के क्षेत्राधिकार में ऊंचे भवनों के प्रकरणों को विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित संयुक्त संचालक/उप संचालक (सदस्य सचिव) का प्रस्तुत करेंगे ।
- 6.पुलिस अधीक्षक,..... ।
- 7.आयुक्त, नगर पालिका निगत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका..... ।
- 8.अधीक्षण यंत्री (भवन/सड़क) लोक निर्माण विभाग (म.प्र.)..... ।
- 9.संभागीय यंत्री./संबंधित अधिकारिता, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड..... ।

(दीप्ति गौड़ मुकर्जी)
संचालक
संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक 1356 / 1809 / 32-1

भोपाल दिनांक 04.06.2009

प्रति,

1. आयुक्त ,
म.प्र गृह निर्माण मण्डल
भोपाल
2. संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल
3. अधीक्षण यंत्री
राजधानी परियोजना प्रशासन
भोपाल
4. समस्त विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र
विकास प्राधिकरण म.प्र.
5. समस्त नगर निगम
मध्यप्रदेश
6. मुख्य नगर पालिक अधिकारी
समस्त नगर पालिका
मध्यप्रदेश

विषय:- आवासीय कालोनियों / परिसरों को विकसित करने में मूलभूत सुविधाओं एवं आवश्यकताओं का प्रावधान ।

-0-

राज्य शासन के ध्यान में यह बात आई है कि प्रायः आवासीय कालोनी/परिसरों को विकसित करते समय उनमें विभिन्न प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं का प्रावधान नहीं किया जाता है जबकि स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण की दृष्टि से इनका प्रावधान किया जाना आवश्यक है। राज्य शासन के जन संकल्प 2008 के अंतर्गत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मुख्य बिन्दु क्रमांक-9 में यह व्यवस्था की गई है। कि " समस्त आवासीय कालोनियों में सार्वजनिक उद्यान का निर्माण और रखरखाव सुनिश्चित किया जायेगा।

2. अतः निर्माणाधीन एवं निर्मित कालोनियों/आवासीय परिसरों में निम्नानुसार व्यवस्थायें की जाना वांछनीय होगा । अतः उन्हें सुनिश्चित किया जाये :

1. कालोनियों में अनुमोदित अभिन्यास के अनुरूप छोड़े गये खुले स्थानों के विकास में पार्क , बगीचे एवं वृक्षों का समूह , छोटे बच्चों के खेल के स्थान , उचित प्रकाशा , पेयजल व्यवस्था , जल-मल निकासी की व्यवस्था सड़क एवं भवन निर्माण के साथ ही पूर्ण की जाये इसके बिना विकास पूर्ण नहीं माना जाये।

2. यथासंभव प्रत्येक कालोनी का लैण्डस्केप प्लान बनाया जावे जिसमें पेड़ों की स्थिति उनकी बॉटनिकल क्षमताओं के अनुरूप स्थानीय जलवायु एवं मिट्टी के अनुरूप तैयार की जावे ।
3. लेण्डस्केपिंग प्लान इस तरह तैयार किया जावे कि उसमें जल की आवश्यकत न्यूनतम रहे। पार्क , बगीचों के पौधों / पेड़ों की प्रजाति इस प्रकार रखी जावे कि उनका रखरखाव कम से कम जल की मात्रा में हो सके।
4. बिजली प्रदाय के तारों / सर्विस लाईन के कारण वृक्षों को यथासंभव काटा न जाये।

हस्ता /—
(आर.के.त्यागी)

उप सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल दिनांक 04.06.2009

क्रमांक 1356 / 1809 / 32-1

प्रतिलिपि—

1. भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन लिंक रोड न0 3 ई-5 रविशंकर , नगर भोपाल की ओर उनके पत्र क्र-10-5/98(ईएनव्ही)/1867 दिनांक 14.9.05 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रषित ।
2. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर उनके प.क्र 17046/परि/प्रनिबो/05 दि 12.9.02005 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रषित ।

हस्ता /—

(आर.के.त्यागी)

उप सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक / 4355 /

भोपाल दिनांक 09.09.10

परिपत्र

विषय:—किसी भवन के विकास निर्माण पुननिर्माण अथवा उसके किसी भाग में परिवर्तन करने के लिए प्रथम आवेदन पत्र का प्रारूप।

विकास अनुज्ञा के प्रकरणों को जिला कार्यालय द्वारा अधिनियम की धारा 29 में जो निजी व्यक्तियों के प्रकरण प्राप्त किये जाते हैं वे म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के परिशिष्ट "क" (नियम) 17 (1) एवं धारा 29 के अधीन प्रारूप 7 नियम 12 में प्राप्त किये जाते हैं।

सभी जिला कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे सिंगल विंडो प्रणाली अपनाये जिस पर निर्धारित अवधि में तकनीकी कार्यवाही आवेदनों की जांच कर प्राप्ति रसीद दे सकें तथा नियम 17 (1) में सूचना के साथ भेजी जाने वाली जानकारी सूचना के साथ उपनियम 2 से 12 तक विहित किये गये प्रावधान अनुसार पूर्ण प्रकरण एक बार में ही प्राप्त करें। अपूर्ण प्रकरण किसी भी दशा में स्वीकार्य न किये जाए।

पूर्ण प्रकरण प्राप्त कर आवेदक को 15 दिवस का समय दिया जाए कि वो परीक्षण किये गये अथवा सुधार किये गये मानचित्र जो कि दस्तावेजों एवं स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर होंगे, को प्राप्त करें एवं एक सप्ताह के अन्दर अंतिम रूप से सुधारे हुए मानचित्रों को पुनः कार्यालय में जमा करायें। दो बार जमा कराये गये मानचित्रों (प्रकरण) की रसीद आवेदक को दी जाए। द्वितीय बार प्राप्त मानचित्रों (प्रकरणों) का निराकरण अधिक से अधिक 15 दिवस में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अधिनियम में दिये गये अधिकतम सीमा 60 दिवस की प्रतीक्षा न की जाए। प्रकरण प्राप्त होने पर आवेदक को रसीद दी जाए तथा उस पर यह भी सूचित किया जाए कि प्रथम बार 15 दिवस होने पर उसे किस दिनांक को संशोधित मानचित्र प्राप्त करने हेतु उपस्थित होना है तथा 7 दिवस पश्चात् द्वितीय बार संशोधित मानचित्र प्राप्त कर पुनः उसे एक निश्चित तिथि लगभग 15 दिवस तक की दी जाए ताकि उस दिन आवेदक अनुमोदित मानचित्र प्राप्त कर सकें।

आवेदक को कार्यालय के किन्हीं दो अधिकारियों/कर्मचारियों के ई-मेल एड्रेस तथा मोबाइल नम्बर दिये जाए। जिला कार्यालय द्वारा दी जाने वाली अनुमतियों को प्रत्येक दिन कार्यालयीन वेब साईट पर लोड किया जाए तथा इन अनुमतियों को उसी दिन कॉरडिनेशन मेप में भी अंकित किया जाए।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0, भोपाल

क्रमांक / 4356 /

भोपाल दिनांक 09.09.10

प्रतिलिपि :-

- 1/ प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, को कृपया सूचनार्थ।
- 2/ संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय।

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0, भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
ई-5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, म0प्र0, भोपाल

क्रमांक /4946/विधि /नग्रानि/
प्रति,

भोपाल,दिनांक 12.10.2010

संयुक्त संचालक/ उप संचालक/सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय.....

विषय:-किसी भूमि / भवन विकास, निर्माण पुननिर्माण अथवा ऐसे किसी भाग में
परिवर्तन करने संबंधी निर्देशों के परिपालन बाबत्।
संदर्भ :-संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 4355 भोपाल दिनांक 09.09.10।

विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र के लागू करने के संबंध में निर्देशित किया जाता है
कि समस्त जिला कार्यालयों में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 17 (1) एवं
धारा 29 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले सभी प्रकरणों के लिये पृथक से पंजी संधारित किये
जावे जिसमें आवेदन में दिये गये सभी बिन्दुओं के पृथक- पृथक कॉलम होंगे। प्रत्येक
कॉलम में प्राप्त होने वाली जानकारी की प्रविष्टियां की जानी होंगी।

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश 1973 की धारा 16 तथा मध्यप्रदेश भू- राजस्व
सहित 1959 की धारा 172 के संदर्भ में प्राप्त होने वाले आवेदनों के रजिस्ट्रर भी संधारित
किय जावे।

उक्त संधारित रजिस्ट्ररों का संचालनालय द्वारा समय - समय पर निरीक्षण किया
जावेगा।

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0, भोपाल

प्रारूप (1)

आवेदक का नाम पता तथा आवेदन का क्रमांक व दिनांक	मुख्य रेखांक	स्थल रेखांक	उप विभाग अभिन्यास योजना	विशिष्ट या सामान्य तथा विस्तृत	स्वामित्व संबंध हक (रजिस्ट्री के साथ तथा शपथ पत्र)	भूमि का वर्णन (उन भागों के जिन पर फासलै पर एक संपत्ति की छारे हों नाम बतलाते हुए तथा सीमाएँ बतलाते हुए स्थिति) (हॉ/नहीं)	प्रश्नांगत भूमि का क्रमांक दर्शाते हुए खसरा योजना और भूमि की बाहरी सीमा में दो सौ मीटर के भीतर पडने वाली निकटवर्ती खसरा/आवेदित भूमि खसरा मानचित्रों में लाल रंग से दर्शाई गई है। (हॉ/नहीं)	प्रश्नांगत भूमि मुख्य पहुँच मार्ग महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों जैसे चिकित्सालय या पेट्रोल पम्प तथा भूमि के इर्द गिर्द वर्तमान उपयोगों को उपदर्शित करते हुए रेंखांक	भूमि के वर्तमान उपयोग	प्रश्नांगत भूमि की सीमाएं प्राकृतिक विशिष्टता ए जैसे नाला जलाशय डलान हाईटेंशन लाईन रेल्वे लाईन टेलीफोन लाईन	प्रश्नांगत भूमि के संबंध समस्त विकास प्रस्थापनाओं को दर्शाते हुए एक रिपोर्ट (हॉ/नहीं)	उपयोगी कार्यों तथा सेवाओं जैसे जल प्रदान जल विकास तथा विद्युत प्रदाय एवं मलाशय (सेप्टिक टैंक)के व्यारे दर्शाते हुए रेंखांक उपलब्ध किया गया है और उसके साथ उस मेमोरी के बीच जल के निवर्तन को भी दर्शाया गया है	वस्तुवित्त संबंधी अन्य व्यारे	प्रस्तावित विकास कार्य का प्रकार	भूमि विकास नियम 1984 के अनुसार फीस	रेखांक (रजिस्ट्रीव योजना अनुसार वास्तुविद/सर्वेक्षण के नाम) द्वारा तय किये गये हैं।
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

धारा 16 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 17 से प्राप्त आवेदेन

**संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
ई-5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, म0प्र0, भोपाल**

क्रमांक / 4971 / नग्रानि / विधि /

भोपाल, दिनांक 13.10.2010

प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक,

नगर तथा ग्राम निवेश

जिला कार्यालय..... ।

विषय :- किसी भवन के विकास, निर्माण पुनर्निर्माण अथवा उसके किसी भाग में परिवर्तन करने के लिये प्रथम आवेदन पत्र का प्रारूप।

संदर्भ :- संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 4355 भोपाल दिनांक 09.09.10

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त पत्र की अंतिम कंडिका में यह निर्देश दिये गये थे कि जिला कार्यालय द्वारा दी जाने वाली अनुमतियों को प्रत्येक दिन कार्यालयीन वेबसाईट पर लोड किया जाये तथा इन अनुमतियों को उसी दिन कॉरडिनेशन मेप में अंकित किया जाये।

उक्त निर्देश के परिपेक्ष्य में आपके द्वारा की गई कार्यवाही से दिनांक 13.10.10 तक अवश्यक रूप से अवगत करावें।

साथ ही यदि उक्त कार्यवाही पूर्ण न की गई हो तो पूर्ण कर दिनांक 20.10.10 तक आवश्यक रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। यदि इस संबंध में कोई कठिनाई हो तो उससे भी संचालनालय को अवगत करावे।

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0, भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
ई-5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, म0प्र0, भोपाल

क्रमांक / 1829 / विधि / 11
प्रति,

भोपाल, दिनांक 07.04.11

संयुक्त संचालक / उपसंचालक / सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय

विषय :- म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 एवं 29/30 में विकास अनुज्ञा संबंधित समस्त प्रकरणों पर पत्र व्यवहार अन्डर पोस्टर सर्टिफिकेट सेवा (यू.पी.सी.) के माध्यम से करने बाबत।

मध्यप्रदेश तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 एवं 29/30 के अन्तर्गत जिला कार्यालयों में प्रकरण प्राप्त होते हैं। इन प्रकरणों के निराकरण हेतु आवश्यक जानकारी की मांग आवेदकों से प्रायः सामान्य पोस्टल डाक से की जाती है। सामान्य पोस्टल डाक से भेजे गये पत्रों के संबंध में आवेदक सामान्य शिकायत करते हैं कि उन्हें कार्यालय द्वारा भेजे गये पत्र प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति के कारण प्रकरणों के निराकरण में व्यर्थ विलम्ब होता है जिससे कार्यालय की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जो कदापि उचित नहीं है।

अतः अधिनियम अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु यह निर्देशित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 16 एवं 29/30 के अंतर्गत प्रचलित समस्त प्रकरणों में समस्त पत्राचार अन्डर पोस्टल सर्टिफिकेट सेवा (यू.पी.सी.) के माध्यम से किया जाये तथा वांछित जानकारी समय सीमा में आवेदकों से प्राप्त न होने पर 15 दिनों के अन्दर स्मरण पत्र भी यू पी सी सेवा से भेजे जाना सुनिश्चित करें। यदि स्मरण पत्र के पश्चात् भी वांछित जानकारी दी गई समय सीमा में प्राप्त न हो तो प्रकरण का नियमानुसार निराकरण कर आवेदकों को रजिस्टर्ड ए.डी. व्यवस्था से सूचित किया जाए।

इन नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित सहायक को अनिवार्यतः निलम्बन की कार्यवाही कर अवगत कराये, यदि आकस्मिक निरीक्षण में उपरोक्त त्रुटियाँ पाई गईं तो कार्यालय प्रमुख को भी जिम्मेदार मानकर दीर्घशास्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

कृपया इन नियमों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें ताकि आवेदकों के प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहें।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0, भोपाल

**संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई- 5 अरेरा कालोनी भोपाल**

क्रमांक 1798/विधि/नग्रानि/भोपाल /12 भोपाल दिनांक 09.04.2012

प्रति,

संयुक्त संचालक/ उप संचालक/सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,

विषय:जिला कार्यालयों द्वारा दी जाने वाली अनापत्ति/अभिमत के संबंध में।

- 1 म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 '4' में किसी नगर/स्थान की विकास योजना के उपबंधों के अनुरूप होने के प्रावधान है ।
2. इस संदर्भ में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 49 '3' में विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है ।
3. इस तारतम्य में विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग तथा अन्य प्रावधानों की जानकारी जन सामान्य से आवेदन प्राप्त होने पर उन्हें उपलब्ध कराई जाती है ।
- 4 इस संबंध में संचालनालय की जानकारी में यह तथ्य आया है कि नगर तथा ग्राम निवेश के कतिपय जिला कार्यालयों द्वारा विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग की जानकारी देते समय आवेदकों को यह जानकारी /निम्न टीप के साथ दी जाती है उपरोक्त जानकारी के आधार पर मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के अन्तर्गत व्यपवर्तन की कार्यवाही नहीं की जावे ।
- 5 उपरोक्त जानकारी के कारण अनुविभागीय अधिकारियों को भूमि व्यपवर्तनों संबंधी प्रकरणों के निराकरण में कठिनाई हो रही है
- 6 अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त टीप के स्थान पर निम्नानुसार टीप अंकित कर भूमि उपयोग की जानकारी दी जाए, इस भूमि उपयोग संबंधित जानकारी को म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के अन्तर्गत भूमि व्यपवर्तन संबंधि अनापत्ति/अनुमति न समझा जावे, इस संबंध में आवेदक को समक्ष प्राधिकारी 'एस डी ओ' 'राजस्व' पृथक से अनुमति लेनी होगी,

7. इसी प्रकार नगर तथा ग्राम निवेश के जिला कार्यालयों में ऐसे स्थानों की भूमि संबंधी व्यपवर्तन संबंध अभिमत बाबत प्रकरण प्राप्त होते हैं, जहाँ विकास योजना लागू नहीं है या जहाँ निवेश क्षेत्र गठित नहीं है ऐसे प्रकरणों में भी अनापत्ति देते समय उपरोक्त निम्न अनुसार ही टीप अंकित की जाए इस अनापत्ति/ अभिमत धारा -172 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता अंतर्गत भूमि व्यपवर्तन संबंधी अनापत्ति/अनुमति न समझा जावे। इस संबंध में आवेदक को समक्ष प्रधिकारी (एसडीओ) (राजस्व) पृथक से अनुमति लेनी होगी।

(के.सी. गुप्ता)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक /विधि/नग्रानि/भोपाल/12

भोपाल दिनांक 09.04.2012

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को सूचनार्थ।
- 2 प्रमुख राजस्व आयुक्त म0प्र0 भोपाल को पत्र क्रमांक 24/नि.स./प्र.रा.आ./2012 दिनांक 21.03.12 के सूचनार्थ।

(के.सी. गुप्ता)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश भोपाल

अध्याय – 10

म0 प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973
की धारा 31 अन्तर्गत अपील सम्बन्धी
परिपत्र / निर्देश

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक-एफ/3/15/32/97
प्रति,

भोपाल, दिनांक 05 अक्टूबर 2000

संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल म0प्र0

विषय :- अनुमोदित अभिन्यास में संशोधन करने बाबत।

संदर्भ :- 1 शासन का परिपत्र क्र. एफ-3/39/85/32 दिनांक 02.06.92

2 आदेश क्रमांक एफ-3/102/32/97 दिनांक 20.01.98

3 शासन का पत्र क्रमांक एफ -3/15/32/97 दिनांक 13.10.98

शासन के संदर्भित पत्रों द्वारा अनुमोदित अभिन्यास में संशोधन के बारे में दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। विधि याचिका क्रमांक 1480/96 में माननीय उच्च न्यायालय बेंच इंदौर द्वारा दिनांक 06.02.98 को पारित आदेश तथा एस. एल.पी. क्रमांक 15193/96 के संदर्भ में शासन के संदर्भित पत्रों पर विधि विभाग का अभिमत प्राप्त हुआ है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अभिन्यास स्वीकृत होने के बाद अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत अभिन्यास में संशोधन केवल धारा 31 एवं 32 में दिये गये वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत ही किया जा सकता है।

अतः उक्त संदर्भ में विधि विभाग द्वारा व्यक्त अभिमत को दृष्टिगत रखते हुये आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अभिन्यास स्वीकृत संशोधन संबंधी जारी परिपत्र (1) एफ-3/39/85/32/ दिनांक 02.06.98 (2) आदेश क्रमांक एफ-3/102/32/97 दिनांक 20.01.98 (3) आदेश क्रमांक एफ-3/15/32/97 दिनांक 13.10.98 को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि संचालक नगर तथा ग्राम निवेश तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अभिन्यास स्वीकृत करने के पश्चात् उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन/ परिवर्तन संबंधी आवेदन पर कार्यवाही नहीं की जायेगी।
मध्यप्रदेश नगर

तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा – 31 तथा 32 के अन्तर्गत दिय गये वैधानिक प्रावधानों के अनुसार एवं समय सीमा के अन्दर अभिन्यास में संशोधन संबंधी आवेदन केवल अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत किय जाएंगे।

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार**

(एस.के.दुबे)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ.क्र. एफ-3/15/32/97
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 05 अक्टूबर 2000

- 1 आयुक्त मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल को सूचनार्थ।
- 2 समस्त अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं निर्देश सहित अग्रेषित कि अनुमोदित अभिन्यासों में किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन न करें। उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन किया जावे।
- 3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश।
- 4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण म0प्र0। की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार**

(एस.के.दुबे)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

**संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल**

क्र / 76 / नि.स. / नग्रानि / 2004

भोपाल, दिनांक 15.04.2004

प्रति,

समस्त संयुक्त संचालक
समस्त उप संचालक,
समस्त सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय

विषय :- अनुमोदित अभिन्यास में संशोधन करने बाबत।

यह देखा गया है कि अनुमोदित अभिन्यास में संशोधन अथवा बदलाव करने हुए भवन निर्माण की अनुमति के प्रकरण समय-समय पर संचालनालय को प्रस्तुत किये जाते हैं। अभिन्यास अनुमोदन के संबंध में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत अभिन्यास स्वीकृत होने के बाद उसमें संशोधन केवल धारा 31 व 32 में दिये गये वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत ही किये जा सकते हैं और अधिनियम में इसके लिए समय सीमाएं निर्धारित हैं।

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा विविध याचिका क्रमांक 1480/96 में माननीय उच्च न्यायालय बेंच इन्दौर द्वारा दिनांक 06.02.98 को पारित निर्णय तथा एस.एल.पी. क्रमांक 15193/96 के संदर्भ में विधि विभाग का अभिमत प्राप्त कर प्रपत्र क्रमांक एफ-3/15/32/97 दिनांक 5.10.2000 के विपरीत अनुमोदित अभिन्यास में संशोधन करते हुए भवन निर्माण की अनुमतियां दी गई हैं तो ऐसी अनियमितताएं करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी।

सेवा राम

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 भोपाल

पृक्र / 77 / नि.रा. / नग्रानि / 2004
भोपाल दिनांक 15.04.2004

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन वन एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल को शासन के उपरोक्त आदेश के तारतम्य में कृपया सूचनार्थ ।
- 2 समस्त संभागायुक्त राजस्व संभाग
- 3 समस्त कलेक्टर जिला
- 4 आयुक्त मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल
- 5 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(सेवा राम)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-3-27 / 07 / 32 /
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14.05.2007

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल।

विषय:—ग्राम लाऊखेड़ी स्थित भूमि खसरा क्र.त्रमांक 70 / 1, 177 रकवा 9.45 एकड़ भूमि से
स्वीकृत अभिन्यास में संशोधन।

संदर्भ:—आपका पत्र क्रमांक 755 / एल पी-161 / 29 / नग्रानि / जिका / 06-07
दि.26.11.2001.

—000—

संदर्भित पत्र के द्वारा स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था अतः विस्तृत
रूप से प्रकरण के तथ्य पुनः विधि विभाग को अभिमत हेतु भेजे गये थे जिस पर विधि
विभाग का अभिमत दिनांक 05.05.2005 को प्राप्त हुआ है जिसकी छायाप्रति अग्रिम
कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:—उपरोक्तपानुसार।

(वर्षा नावलेकर)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

विषय:—ग्राम लाऊखेड़ी स्थित भूमि खसरा क्र.त्रमांक 70/1, 177 रकवा 9.45 एकड़
भूमि से स्वीकृत अभिन्यास में संशोधन।

R.No. 220/07-----

पू०वृ०से०

म०प्र० नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973, जिसे आगे के नाम से संबोधित किया जावेगा, के अंतर्गत किसी योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ हो जाने के उपरांत किसी भी प्राधिकारी को स्वीकृत अभिन्यास में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अभिन्यास एक बार स्वीकृत हो चुका है तथा उसके मुताबिक अधिकांश भाग पर उसका क्रियान्वयन भी हो चुका है। अधिनियम की धारा 31 में अभिन्यास स्वीकृत होने के बाद अपील का प्रावधान है, जिसके अनुसार अधिनियम की धारा 30 के अधीन पारित से व्यथित व्यक्ति आदेश की सूचना मिलने में 30 दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकेगा। अधिनियम द्वारा पारित आदेश अधिनियम की धारा 32 के अधीन रहते हुए यह आदेश अंतिम होगा।

अधिनियम की धारा 32 के अनुसार राज्य सरकार 12 माह की अवधि के भीतर प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर उचित आदेश पारित कर सकता है। इस धारा के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति भी 30 दिन के भीतर निगरानी आवेदन पेश कर सकता है, जिस पर राज्य सरकार सुनवाई के उपरांत उचित आदेश पारित कर सकता है एवं धारा 32 के अंतर्गत पारित आदेश अंतिम हो जावेगा। इस प्रकार अधिनियम की धारा 31 एवं 32 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् पूर्व स्वीकृत अभिन्यास में किसी तरह के परिवर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

अधिनियम की धारा 33 में स्पष्ट प्रावधान है कि धारा 30 के अंतर्गत स्वीकृत अनुमति 3 वर्ष की कालावधि तक प्रभावशील रहेगी एवं तत्पश्चात् वह समाप्त हो जावेगी। तथापि आवेदन करने पर संचालक अवधि को बढ़ा सकेगा जो कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। धारा 33 समग्र अभिन्यास के बारे में है अर्थात् एक बार अभिन्यास का क्रियान्वयन प्रारंभ होने के बाद धारा 33 के प्रावधान भी ऐसे लागू नहीं होंगे।

उपर्युक्त विधिक स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि निर्धारित समयावधि में अधिनियम की धारा 31 एवं 32 के उपचारों का प्रयोग करने के अतिरिक्त अधिनियम में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है, जिनके अंतर्गत विकासकर्ता कालोनी या

एजेंसी द्वारा अभिन्यास में परिवर्तन/उपांतरण हेतु आवेदन स्वीकार करके अभिन्यास में परिवर्तन या उपांतरण स्वीकृत किया जा सके।

(सचिव विधि द्वारा अनुमोदित)

(रघुवीर सिंह चुण्डावत)

अपर सचिव, एवं

अपर विधि परामर्शी

म0प्र0 शासन,

विधि विभाग,

5.5.05

फोन-2441196

आवास एवं पर्यावरण विभाग

अध्याय – 11

म0 प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973

की धारा 33 विकास अनुज्ञा में वृद्धि

सम्बन्धी परिपत्र / निर्देश

Index

अध्याय 11— म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 33 विकास अनुज्ञा में
वृद्धि संबंधी परिपत्र/निर्देश

अनु क्रमां क	परिपत्र क्रमांक/दिनांक	परिपत्र का विषय/विषयवस्तु	पृष्ठ क्रमांक	
1	2	3	4	
1	4821 / नग्रानि / विधि / एम / 8711 23.9.2004	शक्तियों का प्रत्यायोजन	1-7	
2	क्रमांक / एफ / 3-27 / 07 / 32 / 14.5.2007	ग्राम लाउखेडी स्थित भूमि खसरा क्रं.-70 / 1,177 रकबा 9.45 एकड भूमि से स्वीकृत अभिन्यास में संशोधन संबंधी विधि विभाग का अभिमत	8-10	
3	1022 / 8099 / 2006 / 32 दि. 16 मार्च 2007	ग्राम लाउखेडी स्थित भूमि खसरा क्रं.-70 / 1,177 रकबा 9.45 एकड भूमि से स्वीकृत अभिन्यास में संशोधन संबंधी विधि विभाग का अभिमत	11	

**DIRECTORATE OF TOWN & COUNTRY PLANNING
PARAYAWARAN PARISAR , E-5 ARERA COLONY, BHOPAL(M.P)**

4821/ T&CP/M/Legal/8711

Bhopal dt. 23.9.2004

ORDER

In exercise of the powers conferred by section 75(2) of the Madhya Pradesh Bhopal Nagar Tatha Gram Nivesh, Adhiniyam 1973 and in the super session of the all previous orders regarding delegation of powers, the following powers of the Director , Town & Country Planning , Madhya Pradesh Bhopal Under the Act are delegated to the various subordinate Officers as per the Schedule No 1 and authorized under rule 2(5) of M.P. Bhoomi Vikas Niyam 1984 with immediate effect, The respective jurisdiction of the various officers are detailed in schedule No.2.

**(S.N. Mishra)
Director
Town & Country Planning
Madhya Pradesh Bhopal
Bhopal**

Endt. No- 4821/ T&CP/M/Legal8711

Bhopal dt. 23.9.2004

Copy to :

1. The Principal Secretary , Govt of M.P. , Housing & Environment Department for information
2. All Addl. Directors , Town & Country Planning Bhopal .
3. All District Officers/Joint Director/ Dy. Director/Asst. Director, Town & Country Planning District Office For information and necessary action.

**(S.N. Mishra)
Director
Town & Country Planning
Madhya Pradesh Bhopal
Bhopal**

SCHEDULE-1
SCHEDULE OF POWERS DELEGATED BY THE DIRECTOR
TOWN & COUNTRY PLANNING , MADHYA PRADESH BHOPAL UNDER
MADHYA PRADESH BHOPAL NAGAR TATHA GRAM NIVESH ADHINIYAM,
1973
(ACT, 23 OF 1973 Schedule)

Sl.No	Section Of Act	Nature of Power delegated	Officer to whom power is delegated	Jurisdiction
1	5(i)(ii)	To prepare an existing land use map	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
2	6 (1) a (b)	To Carry out survey	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
3	8(2)	Power to hear and consider objection and suggestion received in respect of draft regional plan	Addl. Director (R)	Whole of Madhya Pradesh Bhopal
4	14(a)	To prepare an existing land use map	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
	(b)	To prepare a development plan for planning area		
	(d)	To carry such service and inspection and obtain such partinent		

Sl.No	Section Of Act	Nature of Power delegated	Officer to whom power is delegated	Jurisdiction
		reports from Govt. Deptt. Local Athorities and Public institution as may be necessary for the preparation of the plans.		
5	15	To carry out surveys, to publish and adopt an existing land use maps.	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
6-	16(1) , A B	(A) Power to accord permission for institution or changing the use of any land or carrying out any development of land for any purpose other than that indicated in existing land use map	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
		(B) Power to permit Local Authority or other Authority to grant permission for change in use of land other than as indicated in		

Sl.No	Section Of Act	Nature of Power delegated	Officer to whom power is delegated	Jurisdiction
		land use map		
7	27	Power to raise objections to the development by union or State Govt.	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
8	28	Power to raise objections to the development by a Local Authority or by any Authority Constituted under this act	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
9	29	Power to accord permission for development by others	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
10	30	power to grant or refuse permission	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
11	33	power to extend validity of permission	1. 1 Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction

Sl.No	Section Of Act	Nature of Power delegated	Officer to whom power is delegated	Jurisdiction
12	37	Power to require removal of unauthorized development and prosecute the owner for not complying with the notice	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
13	77	Right of entry	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
14	79	Cognizance of offence and authorization for filling compliant	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction

(S.N. Mishra)
Director
Town & Country Planning
Madhya Prades Bhopal

SCHEDULE-**2****SCHEDULE SHOWING JURISDICTION OF THE VARIOUS OFFICERS OF
TOWN & COUNTRY PLANNING , MADHYA PRADESH BHOPAL**

SI.No	Designation of the Officer	Jurisdiction
1	Addl. Director , Town & Country Planning	Whole Of Madhya Pradesh Bhopal
2	Jt. Director , T & CP, Bhopal	Bhopal & Sehore District
3	Jt. Director , T & C P, Indore	Indore & Dhar District
4	Jt. Director , T & C P, Gwalior	Gwalior & Datia Districts
5	Jt. Director , T & C P, Jabalpur	Jabalpur & Narshingpur Districts
6	Jt. Director , T & C P, Rewa	Rewa & Sidhi Districts
7	Jt. Director , T & C P, Sagar	Sagar , Damoh , & Tikamgarh Districts
8	Dy. Director , T & C P, Ujjain	Ujjain District
9	Dy. Director , T & C P, Khandwa	Khandwa, Khargone, Burhanpur & Barwani District
10	DY. Director , T & C P, Neemuch	Neemuch & Mandsaur Districts
11	DY. Director , T & C P, Satna	Satna Districts
12	DY. Director , T & C P, Dewas	Dewas & Shajapur Districts
13	DY. Director , T & C P, Shahdol	Shahdol, Annupur & Umariya Districts
14	DY. Director , T & C P, Guna	Guna, Ashok Nagar & Shivpuri Districts
15	Asstt. Director , T & C P, Hoshangabad	Hoshangabad & Harda Districts
16	Asstt. Director , T & C P, Chhindwara	Chhindwara, Seoni , & Balaghat Districts
17	Asstt. Director , T & C P, Ratlam	Ratlam Districts
18	Asstt. Director , T & C P, Vidisha	Vidisha & Raisen Districts
19	Asstt. Director , T & C P, Rajgarh	Rajgarh Districts

Sl.No	Designation of the Officer	Jurisdiction
20	Asstt. Director , T & C P, Betul	Betul Districts
21	Asstt. Director , T & C P, Chhatarpur	Chhatarpur & Panna Districts
22	Asstt. Director , T & C P, Bhind	Bhind , Morena & Sheopurkalan Districts
23	Asstt. Director , T & C P, Mandla	Mandla & Dindori Districts
24	Asstt. Director , T & C P, Jhabua	Jhabua Districts
25	Asstt. Director , T & C P, Katni	Katni Districts

(S.N.Mishra)

Director
T & C.Planning
M.P. Bhopal

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-3-27/07/32/
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14.05.2007

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल।

विषय:—ग्राम लाऊखेड़ी स्थित भूमि खसरा क्र.त्रमांक 70/1, 177 रकवा 9.45 एकड़ भूमि से
स्वीकृत अभिन्यास में संशोधन।

संदर्भ:—आपका पत्र क्रमांक 755/एल पी-161/29/नग्रानि/जिका/06-07
दि.26.11.2001.

—000—

संदर्भित पत्र के द्वारा स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था अतः विस्तृत
रूप से प्रकरण के तथ्य पुनः विधि विभाग की अभिमत हेतु भेजे गये थे जिस पर विधि
विभाग का अभिमत दिनांक 05.05.2005 की प्राप्त हुआ है जिसकी छायाप्रति अग्रिम
कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:—उपरोक्तपानुसार।

(वर्षा नावलेकर)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

विषय:—ग्राम लाऊखेड़ी स्थित भूमि खसरा क्र.त्रमांक 70/1, 177 रकवा 9.45 एकड़
भूमि से स्वीकृत अभिन्यास में संशोधन।

R.No. 220/07-----

पू०वृ०से०

म०प्र० नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973, जिसे आगे के नाम से संबोधित किया जावेगा, के अंतर्गत किसी योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ हो जाने के उपरांत किसी भी प्राधिकारी को स्वीकृत अभिन्यास में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अभिन्यास एक बार स्वीकृत हो चुका है तथा उसके मुताबिक अधिकांश भाग पर उसका क्रियान्वयन भी हो चुका है। अधिनियम की धारा 31 में अभिन्यास स्वीकृत होने के बाद अपील का प्रावधान है, जिसके अनुसार अधिनियम की धारा 30 के अधीन पारित से व्यथित व्यक्ति आदेश की सूचना मिलने में 30 दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकेगा। अधिनियम द्वारा पारित आदेश अधिनियम की धारा 32 के अध्यक्षीन रहते हुए यह आदेश अंतिम होगा।

अधिनियम की धारा 32 के अनुसार राज्य सरकार 12 माह की अवधि के भीतर प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर उचित आदेश पारित कर सकता है। इस धारा के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति भी 30 दिन के भीतर निगरानी आवेदन पेश कर सकता है, जिस पर राज्य सरकार सुनवाई के उपरांत उचित आदेश पारित कर सकता है एवं धारा 32 के अंतर्गत पारित आदेश अंतिम हो जावेगा। इस प्रकार अधिनियम की धारा 31 एवं 32 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् पूर्व स्वीकृत अभिन्यास में किसी तरह के परिवर्तन की अनुमति दिये जानें का प्रावधान नहीं है।

अधिनियम की धारा 33 में स्पष्ट प्रावधान है कि धारा 30 के अंतर्गत स्वीकृत अनुमति 3 वर्ष की कालावधि तक प्रभावशील रहेगी एवं तत्पश्चात् वह समाप्त हो जावेगी। तथापि आवेदन करने पर संचालक अवधि को बढ़ा सकेगा जो कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। धारा 33 समग्र अभिन्यास के बारे में है अर्थात् एक बार अभिन्यास का क्रियान्वयन प्रारंभ होने के बाद धारा 33 के प्रावधान भी ऐसे लागू नहीं होंगे।

उपर्युक्त विधिक स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि निर्धारित समयावधि में अधिनियम की धारा 31 एवं 32 के उपचारों का प्रयोग करने के अतिरिक्त अधिनियम में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है, जिनके अंतर्गत विकासकर्ता कालोनी या

एजेंसी द्वारा अभिन्यास में परिवर्तन/उपांतरण हेतु आवेदन स्वीकार करके अभिन्यास में परिवर्तन या उपांतरण स्वीकृत किया जा सके।

(सचिव विधि द्वारा अनुमोदित)

(रघुवीर सिंह चुण्डावत)

अपर सचिव, एवं

अपर विधि परामर्शी

म0प्र0 शासन,

विधि विभाग,

5.5.05

फोन-2441196

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

1022 / 8099 / 2006 / 32

दि. 16 मार्च 2007

प्रति,

संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल।

विषय:—ग्राम लाउखेड़ी स्थित भूमि खसरा क्र. 70/1,1,177 रकबा 2.45 एकड़ भूमि से स्वीकृत अभिन्यास में संशोधन।

संदर्भ:—आपकी टीप यू.ओ. क्रमांक 223/स्टेनों/डीटीसीपी/दिनांक 19.01.07.

—000—

संदर्भित टीप का कृपया अवलोकन करें। प्रकरण में विधि विभाग सेमत प्राप्त किया गया। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। यद्यपि विधि विभाग ने अंश भाग के अभिन्यास को संशोधन करने का अभिमत दिया है तथापि अभिन्यास के अंश भाग को संशोधन किया जाना नियोजन की दृष्टि से उचित नहीं है।

अतः किसी ऐसे पूर्ण भूमि के अभिन्यास को संशोधित किया जा सकता है जिसका विकास प्रारंभ ही न हुआ हो। साथ ही संचालक चाहे तो ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकता है जैसी कि नियोजन की दृष्टि से उचित समझी जाए।

संलग्न:— संचालनालय की मूल नस्ती।

(सी.बी.पड़वार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

अध्याय – 12

म0 प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973
की धारा 36 एवं 37 सम्बन्धी
परिपत्र / निर्देश

Index

अध्याय 12—म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 36—37 विकास अनुज्ञा में संबंधी परिपत्र/निर्देश

अनु क्रमांक	परिपत्र क्रमांक/दिनांक	परिपत्र का विषय/विषयवस्तु	पृष्ठ क्रमांक	
1	2	3	4	
1	-Nil-	म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत धारा 37 के संबंध में स्पष्टीकरण	1	
2.	2989/नग्रानि/एम-400 31.7.1996	अप्राधिकृत विकास के विरुद्ध धारा-37 के अंतर्गत दायर किये गये प्रकरण तथा विभिन्न न्यायालयों में विभाग के विरुद्ध चल रहे प्रकरणों की जानकारी बाबत्।	2	
3.	4821/नग्रानि/विधि/एम/ 8711 23.9.2004	शक्तियों का प्रत्यायोजन	3—9	

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश,
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक / / विधि / नग्रानि / 84 /
प्रति,

भोपाल दिनांक 1984

- 1 अपर संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन, भोपाल,
संयुक्त उप सहायक संचालक, इन्दौर।
ग्वालियर / जबलपुर / रायपुर / रीवा / उज्जैन / सागर / बिलासपुर / भोपाल
संभाग / सिंगरौली / खण्डवा / कोरबा / रतलाम /
दुर्ग / जगदलपुर / नीमच / राजनांदगांव / छिन्दवाड़ा / सतना.
संचालनालय के समस्त अधिकारी।

विषय :- म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत धारा 37 के संबंध
में स्पष्टीकरण।

म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 37 की उपधारा
6 (क) के अन्तर्गत विहित अभियोजना एवं उपधारा 7 (ख) के अन्तर्गत अप्राधिकृत
विकास कार्य को समाप्त करने का प्रावधान है किन्तु दोनों कार्यवाहियों प्रत्येक मामले में
संबंधित दोषी व्यक्ति के विरुद्ध करना विधिक आवश्यकता नहीं है। दोनों शक्तियों को
अथवा उनमें से किसी एक शक्ति को दोषी व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोग करने का निर्णय
आपको अपने क्षेत्राधिकार में नियमानुसार स्वविवेक के अनुसार प्रत्येक प्रकरण की
विशिष्ट या समान परिस्थितियों अथवा आचरण, प्रकरण के लोक परिणामों आदि समस्त
सुसंगत तथ्यों को विचार में रखते हुए करना होगा। उक्त निर्देशों का पालन भविष्य में
धारा 37 के अन्तर्गत कार्यवाही करते समय आवश्यक रूप से किया जावे।

(ना.वी. पटवर्धन)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म0प्र0 भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर,ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल

क्रमांक 2989 / न.ग्रा.नि. / एम-400
प्रति,

भोपाल,दिनांक 31.7.1996

उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
राजधानी परियोजना भोपाल(म.प्र.)

विषय:-अप्राधिकृत विकास के विरुद्ध धारा-37 के अंतर्गत दायर किये प्रकरण तथा विभिन्न न्यायालयों में विभाग के विरुद्ध चल रहे प्रकरणों की जानकारी बाबत।

-0-

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 37 के अंतर्गत जारी किये गये नोटिस तथा धारा 37 के अंतर्गत विभाग द्वारा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दायर किये गये कुल प्रकरणों की संख्या तथा विभिन्न न्यायालयों में विभाग तथा शासन के विरुद्ध चल रहे प्रकरणों की संख्या संबंधी जानकारी कृपया तत्काल संचालनालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(एच.पी.वर्मा)

उप संचालक (विधि)
नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल

**DIRECTORATE OF TOWN & COUNTRY PLANNING
PARAYAWARAN PARISAR , E-5 ARERA COLONY, BHOPAL(M.P)**

4821/ T&CP/M/Legal/8711

Bhopal dt. 23.9.2004

ORDER

In exercise of the powers conferred by section 75(2) of the Madhya Pradesh Bhopal Nagar Tatha Gram Nivesh, Adhiniyam 1973 and in the super session of the all previous orders regarding delegation of powers, the following powers of the Director , Town & Country Planning , Madhya Pradesh Bhopal Under the Act are delegated to the various subordinate Officers as per the Schedule No 1 and authorized under rule 2(5) of M.P. Bhoomi Vikas Niyam 1984 with immediate effect, The respective jurisdiction of the various officers are detailed in schedule No.2.

**(S.N. Mishra)
Director
Town & Country Planning
Madhya Pradesh Bhopal
Bhopal**

Endt. No- 4821/ T&CP/M/Legal8711

Bhopal dt. 23.9.2004

Copy to :

1. The Principal Secretary , Govt of M.P. , Housing & Environment
Department for information
2. All Addl. Directors , Town & Country Planning Bhopal .
3. All District Officers/Joint Director/ Dy. Director/Asst. Director, Town&
Country Planning District Office For information and necessary action.

**(S.N. Mishra)
Director
Town & Country Planning
Madhya Pradesh Bhopal
Bhopal**

SCHEDULE-1
SCHEDULE OF POWERS DELEGATED BY THE DIRECTOR
TOWN & COUNTRY PLANNING , MADHYA PRADESH BHOPAL UNDER
MADHYA PRADESH BHOPAL NAGAR TATHA GRAM NIVESH ADHINIYAM,
1973
(ACT, 23 OF 1973 Schedule)

Sl.No	Section Of Act	Nature of Power delegated	Officer to whom power is delegated	Jurisdiction
1	5(i)(ii)	To prepare an existing land use map	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
2	6 (1) a (b)	To Carry out survey	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
3	8(2)	Power to hear and consider objection and suggestion received in respect of draft regional plan	Addl. Director (R)	Whole of Madhya Pradesh Bhopal
4	14(a)	To prepare an existing land use map	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
	(b)	To prepare a development plan for planning area		
	(d)	To carry such service and inspection and obtain such partinent		

Sl.No	Section Of Act	Nature of Power delegated	Officer to whom power is delegated	Jurisdiction
		reports from Govt. Deptt. Local Athorities and Public institution as may be necessary for the preparation of the plans.		
5	15	To carry out surveys, to publish and adopt an existing land use maps.	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
6-	16(1) , A B	(A) Power to accord permission for institution or changing the use of any land or carrying out any development of land for any purpose other than that indicated in existing land use map	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
		(B) Power to permit Local Authority or other Authority to grant permission for change in use of land other than as indicated in		

Sl.No	Section Of Act	Nature of Power delegated	Officer to whom power is delegated	Jurisdiction
		land use map		
7	27	Power to raise objections to the development by union or State Govt.	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
8	28	Power to raise objections to the development by a Local Authority or by any Authority Constituted under this act	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
9	29	Power to accord permission for development by others	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
10	30	power to grant or refuse permission	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
11	33	power to extend validity of permission	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction

Sl.No	Section Of Act	Nature of Power delegated	Officer to whom power is delegated	Jurisdiction
12	37	Power to require removal of unauthorized development and prosecute the owner for not complying with the notice	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
13	77	Right of entry	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
14	79	Cognizance of offence and authorization for filling compliant	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction

(S.N. Mishra)
Director
Town & Country Planning
Madhya Prades Bhopal

**SCHEDULE SHOWING JURISDICTION OF THE VARIOUS OFFICERS OF
TOWN & COUNTRY PLANNING , MADHYA PRADESH BHOPAL**

SI.No	Designation of the Officer	Jurisdiction
1	Addl. Director , Town & Country Planning	Whole Of Madhya Pradesh Bhopal
2	Jt. Director , T & CP, Bhopal	Bhopal & Sehore District
3	Jt. Director , T & C P, Indore	Indore & Dhar District
4	Jt. Director , T & C P, Gwalior	Gwalior & Datia Districts
5	Jt. Director , T & C P, Jabalpur	Jabalpur & Narshingpur Districts
6	Jt. Director , T & C P, Rewa	Rewa & Sidhi Districts
7	Jt. Director , T & C P, Sagar	Sagar , Damoh , & Tikamgarh Districts
8	Dy. Director , T & C P, Ujjain	Ujjain District
9	Dy. Director , T & C P, Khandwa	Khandwa, Khargone, Burhanpur & Barwani District
10	DY. Director , T & C P, Neemuch	Neemuch & Mandsaur Districts
11	DY. Director , T & C P, Satna	Satna Districts
12	DY. Director , T & C P, Dewas	Dewas & Shajapur Districts
13	DY. Director , T & C P, Shahdol	Shahdol, Annupur & Umariya Districts
14	DY. Director , T & C P, Guna	Guna, Ashok Nagar & Shivpuri Districts
15	Asstt. Director , T & C P, Hoshangabad	Hoshangabad & Harda Districts
16	Asstt. Director , T & C P, Chhindwara	Chhindwara, Seoni , & Balaghat Districts
17	Asstt. Director , T & C P, Ratlam	Ratlam Districts
18	Asstt. Director , T & C P, Vidisha	Vidisha & Raisen Districts
19	Asstt. Director , T & C P, Rajgarh	Rajgarh Districts

Sl.No	Designation of the Officer	Jurisdiction
20	Asstt. Director , T & C P, Betul	Betul Districts
21	Asstt. Director , T & C P, Chhatarpur	Chhatarpur & Panna Districts
22	Asstt. Director , T & C P, Bhind	Bhind , Morena & Sheopurkalan Districts
23	Asstt. Director , T & C P, Mandla	Mandla & Dindori Districts
24	Asstt. Director , T & C P, Jhabua	Jhabua Districts
25	Asstt. Director , T & C P, Katni	Katni Districts

(S.N.Mishra)
Director
T & C.Planning
M.P. Bhopal

अध्याय – 13

म0 प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973
की धारा 50 अंतर्गत नगर विकास
योजनाए तैयार करने सम्बन्धी परिपत्र / निर्देश

Index

अध्याय 13— म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 50 के अंतर्गत विकास योजनायें तैयार करने संबंधी परिपत्र/निर्देश

अनु क्रमांक	परिपत्र क्रमांक/दिनांक	परिपत्र का विषय/विषयवस्तु	पृष्ठ क्रमांक
1	2	3	4
1	क्रमांक/8864/एफ-3-32/85 31.12.1985	प्राधिकरण एवं सुधार न्यास निर्मित भवनों को योजनाओं से मुक्त कराने संबंधी दिशा निर्देश	1-2
2.	14449/प्रनिबो/तकनीकी/94 /वी.मी. 19.9.1994	हारी क्षेत्रों में विकसित होने वाली कालोनियों के सीवेज तथा उसके समुचित व्ययन की व्यवस्था बाबत्।	3
3.	3500/विधि/एम-588/नग्रानि /04 8.7.2004	फलाई ऐश के पूर्ण उपयोग बाबत् माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में विचाराधीन याचिका क्रमांक-2145/1999 बाबत् पालन प्रतिवेदन (मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक के निर्णय के संबंध में)	4-5
4.	4470/टी.सी/सागर/157/04 31.8.2004	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के संबंध में।	6

5	क्रमांक-एफ / 12 / 60 / 32 / 95 28.10.2004	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत नगर विकास योजनाओं को तैयार किये जाने के संबंध में दिशा निर्देश	7-9	
6	क्रमांक एफ-3-44 / 2004 / 32, 24.12.2004	म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 73 के अंतर्गत धारा 38 के द्वारा गठित नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों को दायित्वों का निर्वाहन प्राधिकृत करने बाबत्	10-11	
7	क्रमांक एफ-3-65 / 2005 / 32 2.2.2005	भोपाल विकास प्राधिकरण की मिसरोद उपनगर योजना के संबंध में धारा 50(3)(4)	12-13	
8	1356 / 1809 / 32-1 4.6.2009	आवासीय कालोनियों / परिसरों को विकसित करने में मूलभूत सुविधाओं एवं आवश्यकताओं का प्रावधान	14-15	

**मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग**

क्रमांक 8864/एफ-3/43/32/85

भोपाल दिनांक 31.12.85

आदेश

राज्य शासन के ध्यान में यह आया है कि प्राधिकरण/नगर सुधार न्यास, विकास योजना बनाते समय पूर्व से निर्मित भवनों को योजना में सम्मिलित कर लेते हैं ऐसी परिस्थिति में भवन स्वामियों द्वारा अपने भवनों को योजना से मुक्त कराने हेतु आवेदन दिया जाता है, जिससे एक लंबी प्रक्रिया में दीर्घ समय लग जाने से योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब होता है।

अतः राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाकर दिये गये बिन्दुओं पर सूक्ष्म परीक्षण कर योजनाओं की तैयारी की जावे :-

- 1 योजना बनाते समय कार्यपालन यंत्री के स्तर के अधिकारी द्वारा योजना में ली जाने वाली भूमि का भौतिक सत्यापन किया जावे तथा यह कोशिश की जावे कि विद्यमान भवनों को जहां तक कोशिश हो योजना में सम्मिलित नहीं किया जाये तथा इस हेतु भी अपने को आश्वस्त कर लें कि योजना हेतु योजना में सम्मिलित क्षेत्र के लिए पानी एवं मल निकास योजना का ठीक से समन्वय नगर निगम/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मापदण्डों के अनुसार होवे, तथा इस हेतु उक्त विभागों से अनापत्ति प्रमाण - पत्र भी प्राप्त कर लिया जावे।
- 2 विकास प्राधिकरण/विशेषज्ञ विकास प्राधिकरण/नगर सुधार न्यास पूर्व निर्मित भवनों को अभिन्यास से इस प्रकार समन्वित करें कि निर्मित क्षेत्र के लिए विकास योजना के अनुसार भवन में चारो ओर आवश्यक खुले क्षेत्र का निर्धारण हो सके तथा उस के अनुसार भवन के लिये क्षेत्रफल का भूखण्ड निर्मित भवन के साथ योजना से मुक्त किया जावे। इसके अतिरिक्त शेष बची खुली भूमि योजना से मुक्त नहीं की जावे। इसके लिए नगर एवं ग्रामीण नियोजन निकाय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- 3 योजना से वे भवन न छोड़ें जावे जिनका उपयोग विकास योजना के अनुरूप न हो या जिनकी अनुमति विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार नहीं दी जा सके । इसके साथ ही विकास योजना में प्रस्तावित भागों में आने वाले भवनका योजना से मुक्त नहीं किय जावे तथा प्राधिकारी विकास योजना में दर्शाए प्रस्तावित मार्गों के विस्तृतिकरण का योजना के साथ-साथ पूर्ण करें।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर प्राधिकरण एवं नगर सुधार न्यास निर्मित भवनों को योजना से मुक्त करने के लिए स्वयं निर्णय लें। उपरोक्त सिद्धांत दर्शाने वाले निर्देश पुरानी योजनाओं पर भी लागू होंगे तथा उनके लिये भी उपरोक्तानुसार छूट दी जा सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(बि.बि. श्रीवास्तव)

विशेष सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ0क्र0 8860/एफ 3/43/32/85

भोपाल दिनांक 31.12.85

1. संचालक नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल
2. समस्त संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक/नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/ नगर सुधार न्यास, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

(जी.व्ही. उपाध्याय)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर,ई-5 सेक्टर,
अरेरा,कालोनी भोपाल

क्रमांक 14449 / प्रनिबो / तकनीकी / 94 / वी.मी. भोपाल,दिनांक 19 सितम्बर 1994

प्रति,

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश,

पर्यावरण परिसर,ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल

विषय:-शहरी क्षेत्रों में विकसित होने वाली कालोनियों के सीवेज तथा उसके समुचित व्ययन की व्यवस्था बाबत।

-0-

प्रदेश के लगभग सभी बड़े नगरों में तीव्र गति से सहकारी गृह निर्माण समितियों द्वारा कालोनियों का निर्माण किया जा रहा है। आप अवगत ही हागें की घरेलू स्रोतों से उत्पन्न होने वाले दूषित जल शहरी प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है तथा यह शहरी प्राकृति जल स्रोतों को प्रदूषित करता है। इसका मुख्य कारण यह है कि अनेक शहरों में सीवेज तथा घरेलू दूषित जल के उपचार की व्यवस्था नहीं है। नई विकसित होने वाली कालोनियों में भी उचित सिवेज नहीं है। जिस कारण घरेलू दूषित जल नालियों के माध्यम से प्राकृतिक जल स्रोतों तक पहुचता है,तथा अस्वास्थ्यप्रद वातावरण निर्मित करता है। अतः यह अपेक्षा है कि सभी निर्माणधीन कालोनियों में सीवेज की व्यवस्था ठीक से हो,इस हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री सही मापदण्डों के अनुरूप हो,साथ ही यह भी आवश्यक है कि दूषित जल क उपचार की पर्याप्त एवं उचित व्यवस्था कालोनाइजर्स द्वारा की जावे । कालोनाइजर्स द्वारा जो सेप्टिक टैंक बनाये जाते हैं वह या तो कम क्षमता के होते हैं। या भली भाँति डिजाइन नहीं किये जाते हैं एवं उनसे ओवरफलो जल स्रोतों को प्रदूषित करता है सोकपिट्स नहीं बनाये जाते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस दिशा में आपका विभाग जिन नई कालोनियों को विकसित किये जाने की अनुमति देता है, उस पर विशेष ध्यान दें,ताकि इस प्रकार की जल-मल की समस्या से भली-भाँति निपटा जा सके।

हस्ता / -

(पी.के. बनर्जी)

सदस्य सचिव,

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भोपाल

**संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
ई-5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, म.प्र.भोपाल**

क्रमांक 3500 / विधि / एम-588 / नग्रानि / 04 /

भोपाल दिनांक 8.जुलाई.2004

प्रति,

1. संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय भोपाल ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
विकास प्राधिकरण-----
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण-----

विषय:-प्लाई ऐश के पुर्न उपयोग बाबत् माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में विचाराधीन याचिका क्रमांक 2145 / 1999 बाबत् पालन प्रतिवेदन ।

-0-

उपरोक्त विषय में सूचित किया जाता है कि, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 26.4.2004 में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

“प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण द्वारा अवगत कराया गया कि नोटिफिकेशन की मंशा अनुसार ताप विद्युत गृह के 100. कि.मी के क्षेत्र में प्लाई ऐश से निर्मित इंटों का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने वाले विभाग नगर पालिक, विकास प्राधिकरण, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा अन्य स्थानीय संस्थायें निर्माण की अनुमति देते समय उक्त शर्त का उल्लेख करें एवं पालन सुनिश्चित कराये। कृपया निर्णय को लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

हस्ता / -

(एस.एन.मिश्रा)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक /विधि/एम-588/नग्रानि/04/

भोपाल दिनांक 8.जुलाई.2004

प्रतिलिपि-

अध्यक्ष , प्रदूषण निवारण मण्डल एवं सदस्य संयोजक , म.प्र प्रदूषण नियंत्रण मण्डल पर्यावरण परिसर , भोपाल की ओर उनके पत्र क्र 11260/तक/प्रनियों/2004 दिनांक 5.7.2004 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

हस्ता/-

(एस.एन.मिश्रा)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

ई-5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, म.प्र.भोपाल

क्रमांक / 4470 / टी.सी / सागर / 157 / 04 /
प्रति,

भोपाल दिनांक 31.8.2004

संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय समस्त ।

विषय:- नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के संबंध में
।

-0-

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के जिला कार्यालय प्रमुख की समीक्षा बैठक दिनांक 15.3.2004 का कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 6 के तारतम्य में लेख है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 1999, (25 सितम्बर 2000 भारत का राजपत्र) की छायाप्रति संलग्न कर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न-यथोपरि ।

हस्ता / -

(बी.एन.त्रिपाठी)

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

**मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय**

क्रमांक एफ/12/60/32/95
प्रति,

भोपाल दिनांक 28 अक्टूबर 2004

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
विकास प्राधिकरण
मध्यप्रदेश।

विषय :- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत नगर विकास योजनाओं को तैयार किये जाने के संबंध में दिशा निर्देश।

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश की धारा 50 के अंतर्गत नगर विकास योजनायें तैयार करने के पहले राज्य शासन की पूर्वानुमति प्राप्त किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा अपने आदेश क्रमांक एफ-12/60/32/95 दिनांक 10.11.99 द्वारा निर्देश दिये गये हैं। विकास योजनायें प्रारम्भ करने के पहले विस्तार में जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर कठिनाई बताई जाती है एवं यह मांग की जाती रही है कि विकास योजनाओं को प्रारम्भ करने के लिए या तो राज्य शासन की पूर्वानुमति की अनिवार्यता समाप्त की जाये अथवा अत्यावश्यक बिन्दुओं पर ही जानकारी मांगी जाकर एक निश्चित समय सीमा में अनुमति देने के बारे में निर्णय लिया जाये।

प्राधिकरण की उपरोक्त मांग के संबंध में विस्तार से विचारोपरांत पूर्व में इस संबंध में जारी समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए अब निम्नानुसार दिशा निर्देश दिये जाते हैं :-

- 1 आवासीय योजनायें 16000 से 32000 की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित की जाये ताकि योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक सुविधायें उपलब्ध कराना व्यवहारिक हो सके।

- 2 अधोसंरचना से संबंधित योजनाओं के लिए स्पष्ट रूप से यह जानकारी उपलब्ध कराई जाये कि योजना पर संभावित व्यय किस स्रोत से एवं कितनी समयावधि में प्राप्त हो सकेगा एवं तब तक प्राधिकरण कहां से वित्त पोषण करेगा।
- 3 शहर के लिए किसी विकास योजना मास्टर प्लॉन में जनसंख्या के जिस आकार को ध्यान में रखते हुए आवासीय विकास का आंकलन किया गया है। प्रस्तावित योजना उसके अनुरूप होना चाहिए इसलिए यह जानकारी अवश्य दी जाये कि प्रस्तावित योजना विकास योजना (मास्टर प्लान) के अनुरूप है या नहीं एवं यदि ऐसा है तो कैसे।
- 4 राज्य शासन से अधिनियम की धारा 50 (1) में योजना प्रकाशित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए योजना का क्षेत्रफल भूमि का भौतिक सत्यापन (भौतिक सर्वेक्षण) खसरां की जानकारी के साथ प्रस्तुत किया जाये साथ ही यह भी उल्लेख किया जाये कि क्या भूमि अधिग्रहण किया जावेगा अथवा भूमि करार के माध्यम से प्रस्तुत की जावेगी। योजना की कुल लागत (प्राक्कलन के साथ) योजना से होने वाला लाभ तथा योजना के विकास /निर्माण के लिए राशि की उपलब्धता का स्रोत बताया जाना अवश्यक होगा।

यदि राज्य शासन से 60 दिन की समयावधि में अधिनियम की धारा 50 (1) में योजना प्रकाशन करने की अनुमति संसूचित नहीं की जाती है तो यह माना जायेगा कि प्राधिकरणों की योजना घोषित करने के लिए स्वतः ही अनुमति प्राप्त हो गई है परन्तु यह 60 दिन की अवधि उन प्रकरणों में लागू नहीं होंगे जिन प्रकरण में इस ज्ञाप में वर्णित बिन्दुओं पर पूर्ण जानकारी प्रस्तुत नहीं की जायेगी। योजना को अंतिम रूप से प्रारम्भ करने के पूर्व अधिनियम की धारा -52 में शासन से निर्देश प्राप्त करने होंगे।

(सत्यानंद मिश्रा)
प्रमुख सचिव
म0प्र0शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 12-60/32/95

भोपाल दिनांक 28 अक्टूबर 2004

प्रतिलिपि :-

1. संचालक नगर तथा ग्राम निवेश पर्यावरण परिसर,ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल ।
2. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय मध्यप्रदेश ।

(बी.एन. त्रिपाठी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
“आदेश”

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2004

क्रमांक -एफ-3-44/2004 /32:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 73 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश को उक्त अधिनियम की धारा 38 के अन्तर्गत गठित नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों एवं धारा 65 में गठित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारियों के कृत्यों के संबंध में निम्नानुसार दायित्वों के निर्वहन हेतु प्रधिकृत किया जाता है :-

- 1 उक्त अधिनियम की धारा 50 (1) के अंतर्गत प्राधिकारियों द्वारा तैयार की गई नगर विकास योजनाओं का परीक्षण एवं अनुशंसा सहित स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।
- 2 धारा - 62 के अन्तर्गत विभिन्न प्राधिकारियों के वार्षिक बजट का परीक्षण तथा आवश्यक संशोधनों एवं अनुशंसा सहित राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।
- 3 उक्त अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न संस्थाओं से राशि उधार लेने के प्रस्तावों का परीक्षण एवं राज्य शासन की अनुमति हेतु प्रस्तुत करना।
- 4 प्राधिकारियों की योजनाओं एवं कार्यालयों का राज्य शासन के अनमोदन अनुसार वार्षिक निरीक्षण करना।
- 5 उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा साथ-साथ पर सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन।

(सत्यप्रकाश)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ.क्रमांक एफ-3-44 / 2004 / 32
प्रतिलिपि :-

भोपाल दिनांक 24 दिसम्बर 2004

- 1 प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन / वित्त विभाग ।
- 2 महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर ।
- 3 संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल ।
- 4 संबंधित संभागीय आयुक्त म0प्र0 ।
- 5 संबंधित समस्त जिला कलेक्टर ।
- 6 कार्यपालन संचालक, म0प्र0 विकास प्राधिकरण संघ, भोपाल ।
7. समस्त विकास / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, म0प्र0 ।

(बी.एन.त्रिपाठी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक-एफ-3-65/200/32

भोपाल दिनांक 2 फरवरी 2005

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण
भोपाल (म.प्र.)।

विषय:-भोपाल विकास प्राधिकरण की मिसरोद उपनगर योजना के संबंध में ।

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक 90/02/भो.वि.प्रा/05, दिनांक 14.1.2005 -0-

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा-52 के अंतर्गत भोपाल विकास प्राधिकरण को घोषित की गई मिसरोद उपनगर योजना के संबंध में विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 1 जनवरी, 2005 से सूचना पर जारी करते हुए प्राधिकरण से लिखित उत्तर की अपेक्षा की गई।

2. प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर परीक्षण करने पर यह स्थिति परिलक्षित हुई कि प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा- 50(3) के अंतर्गत मिसरोद उप नगर योजना का प्रकाशन किया गया है, जिसमें सम्मिलित क्षेत्र 7,00.14 हेक्टेयर है। इतने बड़े क्षेत्रफल में योजना के क्रियान्वयन की क्षमता के संबंध में संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित न होने से प्राधिकरण का यह तर्क कि इसका क्रियान्वयन जनसहभागिता के माध्यम से लैंड पूलिंग तकनीक द्वारा किया जायेगा, मान्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में इस रीति से योजना क्रियान्वयन का कोई प्रावधान नहीं है।

3. फलस्वरूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 50(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा लोकहित में भोपाल विकास प्राधिकरण की 7,00.14 हेक्टर भूमि पर नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 50 (3) में घोषित मिसरोद उपनगर योजना का प्रतिसंहरण करने का निर्देश दिया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता / -
(सी.बी.पड़वार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक 1356 / 1809 / 32-1

भोपाल दिनांक 04.06.2009

प्रति,

1. आयुक्त ,
म.प्र गृह निर्माण मण्डल
भोपाल
2. संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल
3. अधीक्षण यंत्री
राजधानी परियोजना प्रशासन
भोपाल
4. समस्त विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र
विकास प्राधिकरण म.प्र.
5. समस्त नगर निगम
मध्यप्रदेश
6. मुख्य नगर पालिक अधिकारी
समस्त नगर पालिका
मध्यप्रदेश

विषय:- आवासीय कालोनियों / परिसरों को विकसित करने में मूलभूत सुविधाओं एवं आवश्यकताओं का प्रावधान ।

-0-

राज्य शासन के ध्यान में यह बात आई है कि प्रायः आवासीय कालोनी/परिसरों को विकसित करते समय उनमें विभिन्न प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं का प्रावधान नहीं किया जाता है जबकि स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण की दृष्टि से इनका प्रावधान किया जाना आवश्यक है। राज्य शासन के जन संकल्प 2008 के अंतर्गत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मुख्य बिन्दु क्रमांक-9 में यह व्यवस्था की गई है। कि " समस्त आवासीय कालोनियों में सार्वजनिक उद्यान का निर्माण और रखरखाव सुनिश्चित किया जायेगा।

2. अतः निर्माणाधीन एवं निर्मित कालोनियों/आवासीय परिसरों में निम्नानुसार व्यवस्थायें की जाना वांछनीय होगा। अतः उन्हें सुनिश्चित किया जाये :

1. कालोनियों में अनुमोदित अभिन्यास के अनुरूप छोड़े गये खुले स्थानों के विकास में पार्क , बगीचे एवं वृक्षों का समूह , छोटे बच्चों के खेल के स्थान , उचित प्रकाशा , पेयजल व्यवस्था , जल-मल निकासी की व्यवस्था सड़क एवं भवन निर्माण के साथ ही पूर्ण की जाये इसके बिना विकास पूर्ण नहीं माना जाये।

2. यथासंभव प्रत्येक कालोनी का लैण्डस्केप प्लान बनाया जावे जिसमें पेड़ों की स्थिति उनकी बॉटनिकल क्षमताओं के अनुरूप स्थानीय जलवायु एवं मिट्टी के अनुरूप तैयार की जावे ।
3. लेण्डस्केपिंग प्लान इस तरह तैयार किया जावे कि उसमें जल की आवश्यकत न्यूनतम रहे। पार्क , बगीचों के पौधों /पेड़ों की प्रजाति इस प्रकार रखी जावे कि उनका रखरखाव कम से कम जल की मात्रा में हो सके।
4. बिजली प्रदाय के तारों /सर्विस लाईन के कारण वृक्षों को यथासंभव काटा न जाये।

हस्ता / -

(आर.के.त्यागी)

उप सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल दिनांक 04.06.2009

क्रमांक 1356 / 1809 / 32-1

प्रतिलिपि-

1. भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन लिंक रोड न0 3 ई-5 रविशंकर , नगर भोपाल की ओर उनके पत्र क्र-10-5/98(ईएनव्ही)/1867 दिनांक 14.9.05 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रपिठित ।
2. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर उनके प.क्र 17046/परि/प्रनिबो/05 दि 12.9.02005 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रपिठित ।

हस्ता / -

(आर.के.त्यागी)

उप सचिव

म.प्र.शासन ,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

अध्याय – 14

म0 प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973
की धारा 51 अंतर्गत नगर विकास
योजनाओं से सम्बन्धित अपील
सम्बन्धी परिपत्र / निर्देश

Index

अध्याय 14—म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 51 के अंतर्गत विकास योजनाओं से संबंधित अपील संबंधी परिपत्र/निर्देश

अनु क्रमांक	परिपत्र क्रमांक/दिनांक	परिपत्र का विषय/विषयवस्तु	पृष्ठ क्रमांक	
1	2	3	4	
1	क्रमांक / 1024 / 320 / 2003 / 32 8.7.2003	मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 51 के अंतर्गत संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निर्णित प्रकरणों के विरुद्ध न्यायालय में दायर प्रकरणों में कार्यवाही बाबत्।	1-2	
2.	एफ-12 / 81 / 2002 / 32 23.10.2003	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 51 के अंतर्गत संचालक, नगर तथा ग्राम निवेशों द्वारा निर्मित प्रकरणों के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर करने बाबत्	3	

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक / 1024 / 4320 / 2003 / 32,

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2003

प्रति,

- 1 आयुक्त सह संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
..... विकास प्राधिकरण
मध्यप्रदेश।

विषय:—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 51 के अन्तर्गत संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निर्णित प्रकरणों के विरुद्ध न्यायालय में दायर प्रकरणों में कार्यवाही बाबत।

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 51 के अंतर्गत संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत होते हैं। उक्त प्रकरण विभिन्न विकास प्राधिकरणों के अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत घोषित योजनाओं से संबंधित होते हैं। धारा -51 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों को संचालक द्वारा अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत रिवीजनल अथारिटी की हैसियत से निर्णित किया जाता है। संचालक द्वारा निर्णित इन प्रकरणों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में याचिकायें दायर की जाती हैं।

उक्त संदर्भ में शासन द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किय जाते हैं :-

- 1 ऐसे प्रकरण जिनमें संचालक द्वारा विकास प्राधिकरण के पक्ष में निर्णय लिया गया है उन प्रकरणों में संबंधित प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जावे, ताकि शासन/संचालक की ओर से प्रतिरक्षण सुनिश्चित हो सके।

- 2 ऐसे प्रकरण जिनमें संचालक द्वारा प्राधिकरण के विरुद्ध निर्णय लिया गया है और यदि प्राधिकरण द्वारा माननीय उच्च/सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाती है, तब ऐसी स्थिति में संचालक/शासन की ओर से प्रतिरक्षण किया जाना आवश्यक नहीं होगा क्योंकि संचालक द्वारा रिजनल ऑथरिटी की हैसियत से लिये गये निर्णय का प्रतिरक्षण आवश्यक नहीं है।

उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शिवानन्द दुबे)

म0प्र0शासन, आवास एवं पर्यावरण
विभाग

**संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल**

क्रमांक/4100 /विधि/एम-572/नग्रानि/भोपाल, दिनांक 17/7/03
प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय म0प्र0 को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(रेखा शर्मा)

अपर संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक एफ-12/81/2002/32

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 03

प्रति,

1. आयुक्त सह संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0, भोपाल
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
समस्त विकास प्राधिकरण
मध्यप्रदेश

विषय:—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 51 के अन्तर्गत संचालक नगर तथा ग्राम निवेशों द्वारा निर्मित प्रकरणों के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर करने बाबत।

संदर्भ:—विभाग का पत्र क्रमांक 4021/4320/2003/32 भोपाल दि. 08.07.03

मध्यप्रदेश नगर ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 51 अंतर्गत संचालक नगर तथा ग्राम निवेश के द्वारा पारित निर्णय से यदि प्राधिकरण क्षति होता है तो वह न्यायालय में याचिका दायर करने के स्थान पर अधिनियम की धारा 2 (1) (ख) के प्रावधानों अंतर्गत विभाग के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करें। प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर उसे अपना पक्ष रखने के उपरांत आवश्यक होने पर नगर विकास योजना में संशोधन संबंधी निर्देश विभाग से जारी किये जाएंगे जो कि अधिनियम की धारा 52 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राधिकरण पर आबध्दकारी होंगे।

(शिवानंद दुबे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

अध्याय – 15

म0 प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973
की धारा 52 अंतर्गत नगर विकास
योजनाओं से सम्बन्धित पुनरीक्षण
सम्बन्धी परिपत्र / निर्देश

Index

अध्याय 15— म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 52 के अंतर्गत नगर विकास योजनाओं से संबंधित राज्य शासन की पुनरीक्षण की शक्तियां संबंधी परिपत्र/निर्देश

अनु क्रमांक	परिपत्र क्रमांक/दिनांक	परिपत्र का विषय/विषयवस्तु	पृष्ठ क्रमांक	
1	2	3	4	
1	क्रमांक एफ-12/81/2002/32 भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 03	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 51 के अन्तर्गत संचालक नगर तथा ग्राम निवेशों द्वारा निर्मित प्रकरणों के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर करने बाबत।	1	

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक एफ-12/81/2002/32
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 03

1. आयुक्त सह संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0, भोपाल
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
समस्त विकास प्राधिकरण
मध्यप्रदेश

विषय:—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 51 के अन्तर्गत संचालक नगर तथा ग्राम निवेशों द्वारा निर्मित प्रकरणों के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर करने बाबत।

संदर्भ:—विभाग का पत्र क्रमांक 4021/4320/2003/32 भोपाल दि. 08.07.03

मध्यप्रदेश नगर ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 51 अंतर्गत संचालक नगर तथा ग्राम निवेश के द्वारा पारित निर्णय से यदि प्राधिकरण क्षति होता है तो वह न्यायालय में याचिका दायर करने के स्थान पर अधिनियम की धारा 2 (1) (ख) के प्रावधानों अंतर्गत विभाग के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करें। प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर उसे अपना पक्ष रखने के उपरांत आवश्यक होने पर नगर विकास योजना में संशोधन संबंधी निर्देश विभाग से जारी किये जाएंगे जो कि अधिनियम की धारा 52 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राधिकरण पर आबध्दकारी होंगे।

(शिवानंद दुबे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

अध्याय – 16

म0 प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973

की धारा 75 (1) शासन द्वारा

अधिकारों का प्रत्यायोजन सम्बन्धी

आदेश / परिपत्र / निर्देश

Index

अध्याय 16—म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 75 (1) शासन द्वारा अधिकारों का प्रत्यायोजन संबंधित आदेश संबंधी परिपत्र/निर्देश

अनु क्रमां क	परिपत्र क्रमांक/दिनांक	परिपत्र का विषय/विषयवस्तु	पृष्ठ क्रमांक	
1	2	3	4	
1	क्रमांक एफ 3-25/99/32 भोपाल,दिनांक 30 मार्च 1999	म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973(क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 75 के अंतर्गत जिला समितियों को धारा 13 एवं 17 क (1) की शक्तियों का प्रात्यायोजन	1-2	

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय

क्रमांक एफ 3-25/99/32

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999

अधिसूचना

म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973(क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 75 की उपधारा (1) सहपठित मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995(क्रमांक 19 सन् 1995) की धारा 7-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र 23 सन् 1973) की निम्न धाराओं की शक्तियों जिला योजना समिति को प्रत्यायोजित करता है :-

1. धारा 13 निवेश क्षेत्रों का गठन करना तथा उनकी सीमाएं परिनिश्चित करना।
2. धारा 17-क (1) विकास योजना हेतु समिति का गठन करना।
यह अधिसूचना 1 अप्रैल 1999 से प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस. के. दुबे)

अपर सचिव,

मध्य प्रदेश शासन,

आवास एवं पर्यावरण विभाग,

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999

क्रमांक एफ 3-25/99/32

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
भोपाल।
- 2 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल।
- 3 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत विभाग मंत्रालय, भोपाल एवं
विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 4 सचिव, म.प्र. शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, भोपाल।
- 5 समस्त संभागयुक्त, मध्यप्रदेश।
- 6 संचालक नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 भोपाल।

7. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश, भोपाल ।
8. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशनार्थ । कृपया प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

अध्याय – 17

म0 प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973

की धारा 75 (2) संचालक द्वारा
अधिकारों के प्रत्यायोजन सम्बन्धी
आदेश / परिपत्र / निर्देश

Index

अध्याय 17— म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 75 (2) संचालक द्वारा अधिकारों के प्रत्यायोजन संबंधी आदेश/परिपत्र/निर्देश

अनु क्रमांक	परिपत्र क्रमांक/दिनांक	परिपत्र का विषय/विषयवस्तु	पृष्ठ क्रमांक	
1	2	3	4	
1	पृ.क्र. 875/विधि/एम-87 भोपाल दिनांक 02.02.2001	मध्यप्रदेश तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 75 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में।	1-3	
2	4821/T&CP/M/Legal/8711 Bhopal dt. 23-9-2004 23-9-2004	शक्तियों का प्रत्यायोजन बाबत।	4-10	
3	क्रमांक /4576 /विधि/नग्रानि. /एम-87 भोपाल, दिनांक 22.09.2010	म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 16(1) ए-बी की शक्तियां संयुक्त संचालकों से वापस लिये जाने बाबत।	11	
4	क्रमांक /4923/पीए /2010 भोपाल,दिनांक 11.10.2010	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के संबंध में।	12-13	

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पांचवी मंजिला गंगोत्री भवन न्यू मार्केट, भोपाल

पृ.क्र. 875/विधि/एम-87

भोपाल दिनांक 02.02.2001

आदेश

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक 27/विधि/एस-87 दिनांक 21.01.2001 में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3/162/ 2000 दिनांक 15.12.2000 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 3/162/32/2000 दिनांक 01.02.2001 के अनुसार में मध्यप्रदेश तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 75 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 27, 29, एवं 30 की संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों अनुसूची क्रमांक 1 में दर्शाये गए अधिनस्थ अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले औद्योगिक केन्द्रों के भूमि विकास के प्रस्तावों को परिक्षण कर अनुमोदित करने हेतु प्रत्यायोजित की जाती है।

अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 4 के प्रावधानानुसार भूमि विकास की अनुज्ञा म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानानुसार ही दी जाना है। अतः जिन क्षेत्रों पर ये नियम प्रभावशील हैं वहां मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 2 के उक्त नियम (5) खण्ड (क) के अन्तर्गत भूमि विकास के प्रस्ताव का परीक्षण कर अनुमोदित करने हेतु अनुसूची क्रमांक 1 में दर्शाये अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाता है

(के.के. सिंह)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्र. 875/विधि/एम-87

भोपाल दिनांक 02.02.2001

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव म0प्र0शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग भोपाल को सूचनार्थ ।
- 2 प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग भोपाल को सूचनार्थ
- 3 प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल को सूचनार्थ
- 4 प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल को सूचनार्थ
- 5 आयुक्त उद्योग विभाग भोपाल को सूचनार्थ ।

- 6 संचालक पंचायत एवं समाज सेवा विभाग भोपाल को सूचनार्थ ।
- 7 समस्त मुख्य महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र
- 8 समस्त महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र
- 9 अपर संचालक (तकनीकी प्रकोष्ठ) नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ।
- 10 समस्त संयुक्त संचालक/ उपसंचालक/सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(के.के. सिंह)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म0प्र0 भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0, भोपाल

क्रमांक	अधिनियम की धारा	शाक्तियों का वर्णन	जिस अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित की जा रही है, उसका पदनाम	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4	5
1	धारा 27	औद्योगिक केन्द्र के भूमि विकास के प्रस्ताव को अनुमोदित करना	मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र	संबंधि जिले के उद्योगिक केन्द्र के लिए
2	धारा 29	अन्य व्यक्तियों द्वारा औद्योगिक केन्द्र के अन्तर्गत विकास के लिए अनुज्ञा हेतु आवेदन	मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र	संबंधि जिले के उद्योगिक केन्द्र के लिए
3	धारा 30	अनुज्ञा दिया जाना या अनुज्ञा देने से इन्कार	मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र	संबंधि जिले के उद्योगिक केन्द्र के लिए

टीप :- मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अन्तर्गत औद्योगिक केन्द्र के भूमि विकास के प्रस्तावों / आवेदनों का परिक्षण करना अनिवार्य है।

(के.के. सिंह)
संचालक नगर तथा
ग्राम निवेश
म0प्र0 भोपाल

**DIRECTORATE OF TOWN & COUNTRY PLANNING
PARAYAWARAN PARISAR , E-5 ARERA COLONY, BHOPAL(M.P)**

4821/ T&CP/M/Legal/8711

Bhopal dt. 23.9.2004

ORDER

In exercise of the powers conferred by section 75(2) of the Madhya Pradesh Bhopal Nagar Tatha Gram Nivesh, Adhinyam 1973 and in the super session of the all previous orders regarding delegation of powers, the following powers of the Director , Town & Country Planning , Madhya Pradesh Bhopal Under the Act are delegated to the various subordinate Officers as per the Schedule No 1 and authorized under rule 2(5) of M.P. Bhoomi Vikas Niyam 1984 with immediate effect, The respective jurisdiction of the various officers are detailed in schedule No.2.

(S.N. Mishra)
Director
Town & Country Planning
Madhya Pradesh Bhopal
Bhopal

Endt. No- 4821/ T&CP/M/Legal8711

Bhopal dt. 23.9.2004

Copy to :

1. The Principal Secretary , Govt of M.P. , Housing & Environment Department for information
2. All Addl. Directors , Town & Country Planning Bhopal .
3. All District Officers/Joint Director/ Dy. Director/Asst. Director, Town& Country Planning District Office For information and necessary action.

(S.N. Mishra)
Director
Town & Country Planning
Madhya Pradesh Bhopal
Bhopal

SCHEDULE-1
SCHEDULE OF POWERS DELEGATED BY THE DIRECTOR
TOWN & COUNTRY PLANNING , MADHYA PRADESH BHOPAL UNDER
MADHYA PRADESH BHOPAL NAGAR TATHA GRAM NIVESH ADHINIYAM,
1973
(ACT, 23 OF 1973 Schedule)

Sl.No	Section Of Act	Nature of Power delegated	Officer to whom power is delegated	Jurisdiction
1	5(i)(ii)	To prepare an existing land use map	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
2	6 (1) a (b)	To Carry out survey	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
3	8(2)	Power to hear and consider objection and suggestion received in respect of draft regional plan	Addl. Director (R)	Whole of Madhya Pradesh Bhopal
4	14(a)	To prepare an existing land use map	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
	(b)	To prepare a development plan for planning area		
	(d)	To carry such service and inspection and obtain such partinent		

Sl.No	Section Of Act	Nature of Power delegated	Officer to whom power is delegated	Jurisdiction
		reports from Govt. Deptt. Local Athorities and Public institution as may be necessary for the preparation of the plans.		
5	15	To carry out surveys, to publish and adopt an existing land use maps.	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
6-	16(1) , A B	(A) Power to accord permission for institution or changing the use of any land or carrying out any development of land for any purpose other than that indicated in existing land use map	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
		(B) Power to permit Local Authority or other Authority to grant permission for change in use of land other than as indicated in		

Sl.No	Section Of Act	Nature of Power delegated	Officer to whom power is delegated	Jurisdiction
		land use map		
7	27	Power to raise objections to the development by union or State Govt.	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
8	28	Power to raise objections to the development by a Local Authority or by any Authority Constituted under this act	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
9	29	Power to accord permission for development by others	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
10	30	power to grant or refuse permission	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
11	33	power to extend validity of permission	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction

Sl.No	Section Of Act	Nature of Power delegated	Officer to whom power is delegated	Jurisdiction
12	37	Power to require removal of unauthorized development and prosecute the owner for not complying with the notice	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
13	77	Right of entry	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction
14	79	Cognizance of offence and authorization for filling compliant	1. Jt. Director 2. Dy. Director 3. Asstt. Director I/C District Office (s)	Their respective jurisdiction

(S.N. Mishra)
Director
Town & Country Planning
Madhya Prades Bhopal

SCHEDULE-**2****SCHEDULE SHOWING JURISDICTION OF THE VARIOUS OFFICERS OF
TOWN & COUNTRY PLANNING , MADHYA PRADESH BHOPAL**

SI.No	Designation of the Officer	Jurisdiction
1	Addl. Director , Town & Country Planning	Whole Of Madhya Pradesh Bhopal
2	Jt. Director , T & CP, Bhopal	Bhopal & Sehore District
3	Jt. Director , T & C P, Indore	Indore & Dhar District
4	Jt. Director , T & C P, Gwalior	Gwalior & Datia Districts
5	Jt. Director , T & C P, Jabalpur	Jabalpur & Narshingpur Districts
6	Jt. Director , T & C P, Rewa	Rewa & Sidhi Districts
7	Jt. Director , T & C P, Sagar	Sagar , Damoh , & Tikamgarh Districts
8	Dy. Director , T & C P, Ujjain	Ujjain District
9	Dy. Director , T & C P, Khandwa	Khandwa, Khargone, Burhanpur & Barwani District
10	DY. Director , T & C P, Neemuch	Neemuch & Mandsaur Districts
11	DY. Director , T & C P, Satna	Satna Districts
12	DY. Director , T & C P, Dewas	Dewas & Shajapur Districts
13	DY. Director , T & C P, Shahdol	Shahdol, Annupur & Umariya Districts
14	DY. Director , T & C P, Guna	Guna, Ashok Nagar & Shivpuri Districts
15	Asstt. Director , T & C P, Hoshangabad	Hoshangabad & Harda Districts
16	Asstt. Director , T & C P, Chhindwara	Chhindwara, Seoni , & Balaghat Districts
17	Asstt. Director , T & C P, Ratlam	Ratlam Districts
18	Asstt. Director , T & C P, Vidisha	Vidisha & Raisen Districts
19	Asstt. Director , T & C P, Rajgarh	Rajgarh Districts

Sl.No	Designation of the Officer	Jurisdiction
20	Asstt. Director , T & C P, Betul	Betul Districts
21	Asstt. Director , T & C P, Chhatarpur	Chhatarpur & Panna Districts
22	Asstt. Director , T & C P, Bhind	Bhind , Morena & Sheopurkalan Districts
23	Asstt. Director , T & C P, Mandla	Mandla & Dindori Districts
24	Asstt. Director , T & C P, Jhabua	Jhabua Districts
25	Asstt. Director , T & C P, Katni	Katni Districts

(S.N.Mishra)
Director
T & C.Planning
M.P. Bhopal

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
ई-5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, म0प्र0, भोपाल

क्रमांक / 4576 / विधि / नग्रानि. / एम-87

भोपाल, दिनांक 22.09.2010

आदेश

संचालनालय के आदेश क्रमांक एफ-4821 / टी.एड.सी.पी / लीगल / एम-87 भोपाल दिनांक 23.09.2004 के परिशिष्ट एक के अनुक्रमांक -6 में म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 (1) ए-बी की शक्तियों का प्रत्यायोजन संयुक्त संचालकों को किया गया था।

म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 16(1) ए -बी की संयुक्त संचालकों को प्रत्यायोजित शक्तियां वापस लेते हुए संचालक में उक्त शक्तियों वैष्टिता की जाती है।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म0प्र0, भोपाल

क्रमांक 4577 / विधि / नग्रानि / एम-87

भोपाल दिनांक 22.09.2010

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 2 अपर संचालक नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 भोपाल को सूचनार्थ।
- 3 संयुक्त संचालक तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म0प्र0, भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

ई-5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, म0प्र0, भोपाल

क्रमांक / 4923 / पीए / 2010

भोपाल, दिनांक 11.10.2010

प्रति,

समस्त संयुक्त संचालक,
समस्त उप संचालक,
समस्त सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय

विषय:—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के संबंध में।

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 4576/विधि/नग्रानि/एम-87 दि. 22.09.2010 में दिय गये निर्देशों के अनुसार नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत अधिनस्थ कार्यालयों को प्रत्यायोजित अधिकार वापस लिया गया है। इस कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र में उपदर्शित हो जाने के पश्चात् वर्तमान प्रदर्शित उपयोग से भिन्न उपयोग के विकास की कार्यवाही को नियंत्रित करना है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि धारा 16 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों को आवेदक को मूलतः वापस न किया जाय अपितु उसका परीक्षण कर स्पष्ट अभिमत के साथ संचालनालय को भेजा जाय ताकि संचालनालय में जिला कार्यालय को दिये जा सकें।

कतिपय जिला कार्यालयों द्वारा इस अधिनियम की धारा में प्राप्त होने वाले आवेदनों को वापस किया जा रहा है जो दिये गये निर्देशों के विपरीत है।

अतः सुनिश्चित करें कि धारा 16 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का समग्र रूप से परीक्षण कर उन्हें स्पष्ट अभिमत के साथ संचालनालय को भेजना सुनिश्चित करें ताकि संचालनालय द्वारा प्रकरण के समुचित परीक्षण उपरान्त समय सीमा में उस पर कार्यवाही के निर्देश किय जा सकें।

कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में धारा 16 के अन्तर्गत दिये गये आवेदनों को न तो लेने से इन्कार किया जाय और न ही बिना किसी कारण के जिला कार्यालयों में लंबित रखा जाय।

इन निर्देशों का क्रियान्वयन की स्थिति जानने के लिए समय-समय पर जिला कार्यालयों का निरीक्षण कर प्राप्त आवेदनों एवं उनके निराकरण का भौतिक सत्यापन भी किया जायेगा। अतः समय सीमा में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0, भोपाल
भोपाल दिनांक

क्रमांक /निस /निग्रानि/2010
प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, को कृपया सूचनार्थ।
- 2 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी माननीय मंत्री जी मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग को सूचनार्थ।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0, भोपाल

अध्याय – 18

म0 प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973

की धारा 76 (1) प्राधिकरणों के

विघटन सम्बन्धी आदेश / परिपत्र / निर्देश

Index

अध्याय 18— म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 76 (1) प्राधिकरणों के विघटन संबंधी आदेश/परिपत्र/निर्देश

अनु क्रमांक	परिपत्र क्रमांक/दिनांक	परिपत्र का विषय/विषयवस्तु	पृष्ठ क्रमांक	
1	2	3	4	
1	पृ0क्र0 एफ 3-159/2000/32 भोपाल,दिनांक 30 सितम्बर 2000	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 76 की उपधारा (1) अधीन प्राधिकरणों को विघटित करने संबंधी अधिसूचना।	1-2	

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
अधिसूचना

भोपाल दिनांक 30 सितम्बर 2000

क्रमांक एफ 3-159/2000/बत्तीस राज्य सरकार की राय में विकास प्राधिकारी शिवपुरी का अस्तित्व में बना रहना अनावश्यक है।

अतएव मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 76 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा घोषित करती है कि विकास प्राधिकारी शिवपुरी का इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से विघटन किया जाता है।

विघटित विकास प्राधिकारी शिवपुरी की समस्त आस्तियां तथा दायित्व विघटन की तारीख से मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा की उपधारा (2) में यथा निर्दिष्ट रीति में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 1961) के उपबंधी के अधीन गठित नगरपालिका, शिवपुरी में निहित हो जाएगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के.दुबे)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण
विभाग

पृ0क्र0 एफ 3-159/2000/32

भोपाल,दिनांक 30 सितम्बर 2000

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल।
2. संचालक नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 भोपाल।
- 3 आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म0प्र0 भोपाल।

- 4 कलेक्टर, जिला –शिवपुरी (अध्यक्ष शिवपुरी विकास प्राधिकरण)म0प्र0।
- 5 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका शिवपुरी , म0प्र0।
- 6 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण, शिवपुरी म0प्र0।
7. नियंत्रक शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा भोपाल की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया इस अधिसूचना को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं साथ ही प्रकाशित राजपत्र की 25 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(एस.के. दुबे)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग